राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार;

25 फरवरी, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री वृद्धिचन्द जैन।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में चिकित्सकों के रिक्त पद

1. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. बुलाकीदास कल्ला) : (1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर में स्वीकृत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

पदनाम	रिक्त पद		
	बाड़मेर	जैसलमेर	जालौर
वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	1	3
कनिष्ठ विशेषज्ञ	15	3	15
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7	2	8
चिकित्सा अधिकारी	18	3	9
दन्त चिकित्सा अधिकारी	2	–	–

(2) जी हां। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की अस्थाई व्यवस्था के लिये समेकित वेतन पर रखने हेतु स्वीकृति जिलाधीशों को दिनांक 27.11.2002 को दी जा चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा व इसके लिये अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी के 354 पदों को भरने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यूं तो प्रश्न का जो जवाब आया है वह सही जवाब दिया गया है। इसके लिये तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रश्न यह है कि 15 कनिष्ठ विशेषज्ञों के बाड़मेर जिले में पद रिक्त हैं और जालौर जिले में भी 15 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञों के भी काफी पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारियों के भी पद रिक्त हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय में जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें यह महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से सर्जरी का काम बिलकुल रुका हुआ है, क्योंकि सीनियर स्पेशलिस्ट सर्जरी नहीं है और साथ में एनेस्थीसिस्ट भी नहीं है। इसलिए आपरेशन के लिये या तो जोधपुर जाना पड़ता है या गुजरात में अहमदाबाद जाना पड़ता है और बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। पैथोलोजिस्ट का पद भी नहीं होने से खून का कलेक्शन नहीं होने से मरीजों को परेशानी होती है। साथ में डिप्टी कंट्रोलर नहीं होने से... (व्यवधान) मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो क्या कर रहे हो?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूं। डिप्टी कंट्रोलर का पद भी रिक्त है। इन महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से प्रशासन भी बिगड़ गया है। इसलिए इन पदों को आप भरने जा रहे हैं इस सम्बन्ध में डी.पी.सी. की बैठक कब बुला रहे हैं, कब पदों को भरेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में प्रश्न के मूल उत्तर में बताया राजस्थान लोक सेवा आयोग को कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के लिये लिख दिया गया है और मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ विशेषज्ञ के बाड़मेर में 7 पद स्वीकृत हैं उनमें से केवल एक पद रिक्त है और इसी प्रकार से कनिष्ठ विशेषज्ञ के 42 पद स्वीकृत हैं उनमें से 15 पद निश्चित रूप से रिक्त हैं लेकिन इन सब पदों की डी.पी.सी. जैसे ही हो जाएगी, मैं सबसे पहले बाड़मेर को प्राथमिकता दूंगा। मैंने आज ही अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि हमारे पास में जहां भी सीनियर स्पेशलिस्ट और जूनियर स्पेशलिस्ट दो-दो लगे हुए हैं उनमें से कम से कम एक या दो चिकित्सकों को, जो मेरे पास अवेलेबल हैं, उनके आज ही, आर्डर कर दूंगा ताकि वहां पर इनका हास्पिटल सुचारू रूप से चल सके। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आपने किस तारीख को अर्चना की है?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, मैंने आपको नहीं बुलाया है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया है, आप इधर भी तो नजर फरमाओ।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको बुलाया है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर से सम्बन्धित है, आपने बाड़मेर के लिए तो बता दिया मगर इसी प्रकार से जालौर में भी पद खाली पड़े हैं। मंत्री महोदय यह बतायें कि यह कब तक भर दिये जायेंगे ताकि मरीजों की तकलीफ दूर हो सके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभाग के माध्यम से यह लिखवा दिया है कि तमाम रिक्त पदों की डी.पी.सी. हम कर रहे हैं और जैसे ही डी.पी.सी. होगी, जैसे ही पदोन्नतियां होंगी इन रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कुछ तो समय पाबंद कीजिए, महीना, दो महीना कब तक हो जायेगा?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, तारीख तो बताओ कि किस तारीख को लिखा है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे रायपुर विधान सभा के तहसील मुख्यालय पर 3 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ के हैं, 6 पदों में से केवल 2 डाक्टर काम कर रहे हैं जबकि पिछले 8 महीने से पद रिक्त पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रायपुर के सामुदायिक चिकित्सालय में जो पद रिक्त हैं उनको कब तक भर दिया जाएगा, कब आपकी डी.पी.सी. बैठेगी और कब आप लोक सेवा से चयन करेंगे? इसके पहले जहां-जहां अधिक डाक्टर लगे हुए हैं उनको बदलकर इस प्रोसेस को कब पूरा कर लेंगे, यह जानना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, किस तारीख को आपने लोक सेवा आयोग को लिखा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में सर्जरी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। पूरे राजस्थान में कब तक भर दिये जाएंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने जवाब दिया कि आप करीब-करीब सारे रिक्त पद भरने जा रहे हैं। मेरे जिला मुख्यालय दौसा पर महिला चिकित्सालय में 2 बजे के बाद न तो डाक्टर मिलते हैं न वहां का स्टाफ मिलता है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि महिला चिकित्सालय में पुरुष डाक्टरों को लगाने की क्या परम्परा बना रखी है? क्योंकि ग्रामीण अंचलों में आज भी महिला चिकित्सालय में पुरुष डाक्टर को दिखाने में महिला संकोच करती हैं और हमारे दौसा जिला मुख्यालय पर मैंने कई दफा आपको शिकायत भी लिखी है मगर आपने उस पर कोई

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

विचार नहीं किया। क्या पुरुष डाक्टर को हटाने का आप विचार रखते हैं? अगर हां, तो उसकी जगह कब तक आप महिला चिकित्सक लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में प्रश्न पूछिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में लगातार दो वर्षों से गोठड़ा, बसोली में डाक्टर नहीं है। मैं बार–बार दोनों तीनों मंत्रियों से निवेदन कर चुका हूं। गोठड़ा, बसोली और हिण्डौली विधान सभा मुख्यालय पर भी लेडी डाक्टर नहीं है। राज्य सरकार कब तक इन तीन पदों पर लेडी डाक्टर लगा देगी?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, पहले जो आये हैं इनका जवाब दे दूं फिर आपको दे दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप साथ ही दे देना।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब दे दें फिर उसके बाद आप बोल लेना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 500 पद मेडिकल आफिसर्स के भरने थे। 26.9.2001 को जिलाधीश की अध्यक्षता में और उसके साथ–साथ हमारे सी.एम.एच.ओ., एक टी.ओ. और जोइंट डायरेक्टर अथवा उसका एक प्रतिनिधि इनके द्वारा करीब 585 पद भर लिये गये थे। उसमें से कुछ लोग गांव नहीं गये, छोड़ गये। आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 201 पद रिक्त हैं। 68 चिकित्सकों के आदेश आज या कल में जारी हो जाएंगे। 46 व्यक्ति ई.एस.आई. में भर्ती किए गए, 133 पद रिजल्टेड वेकेंसीज जो हमारे पास एम.ओ. की है उसको हम तत्काल आने वाले समय में तमाम जिलाधीशों को निर्देश देकर, वाक–इन इन्टरव्यू करके इन पदों को भर लेंगे।

जहां तक जूनियर स्पेशलिस्ट और सीनियर स्पेशलिस्ट का सवाल है वह डी.पी.सी. से चयनित होते हैं, उसके लिए हम राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिख चुके हैं, लगातार परस्यू करके जल्दी से जल्दी उनकी डी.पी.सी. करके उन पदों को भरने का काम करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : महिला चिकित्सकों का तो बताइये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, जिलाधीश शब्द का उपयोग (व्यवधान) मुझे सख्त एतराज है, माननीय मंत्रीजी जिलाधीश शब्द का उपयोग कर रहे हैं जबकि बहुत पहले जिलाधीश शब्द का उपयोग बंद कर दिया... (व्यवधान) कृपया आप संशोधित कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति दी है क्या? (व्यवधान)... आप तो उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जूनियर और सीनियर स्पेशलिस्ट के तीन जिलों में यह पद कब से खाली चल रहे हैं और आपने कब लोक सेवा आयोग को इनकी डी.पी.सी. करने के लिए लिखा? यह मैं भी जानना चाहूंगा कि एक-एक स्पेशलिस्ट की जगह राज्य में दो-दो लोग कहां-कहां लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं और आप कब तक उनको हटाने का इरादा रखते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह काफी लम्बा प्रश्न है, मेरे पास सब जानकारी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह बता दीजिए कब से खाली है कब तक... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जिला चिकित्सालय बाड़मेर में कनिष्ठ पैथोलोजी, विशेषज्ञ पैथोलोजी का पद जून, 2000 से खाली है। इसी प्रकार से टी.बी. क्लिनिक, बाड़मेर में कनिष्ठ विशेषज्ञ क्षय रोग का पद भी दिसम्बर, 2000 से खाली है। कुछ पद चिकित्सा अधिकारियों के... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : न्यूरो स्पेशलिस्ट के बता दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एम.सी. डब्ल्यू.सी. बाड़मेर में 11 नवम्बर, 1997 से खाली है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने कब लिखा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी मेरे को निश्चित तारीख याद नहीं है, आप चाहे तो मैं सदन में अलग से आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सदन में ही पूछ रहे हैं और कहां पूछेंगे। जब इसके बारे में स्पेशली पूछा है, इन जिलों में जूनियर स्पेशलिस्ट...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तारीख की जानकारी अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिख दिया है इस सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है इन तीन जिलों में जूनियर और सीनियर स्पेशलिस्ट के पद कब से खाली हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बता रहा हूं ना।

श्री अमराराम (धोद) : और डी.पी.सी. करने के लिए कब लिखा है? यह दो चीजें बता दीजिए और तो कुछ पूछ नहीं रहा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बता रहा हूं। कनिष्ठ विशेषज्ञ शल्य का पद 15 जुलाई, 2001 से खाली है, आप कोई अलग स्पेसिफिक कोई प्रश्न करना चाहे तो मेरे पास पूरी सूचना कि कब-कब और कहां-कहां कौनसा पद खाली है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो कह रहा हूं कि 1997 से खाली है, 2003 चल रहा है। आपने लोक सेवा आयोग को डी.पी.सी. करने के लिए कब लिखा है? 1998 से तो आप ही हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धोद से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह सब पद रिक्त थे उनको भरने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जैसे, मेडिकल आफिसर्स के बारे में मैंने बताया कि करीब करीब...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लोक सेवा आयोग को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी। आप बीच-बीच में क्या इस तरह से पूछ रहे हैं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्रीजी, दौसा के बारे में बता दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : मैं पूछ रहा हूं लोक सेवा आयोग को...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो यह मूल प्रश्न जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी (व्यवधान) बैठिए।

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान का सवाल है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं दौसा के बारे में चाह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर इन तीन जिलों के बारे में प्रश्न किया है।

एक माननीय सदस्य : पूरा भट्टा बैठ गया डाक्टर्स का राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में पद कब से खाली हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हिण्डौली का प्रश्न अलग से कीजिए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : तीन-तीन मंत्री हैं, दौसा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो भी एम.ओ. के रिक्त पद हैं वह आने वाले समय में जल्दी से जल्दी भर दिये जायेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : तारीख बताइये, लोक सेवा आयोग को कब...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कनकमल कटारा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में खाली है, मेरे क्षेत्र में भी खाली हैं। यह सरकार जाने से पहले भरेंगे कि सरकार के जाने के बाद 2004 में भरेंगे? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सरकार के तो सपने लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, केसाराम जी, बैठिए आप। वह प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बीच में खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सागवाड़ा अस्पताल में, विगत 29 जनवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 50 लाख, जन सहयोग से अस्पताल का एक गाइनिकी वार्ड तैयार किया गया है। उस समय सभी नागरिकों ने, सभी लोगों से निवेदन किया था कि यहां पर 50 लाख रुपये से निर्माण करके इस अस्पताल को आपके सुपुर्द कर रहे हैं लेकिन शर्त यह है कि डाक्टर और कम्पाउण्डर के जो पद रिक्त हैं उन्हें भर दिया जाए लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है अभी भी एक और वार्ड बनाने के लिए तैयार हैं, एक करोड़ की योजना से अस्पताल, जन सहयोग से बनाना चाह रहे हैं लेकिन लम्बे समय से वहां डाक्टर, कम्पाउण्डर, नेत्र विशेषज्ञ और आर्थोपेडिक्स का कोई डाक्टर वहां नहीं है, इसके कारण से वहां पर हैरानी महसूस होती है। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए चलता फिरता अस्पताल भी इस तरह से रखेंगे... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्रीमती शांति पहाड़िया : बहुत सी महिलाएं हैं जो मर जाती हैं। (व्यवधान) मैं चाहती हूं कि पूरे राजस्थान में यह अस्पताल रखने चाहिए ताकि आगे जाकर महिलाएं परेशान नहीं हो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : महिला चिकित्सालयों में इन्होंने पुरुष चिकित्सक लगा रखे हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं, मंत्रीजी आप कभी बांसवाड़ा जिले के अन्दर पधारिये, सम्पूर्ण रूप से ट्रायबल बैल्ट है, वहां पर आपको थोक भाव से वोट मिलते हैं और...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : मेरे को मेरी बात पूरी करने की इजाजत दी जाए।

श्री जीतमल खांट : हालात बहुत खराब है।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शर्म की बात है।

श्री जीतमल खांट : एक भी नया चिकित्सक लगाया हो, तो कह दीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत ही शर्म की बात है कि महिला चिकित्सालय में इन्होंने पुरुष चिकित्सक लगा रखे हैं और वह भी ग्रामीण अंचल के अन्दर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी है। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कब से कह रही हूं एक मिनट महिला होने के नाते एक का भी नम्बर नहीं आया क्या अब तक? जब से खड़ी हुई हूं, बोल रही हूं मेरी जो बात है उसको रखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि सपोटरा में गाइनीकी की पोस्ट तो भरी हुई है लेकिन उसको डेपूट कर रखा है कहीं और जगह। सपोटरा में एक दिन भी वह गाइनीकी के डाक्टर नहीं बैठे, मंत्री महोदय इसका जवाब दें, इस तरह कहां क्या हो रहा है? कलक्टर को भी मैं बार-बार मीटिंग में इस बात को कहती हूं गाइनीकी पोस्ट भरकर अगर डाक्टर वहां नहीं है, इसके बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शांति पहाड़िया। (व्यवधान) दोनों महिलाओं का साथ हो जायेगा।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है, जैसाकि अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया, मेरी भी वही पोजीशन है। तनखाह मेरे यहां से उठाते हैं और डाक्टर रहते कहीं है। डाक्टर समय पर नहीं पहुंचते। गांव में और भी नहीं तो नर्स या जूनियर डाक्टर ही भेज दें तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, डिलिवरी वाली महिलाओं के लिए भी कुछ सपोर्ट मिल जायेगा, चलती-फिरती गाड़ी तो होनी ही चाहिए जिसमें पूरे हास्पिटल की व्यवस्था हो, पूरे राजस्थान में मिलनी चाहिए, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप जरूर ध्यान देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह मूल प्रश्न केवल मात्र जैसलमेर, बांसवाड़ा और जालौर से सम्बन्धित है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तीन-तीन मंत्री ऑन डेपुटेशन है। अध्यक्ष महोदय, जब तीन-तीन मंत्री डेपुटेशन पर आ गए तो डाक्टरों का ऑन डेपुटेशन कैसे खतम हो जायेगा, कृपया करके बताइये? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तीन-तीन मंत्री ऑन डेपुटेशन है। अध्यक्ष महोदय, जब तीन-तीन मंत्री डेपुटेशन पर आ गए तो डाक्टरों का ऑन डेपुटेशन कैसे खतम हो जाएगा, कृपया करके बताइये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दस बार खड़े हो चुके हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सपोटरा की और मोबाइल डिस्पेंसरी की जो बातें कहीं हैं मैं अलग से दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट क्वेश्चन।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एस.एम.एस. के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर के लिए कह रहा था, आपने मुझे काल किया था। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मैं कह रहा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। न्यूरोसर्जरी के अन्दर लोगों के बैड रास्ते के अन्दर लगे हुए हैं। हर आदमी वहां पर जाता है, ग्रामीण जनता वहां पर जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक्स व न्यूरोलोजी सब में ऐसी स्थिति है कि बैड की व्यवस्था नहीं है। पेशेंट स्ट्रेक्चर होती है, न्यूरोसर्जरी में तो ऐसी हालत है कि तीन-तीन, चार-चार घंटे तक, न्यूरोसर्जरी में एक्सीडेंट होकर पेशेंट आते हैं, सीरियस हालत होती है एक ही रूम के अन्दर पड़े रहते हैं, खून स्ट्रेक्चर पर पहले से ही पड़ा होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि एस.एम.एस. की ऐसी दुर्दशा कर रखी है। इसको आप व्यक्तिशः देखें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को तो आपको लगेगा कि...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप अलग से एस.एम.एस. के बारे में प्रश्न करिये, जवाब दूंगा। अभी मूल प्रश्न के बारे में प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मैं आपका फिर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कृपा करके इस डिपार्टमेंट का दौरा करें तो आपको पता लगेगा कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह। नये लोग आए हैं, इनको चांस दीजिए। (व्यवधान) शर्माजी, आपको नहीं मिलेगा, बहुत टाइम हो गया। दोनों ही शर्मा को नहीं मिलेगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले पूर्व चिकित्सा मंत्री और अभी जो चिकित्सा मंत्री हैं हमारे क्षेत्र में पधारे थे और वहां के आदिवासी भाइयों ने निमाणा में रोटरी क्लब द्वारा एक पी.एच.सी. सेंटर बनाया था। लगभग 10 साल से वह बना हुआ है परन्तु बड़े दुःख की बात है कि आज भी वह लाक्ड पड़ा है। उसमें एक भी स्टाफ नहीं है। उस आदिवासी क्षेत्र में लगभग 12 पंचायतों में एक ही वह पी.एच.सी. है और आज दिन तक उसमें न तो आपके पास कोई डाक्टर हैं और न ही आपके पास कोई स्टाफ है और ताले में उसको बंद कर रखा है। आप इसको चालू कराने का क्या विचार रखते हैं? पिछले 3-4 साल से इसको बिलकुल बंद रखा है और नाणा से कोई डाक्टर को डेपुट करते हैं आप 2 दिन के लिए वहां जाओ तो डाक्टर वहां आता भी नहीं है और पूरी 12 पंचायतों की एक ही पी.एच.सी. है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व चिकित्सा मंत्री दीवान साहब ने इस मेडिकल डिपार्टमेंट में क्रान्तिकारी कदम उठाये। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नये मंत्री भी ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे और यह प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि ये काबिल मंत्री क्यों हटे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जरूर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जहां पी.एच.सी. हैं वहां डाक्टर्स नहीं जाते हैं। कलक्टर के एग्रीमेंट के बाद भी नहीं जाते हैं तो क्या उन डाक्टर्स को भेजने की विशेष व्यवस्था करेंगे? सीमान्त क्षेत्र में जहां मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर पर डाक्टर्स हैं क्या विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं करेंगे? यह मेरा प्रश्न है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सभी सीमान्त क्षेत्रों में और राजस्थान के सभी जिलों में जितने मेडिकल आफिसर्स के पद रिक्त हैं हमने यह स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की है कि जिला कलक्टर और उनके साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर तत्काल कोई भी व्यक्ति वहां लगाना चाहे उनकी एप्लीकेशन लेकर 8 हजार रुपये की फिक्स सैलेरी में रखने का प्रावधान है। इससे काफी जगहों पर रिक्तियों को भरा गया है और हमारी विशेष कोशिश रहेगी कि सीमान्त जिलों में, और खास तौर से आदिवासी इलाकों में और इसके साथ-साथ तमाम जिलों में, जो हमारे पास वर्तमान में वेकेंसीज हैं उन वेकेंसीज के आधार पर हम उन पदों को तत्काल भरने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जहां तक बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह मूल प्रश्न से बिलकुल अलग है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे व्यक्तिगत उसकी जानकारी दें, मैं इसको दिखवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरजीराम बुरड़क।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, यह बता दें कि कांट्रेक्युअल बेसिस पर... (व्यवधान) अध्यक्षता वाली कमेटी ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। नैक्स्ट क्वेश्चन।

नावां (नागौर) में आबंटित नमक प्लांट के नवीनीकरण

2. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर के नावां क्षेत्र में जो नमक प्लांट सरकार ने नमक उत्पादकों को

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दिये हैं उनकी लीज अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण की क्या व्यवस्था है।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित क्षेत्र से बड़े भू-खण्डों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? जबकि उक्त भू-खण्ड पूर्व में लीज पर दिये हुए हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री राम साल्ट, कुचामन सिटी के भू-खण्ड के नवीनीकरण के आदेश राज्य सरकार द्वारा किये गये थे परन्तु निदेशालय स्तर से उक्त राज्य आदेश की पालना नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार द्वारा उक्त आदेश कब दिये गये?

(4) अब उक्त नवीनीकरण कब तक किया जा सकेगा?

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) लवण-भू-खण्ड की लीज अवधि समाप्त होने के बाद दुबारा नवीनीकरण राजस्थान भू-राजस्व लवण क्षेत्र आबंटन नियम, 1970 सपठित संशोधित नियम, 1996 के अन्तर्गत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि निर्धारित क्षेत्र से बड़े भू-खण्डों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। बड़े क्षेत्रफल के भू-खण्डों का नियमानुसार नवीनीकरण किया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 16(3)उ./2/2000, दिनांक 19.9.2002 एवं 29.11.2002 द्वारा कुचामन लेक के लवण भू-खण्ड संख्या 88, 89, 90 (30 एकड़) का हस्तानान्तरण/नवीनीकरण श्री रामेश्वरलाल जाट पुत्र श्री जेसाराम जाट के पक्ष में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 संशोधित नियम, 1996 के नियम 12(7) (3) (सी) में 15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों के हस्तान्तरण का प्रावधान नहीं होने के कारण श्री रामेश्वर लाल जाट के पक्ष में भू-खण्ड हस्तान्तरित नहीं किया जा सका। हस्तान्तरण से पहले श्री रामेश्वरलाल जाट के पक्ष में नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। हस्तानन्तरण हेतु 15 एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा को बढ़ाने सम्बन्धी लवण नियमों में संशोधन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) मैसर्स श्री राम साल्ट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन के पक्ष में नवीनीकरण इकाई द्वारा कमियों की पूर्ति उपरान्त तुरन्त जारी कर दिया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, इसके भाग 3 में राज्य सरकार ने गत वर्ष 2 बार स्थानान्तरण और नवीनीकरण के आदेश जारी किये और उक्त आदेशों का निदेशालय द्वारा पालन नहीं किया गया। इसी उत्तर में आप यह बता रहे हैं कि 15 एकड़ से ज्यादा का हस्तांतरण नहीं हो सकता है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नहीं हो सकता है तो राज्य सरकार ने आदेश कैसे किये?

दूसरा, यह मामला सन् 1991 से विचाराधीन है। आपने नियम 1996 में बनाये और उन नियमों को 1997 में लागू किया, तो इतने वर्षों तक आपने इस फाइल को पेंडिंग क्यों रखा?

तीसरा, आपने अंत में यह कहा है कि नवीनीकरण इकाई द्वारा कमियों की पूर्ति उपरान्त तुरन्त जारी कर दिया जायेगा तो यह कमियां 13 साल में आपको दिखीं नहीं। न तो आपने कभी कमी पूर्ति का उनको लिखा, न आपने इसको रिजेक्ट किया और आपने इनके बाद में जितने भी प्रार्थना–पत्र आए उन सबमें आपने स्थानान्तरण किए हैं। तो फिर एक ही फाइल को रोके रखने का क्या कारण था? नियम 1997 में लागू हुए हैं तो जो पुराने मामले थे उनको तो आप पुराने नियमों में निस्तारित करें। निदेशालय स्तर पर आपके साल्ट सेक्शन में ऐसे लोग बैठे हैं जब तक उनकी भेंट पूजा न हो तब तक न तो आपके आदेश की पालना करते हैं, आपके द्वारा खुद 2 बार आदेश देने के बाद भी आपके उन आदेशों की पालना नहीं हुई और आपके नवीनीकरण की अवधि 10 साल है। लीज की अवधि 10 साल की है और 13 साल तक आप उसको लिए बैठे रहो इस फैसला करने में तो यह मामला बहुत गम्भीर है। आपको इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करनी चाहिए और जो आदेश आपने 2 बार जारी कर दिये उसकी आपको पालना करवानी चाहिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है कि यह प्रकरण 1991 से लम्बित है और शुरू में इस प्रकरण का निपटारा इसलिए नहीं किया गया कि स्थानान्तरण व नवीनीकरण के सम्बन्ध में सरकार नीति का निर्धारण करेगी और वह निर्धारण 1996 में हुआ। 1997 में इसे लागू किया गया। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि 10 एकड़ से लेकर 150 एकड़ के जितने भी प्लाट्स थे उनका स्थानान्तरण और नवीनीकरण हो सकता था लेकिन 1997 के अमेंडमेंट के बाद में यह व्यवस्था तो रही कि नवीनीकरण तो बड़े भू–खण्डों का भी हो सकता है लेकिन हस्तांतरण केवल 15 एकड़ का ही हो सकता है, इस प्रकरण में यह 30 एकड़ का प्लाट है। निश्चित रूप से हमारे विभाग का भी यह मानना है और सरकार पूरी तरह से सहमत है कि इस त्रुटि को हमें दूर करना चाहिए। करीब डेढ़ साल से हमारा विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है और राजस्व विभाग को यह लवण के जो नियम हैं, इनमें संशोधन के लिए आग्रह किया गया है। राजस्व विभाग ने इसके लिए एग्री कर लिया, रेवेन्यू बोर्ड से भी इसमें सहमति आ गई और बीच में यह मानकर चला गया कि यह जल्द ही हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रकरण में यह निर्देश दिये गये कि इसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए और स्थानान्तरण कर दिया जाए लेकिन चूंकि वह नियमों में संशोधन नहीं हो पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(डा. चन्द्रभान)

से मैं माननीय सदस्यों और सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह लवण नियमों में जल्द ही संशोधन होने वाला है और उसके बाद में इस प्रकरण में स्थानान्तरण भी हो सकेगा और नवीनीकरण भी हो जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि और इस तरह के मामले जो हैं उनको निपटाया गया, स्थानान्तरण, एक मसला मेरी जानकारी में है छापरताल का लेकिन उसमें भी 20 एकड़ का प्लाट था। उसके पहले दो टुकड़े किये गये, 10-10 एकड़ के और उसके बाद में उसका स्थानान्तरण और नवीनीकरण हो सका। निश्चित रूप से इसमें यह खामी रही है इसलिए इस खामी को दूर करेंगे और उसके बाद में इस प्रकरण का निपटारा हो जायेगा। स्थानान्तरण भी सम्भव है और नवीनीकरण भी हो जायेगा और इस कार्य को हम जल्दी कर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कब तक हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह भी था कि यह 13 साल से आपके पास पेंडिंग कैसे रहा? दूसरा, मेरा यह भी था कि जैसे आपने एक तालछापर का हवाला दिया, लेकिन उसके अलावा भी 1997 से पहले तो सारे के सारे ट्रांसफर हुए, उस समय इसको क्यों नहीं किया? इस बात का आपने उत्तर नहीं दिया। आपने एक प्रकरण बताया छापर का, वह 1997 के बाद में भी किया। मेरे इसमें दो सवाल हैं। एक तो यह है कि 1997 के पहले जितने भी सारे आपने कर दिये, यह 1991 का पेंडिंग कैसे रखा? एक बात।

दूसरी बात यह है कि जो नियम आपने 1997 में लागू किये और इतने पुराने मामले पुराने नियमों के अनुसार आपने निस्तारण क्यों नहीं किया? इन दो बातों का उत्तर दे दीजिए।

तीसरा, जिन कर्मचारियों ने इस फाइल को घुमाये रखा, न तो आपके पास भेजी, आपने मंगाई तब भेजी। आपने आदेश किया उसकी पालना नहीं हुई। आपके पास दुबारा भेज दी। आपने दुबारा आदेश दे दिया उसके बाद भी पालना नहीं हुई तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं? कितने वर्षों से आपने वहां जमा रखे हैं और वह फाइलें निस्तारण हुई हैं जिनमें उनका हित था और केवल एक ही यह फाइल बची है जिसमें उनका कोई हित नहीं था, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित रूप से, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस प्रकरण के निपटारे में डिले हुआ है और मानवीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में तो यह लाया नहीं गया कि कोई नियम विरुद्ध, स्थानान्तरण

(डा. चन्द्रभान)

या नवीनीकरण में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, स्थानान्तरण हुए हों फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से और पूरे सदन को आश्वस्त करूंगा कि यदि नियम विरुद्ध कोई स्थानान्तरण हुए हैं, तो उनकी जांच कराई जाएंगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, यह नहीं पूछा मैंने। मैंने यह नहीं पूछा है कि 1997 तक तो कोई रोक थी ही नहीं 1997 तक नियम विरुद्ध का मैं नहीं कह रहा हूं। नियमानुसार सबका किया तो फिर इस एक को, उसके बाद फाइलों का निस्तारण किया तो इसका क्यों नहीं किया? एक बात। इतने दिन रोके रखने का क्या कारण था और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इनको रोके रखा, आपके आदेश की पालना नहीं की, उनके विरुद्ध आप क्या करने जा रहे हैं? पुरानी इन फाइलों को पुराने नियमों के हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो कब तक करेंगे और इस फाइल का अन्तिम निस्तारण आप कितनी अवधि में कर देंगे?

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 से 1997 तक इस प्रकरण का निपटारा क्यों नहीं हुआ इसकी मैं सम्पूर्ण जांच करवाऊंगा और जो मेरी जानकारी में लाया गया, इस मामले को इसीलिए ही लटकाये रखा गया कि इसके लिए स्थानांतरण और नवीनीकरण के नये नियम बनेंगे, उसके बाद में इस पर फैसला करेंगे जबकि वह नियम बनने में, माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं कि छह साल का वक्त लग गया जो कि निश्चित रूप से, मैं मानता हूं कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। दूसरा, इनका कहा है कि इस प्रकरण का अब निपटारा कब तक हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण का निपटारा जल्द से जल्द करवाएंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप समयावधि दीजिए।

डा. चन्द्रभान : समयावधि तो मैं आज के दिन इसलिए नहीं दे सकता कि भू–राजस्व लवण नियम हैं, उनका संशोधन राजस्थान सरकार जल्द से जल्द करेगी। हमारे डिपार्टमेंट से प्रपोजल मूव कर दिये गये हैं। राजस्व विभाग ने भी रिकमण्ड कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : शीघ्रताशीघ्र–शीघ्रताशीघ्र कीजिए। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

डा. चन्द्रभान : वित्त विभाग से ज्यों ही इसकी अनुमति मिलेगी जल्द से जल्द इसको कर दिया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप आगे की दे दो, साल भर, साल दो साल की तो दो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पोकरण क्षेत्र में ऐसे स्थानान्तरण के केसेज हैं जो 15 एकड़ से ज्यादा हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पोकरण क्षेत्र में स्थानान्तरण के ऐसे केसेज हैं जो 15 एकड़ से ज्यादा हैं। दो वर्ष से रेवेन्यू विभाग ने फाइल क्लियर की हुई है। वित्त विभाग ने क्लियर की हुई है। विभाग की इस अक्षमता के कारण से रुका पड़ा है। छह साल से नियम संशोधित नहीं हो पाये और स्थानान्तरण होते चले गये। तीसरी पार्टी आज काम कर रही है फील्ड पर ओर ओरिजनल जिसने लिये हैं, इसलिए मेहरबानी करके मंत्री महोदय, यह बता दें कि कब तक यह नियम संशोधन कर देंगे?

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यह निवेदन किया कि जल्द से जल्द कर देंगे और यह फाइनल स्टेज पर है। राजस्व विभाग ने भी इसको क्लियर कर दिया है। यह वित्त मंत्रालय से ज्यों ही क्लियर होगा और मैं यह मानकर चलता हूं कि यह काम इसी विधान सभा सत्र की जो अवधि है, इसके अन्दर ही यह हो जाएगा।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नावां विधान सभा क्षेत्र में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठिए जरा। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा और माननीय सदस्य ने कहा कि नवीनीकरण से अधिक गम्भीर मामला इस बात का है कि जो लोग उनकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं उनका तो काम हो गया वरना बाकी रहता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब पहला निर्देश आपने दिया डायरेक्ट्रेट को उसका उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि इस कारण से हम इसकी पालना नहीं कर पाते हैं? दूसरा आदेश आपने दिया उसके सम्बन्ध में डायरेक्ट्रेट से आपके पास क्या टिप्पणी आई कि इस कारण से इसका नहीं कर सकते? कृपया, वह बताएं ताकि उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। यह भी बताएं कि किन-किन अधिकारियों के यहां यह फाइल पड़ी रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल यह है कि इस प्रकरण में निर्देश दिये इसके बावजूद भी इसका स्थानान्तरण, नवीनीकरण नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में हमारे विभाग के अधिकारियों का कथन यही था कि जल्द से जल्द लवण नियमों में संशोधन हो जाएगा प्रकरण का निपटारा हो जायेगा और यही मानकर निर्देश दिये गये। अनफार्च्यूनेटली, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग से प्रपोजल बने डेढ़ साल हो गये, राजस्व विभाग से भी उनकी क्लियरेंस हो गई और हमने यह मान लिया कि जल्द हो जायेगा लेकिन वह नहीं हो पाया। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर कहीं कोई अधिकारियों की गलती नहीं है। इसमें केवल इतना है कि लवण नियमों का जिस

(डा. चन्द्रभान)

दिन संशोधन हो जाएगा कि 15 एकड़ से ज्यादा का स्थानान्तरण हो जाएगा और इसका नवीनीकरण भी कर दिया जाएगा, यह वित्त विभाग के यहां पर है और जल्द से जल्द हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीशचन्द।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नावां क्षेत्र में निजी कृषि भूमि को नमक बनाने के लिए सरेण्डर करते हैं, जिला कलक्टर के यहां पर परन्तु लम्बे अरसे से उसका आबंटन वापस लीज पर नहीं होता और कई समय से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। आपका जिला उद्योग केन्द्र नागौर में स्थापित है। उनको जमीन को लीज पर दिलाने के लिए, इतने लम्बे अरसे की कोई सीमा–अवधि है क्या? यदि सीमा अवधि है तो ऐसे लोगों की रूपान्तरण की जो फाइलें हैं उनका निस्तारण जल्दी क्यों नहीं हो रहा है?

डा. चन्द्रभान : नहीं, खैर, इस सवाल से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक मामला है, तो वह लाइये निश्चित रूप से वहां पर हमारे जो जी.एम. (डी.आई.सी.) हैं उन्हीं को हमने अधिकृत कर रखा है, आबंटन दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई मामला है तो मैं तत्काल उसका निस्तारण करवा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि नियम कौन बनाता है? सरकार बनाती है और नियम, विधान सभा नहीं बनाती। विधान सभा बनाती है अधिनियम। आप नियम का, इस अपेक्षा के अन्दर कि नियमों के अन्दर परिवर्तन होगा, फाइल कैसे रोके रख सकते हो? यह कौनसे कानून में प्रोवाइडेड है? हाऊ डू यू एंटिसिपेट कि नियमों में क्या संशोधन आप करने जा रहे हैं? यह आपका कार्य क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गैर–जिम्मेदाराना जवाब है। एक फाइल को रोक रखा है इसलिए कि नियमों में संशोधन होने वाला है। छह साल से रोक रखा है। आप गाइड लाइन बताइये (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है, जो एग्जिस्टिंग आर्डर्स हैं, उनके तहत आपको कोई फैसला करना पड़ेगा। यह कोई प्ली नहीं ले सकते कि हम नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। यहां पर बिल पास होता है।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं। नियम सरकार बनाती है और नियमों के अन्दर संशोधन की अपेक्षा के कारण आप फाइल नहीं रोक सकते जो तत्कालीन नियम हैं, जो तत्कालीन आदेश हैं, जो तत्कालीन अधिसूचना है, जो तत्कालीन घोषणाएं हैं, उसके अन्तर्गत आपको फैसला करना पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम सरकार बनाती है, विभाग बनाता है, इसमें रेवेन्यू का इम्पेक्ट है इसलिए वित्त मंत्रालय की अनुमति लेना जरूरी है। वित्त मंत्रालय में फाइल गयी हुई है, ज्योंही अनुमति मिल जायेगी, तत्काल इस प्रकरण का निपटारा कर दिया जायेगा और यह जल्दी से जल्दी हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्री बी.जे.पी. का है क्या? वित्त मंत्रीजी बैठे हैं न आपके। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। कोई मिनिस्टर यह कह कर नहीं चल सकते कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का इन्वाल्वमेंट है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है हाउस के अन्दर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर और इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर, हम आपको कलेक्टिवली मानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं हाउस के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, यहां वित्त विभाग की बात आई है। मैं इस मामले को फाइल कहां मेरे मंत्रालय में लम्बित है, इस बात की जानकारी प्राप्त कर उसका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करा दिया जाएगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, नियमों में संशोधन नहीं होगा तब तक आप फाइल का निस्तारण करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि नियमों में जब तक संशोधन नहीं होगा आप फाइल को रोक सकते हैं क्या? आपको फाइल का निस्तारण करना पड़ेगा। जो आपके विद्यमान रूल्स हैं, जो आपके विद्यमान नोटिफिकेशन हैं, जो आपके विद्यमान आदेश हैं, उनके अन्तर्गत करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) **:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन को यह बताया है कि 1991 से 1997 के बीच में काफी ट्रांसफर उन्होंने किये हैं तो उस समय भी क्या नियमों में संशोधन की अपेक्षा उन केसेज के अन्दर नहीं थी? दूसरे केसेज के अन्दर तो आप ट्रांसफर कर दें सिर्फ एक केस को इसलिए रोके रखें कि नियमों में संशोधन किया जाना है। यह किस तरह से जस्टिफाई करना चाहते हैं? दूसरे तो आप कर दें, सिर्फ एक को रोक कर रखें, वह किस तरह आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? मंत्री महोदय, जरा यह बताएं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच कराउंगा।

श्री ललित भाटी : जांच के आगे कोई जवाब ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप नियमों में संशोधन इसी फाइल के लिए कर रहे हो क्या, आपकी कोई बदनीयती तो नहीं है?

एक माननीय सदस्य : वह तो लग ही रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सिर्फ एक फाइल के लिए नियमों में संशोधन कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी जब प्रश्न संख्या–एक चल रहा था माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी प्रश्न करने की इजाजत मांगी थी। इन्होंने हाथ खड़ा किया था परन्तु इनको इजाजत नहीं मिली। मैं समझता हूं यह पहला ही अवसर होगा जब प्रतिपक्ष के नेता कोई प्रश्न करना चाहें और उनको अनुमति नहीं मिले, मेरा तो यह विनम्र निवेदन है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। (व्यवधान) मानो या न मानो, वह है वहां पर आज। यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और यह अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में जब कभी भी प्रतिपक्ष के नेता कोई बात कहना चाहें, उनको अनुमति मिलनी चाहिए। आप स्वयं भी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं और मुझे पूरी जानकारी है जब भी आप कोई बात कहना चाहते थे, हाउस में आपको पहला स्थान मिलता था, वह परम्परा चालू रहे तो अच्छा रहेगा।

मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जयपुर में हुई अनियमितताओं की जांच

3. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर के मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? क्या उक्त की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उक्त के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त प्रकरण में कब तक कार्यवाही कर ली जाएगी?

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) जी हां। मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में अनियमितताओं की शिकायत मार्च, 2001 में प्राप्त हुई थी। कथित अनियमितताओं सम्बन्धि शिकायत के परीक्षणोपरान्त विभाग ने स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग से महाविद्यालय के लेखों की विशेष जांच करवाने हेतु वित्त विभाग को अनुरोध किया। वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर महाविद्यालय के दिनांक 1.4.1998 से 31.3.2001 तक के लेखों की विशेष अंकेक्षण जांच किये जाने के निर्देश जारी किये। वित्त विभाग द्वारा गठित विशेष अंकेक्षण जांच दल द्वारा जांच कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(2) विशेष अंकेक्षण जांच प्रतिवेदन

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

के विभिन्न आक्षेपों में संस्थान की समिति के प्रबन्धन, तत्कालीन प्राचार्यों, कुल सचिवों, भण्डार अधिकारियों तथा समन्वयक (आर. पी.ई.टी.) व संस्थापन अधिकारियों को विभिन्न अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी माना है। विशेष अंकेक्षण जांच प्रतिवेदन में दर्शाये गये आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट संस्था स्तर पर तैयार कर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं वित्त विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एम.आर.ई.सी. सोसाइटी, जयपुर द्वारा नियुक्त किये गये हैं तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल सोसायटी की शासी परिषद् द्वारा ही की जा सकती है।

चूंकि भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को विश्वविद्यालयवत् दर्जा 26 जून, 2002 को दिया जा चुका है, अत: यह संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है।

(3) वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा संस्थान की शासी परिषद् को अनुरोध किया जावेगा।

(जांच प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्री महोदय यह बताये कि यह अनियमितताएं क्या थीं, यह अनियमितताएं किस प्रकार की थीं और क्या इन अनियमितताओं में धन के दुरुपयोग का भी कोई मामला था? उस जांच का परिणाम क्या आया? उस जांच के परिणाम में आपने यह कहा है कि उस समय के प्राचार्यों, मतलब एक से अधिक, कुल सचिवों यानी एक से अधिक, भण्डार अधिकारियों तथा समन्वयक, संस्थापन अधिकारियों को विभिन्न अनियमितताओं में उत्तरदायी माना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इस पद पर आया, कोई काम करता रहा तो यह कौन-कौन थे, कितने समय तक इन्होंने यह अनियमितताएं कीं और इन अनियमितताओं को रोकने के लिए आपकी ओर से क्या कार्यवाही की गयी? फिर आपने लिखा है कि विशेष अंकेक्षण जांच प्रतिवेदन में दर्शाये गये आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट संस्था स्तर पर तैयार कर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को दे दी गयी। वित्त विभाग ने कब भेजी और उसका क्या नतीजा रहा? फिर आपने यह कहा है कि यह जो नियुक्तियां थीं, वह आपके अण्डर में नहीं थीं, कोई शासी परिषद् है वह नियुक्तियां करती है और वही एक्शन ले सकती है। यह शासी परिषद् हिन्दुस्तान में है या कहीं बाहर है? यदि यहीं है, तो आपने अब तक क्या कार्यवाही करवाई, इसमें कहीं नहीं लिखा आपने। या सुओमोटो वह एक्शन लेगा? आपने उनको एक्शन लेने के लिए अपनी रिपोर्ट के साथ जो अनियमितताएं पायीं,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनको आपने कुछ लिखा है, उन पर कार्यवाही करने की मांग की है, वह की है तो कब की है और क्या की है?

दूसरा, यह बताये कि इसमें जो अनियमितताएं धन के दुरुपयोग की हैं इसमें कोई ऐसा अपराध था जिसमें एफ.आई.आर. की जा सकती थी? वह की जा सकती थी, तो आपने वह एफ. आई. आर. क्यों नहीं की? आप किसलिये इंतजार कर रहे हैं? आपने जांच करा ली, सब करा ली उसके बाद आप यह कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जिनके हाथ में है उनको आपने क्यों नहीं लिखा? आपने कब लिखा और फिर उन्होंने कार्यवाही की तो आपका क्या दायित्व बनता है उसके ऊपर? अब आपने कहा कि 26 जून को यह विश्वविद्यालय घोषित हो गया तो उससे क्या हुआ? यह जांच कैसे खतम हो जाएगी उससे या जांच के लिए जो दोषी हैं, वह कैसे बचेंगे? यह भी बताइये कि जांच होने के बाद भी इतने लोग इसमें अपराधी हैं, उन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की और इसमें धन का कितना दुरुपयोग हुआ, यह भी बताइये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस बात की शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त संस्थान में कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो प्रशासनिक विभाग ने वित्त विभाग को निवेदन किया और अंकेक्षण विभाग के माध्यम से... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप समय मत खराब कीजिए, अनियमितताएं बताइये न, अनियमितताएं क्या हुई हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह तो आ गया। आप कृपया रिपीट नहीं करें। यह सारी बातें इसमें आ गयीं। जो पाइंटेड सवाल माननीय सदस्य ने पूछे हैं आप उनका उत्तर दीजिए। सदन का समय क्यों जाया हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अनियमितताएं क्या-क्या व कौन-कौनसी थीं?

एक माननीय सदस्य : सब बात आ जाएगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वही निवेदन कर रहा हूं। सुनने का कृपया...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनने को तैयार हैं, लेकिन फालतू बातें नहीं सुनेंगे। समय खराब नहीं करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके स्पेसिफिक सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): देओ न जवाब। हां, दीजिये, बड़ी खुशी की बात है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वही निवेदन करना चाहता हूं। पाइंटेड देना चाहता हूं। (व्यवधान) पूरी तैयारी है, आप चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बताओ न। अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? यहां होम वर्क कर रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक आरोप के बारे में पूछा है तो जो आरोप थे, जिन पर जांच हुई हैं उनको मैं पढ़ देता हूं। (व्यवधान) पाइंट्स तो पढ़ूंगा कि नहीं फाइंडिंग्स के? जब उन्होंने पूछा है तो मैं जवाब तो दूंगा न। आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को तो। आप मुझे इजाजत दें, मैं पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये, पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, रिलेवेंट जवाब देना चाहिए उसका, जवाब देना ही नहीं चाहते हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** पुलिंदा दिखा रहे हैं ताकि टाइम खराब करें। अनियमितता में कौन लोग शामिल हैं, उनकी सूची बताएं पहले। सरकार के कौन-कौन मंत्री हैं और कौन-कौन अधिकारी हैं, वह बताएं।

श्री अध्यक्ष : आहूजाजी, बैठिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने पूछा है सबसे पहले कि क्या अनियमितताएं हुईं? तो मैं पहले तो अगर आपकी इजाजत हो तो उनको पढ़ कर निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) समय निकलेगा तो उसका मेरे पास इलाज क्या है? आपने पूछा है इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैं पूरा पढ़ दूं इसको।

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट बता दो न।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : रिपोर्ट ही तो पढ़ रहा हूं, अनियमितता क्या हुई, जांच किस पर हुई, पहले वह तो बताऊं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर अनियमितता हुई और मंत्री महोदय जवाब नहीं देना चाहते हैं। मंत्री महोदय को पता है कि कुछ समय बाद प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाएगा इसलिए इतना बड़ा पोथा दिखा रहे हैं, सारी पढ़ कर सुनाएंगे। आप तो जो इसकी छोटी टिप्पणी है वह बता दीजिए। कितने लोग दोषी हैं, कितने लाखों की अनियमितता हुई, वह बता दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जितने लोग दोषी हैं, उनको भी नहीं छिपाऊंगा लेकिन किस बात की जांच करायी, माननीय सदस्य ने यह स्पेसिफिक पूछा है, आपकी इजाजत हो तो वह पढ़ दूं, आपकी इजाजत हो तो दोषी लोगों का बता दूं, आपकी इजाजत हो तो क्या कार्यवाही अब तक की, वह बता दूं। जो आपका आदेश हो वह मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे हितों की रक्षा करो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : सवाल के जवाब के लिए आप इजाजत लोगे?

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिलकुल टू दी पाइंट था। क्या आरोप थे, यह नहीं, क्या उनके खिलाफ दोष बने, यह था और उसमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी थे, यह पूछा था। यह नहीं पूछा था कि शिकायतकर्ता ने क्या-क्या आरोप लगाए थे। इसका कोई लेना-देना नहीं है। जांच के बाद जो दोष रिपोर्ट में प्रूव हुए, यह-यह दोष माने जाते हैं, उनके बारे में और कौन व्यक्तियों के खिलाफ दोष प्रमाणित हुए थे, यह पूछा था। उन्होंने टू दी पाइंट पूछा था, उतना ही आप बताएं। समय भी बताएं और आगे इसमें और कई प्रश्न खड़े होंगे, उनको पूछने का समय बचाएं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो पूछा वह नहीं बता कर मुझे यह बताना है कि क्या-क्या आरोप सिद्ध हुए हैं और किन पर हुए हैं, यदि आपका आदेश हो तो वह बताने को तैयार हूं।

आपके निर्देशानुसार, चूंकि माननीय मूल प्रश्नकर्ता ने पहले यह पूछा कि क्या-क्या आरोप हैं, वह बताने लगा था...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जानबूझकर समय जाया कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, वही है, मैंने यही पूछा है। जो प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा है कि क्या-क्या आरोप साबित हुए, यह मैंने पूछा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो क्या-क्या आरोप साबित हुए, इनको दोषी माना, यही पूछा है। और क्या पूछा था? आप दायें-बायें कर रहे हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, दायें-बायें नहीं कर रहा हूं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे समय का भी नहीं है, मेरा इंवाल्वमेंट भी नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप कोई बच्चे हैं क्या, बारबार चड्डी पहनूं, बनियान पहनूं, अध्यक्ष महोदय से पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है तभी तो आप बोल रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस जांच के लिए जो तथ्य हैं उनमें 11 आरोप लगाये गये थे। उन 11 आरोप में प्रति आरोप में क्या-क्या निष्कर्ष निकला, अगर आपका आदेश हो तो मैं यह पढ़ कर सुना दूं?

श्री रोहिताश्व शर्मा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर के नहीं आयी।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये, हमको गुमराह कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आरोप बताने को तैयार हूं, निष्कर्ष बताने को तैयार हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की मंशा ठीक नहीं है, विषय को घुमा कर इस प्रश्न को दफन करना चाहते हैं और सच में यह है कि उन अपराधियों को बचाने की आपकी मंशा है इसलिए इधर-उधर कर रहे हैं और हम टू दी पाइंट चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बिलकुल नहीं है। किसी आरोपी को बचाने की मेरी मंशा नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह आपके कार्यकाल का मामला है इसलिए आप नहीं सुनना चाहते।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य मेरी बात सुनना नहीं चाहते।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप प्रश्न कर के फंस गये हो। आपके कार्यकाल का मामला है यह बता रहे हैं मंत्रीजी, सुनो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और मूल प्रश्नकर्ता मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : सुनना नहीं चाहते, प्रश्न करके यह खुद फंस गये।

श्री रोहिताश्व शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तैयारी करके नहीं आये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल केवल इतना ही था कि कौन-कौनसे दोष उन पर प्रूव हुए, वह पढ़ दीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तो पढ़ने तो दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो आप इधर-उधर की बातें क्या कर रहे हो? क्यों समय जाया कर रहे हो?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप पढ़ने ही नहीं दे रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जानबूझकर बचने के लिए समय खराब कर रहे हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप सुनिये तो सही, माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री रोहिताश्व शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सीरियस ही नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहला जो आरोप लगाया गया उसके बारे में मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रबन्ध समिति उत्तरदायी है। प्राचार्य, एम.आर.ई.सी. ने अपने पत्र दिनांक इतने, इतने विशेष अधिकारी तकनीकी इतने को अवगत करवा दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या है इसका मतलब?

एक माननीय सदस्य : गोलमोल, गोलमोल।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आरोप पढ़ता हूं तब कहते हो खाली यह बता दो कि दोषी कौन है। आरोप पढ़ने को तैयार हूं मैं। मैं आरोप पढ़ता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**:** एक सैकण्ड, मंत्री महोदय। It is a very serious matter. It is very serious. Please don't take it lightly. And be have like a responsible minister. ठीक जवाब दीजिये न आप। इसमें अगर आपका इंवाल्वमेंट नहीं है, हम भी मानते हैं नहीं है, पर जवाब क्यों नहीं देते ठीक से आप, दायां-बायां करते हो। क्या आरोप साबित हुए, किनके खिलाफ साबित हुए? अब लैटर आया, फलां आया, हम को क्या करना है लेटर का। लैटर की तारीख देते हो, नम्बर देते हो What does it mean? And if you are not in a mood, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसको पोस्टपोन करिये, इसको दोबारा पूछ लेंगे किसी दिन।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन की आवश्यकता नहीं है, मैं तैयारी करके जवाब दे रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह इनके कार्यकाल का मामला है इसलिए यह सुनना नहीं चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, सुनना नहीं चाहते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**:** और किसी जिम्मेदार मंत्री को दे दीजिए यह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**:** इसको पोस्टपोन कर दीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : या तो यह तय करें कि मैं आरोप पढूं या यह तय करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन कर दीजिए, मंत्रीजी तैयारी करके आएं। (व्यवधान) बैठ जाओ।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं देना चाहते। इनको चेयर की तरफ देखना है और बारबार इधर सदस्यों की तरफ देख कर जवाब दे रहे हैं, हंस कर जवाब दे रहे हैं, सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उन आरोपियों से मिले हुए हैं। कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहते।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप पढ़ देता हूं इसके बाद जवाब देता हूं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व शर्मा : माननीय मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये, डिप्टी सी.एम. जवाब दें...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)**:** अध्यक्ष महोदय, कटारियाजी काफी सीनियर हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने मंत्री लिप्त थे, उनके नाम बता दो आप तो।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : काफी सीनियर सदस्य इस मामले को उठा रहे हैं, गम्भीर मामला है, मंत्री महोदय इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं।

श्री सांवर लाल : बार बार नाटक की तरह खड़े हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह बड़ा गम्भीर सवाल है और इसमें समय लगना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मंत्री महोदय बिहेव कर रहे हैं वह यह चाहते हैं कि कैसे न कैसे 12 बज जाएं और फिर हम यह प्रश्न नहीं पूछें। तो मेरा यह निवेदन है कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए और किसी जिम्मेदार मंत्री को यह सवाल दे दीजिए तब इसका अर्थ निकलेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आरोप नम्बर दो के सम्बन्ध में...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तय करोगे मंत्रीजी जिम्मेदार नहीं हैं, यह आप तय कर रहे हो क्या?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : 1997–98 से 2001 तक पी.ई.टी. का आयोजन एम.आर.ई.सी. द्वारा किया जा रहा है किन्तु उपरोक्त अनियमितताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि एम.आर.ई.सी. के लेखों की जांच के समय आर.पी.ई.टी. के लेखे वैधानिक अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण), राजस्थान को प्रस्तुत नहीं किये गये। विशेष जांच के दौरान पी.ई.टी. के लेखों में पायी गयी अनियमितताएं–अनियमितताएं लेखांकन यात्रा भत्ता राशि रुपये 62.88 के अनियमित भुगतान, स्टेशनरी प्रिंटिंग मद के अनियमित व्यय, पी.ई.टी. काउंसलिंग के अनियमित व्यय, वेतन मानदेय, अनियमित भुगतान, अनियमित एवं असंबद्ध भुगतान, डाक व्यय पंजिका एवं प्रेरणा पंजिका के संधारण का अभाव, गोपनीय व्यय मद के उचित लेखांकन का अभाव...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि दोषियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सामग्री भण्डार पंजिकाओं में प्रविष्टि का अभाव के लिए प्राचार्य एवं अध्यक्ष, समन्वय पी.ई.टी. उत्तरदायी हैं। एक-एक का जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता माननीय भवंरलालजी, are you satisfied ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Not at all. Not just myself, so many members are not satisfied. By the answer, and by the behaviour of the minister also, we are not satisfied. इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो हाउस के सामने आनी चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। यह किसी को बचाना चाहते हैं या नहीं। It is immaterial? पर हाउस का ऐसा मैटर है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको स्थगित कर दें।

(12.00 बजे)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बचाने का प्रश्न नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह संस्थान भारत सरकार के अधीन जा चुका है। इससे हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसके बावजूद भी हमने जांच करवायी है। वित्त विभाग की फाइंडिंग आना बाकी है। ज्योंही वित्त विभाग की तरफ से निर्देश आएंगे उसके बाद हम भारत सरकार को लिखेंगे कि उन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और भारत सरकार से कार्यवाही माननीय भंवरलालजी शर्मा करवाएंगे।

जिस समय की ये घटनाएं हैं उस वक्त ललित किशोरजी चतुर्वेदी जो मंत्री थे, इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इससे क्या मतलब है? So what? This is highly objectionable. और एक इन्होंने जो चार्ज लगाया उसका उत्तर देना होगा। I agree with you, Sir. लेकिन इनको आगे के लिए टाइम दे दीजिए। इसको पोस्टपोन कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, प्रश्नकाल समाप्त। अब आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर दीजिए वह तो लेकिन इसको पोस्टपोन कर दीजिए।

श्री रोहिताश्व शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपसे यह उम्मीद नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा हमारे हितों का रक्षक कौन हो सकता है? आप उदारमना हैं। इस सदन का उपयोग करके मंत्री महोदय ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की है जिनके खिलाफ स्पेसिफिक आरोप हैं। मंत्री महोदय, आप भी उनके साथ लिप्त हो वरना जांच हो गयी, आडिट की जांच हो गयी उसके बाद भी आपका उनको बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गबन में वित्त मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा दोनों शामिल हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जाते–जाते अन्त में एक काम कर दिया, ललित किशोर चतुर्वेदीजी का नाम ले दिया कि वे अध्यक्ष थे। What do you mean by this? आपने वह नाम किसलिए ले दिया? इसका क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, प्रश्नकाल समाप्त। पूर्व प्रतिपक्ष के नेता महोदय राज्य सभा में हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सदन में मंत्रीजी कैसे मजाक कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार को लिखकर देंगे कि दोषियों को सजा दो। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार आपकी है, कृपा करके आप सजा दिलवाना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हम केन्द्र सरकार में नहीं जा रहे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आपको पता है क्या, कि जांच क्या होती है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके आप एक सैकण्ड के लिए बिराजिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी बात को शिरोधार्य। एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : यूं नहीं चलेगा। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या हो गया? Let him say.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपकी अनुमति हो तो एक सैकण्ड का अवसर दे दीजिए। मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि विषय बहुत गम्भीर है। जांच के बाद सब प्रकार के आरोप सिद्ध हो गये और केन्द्र सरकार काम कब करेगी कब नहीं। जब आप भेजेंगे तब करेगी। उसमें जो डिले हो रहा है, जब आपके पास सारे तथ्य प्रमाणित हैं तो इसमें इतना विलम्ब होने का क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड में खतम कीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कृपा करके आधे घंटे की चर्चा में अवसर दे दीजिए ताकि इसमें विषय का पूरा स्पष्ट हो जाएगा, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है और हमें अपनी पूरी बात कहने का पूरा समय मिल जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, बैठिए। प्रश्नकाल समाप्त। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मृतक वर्कचार्ज कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

1. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972 से पूर्व के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है एवं इसके नियम बनाये हैं? यदि हां, तो आदेश/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर जिनकी मृत्यु वर्ष 1972 से पूर्व हो गई थी, उक्त पर भी यह नियम लागू किये गये हैं? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

कूकस औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि

2. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कूकस औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या–8 में रीको द्वारा काश्तकारों की खातेदारी कृषि भूमि अवाप्त की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र के पास ही ग्राम साइवाड़, पंचायत समिति नटाटा, तहसील जमवारामगढ़ की खसरा नं.–1 रकबा 27 1/2 बीघा व खसरा नं.–433 रकबा 15 बीघा सवाई चक सरकारी बंजड़ भूमि बेकार है? क्या सरकार उक्त संबंध में खातेदारी भूमि अवाप्ति के स्थान पर सरकारी भूमि को उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में कूकस औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा कृषि भूमि अवाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) ग्राम साइवाड़, तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर–1 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा सिवाय चक बंजड़ तथा खसरा नम्बर–43 रकबा 19 बीघा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि का रीको द्वारा किसी उपयोग में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम सवाई गैटोर (जयपुर) में पेयजल हेतु पाइप लाइन

3. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में आने वाले ग्राम सवाई गैटोर में पेयजल हेतु पाइप लाइन न डालने का निर्णय नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ग्राम सवाई गैटोर में सरकारी पाइप लाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम सवाई गैटोर में पेयजल व्यवस्था करने का कार्य राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट प्रोजेक्ट (आर.यू.आई.डी.पी.), जयपुर के कार्यों में प्रस्तावित है तथा योजना की स्वीकृति के उपरान्त आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

वर्तमान पेयजल व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सवाई गैटोर के क्षेत्र की कालोनियों में विभाग द्वारा स्थापित 22 हैण्ड पम्प कार्यरत अवस्था में हैं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के अनुसार।

मांचड़ा गांव (जयपुर) के हैण्ड पम्प की मरम्मत

4. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-70 में तन माचड़ा गांव में आपणा गांव होटल के पास श्रीराम किराना स्टोर के समीप सरकार ने जन सुविधा हेतु एक हैण्ड पम्प लगाया था? यदि हां, तो कब? उक्त हैण्ड पम्प को लगाते समय बोर कितने फीट का काटा गया था और पाइप कितने फीट लगाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हैण्ड पम्प में 250 फीट पाइप के स्थान पर मात्र 120 फीट पाइप ही लगाया गया जिसके कारण उक्त बोर में मिट्टी भर गई और वर्तमान में पानी आना बन्द हो गया है?

(3) क्या सरकार अब उक्त हैण्ड पम्प के पूरे पाइपों को निकलवा कर उक्त बोर में पूरे 250 फीट पाइप लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए उक्त हैण्ड पम्प की मरम्मत शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2000-2001 में हैण्ड पम्प लगवाया गया था। निर्माण के समय बोर की गहराई 190 फीट तथा केसिंग पाइप 103 फीट गहराई तक लगाया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) हैण्ड पम्प विभागीय मशीन द्वारा खोदा गया था। बोर की कुल गहराई तथा केसिंग पाइप स्थापन भू–जल, वैज्ञानिक की राय के अनुसार करवाया गया था। वर्तमान में 120 फीट गहराई के नीचे का बोर कोलेप्स हो चुका है। कोलेप्स होने के विभिन्न तकनीकी कारण हो सकते हैं। अत: निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता है कि केसिंग पाइप की कम लम्बाई के कारण बोर कोलेप्स हुआ है। वैसे वर्तमान में भी कम आवक के साथ हैण्ड पम्प चल रहा है।

(3) जी नहीं। तकनीकी रूप से यह सम्भव नहीं है।

(4) वर्तमान में हैण्ड पम्प कम क्षमता के साथ चल रहा है। वर्तमान आवक तथा जलस्तर/वाटर कोलम को देखते हुए आशंका है कि ग्रीष्म 2003 में यह कार्य नहीं कर पावेगा। इस स्थिति को देखते हुए ग्रीष्म कंटींजेंसी 2003 के अन्तर्गत क्षेत्र का भू–जल वैज्ञानिक द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण करवा कर प्राप्त सिफारिश के अनुसार नया हैण्ड पम्प लगवाना प्रस्तावित है।

पंचायत समिति, पीसांगन क्षेत्र (अजमेर) की जनता जल योजनाएं

5. **श्री रमजान खान (पुष्कर):** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभागीय मानदण्ड के अनुसार हर पंचायत समिति से प्रतिवर्ष तीन गांवों की जनता जल योजना स्वीकृत की जाती है?

(2) क्या जिला अजमेर की पंचायत समिति, पीसांगन के ग्राम भगवानपुरा एवं देवनगर की भी जनता जल योजना बनाकर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर ने स्वीकृति हेतु जयपुर भेजी है? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला अजमेर की पंचायत समिति, पीसांगन के ग्राम भगवानपुरा व देवनगर वर्तमान में हैण्ड पम्प योजना से लाभांवित हैं। इन हैण्ड पम्प योजनाओं को पम्प व टैंक योजना में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 22416–422 दिनांक 10.1.2003 के द्वारा स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय, जयपुर को प्रेषित किए गए हैं। इन योजनाओं का संचालन "जनता जल योजना" पैटर्न पर प्रस्तावित है।

(3) योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। तकनीकी परीक्षण, बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही योजना स्वीकृति के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या-6
(स्थगित)

जिला बाड़मेर में कंटींजेंसी राशि का उपयोग

7. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अभावग्रस्त जिलों में जल समस्या के तत्काल निवारण हेतु कंटींजेंसी फण्ड से राशि आबंटित की गई? यदि हां, तो कुल कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला बाड़मेर में वर्ष 2002 से मार्च, 2003 तक कंटींजेंसी की राशि पूरी की पूरी व्यय हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक कोष की राशि से उक्त जिले में कुल कितने हैण्ड पम्प विधान सभा क्षेत्रानुसार दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विधायक कोष से आबंटित हैण्ड पम्प और अन्य पाइप लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(5) क्या सरकार द्वारा अपने पुराने कुओं में बोरिंग तथा पुराने कुओं की मरम्मत कर जनता को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाने का कार्य गत एक वर्ष में किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यों की बाड़मेर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या तहसील पचपदरा के ग्राम रोडवा खुर्द के कुआं से झोझण व देवार की जनता पाइप लाइन होते हुए भी पीने के पानी से वंचित है व नये स्रोतों के रूप में अपने प्राधिकार में लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम कलावतसर, तहसील पचपदरा में पाइप लाइन होने के बावजूद जनता को पीने का पानी पूरा नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नया कुआं खुदवाकर जनता को राहत प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) स्वीकृत बजट में कंटींजेंसी फण्ड के नाम से अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जल परिवहन, निजी कुएं किराए पर लेने के लिए एवं हैण्ड पम्प मरम्मत का समर कंटींजेंसी मद में राज्य आयोजना मद (ग्रामीण क्षेत्र) में निम्न प्रकार से प्रावधान है:–

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(राशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना	संशोधित अनुमान (स्वीकृत प्रावधान) 2002-2003	आबंटित राशि	व्यय जनवरी, 2003 तक अनुमानित
1.	जल परिवहन	150.00	150.00	130.85
2.	निजी कुएं किराये पर लेने बाबत	20.00	10.00	6.00
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	450.00	393.80	293.69

इसके अतिरिक्त रुपये 2000 लाख की राशि सी.आर.एफ. "2245"–बजट मद से प्राप्त हुई है जिसमें से रुपये 1072.15 लाख की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजनाओं पर नियमित स्वीकृत/उपलब्ध बजट में से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या-1 के उत्तर में वर्णित मदों में से अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक जिला बाड़मेर में आगामी ग्रीष्म में पेयजल के सन्दर्भ में उपलब्धता बढ़ाने हेतु कुल रुपये 431.80 लाख की स्वीकृति 124 योजनाओं हेतु जारी की गई है। स्वीकृत योजनाओं का पूर्ण विवरण प्रपत्र (i), (ii), (iii) एवं (iv) पर उपलब्ध है।

(3) विधायक कोष की राशि से सिर्फ विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं जिनकी संख्या 7 है। इनमें से 2 हैण्ड पम्पों का निर्माण कर चालू कर दिया गया है। स्वीकृत हैण्ड पम्पों का विवरण प्रपत्र (v) में संलग्न है।

(4) विधायक कोष से 7 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं तथा अन्य कार्य यथा पाइप लाइन एवं जलाशय इत्यादि की स्वीकृति की संख्या 14 है। इनमें से 2 हैण्ड पम्प तथा 3 अन्य कार्य पूर्ण हुए हैं। स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण प्रपत्र-(vi) में दर्शाया गया है। यह कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। बाड़मेर जिले में परम्परागत जलस्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत अभी तक 620 कुएं एवं बावड़ियों को गहरा करने के कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 518 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2002-2003 में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र-(vii) पर संलग्न है।

(6) झांझण व देवार में किसी प्रकार की पाइप लाइन नहीं लगी हुई है न ही यह दोनों चिन्हित हैबीटेशन है। बलाऊ स्रोत से रोडवा खुर्द से रोडवा कलां पाइप लाइन डली हुई है। रोडवा खुर्द एवं रोडवा कलां में सप्ताह में दो से तीन बार पानी पहुंचता है। अकाल के कारण जल स्तर नीचे जा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रहा है तथा आवक में कमी हुई है। अत: रोडवा खुर्द की सरहद में स्थित जानन बेरा (कुआं) को चालू कर कुएं को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ने हेतु 500 मीटर पाइप लगाने का प्रावधान करते हुए एक योजना माह फरवरी, 2003 में रुपये 4.27 लाख की स्वीकृत की गई है। इसके तहत जानन बेरा (कुआं) को चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कलावतसर जल योजना धुधली-रोड़वा योजना के तहत बलाऊ स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसकी वर्तमान आबादी लगभग 400 है तथा इसमें औसतन 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल वितरण किया जाता है। यहां पर नलकूप खुदवाने की किसी प्रकार की योजना नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सूर्यवाली ढाणी मांचड़ा (जयपुर) का नाकारा हैण्ड पम्प

8. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 70 में तन मांचड़ा गांव तहसील आमेर की ढाणी सूर्यवाली में (आपणा गांव होटल के पास) सरकार ने जन सुविधा हेतु एक हैण्ड पम्प लगाया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हैण्ड पम्प से पानी आना बन्द हो गया? यदि हां, तो क्यों और कब से?

(3) क्या भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए उक्त हैण्ड पम्प को नाकारा करके उसके स्थान पर नया हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब उक्त ढाणी में नया हैण्ड पम्प कब तक लगा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित क्षेत्र में वर्ष 1986-1987 में हैण्ड पम्प लगाया गया था।

(2) भू-जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण पिछले 6 माह से हैण्ड पम्प में पानी सूख जाने के कारण हैण्ड पम्प कार्यरत नहीं है।

(3) हैण्ड पम्प में पानी सूखने के कारण ग्रीष्म कंटींजेंसी के तहत उल्लिखित ढाणी में नया हैण्ड पम्प शीघ्र ही लगाया जाना प्रस्तावित है।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

विधायक अटरू पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी

9. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री जगन्नाथ)

(1) 7 नवम्बर, 2002 को विधायक अटरू पर हमला करने के आरोपी कौन-कौन हैं? नाम, पता, जाति, उम्र सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आरोपियों के विरुद्ध कोटा सम्भाग के किस-किस पुलिस थाने में किन-किन धाराओं में कब-कब मुकदमे दर्ज हुए? मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मुकदमे में आरोपीवार प्रत्येक मुकदमे की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त मुकदमे की अन्वेषण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आरोपियों में से कुछ आरोपी अभी किसी मुकदमे में पुलिस द्वारा वांछित हैं? यदि हां, तो किन-किन मुकदमे में किन-किन धाराओं में?

उत्तर

(1) 7 नवम्बर, 2002 को विधायक अटरू पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम एवं पता निम्नलिखित हैं :-

1. हरदयाल पुत्र मन्नालाल मीणा, 47 वर्ष, निवासी ढोटी थाना अटरू।
2. तंवर सिंह पुत्र भीम सिंह राजपूत, 30 वर्ष, निवासी हरलाई थाना अटरू।
3. दीनबन्धु पुत्र रामगोपाल धाकड़, 27 वर्ष, निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू।
4. दिनेश पुत्र लक्ष्मण सिंह मीणा, 23 वर्ष, निवासी भगवानपुरा थाना कवाई।
5. लोकेश पुत्र भागचन्द धाकड़, 22 वर्ष, निवासी गोरधनपुरा थाना सदर बारां।
6. हरपाल पुत्र भैरूंलाल मीणा, 26 वर्ष, निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू।
7. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप मीणा, 20 वर्ष, निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू।
8. जगमोहन पुत्र प्रहलाद धाकड़, 20 वर्ष, निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू।
9. रामविलास पुत्र प्रभूलाल ऐरवाल, 20 वर्ष, निवासी ढोटी थाना अटरू।

(2) पांच आरोपियों के विरुद्ध कोटा सम्भाग के थानों में दर्ज हुए मुकदमों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है एवं अन्य चार अभियुक्त के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

(3) आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये हैं।

(4) आरोपियों में राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप मीणा निवासी मूण्डला बिसौती थाना अटरू मु. नं. 20/03 धारा 307, 323 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित है। मुकदमा पुलिस अनुसंधानाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पुलिस हिरासत में मौत के दर्ज प्रकरण

10. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक पुलिस की गोली, पुलिस की पिटाई, पुलिस हिरासत में मौत से कितने–कितने लोग मरे? नाम व पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मृतकों के परिजनों द्वारा प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही थी? उक्त दर्ज प्रकरण के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मामलों में से कुछ की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक पुलिस की गोली से पुलिस हिरासत में व पुलिस पिटाई से कुल 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें से 13 व्यक्तियों की पुलिस की गोली से व 10 व्यक्तियों की पुलिस हिरासत में तथा 2 व्यक्तियों की पुलिस पिटाई से मृत्यु हुई। नाम व पता सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कुल 21 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों में मृतक के परिजनों द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, 2 प्रकरणों में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद जांच दर्ज कराई गई व अन्य 10 प्रकरणों में मृतक के परिजनों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस कार्यवाही सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उप अधीक्षक धौलपुर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

11. **श्री जसवंत सिंह गुर्जर** (बाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001 से जनवरी, 2003 तक जिला धौलपुर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कौन–कौन से मामले दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में उप अधीक्षक के विरुद्ध उक्त विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है? यदि हां, तो उप अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मध्यस्थों ने बयान में यह स्वीकार किया कि यह रुपये उप अधीक्षक के लिए थे? यदि हां, तो उप अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा वर्ष 2001 से 2003 (15.3.03 तक) 25 मामले धौलपुर जिले से सम्बन्धित दर्ज किये हैं। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) हां। श्री सतवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस सी.ओ. बाड़ी, धौलपुर के विरुद्ध अपराध सं. 122/2002 अन्तर्गत धारा 7, 8, 13 (1) (डी) (2) पी.सी. एक्ट सहपठित धारा 120 बी, 343 भादस. में पंजीबद्ध किया गया। उप अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि साक्ष्यों से मामला उप अधीक्षक के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। उप अधीक्षक की मांग टेप से सत्यापित नहीं हुई है।

(3) जी हां। मध्यस्थों ने स्वीकार अवश्य किया था किन्तु यह स्वीकारोक्ति अन्य साक्ष्यों से ताइद नहीं हुई। अत: उप अधीक्षक पुलिस के विरुद्ध पी.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की गई।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में अपहरण की घटनाएं

12. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सौरभ नाम के बच्चे का अपहरण होने की लिखित में सूचना थाना बाड़ी में दी गई थी? यदि हां, तो उसी दिन पुलिस द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थाने में सूचना देने के तीन दिन बाद सौरभ मृत पाया गया? यदि हां, तो पुलिस द्वारा उक्त तीनों दिनों क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सौरभ के हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सौरभ नामक लड़के के अपहरण की लिखित सूचना दिनांक 20.12.2002 को पुलिस को थाना बाड़ी, जिला धौलपुर पर दी गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण संख्या 594/02 धारा 363 भा.दं.स. में दर्ज कर अनुसंधान एवं थाना मुलाजमानों द्वारा तलाश शुरू की गई। जिला धौलपुर के सभी थानाधिकारियों, सरहदी जिलों एवं राजस्थान के समस्त पुलिस अधीक्षक को जरिए वितन्तु सन्देश तलाश हेतु सूचना दी गई तथा एक विशेष टीम गठित कर तलाश की गई।

(2) जी हां। यह सही है कि थाने में सूचना देने के तीन दिन बाद दौराने तलाश सौरभ मृत अवस्था में कस्बा बाड़ी के निकट एक नाले में मिला जिस पर धारा 302 भा.दं.स. जोड़कर गम्भीरता से अनुसंधान किया गया तथा इस अवधि में सरगर्मी से तलाश की गई।

(गृह मंत्री)

(3) अभी तक अज्ञात हत्यारों का पता नहीं चल सकने के कारण गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, पता लगाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं एवं हत्यारों की सूचना देने वाले अथवा पकड़वाने वाले को 2000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की गई है।

जयपुर सम्भाग में दन्त चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

13. **श्री रमेश खींची** (कठूमर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक जिला–जयपुर, भरतपुर, अजमेर व दौसा में दन्त चिकित्सक के कितने–कितने पद किस–किस अस्पताल/डिस्पेंसरी में कब–कब सृजित किये गये?

(2) वर्तमान में उक्त पदों पर कौन–कौन दन्त चिकित्सक कब–कब से कार्यरत हैं? उक्त जिलों में वर्तमान में दन्त चिकित्सक के यहां–यहां व कब–कब से पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक जिला जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं दौसा के किसी भी अस्पताल/डिस्पेंसरी में दन्त चिकित्सक के पद सृजित नहीं किये गये, परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगानेर में एक दन्त चिकित्सक का पद आदेश दिनांक 18.9.2002 को अन्य चिकित्सा संस्थान से स्थानान्तरित किया गया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगानेर में स्थानान्तरित दन्त चिकित्सक के पद पर दिनांक 8.10.2002 से डा. साक्षी गौरव कार्यरत है।

जिला जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं दौसा में दन्त चिकित्सकों के रिक्त पदों का मय रिक्ति दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्नप्रकार है:–

जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्ति की दिनांक
भरतपुर	राजबहादुर मैमोरियल जिला चिकित्सालय, भरतपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	01.3.1996
भरतपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	21.6.2000
अजमेर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकड़ी	चिकित्सा अधिकारी (दन्त) (आदेश दिनांक 3.7.2002 के द्वारा पदस्थापन कर दिया गया है परन्तु चिकित्सक द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया है)	01.4.1999

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों की राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न संख्या-14
(स्थगित)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की मेडीकेयर सोसायटी द्वारा अनियमितताएं

15. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय की मेडीकेयर सोसायटी में 24 लाख से अधिक के गबन किये जाने की घटना के पर्यवेक्षणीय लापरवाही की गहन जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये व उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

(2) उक्त प्रकार की घटना भविष्य में न हो इसके लिए क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अस्पताल द्वारा इस बारे में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(2) भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो के सम्बन्ध में माह फरवरी, 2000 से ही रसीद तीन प्रतियों में तैयार की जाने लगी है जिनमें से प्रथम प्रति मरीज के उपयोग हेतु, द्वितीय प्रति सम्बन्धित विभाग हेतु तथा तीसरी प्रति कार्यालय हेतु रखी जाती है। अब दिनांक 1.4.2002 से कम्प्यूटर से रसीदें जारी किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दैनिक मिलान का कार्य भी दिया जा रहा है।

जानकीपुरा (सीकर) हेतु सम्पर्क सड़क

16. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत जिला सीकर के ग्राम जानकीपुरा तथा गोरिया वाया ढालियावास रास्ता बारहमासी है? यदि हां, तो उक्त हेतु सड़क स्वीकृति की कार्यवाही कब तक शुरू करवा दी जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग पर भारी तादाद में जनता का आवागमन होता है?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को डामरयुक्त सड़क से निर्मित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग पर कब तक डामरयुक्त सड़क बनवा दी जावेगी।

उत्तर

(1) जिला सीकर के ग्राम जानकीपुरा तथा गोरिया वाया ढलियावास मार्ग वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

(2) उक्त सड़क मार्ग पर स्थानीय जनता का आवागमन ही होता है।

(3) जी नहीं।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में अवाप्त भू-खण्डों का मुआवजा

17. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सीकर रोड पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की रोड नं. 14 के पास कोई सर्किल बनाये जाने का कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां और कितनी भूमि पर?

(2) उक्त सर्किल हेतु कितनी भूमि अवाप्त की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसमें निर्मित दुकानें भी उक्त निर्माण में आ रही हैं? यदि हां, तो कितनी?

(4) उक्त में किस-किस नाम की अंकित कौन-कौनसी दुकानों की भूमि अवाप्त की जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिन-जिन मालिकों की दुकानें अधिग्रहीत की जावेगी उनको सरकार वर्तमान बाजार मूल्य के पुनर्ग्रहण राशि का भुगतान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त सर्किल में कतिपय आवासीय भू-खण्ड भी आ रहे हैं? यदि हां, तो कितने व कौन-कौन से?

(7) क्या जिन भूखण्डधारियों के भू-खण्ड आएंगे उनको सरकार अन्य स्थान पर बसाएगी? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों?

(8) उक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा किया जा रहा है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

(6) उपरोक्तानुसार।

(7) उपरोक्तानुसार।

(8) उपरोक्तानुसार।

असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रस्तावित योजनाएं

18. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कुल कितने असंगठित निर्माण श्रमिक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त असंगठित निर्माण श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा बीमा एवं इनके बच्चों की शादी ब्याह, प्रसव, दुर्घटना मुआवजा आदि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(3) उक्त हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में असंगठित निर्माण श्रमिकों की संख्या 20642 है। संख्या सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में भवन व अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 लागू कर दिया है। राज्य में उक्त अधिनियम हेतु नियम बना दिये गये हैं। विधि विभाग द्वारा नियमों की विधिक्षा पूर्ण करने पर लागू करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) नियमों के लागू होने के उपरान्त ही प्रस्तावित राशि बताना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जयपुर के विरुद्ध विचाराधीन जांच

19. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर के विरुद्ध नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कितने प्रकरणों में कब से जांच विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में आरोप पत्र जारी कर जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है एवं कितने प्रकरणों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जयपुर के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 व 17 में वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 के अनुसार।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

20. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गत चार वर्षों में सैकड़ों माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं? क्या उक्त में से अधिकांश में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के पद नहीं भरे गए? क्या उक्त कारण ग्रामीण क्षेत्रों का परिणाम संतोषप्रद नहीं रहा और वे अधिकांश तृतीय श्रेणी में सफल हुए?

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के अधिकांश रिक्त पद समानीकरण से भरे गये हैं साथ ही इनके अतिरिक्त शेष रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी योजना एवं वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनायी गई।

(2) जी हां। वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद स्थायी रूप से सीधी भर्ती के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा पदोन्नति अभ्यांश के पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरे जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान (अलवर) में अध्यापक के पद पर पदोन्नति

21. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजवाड़ चौहान जिला अलवर में कार्यरत प्रयोगशाला सेवक का तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पदोन्नति का मामला कई वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं अलवर द्वारा वर्ष 1997 में निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को व निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक शिविरा/प्रार./संस्था/एफ.2/714/98/67, दिनांक 2.6.1998 द्वारा राज्य सरकार को लिखे जाने के पश्चात् भी उक्त प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या प्रयोगशाला सहायक के मामले का निबटारा अब कब तक करके उसे पदोन्नति दे दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र पर वांछित मार्गदर्शन दिया जा चुका है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) मामले का निपटारा किया जा चुका है। प्रयोगशाला सहायक को तृतीय वेतन अध्यापक के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति के मामले बनते ही नहीं हैं।

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

22. **श्री त्रिलोक पूर्बिया** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) के अधीन ज़िला उदयपुर एवं नागौर में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त जिलों में कुल कितने प्रकरण लम्बित हैं। मृतक आश्रित आवेदनकर्ता का नाम, मृतक का नाम कितने समय से लम्बित है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार शिक्षा निदेशक को लिखे जाने के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) नागौर जिले की डीडवाना तहसील के मृतक आश्रितों के लम्बित प्रकरणों का निपटारा करके सरकार कब तक नियुक्तियां जारी कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के तहत उदयपुर और नागौर जिलों में 39 एवं प्रारम्भिक शिक्षा के तहत 44 प्रकरण विचाराधीन हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। मुख्य मंत्री कार्यालय एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

(3) लम्बित प्रकरणों के आक्षेपों का निपटारा होने के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में कार्यरत चौकीदार से जबरिया त्याग पत्र

23. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के कोटा में कार्यरत चौकीदार श्री देवी सिंह से जबरन त्याग पत्र लिखवाने से व्यथित होकर उनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी? यदि हां, तो उक्त से इस्तीफा किसने और क्यों लिखवाया?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता श्री गोयल को जांच सौंपी गई थी? उक्त जांच के बिन्दु क्या–क्या थे? जांच के आधार पर किस–किस के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री देवी सिंह, हैल्पर ने स्वैच्छापूर्वक सेवा निवृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

(2) जी हां। जांच के मुख्य बिन्दु निम्न थे :–

अ. श्री देवी सिंह, हैल्पर के स्वैच्छिक सेवा निवृति प्रकरण में तथ्यों का सत्यापन कर प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

ब. समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार की वास्तविकता की जांच करना।

जांच के आधार पर किसी को दोषी नहीं पाया गया, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रिड सब-स्टेशन पिलवा (नागौर) से स्वीकृत लाइन

24. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन पिलवा नागौर से भड़सिया बस्सी 3 किलोमीटर लाइन स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृति के तहत उक्त गांवों को 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन पिलवा से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 33 के.वी. सब-स्टेशन पिलवा (नागौर) से भड़सिया बस्सी के लिए 5.3 किलोमीटर 11 के.वी. लाइन की स्वीकृति दिनांक 2.12.2002 को जारी की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त लाइन का कार्य पूरा न होने से इन गांवों का 33 के.वी. सब-स्टेशन से नहीं जोड़ा जा सका है। सामान की व्यवस्था कर, उक्त लाइन को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

25. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भगवानपुरा एवं नागेलाव में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो उक्त पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन कब तक बनकर काम करना शुरू कर देंगे?

(2) उक्त सब-स्टेशनों के बन जाने से किन-किन गांवों को लाभ होगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भगवानपुरा व नागेलाव में 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण हो रहा है जिनकी कुल लागत 148 लाख रुपये आने का अनुमान है। उक्त सब-स्टेशनों में से भगवानपुरा को मार्च, 2003 तक एवं नागेलाव को अप्रैल, 2003 तक पूर्ण कर चालू करना प्रस्तावित है।

(2) भगवानपुरा सब-स्टेशन से भगवानपुरा, मोतीसर, किशनपुरा का कुछ भाग, पिचोलिया व सूरजकुंड तथा नागेलाव सब-स्टेशन से जेठाना, अलीपुर, गोला, सरसरी व नागेलाव आदि ग्राम लाभान्वित होंगे।

नर्सरी चारा योजना के उपभोक्ताओं को छूट

26. श्री अमराराम (धोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत चार वर्षों में राज्य नर्सरी चारा योजना व विशेष योजना के तहत कितने लोगों को कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा उक्त में से कितने लोगों को साधारण श्रेणी में मान लिया गया?

(2) क्या जिन उपभोक्ताओं ने दो साल का समय पूरा कर लिया ऐसे किसानों को साधारण श्रेणी में लाने के बारे में सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य में गत चार वर्षों में नर्सरी, चारा योजना व स्पेशल स्कीम के तहत जारी कृषि कनेक्शन का विवरण निम्नानुसार है:–

योजना	1998 1999	1999 2000	2000 2001	2001 2002
नर्सरी	13333	8674	2213	461
स्पेशल स्कीम	---	429	13296	7662
कुल योग	13333	9103	15509	8123

चारा योजना के नाम से चारा पैदा करने के लिए वर्ष 1999-2000 में स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत 429 कनेक्शन दिये गये थे। उक्त में से वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में नर्सरी योजना के तहत जारी कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में मान लिया गया है।

(2) जी हां। वर्ष 1999-2000 तक के नर्सरी श्रेणी में जारी कृषि कनेक्शनों को दो वर्ष पूर्ण पर साधारण श्रेणी में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। वर्ष 1999-2000 के पश्चात् जारी नर्सरी श्रेणी के कनेक्शनों को उसी ग्राम में साधारण श्रेणी के नीचे वाली वरीयता वालों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से ही साधारण श्रेणी में बिलिंग किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार स्पेशल श्रेणी के मामले में भी उसी ग्राम के साधारण श्रेणी के नीचे वाले आवेदक को कनेक्शन जारी होने की तिथि से ही साधारण श्रेणी में बिलिंग किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

शांति गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का अवसायन

27. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का अवसायन किया जाकर पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है? यदि हां, तो अवसायन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के सदस्यों की राशि अवसायन के बाद नहीं लौटायी गई है? यदि हां, तो उक्त मामलों में समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का अवसायन नहीं होने के कारण सदस्यों की राशि लौटाए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आमेर (जयपुर) में सहकारी दवा की दुकान की स्वीकृति

28. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जोन आमेर (जयपुर) में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दवाइयों की कोई दुकान नहीं है।

(2) क्या यह भी सही है कि आमेर से घाटी पार सुभाष चौक/सिरहड्योडी से पहले कोई दुकान नहीं होने से वहां के आम नागरिकों तथा विशेष रूप से हजारों सरकारी कर्मचारियों को इलाज हेतु काफी परेशानी हो रही है?

(3) क्या सरकार आमेर स्थित सरकारी हास्पिटल व जहां की आबादी को देखते हुए वहां शीघ्र उपभोक्ता संघ की दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वहां पूर्व में खोली गई उपभोक्ता संघ की दुकान चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट दुकानों पर मिलने वाली दवाइयां ज्यादा लिखने के कारण हानि में जाने पर बन्द की गई?

(5) क्या सरकार जनहित में वहां संघ की दुकान चालू कराने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस सन्दर्भ में आम नागरिकों व सरकारी कर्मचारियों से विभाग

(सहकारिता मंत्री)

को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी सन्दर्भित क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए आमेर में उपभोक्ता संघ द्वारा दवा का खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। आमेर स्थित राजकीय चिकित्सालय परिसर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर की दुकान खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

काटन काम्प्लैक्स गंगानगर के सुरक्षा गार्ड का बकाया भुगतान

29. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बिहारी सिंह (सुरक्षा गार्ड) काटन काम्प्लैक्स गंगानगर ने गोल्डन हैण्ड सेक योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी? क्या उक्त को राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) काटन काम्प्लेक्स गंगानगर कब से बन्द है और कितने कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तथा इनके वेतन का भुगतान की क्या व्यवस्था की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री बिहारी सिंह (सुरक्षा गार्ड) श्रीगंगानगर को-आपरेटिव काटन काम्प्लैक्स लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे काटन काम्प्लैक्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अत: भुगतान देय नहीं है।

(2) श्रीगंगानगर को-आपरेटिव काटन काम्प्लैक्स लिमिटेड दिनांक 4.1.2000 से बंद है। मिल के 80 अधिकारियों/कर्मचारियों को फरवरी, 2001 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। संस्था के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही भुगतान की व्यवस्था की जा सकेगी।

जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में निर्वाचित पदाधिकारी

30. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिलेवार सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के कितने-कितने पद हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में उक्त पदों पर कितने-कितने गैर आदिवासी व्यक्ति निर्वाचित हैं? नाम व जातिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में आदिवासी व हरिजन जिलेवार कुल जनसंख्या का कितना-कितना प्रतिशत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में सरपंच प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में उक्त पदों पर कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति निर्वाचित नहीं है।

(3) बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में आदिवासी एवं हरिजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से हैं–

जिला	आदिवासी	हरिजन
बांसवाड़ा	73.47%	वर्ष 2001 की जन गणना विभाग द्वारा आंकड़े जारी नहीं किये।
डूंगरपुर	65.85%	वर्ष 2001 की जन गणना के आंकड़े विभाग द्वारा जारी नहीं किये लेकिन वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 4.61% है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम जानकीपुरा (सीकर) हेतु सड़क निर्माण

31. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु पंचायत समिति/जिला परिषद् द्वारा सड़क का चयन/अनुमोदन किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर में अभी तक पंचायत समिति/जिला परिषद् द्वारा जानकीपुरा तथा गौरिया वाया ढालियावास के मार्ग का चयन सड़क निर्माण हेतु अनुमोदित/प्रस्तावित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य को अनुमोदित/प्रस्तावित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रस्तावों का अनुमोदन पंचायत समिति/जिला परिषद् द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। सीकर जिले की तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम जानकीपुरा तथा गोरिया वाया ढालियावास के मार्ग का चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त ग्राम ग्रेवल सड़क से जुड़े होने के कारण प्रस्तावित नहीं किया गया क्योंकि इस योजना के दिशा-निर्देशों में ग्रेवल सड़क से जुड़े होने पर उसे इस योजना के तहत नहीं जोड़ा जा सकता। अत: पंचायत समिति/जिला परिषद् में अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं हुआ।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के तहत इन ग्रामों की सड़कों को ग्रेवल सड़क से पूर्व में ही जुड़ा होने के कारण नहीं लिया जा सकता।

ग्राम नेवर (जयपुर) का राजीव गांधी पाठशाला भवन प्रकरण

32. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नेवर पंचायत समिति जमवारामगढ़ जिला जयपुर में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला भवन निर्माण की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो कब? उक्त पाठशाला भवन का निर्माण कब कितनी लागत से एवं किस खसरा नं. की भूमि पर कराया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला भवन का निर्माण सरकारी भूमि पर न किया जाकर किसी की खातेदारी भूमि पर करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? निजी खातेदारी की भूमि पर उक्त भवन निर्माण की क्या सरकार से पूर्व में स्वीकृति ली गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोषी सरपंच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नेवर पंचायत समिति जमवारामगढ़ की फकीरों की ढाणी में जिला परिषद जयपुर के आदेश क्रमांक 155 दिनांक, 13.5.2000 द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला निर्माण हेतु 2.20 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे जिसमें से 2.19 लाख रुपये व्यय हुए। उक्त पाठशाला का निर्माण खसरा नं. 25 पर करवाया गया।

(2) जी हां। निजी खातेदार द्वारा ग्राम पंचायत को राजीव गांधी पाठशाला निर्माण हेतु दो बिस्वा भूमि दान में देने के कारण निर्माण कार्य करवाया गया है। जी नहीं। जिला परिषद्, जयपुर के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 155 दिनांक 13.5.2000 के द्वारा फकीरों की ढाणी में राजीव गांधी पाठशाला निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। खातेदार द्वारा ग्राम पंचायत को भूमि समर्पण का मामला अनियमितता की परिभाषा में नहीं आता है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बीकानेर के अकाल राहत कार्यों की प्राप्त शिकायतें

33. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर में वर्ष 2001-2002 में अकाल राहत कार्यों से सम्बन्धित कितनी शिकायत क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई थी? अब तक प्रकरणवार की गई कार्यवाही के विवरण सहित शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति को दोषी पाये जाने के बावजूद भी अब तक दण्डित नहीं किया गया है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही की जावेगी? क्या जांच में कतिपय व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों को जांच अधिकारी ने बचाने का प्रयास किया है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 (अभाव वर्ष सम्वत् 2057) के दौरान ग्राम पंचायत माणकासर (तहसील कोलायत) के अकाल राहत कार्यों की एक शिकायत विधायक कोलायत द्वारा की गई थी। शिकायत की जांच सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नोखा से कराई गई। जांच में पाया गया कि सरपंच द्वारा सम्बन्धित गांव के लोगों को राहत कार्य पर रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है तथा पूर्व पखवाड़ों का भुगतान भी हो गया है। इस आधार पर जांच ड्राप की गई। शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) विधायक कोलायत की शिकायत के क्रम में समुचित आवश्यक कार्यवाही की गई तथा जांच अधिकारी द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अत: जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

ग्राम माधोराजपुरा के अकाल राहत कार्यों की शिकायतें

34. श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2002-03 में पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में कितने अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये तथा उक्त कार्य किस एजेंसी द्वारा कराये जा रहे हैं? स्थान व श्रमिकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में श्रमिकों को काम पर लगाने में भेदभाव एवं भुगतान में दोष की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2002-2003 में पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में स्वीकृत अकाल राहत कार्य, कार्य कराये

(सहायता मंत्री)

जाने वाले अभिकरण, स्थान व श्रमिकों के नाम व विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1 व 2)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुपस्थित-अनुमति

श्री शिवचरण माथुर, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 24 फरवरी, 2003 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री शिवचरण माथुर, सदस्य, विधान सभा ने अपने स्वास्थ्य की जांच एवं इलाज हेतु दिल्ली जाने के कारण दिनांक 24 फरवरी, 2003 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

अगर सदन की अनुमति हो, तो इन्हें सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम (धोद) एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) प्रो. सांवरलाल, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति से रोजगार, चारा एवं पानी की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 19 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के लगातार पांचवें वर्ष अकाल की चपेट में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दिनांक 3 एवं 4 मार्च, 2003 को सदन में अकाल पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर उपलब्ध है, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत उठेला के गांव बासलाई में स्वीकृत राजीव गांधी पाठशाला का भवन बनाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव का विषय स्थगन प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आता है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की

(श्री अध्यक्ष)

ओर से खेडलीगंज ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नियम विरुद्ध भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से शाहाबाद जिला बारां में हुई डकैती के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के विद्यालयों को शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर की ग्राम पंचायत ''नून'' के रेबारियों के आवासों के नीचे लगी पाइप लाइन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से तहसील नीमराना के ग्राम प्रतापसिंहपुरा में कृषि भूमि का अधिग्रहण रीको द्वारा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मांगीलाल गरासिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों को शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से संचालित कराया जाना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में आने वाली तहसील कोटड़ा एवं गोगुन्दा में निम्नांकित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी, आदिवासी आवागमन के साधन रहित क्षेत्र गांवों में स्थित होने के कारण विद्यालयों में नियुक्तकर्मी एवं अध्यापक इन गांवों में अपनी सेवाएं देने को इच्छुक नहीं होते जिसके फलस्वरूप अध्यापकों के अभाव में छात्र/छात्राओं की नियमित पढ़ाई नहीं होती है। इस समस्या के कारण जन प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित गांवों के निवासी इन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराने हेतु आपके माध्यम से पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं :–

1. रा.प्रा.वि. चापा की नाल पंचायत समिति कोटड़ा।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

2. रा.प्रा.वि. राई पंचायत समिति कोटड़ा।
3. रा.प्रा.वि. थल, पंचायत समिति कोटड़ा।
4. रा.प्रा.वि. पदमावड़ी पंचायत समिति कोटड़ा।
5. रा.प्रा.वि. कुन्ती का लेवा पंचायत समिति कोटड़ा।
6. रा.प्रा.वि. अम्बावा पंचायत समिति कोटड़ा।
7. रा.प्रा.वि. पाटीया पंचायत समिति कोटड़ा।
8. रा.प्रा.वि. पलाया पीपला पंचायत समिति कोटड़ा।
9. रा.प्रा.वि. शिवाड़ियों का चोरा पंचायत समिति कोटड़ा।
10. रा.प्रा.वि. सालरिया पंचायत समिति कोटड़ा।
11. रा.प्रा.वि. आमरी पंचायत समिति कोटड़ा।
12. रा.प्रा.वि. झाड़ा पीपला पंचायत समिति कोटड़ा।
13. रा.प्रा.वि. झालरा पंचायत समिति कोटड़ा।
14. रा.प्रा.वि. पीपरमाल पंचायत समिति कोटड़ा।
15. रा.प्रा.वि. माड़ेल पंचायत समिति कोटड़ा।
16. रा.प्रा.वि. पांवा पंचायत समिति गोगुन्दा।
17. रा.प्रा.वि. बेलू का खेत पंचायत समिति गोगुन्दा।
18. रा.प्रा.वि. कूण्डलावास पंचायत समिति गोगुन्दा।
19. रा.प्रा.वि. बागुनी पंचायत समिति गोगुन्दा।
20. रा.उ.प्रा.वि. कड़ेच पंचायत समिति गोगुन्दा।
21. रा.उ.प्रा.वि. कूर्रा पंचायत समिति गोगुन्दा।
22. रा.उ.प्रा.वि. हायला पंचायत समिति गोगुन्दा।
23. रा.उ.प्रा.वि. सेनवाड़ा पंचायत समिति गोगुन्दा।
24. रा.उ.प्रा.वि. घनावल पंचायत समिति गोगुन्दा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नून के रेबारियों के आवासों के नीचे लगी पाइप लाइन को स्थानान्तरित करने

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम पंचायत ''नून'' में रेबारियों के गोलिया में उनके प्लाटों के बीच में होकर पाइप लाइन गई तथा उन प्लाटों में मकान बनाकर रहते हैं। प्लाटों के बीच पाइप लाइन होने से अपने आवासीय मकान नहीं बना सकते क्योंकि वह पाइप लाइन मकानों के नीचे आ जाती है। पाइप लाइन हटाने हेतु कई बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से निवेदन भी किया जा चुका है। यह पाइप लाइन जवानजी, जीवाजी, देवासी, गेपा, खेताजी, देवासी, जोगा हीरानी देवासी, मना सवाजी

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

देवासी, करमी पीरा देवासी आदि के प्लाटों एवं घरों से होकर निकली है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उक्त पाइप लाइन इन ग्रामवासियों के प्लाटों से हटवा कर सड़क मार्ग से दिलवा कर इन्हें राहत प्रदान करावें ताकि अपने प्लाटों में जरूरत के अनुसार अपने और मकान बना सकें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

प्रतापसिंहपुरा (तहसील नीमराणा) में कृषि भूमि का अधिग्रहण रीको द्वारा करने से उत्पन्न स्थिति

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रतापसिंहपुरा की बहुत अच्छी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण रीको द्वारा किया जा रहा है। रीको के अधिकारियों ने अक्टूबर माह में अधिग्रहण की सूचना जारी की। सूचना के मिलते ही वहां के किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इस विरोध को नजर-अन्दाज करते हुए त्वरित गति से अवार्ड किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी।

नीमराणा से सटे हुए इस क्षेत्र में सम्भवत: उद्योग विभाग कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क बनाना चाहता है। प्रतापसिंहपुरा की यह भूमि बहुत उपजाऊ है और ये किसान साल में दो से तीन फसल लेता है जो भी वहां मौके पर जाकर देखेगा तो वहां बहुत अच्छी सरसों की फसल उपलब्ध है। ये जमीन इन किसानों से अधिग्रहण कर लेती है तो इन गरीब परिवारों के पास रोजी-रोटी का और कोई जरिया नहीं बचता है। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां हाई-वे के नजदीक पड़ने वाले अन्य किसानों ने अपनी जमीनों को उद्योगपतियों को बेचा है। इस गांव के किसानों ने आज तक अपनी एक इंच जमीन भी किसी व्यापारी को नहीं बेची है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले इन गांवों में जमीनों की कीमत पांच से दस लाख रुपये बीघा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में दूसरे विकल्प मौजूद हैं। यहां सैकड़ों बीघा सरकारी सवाइचक एवं चरागाह जमीन उपलब्ध है जो कृषि के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। नेशनल हाइवे क्षेत्र के बिलकुल सटे हुए ग्राम मोहलड़िया, काठ का माजरा, काली पहाड़ी के ग्राम क्षेत्र में काफी भूमि उपलब्ध है। जहां ग्रामवासियों को जमीन देने से एतराज भी नहीं है। वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध होते हुए भी रीको के अधिकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार और मंत्री महोदय को गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। इस भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर किसानों में भारी रोष है और रीको के अधिकारी उनके आंदोलनात्मक रूख अपनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि वे अपने अधिकारियों को वैकल्पिक जमीन

(डा. करण सिंह यादव)

अधिग्रहण करने के लिए कहें तथा ग्राम प्रतापसिंहपुरा की जमीन की अधिग्रहण की कार्यवाही को तत्काल निरस्त करवाएं।

माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि यदि जरूरी है तो राज्य सरकार द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त कैबिनेट सब कमेटी के सम्मुख इस मामले को प्रस्तुत कर इस अधिग्रहण की कार्यवाही को रोके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इमैनुअल संस्थान कोटा द्वारा प्रकाशित पत्रक में देश के नक्शे को विकृत रूप में प्रकाशित करने

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। कोटा शहर के एक इमैनुअल संस्थान द्वारा 24 दिसम्बर की शाम को एक समारोह का आयोजन किया जाता है और समारोह में पत्र बंटवाये जाते हैं अनाथ लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए और पत्रकों को विदेशों में भेजा जाता है। उस पत्रक में जो भारत का मानचित्र छपा है वह विरूपित और विकृत है। जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है उसको उस नक्शे में कांट-छांटकर छापा गया है ताकि विदेशी जो देश भारत के विरोधी हैं, भारत का अपमान करना चाहते हैं वह उनको देख करके अधिक से अधिक चुनौती दे सकें इसलिए इस प्रकार का नक्शा छापा गया। वहां के जागरूक नागरिकों ने और मैंने उद्योग नगर थाने में ही 25 दिसम्बर को जा करके एक राष्ट्र द्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। राष्ट्र द्रोह का मुकदमा पुलिस ने बड़े जद्दोजहद के बाद दर्ज किया। दर्ज करने के बाद आज तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह इस प्रकार से भारत के अपमान की जो घटना है काफी कष्टकारक है। मेरे लिए ही नहीं सभी भारतवासी इससे काफी आक्रोशित भी हैं और कष्टमय भी हैं कि हमारे देश का नक्शा इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर कैसे छापा जा रहा है।

मान्यवर, यह पहली घटना नहीं है। इसी प्रकार से इसाई मिशनरी जो सौफिया स्कूल चलाती है कोटा में, दो साल पहले भी उन्होंने इस प्रकार से लगातार दो साल तक नक्शा छापा। हमने जाकर पहले तो स्वयं ने उनको चेताया कि आपने इस प्रकार का नक्शा क्यों छापा। तो उन्होंने बताया हमारी गलती हो गयी है और हम क्षमा चाहते हैं। फिर दूसरे साल भी उन्होंने वही भारत का विकृत नक्शा छापकर भारत को अपमानित करने का षड़यंत्र किया। फिर तीसरी बार यह जो इमैनुअल संस्थान चलाते हैं जो थामस है वहां, जिसको कहते हैं कि पद्मश्री भी मिली हुई है। पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति यदि इस प्रकार का नक्शा छापता है तो काफी चिन्ता का विषय हमारे लिए है।

मान्यवर, यह थामस कोई साधारण सा अपराधी नहीं है। यह बहुत बड़ा अपराधी

(श्री मदन दिलावर)

है जिसने, आपको जानकारी दूं धर्मान्तरण कराने के लिए क्या–क्या नहीं किया है। धर्मान्तरण कराने के लिए उमाशंकर मीणा, ग्राम बागड़तिया तहसील सांगोद का लड़का है। उसके मां–बाप नहीं थे और वह छोटा था तो वहां स्कूल में उसने बोर्ड देखा, जब कोटा आया ताकि यहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है निःशुल्क। वह वहां भर्ती हो गया। भर्ती होने के दस पांच दिन बाद क्या देखता है कि वहां जबरदस्ती बाइबिल पढ़ाने का षड़यंत्र होता है। वह लड़का पूजा पाठ में विश्वास रखता है। हनुमान चालीसा का पाठ करता है। हनुमान चालीसा छीन करके उसके हाथ से फाड़ दी जाती है और नाले में फेंक दी जाती है, उस पर पेशाब किया जाता है...(व्यवधान) यह मेरा कथन नहीं है। यह सरकार के भीमगंजमण्डी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज है और यह सारा प्रेस के सामने आ करके उमाशंकर ने अपना कथन कहा है कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा मेरे हाथ से फाड़कर मेरे को मुर्गा बनाया गया और उस हनुमान चालीसा पर मेरे सामने पेशाब किया गया।

मान्यवर, यही मामला नहीं है। मामला है रायपुर का जो वहां कोटा के पास एक गांव है उसमें जहां इनका संस्थान है वहां सैकड़ों बीघा जमीन पर रातों–रात फर्जी कब्रें बनायी और कब्रों के लिए मुर्दे नहीं मिले तो कपड़े के पुतले बना करके उन कब्रों में गाड़ दिये और सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा किया। जब पुलिस ने उसको खोला...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री मदन दिलावर : जब पुलिस ने उसको खोदा तो नकली पुतले मिले।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। श्री अमराराम चौधरी।

श्री मदन दिलावर : यह भारत का इस प्रकार का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह...(व्यवधान) मामला हो और सरकार देखती रहे। नहीं, यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए इसका। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जब यह पर्चे बंट रहे थे समारोह में तो शांति धारीवाल, मंत्री महोदय उस समारोह में थे। भारत का नक्शा इस प्रकार से फटा हो, टूटा हो और भारत के मानचित्र की इस प्रकार से छेड़खानी की जाय...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, आपसे निवेदन है कि यह सदन एक महीना चलेगा। सारी शक्ति अभी जाया मत करो। बहुत समय है, समय में रह करके बात करो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी। अंकित नहीं हो रहा है...

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। अब आप बिराजिये। हो गया ना बहुत। अब बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री मदन दिलावर : ×××

नर्सिंग ट्रेंड उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में नर्सिंग ट्रेनिंग से उत्तीर्ण कम से कम ऐसे हजारों छात्रों के पंजीकरण के फार्म बहुत लम्बे समय से पड़े हुये हैं। दिसम्बर में जो फार्म आये उनका आज दो-दो, तीन-तीन माह तक निस्तारण नहीं किया गया और जो रजिस्ट्री उत्तीर्ण छात्रों ने भेजी अभी उनकी लिस्ट तक नहीं बनायी। लिस्ट नहीं बनने से उन छात्रों को चिन्ता हो रही है कि अभी हमारी वेकेंसी निकलने वाली है और जब तक हमारा पंजीकरण नहीं होगा तब तक हम फार्म नहीं भर सकेंगे। इस प्रकार जानबूझकर डिले किया जा रहा है, आज ही नहीं, कई बार पहले भी, कोई भी हो, परीक्षा का सवाल हो, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल समय पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है। आज हमारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त की है उनका पंजीकरण नहीं करें तो कम से कम प्रोविजनली पहले आप पंजीकरण कर दें एन.ओ.सी. के लिए जो पड़े हैं। आज चार-चार महीने से कर्नाटक में पास करके जिन्होंने फार्म भरे हैं उनका पंजीकरण नहीं कर रहे हैं। यदि आप पंजीकरण नहीं कर रहे हैं, आप जांच नहीं करा सके हैं और आप इस प्रकार से बण्डल बना देंगे फिर बाद में, दो महीने बाद से फिर सात लड़कों के नाम भेजेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक साथ लिस्ट बनाकर आप तुरन्त इनकी एन.ओ.सी. वहां से मंगाकर पंजीकरण करें। जब तक आप एन.ओ.सी. नहीं मंगवा सकें, इतना डिले हो

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

रही है तो आप प्रोविजनली उनका पंजीयन कर दें और जब उनकी एन.ओ.सी. कर दें तब आप फाइनल कर देना। मेरा यही निवेदन है ताकि हजारों की संख्या में जो बेरोजगार छात्र आपके द्वार पर, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा पर घूम रहे हैं उन लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो अभी मुद्दा उठाया उसी पर बोलना चाहूंगा। यह सही बात है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अन्य राज्यों में प्रशिक्षित होकर जो नर्सिंगकर्मी आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के काफी मामले गत तीन, चार महीनों से लम्बित पड़े हैं। छात्र लोग वहां से अपनी डिग्री लेकर आने के बाद में नर्सिंग काउंसिल में अपने आवेदन देते हैं और नर्सिंग काउंसिल इन आवेदनों को सम्बन्धित राज्यों के अन्दर कालेजों में सत्यापन के लिए भेजती है। इस कार्यवाही में कुछ समय तो लगता है लेकिन यह अत्यन्त चिन्ता की बात है कि गत तीन, चार महीने में जो सज्जन नर्सिंग काउंसिल को चला रहे थे, जो रजिस्ट्रार थे, वह फार्मों को जमा ही करते रहे और उन्होंने किसी का फ़ार्म बैंगलोर वगैरह नहीं भेजा। आज जब राजस्थान सरकार ने लगभग पांच सौ, छह सौ नर्सिंग कर्मचारियों की विज्ञप्तियां जारी की हैं तो निश्चित रूप से इन नवीन बेरोजगारों के दिमाग में यह बात निकल करके आती है कि उनको इसमें आवेदन करने का मौका, रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से, नहीं मिल पायेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब लोगों ने इस बात को उनके ध्यान में लाया तो उन्होंने तत्कालीन रजिस्ट्रार को हटा करके नया रजिस्ट्रार तो नियुक्त किया है। यह तो एक कार्यवाही की है लेकिन अब जिन लोगों के फार्म बचे हुये हैं उनका सत्यापन होकर आये, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको नौकरी में आवेदन करने की सुविधा मिल सके, यह प्रक्रिया कैसे निश्चित हो इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इस मामले में दो निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल काउंसिल जैसे हम लोग डाक्टर होकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो शुरू में हमें प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। या तो राजस्थान में जितने लोगों ने एप्लाई किया हो उनको एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दें और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के आधार पर नौकरी में उनकी योग्यता को मान लिया जाये, उनको मौका दे दिया जाये जिससे कि वह आवेदन कर सकें और वह चयनित हो सकें। अगर उनके सत्यापन में कोई खामी निकले तो उनको कंसीडर नहीं करें, प्रोविजनली रख लें नौकरी में लेकिन इन लोगों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देकर एक मौका जरूर मिलना चाहिए जिससे कि यह लोग अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें।

(डा. करण सिंह यादव)

दूसरा, उसका रास्ता यह है कि जब तक बाहर से यह आवेदन रजिस्ट्रेशन होकर आवे, कर्नाटक और दूसरी स्टेट से सत्यापित होकर आवे तब तक तो अंतिम तारीख आपने आवेदन की दी है उस डेट को आगे बढ़ा दें जिससे कि बाकी के सारे जितने भी नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी हैं वह सब इसमें अपीयर हो सकें। उन दोनों मुद्दों पर काफी लोग उद्वेलित हैं। काफी छात्र नर्सिंग काउंसिल के चक्कर लगा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां बिराजमान हैं, बहुत संवेदनशील हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दें इन लड़कों को जिससे सबको मौका मिले और जो डिफाल्टर हों उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। अन्यथा मंत्री महोदय, इसकी तारीख आगे बढ़ा दें और अपने यहां से नर्सिंग रजिस्ट्रार को या आदमी भेजें, बाई कोरियर भेजे जिससे कि उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन होकर आ सकें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा ट्रेनिंग में उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कुछ लोग बाहर से ट्रेनिंग लेकर आये हैं। इन छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु नियमानुसार इनमें ट्रेनिंग उत्तीर्ण करने तथा शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज पेश करने होते हैं। इन दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिस राज्य से छात्र ने नर्सिंग ट्रेनिंग उत्तीर्ण की है तथा यदि उस राज्य की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वहां से हटवा करके एन.ओ.सी. लेने पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पूर्व में ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थियों द्वारा अन्य राज्यों की नर्सिंग काउंसिल से एन.ओ.सी. नहीं लायी गयी थी तथा चूंकि पहले कोई अस्थायी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी इसलिये अभ्यर्थियों ने स्वयं ने भी एन.ओ.सी. लाने में रुचि नहीं ली थी। अभी हाल ही में 20.2.2003 को राज्य सरकार द्वारा 563 अस्थायी वेकेंसी की विज्ञप्ति जारी की गयी है इसलिये अब सभी छात्र लगभग पेंतीस सौ विद्यार्थी, जिन्होंने कर्नाटक राज्य से नर्सिंग ट्रेनिंग की है उनके द्वारा बिना एन.ओ.सी. लाये सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। लिस्ट बनवाकर प्रमाणीकरण हेतु आर.एम.सी., के.एम.सी. में शीघ्र भेजा जा रहा है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष, जो कि निदेशक, चिकित्सा एड्स तथा काउंसिल के रजिस्ट्रार को शीघ्र कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसमें लगने वाले अतिरिक्त समय या नुकसान को ध्यान में रखते हुये छात्रों को कोई नुकसान न हो, उनका हक न मारा जाये इसलिये नर्सिंग की अस्थायी भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.2.2003 से बढ़ाकर 10 मार्च, 2003 कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी चौहान।

ब्यावर को जिला बनाये जाने बाबत

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पर्ची के माध्यम से आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या उठाना चाहता हूं।

(श्री हीरासिंह चौहान)

पिछले 30-35 वर्षों से ब्यावर और ब्यावर के आसपास आये हुए जितने भी खण्ड हैं वह ब्यावर को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। सरकारों द्वारा जब-जब चुनाव हुआ चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, ब्यावर को लगातार जिला बनाने का आश्वासन देते रहे। आज राजस्थान के मानचित्र में ब्यावर जनसंख्या के आधार पर तेरहवां शहर है। इस राजस्थान में इतना बड़ा शहर जो इतनी जनसंख्या का है कोई भी ऐसा स्थान इस राजस्थान के मानचित्र में नहीं बचा है जिसको अभी तक जिला नहीं बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन माह में ब्यावर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, चाहे वह मेरा विधान सभा क्षेत्र रायपुर हो, चाहे भीलवाड़ा आपका जो जिला है और उसकी उप तहसील बदनौर है, जिसमें 11 पंचायतें आती हैं जो ब्यावर से मुश्किल से आठ-दस किलोमीटर की दूरी पर पड़ती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह ब्यावर में नहीं मिलना चाहते।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस भ्रांति को दूर करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करवाया है और कम से कम ढाई लाख लोगों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया है ताकि कोई राजनीतिज्ञ या सरकार यह नहीं कह देवें, कल को मेरे साथी भी यह कह सकते हैं कि हीरासिंह, आप तो बिना कारण से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के आसपास बसने वाले कम से कम पांच-छह लाख लोग इसको जिला बनाना चाहते हैं। जिला बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज मेरी रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत मुख्यालय बाबरा समेत पाली से कम से कम 150-175 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। जबकि ब्यावर से 7-10 किलोमीटर की दूरी पर आती है। इसी प्रकार जैतारण तहसील का भुंभलिया, गुड़की, रास इत्यादि स्थान भी 100-150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। आपके जिले की बदनौर उप तहसील के औजाना, मौबेर भी भीलवाड़ा से कम से कम 100 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। इसी प्रकार अजमेर तहसील की ग्राम पंचायत मुख्यालय बकारन, टाटगढ़ और उसके आसपास भी अजमेर से 100-150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं कि ब्यावर जिला बनना चाहिए। इसकी तो हम भी हर बार मांग कर रहे हैं। इसका सम्पूर्ण समर्थन करते हैं परन्तु यह बताये कि आपके राज में जब इतने जिले बने थे, आप उस वक्त विधान सभा के उपाध्यक्ष थे, महत्त्वपूर्ण पद पर थे, उस वक्त ब्यावर जिला क्यों नहीं बना पाया। हम तो ब्यावर जिला बनाना ही चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सांवर लाल : यह सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका परपज साल्व हो गया...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : हम तो चाह रहे हैं लेकिन उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमारी सरकार ने तो सात जिले बनाये...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच साल हो गये, फिर क्यों +++ रहे हो? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमने तो बारां बनाया, हनुमानगढ़ बनाया, धौलपुर बनाया, हमारे राज में सात-आठ नये जिले बनाये गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर जिला बनना चाहिए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच साल हो गये राज करते हुए...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमने क्या राज्य सरकार के अधिकार छीन लिये? (व्यवधान) क्या यह सरकार जिला नहीं बनवा सकती है?

डा. के. सी. चौधरी : इस राज में कोई जिला अभी बनाया ही नहीं गया।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारी सरकार ने आठ जिले बनाये...(व्यवधान) आपने एक भी जिला बनाया क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, कोई जिला बना होता तो आप बात करते। कोई जिला अभी बना ही नहीं है, आपके यहां तो खूब जिले बने तब ब्यावर नहीं बना, मेरे कहने का मतलब यह है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अब किसने हाथ पकड़ा है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपके राज में 5-6 जिले बने थे। हमारे यहां तो अभी एक भी नहीं बना है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपका हाथ किसने पकड़ा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय के. सी. चौधरी, बिराजें माननीय सदस्य, बिराजें... (व्यवधान) माननीय सदस्य, न तो अभी यहां आपसे कोई जिला बन रहा है, न इनसे बन रहा है। इनकी बात है, इनको कह लेने दो। आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। जिला कोई दिल्ली, बम्बई से नहीं बनेगा। जिला तो आप ही बनायेंगे। यह राजस्थान की सरकार ही बनायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया, आपकी बात खतम हो गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : आप यह कह रहे हैं कि मेरे बोलने से नहीं बनेगा, इनके बोलने से नहीं बनेगा तो फिर किसके बोलने से जिला बनेगा? जनता बोल रही है, हम बोल रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना जोश क्यों खा रहे हो? मैं तो उनको भी कह रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : जोश नहीं खा रहा हूं। मैं तो आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपको बोल रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इस चेयर पर बैठे हैं। आप सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं कि जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आपकी एम्पल पावर है, You have got ample powers. Hon'ble Chair has got ample powers. You can issue directions to the Government.

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपको बुला रहा हूं। काम हो गया, मैं उनको रुका कर आपको बुला रहा हूं और आप बोल रहे हैं...।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) **:** जब उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि नहीं बनेगा तो बोलने से कोई फायदा तो है नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैडम सुमित्रा सिंहजी कह रही हैं, यह सदन की बहुत ही वृद्ध सदस्या हैं। वह यह कह रही हैं कि अगर यहां बोलने से कोई चीज नहीं होती है, तो फिर हाउस में बोलने का महत्त्व क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : अगर जानते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन महीनों से...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब आसन से कोई रूलिंग हो जाए कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर बोलने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। आसन ने तो रूलिंग दे दी कि कोई फायदा तो होगा नहीं, बनने वाला है नहीं, तो किसलिए बोल रहे हैं आप यहां पर?

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चेयर पर विराजमान हैं। इस प्रकार के कमेंट्स पास नहीं करिए क्योंकि आपमें डायरेक्शन देने के भी पावर हैं और इस प्रकार के अगर कमेंट्स आप पास करेंगे तो हमारी जो बोलने की शक्ति है वह भी कमजोर होगी और इस पवित्र सदन की जो गरिमा है उस पर भी बड़ा आघात लगेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन की भी गरिमा जाती है।

श्री हीरासिंह चौहान : आसन की भी गरिमा कम होगी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) **:** ब्यावर के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है। माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं, जो कांग्रेस(आई) के हैं और अगर यह चाहें, यह घोषणा करना चाहें कि चाहे कुछ भी हो अगर ब्यावर इस बार जिला सरकार नहीं बनाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप फिर देखें कि यह जीतकर के आते हैं कि नहीं आते हैं। माननीय सदस्य में इतनी हिम्मत होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 6 महीने बाकी हैं, चिन्ता मत करो।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य रमजान भाई, यह ब्यावर को जिला बनाने की मांग हमनें हर बार की है और हर मौके पर की है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो पिछली सरकार की बात क्यों कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर जिला बनना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : बनना चाहिए तो जोर दे करके कहिये कि बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त हुई...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह बहुत ही गम्भीर मामला है...(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

ऊर्जा विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. अधिसूचना संख्या सचिव/आर.ई.आर. सी./आरईजी–1 दिनांक 22 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
2. अधिसूचना संख्या सचिव/आर.ई.आर. सी./आरईजी–2 दिनांक 22 जनवरी, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सचिव की शक्तियां और कृत्य) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
3. अधिसूचना संख्या सचिव/राविविआ/विनि–3 दिनांक 11 अप्रैल, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
4. अधिसूचना संख्या सचिव/राविविआ/विनि/4 दिनांक 2 मई, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं के लिए फीस) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
5. अधिसूचना संख्या सचिव/राविविआ/विनि/5 दिनांक 17 मई, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
6. अधिसूचना संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/6 दिनांक 2 जून, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विभिन्न विनियमों और आदेशों का अनुकूलन) विनियम, 2000 विरचित किये गये हैं;
7. अधिसूचना संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/7 दिनांक 4 फरवरी, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक

(श्री रामनारायण चौधरी)

आयोग (विद्युत निरीक्षक के आदेशों के विरुद्ध अपीलें) विनियम, 2002 विरचित किये गये हैं;

8. अधिसूचना संख्या सचिव/राविविआ/विनियम/8 दिनांक 9 जुलाई, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (जुर्माने और प्रभार) विनियम, 2002 विरचित किये गये हैं;

9. अधिसूचना संख्या राविविआ/सचिव/विनियम/9 दिनांक 29 जुलाई, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पावर क्रय और उपापन प्रक्रिया) विनियम, 2002 विरचित किये गये हैं, एवम्

10. अधिसूचना संख्या सचिव/राविविआ/विनियम/10 दिनांक 23 अगस्त, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (माध्यस्थम) विनियम, 2002 विरचित किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर को जिला बनवायें। आप भी डायरेक्शन दीजिए सरकार को। छोटे-छोटे कस्बे जिले बना दिये, राजसमंद बन गया।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिला बनना चाहिए। हमारी यह पुरजोर मांग है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. (श्रीमती) कमला।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता के प्रति कुछ हमदर्दी दर्शाएं। पहाड़ी इलाका है, आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। ब्यावर का जिला बनना जरूरी है।

परिनियम

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियम

श्री बनवारी लाल (उप मुख्य मंत्री) (डा. (श्रीमती) कमला के स्थान पर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या-10) की धारा 30(2) के अन्तर्गत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियम सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर मेरा जन्म स्थान है इसलिए जिला जरूर बनाया जाए।

श्री हीरासिंह चौहान : हम माननीय मुख्य मंत्री से मिले हैं। उनको ज्ञापन भी दिया है। मुझे धरने देने पर बाध्य...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिला बने यह बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है इसलिए आपसे आग्रह है। इसमें सरकार का दृष्टिकोण आ जाये। आप निर्देश फरमा दें कि इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह सामने आ जाये। आज इस मांग को लेकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है तो सरकार का दृष्टिकोण आ जाए कि सरकार क्या चाहती है।

डा. के. सी. चौधरी : हमारे राज में बनेगा और हम ही ब्यावर को जिला बनायेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई नयी मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है और जनता बहुत आंदोलित हो रही है और इस पवित्र सदन में ही इस बात को हम कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी जी, आप काहे को बहस कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बालोतरा को भी ब्यावर के साथ जिला बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बालोतरा भी बनेगा, सब बनेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर जिला बनना चाहिए। यह मेरा जन्म स्थान है इसलिए जिला बनना ही चाहिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बना देंगे, बना देंगे, बिराजें। डा. चन्द्रभान।

प्रतिवेदन एवं लेखे

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002)

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत–

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 एवं

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002)

II. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 48(2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2000-2001)

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 एवं

(श्री रामसिंह विश्नोई)

राजस्थान सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड 24वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002)

II. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, जयपुर के अंकेक्षण लेखे (वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (श्रीमती बीना काक, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के स्थान पर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 40 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, जयपुर के वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 के आडिट लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2003 को मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 25 फरवरी, 2003 से 6 मार्च, 2003 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2003 बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2003 गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2003	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2003	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर
शनिवार, दिनांक 1 मार्च, 2003 रविवार, दिनांक 2 मार्च, 2003	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2003 मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2003	राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार
बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2003	आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2003-2004 का उपस्थापन
गुरुवार, दिनांक 6 मार्च, 2003	आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2003-2004 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाइसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

धन्यवाद प्रस्ताव

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री जुगलजी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए :–

''इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।''

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उसमें राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की गईं, जिस तरीके से राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान की गई, राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए, उन सभी का समावेश किया गया है। इस अभिभाषण द्वारा राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से शासन तंत्र का संचालन किया गया...

श्री मदन दिलावर : राम करे ऐसा अभिभाषण दुबारा न पढ़ा जाए।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : बहुत विस्तृत था।

श्री जुगल काबरा : जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया गया, उन सबका उल्लेख किया गया है।

मान्यवर, हम सबको विदित है कि राजस्थान प्रदेश पिछले कई वर्षों से अकाल की विभीषिका से ग्रस्त रहा है और इसके लिए राज्य सरकार ने निरन्तर प्रसार किया कि प्रदेश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अन्दर अभाव पीड़ित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल व्यवस्था समुचित करने के लिए, पशुओं को चारा तथा जल उपलब्ध कराने के लिए, पशु संरक्षण के लिए, सारे कार्य व्यवस्थित करने के लिए कार्य योजनाएं हाथ में लीं और यह प्रयास किया गया कि अकाल के माध्यम से जो कार्य किए जाएं उन कार्यों को विकास में बदला जाए, परिसम्पत्तियां सृजित की जाएं वे आने वाले समय में प्रदेश की धरोहर बन सकें, उस गांव के सामुदायिक उपयोग के लिए उन्हें काम में लिया जाना सम्भव हो सके। इस तरह की सोच और दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार ने अकाल का प्रबन्धन किया।

मान्यवर, पिछले विधान सभा के चुनाव के पूर्व राज्य की कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र के माध्यम से राज्य की जनता से कुछ वादे किए गए थे। पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार का यह प्रयास रहा

(श्री जुगल काबरा)

कि हमने प्रदेश की जनता के साथ जो वायदे किए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाये और एक कार्य योजना के तहत ये सारे काम विधिवत रूप से प्रारम्भ किए गए। अधिकांश वायदों को पूरा करने का काम हाथ में लिया जा चुका है और जो कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है, तत्परता से कार्य योजनाएं बना रही हैं और कोशिश कर रही है कि राज्य के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमने चिंतन और सोच किया है उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था, अकाल की मार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक चिंतनीय बना दिया, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष से जितनी राशि की हमने उम्मीद की थी, वह राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से अकाल के काम के अन्दर राज्य सरकार को अपने राजस्व कोष से धनराशि खर्च कर अकाल की मार से आम जनता को पीड़ित होने से बचाने का काम करना पड़ा। राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने समय–समय पर केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान की भयावह अकाल की स्थिति को देखते हुए यहां पर समय पर केन्द्रीय अध्ययन दल भेज कर आपदा की स्थिति का अध्ययन कराया जाए, अकाल की विभीषिका का अध्ययन कराया जाए और जो कुछ भी आवश्यक साधन और सुविधाएं राज्य सरकार को इस आपदा की घड़ी में जरूरत है, उसे मुहैया कराने का प्रयास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन प्रदेशों में आपदाएं आती हैं, भारत सरकार आगे बढ़कर उन्हें सहयोग और मदद करती रही है। उड़ीसा का मामला रहा हो, कश्मीर की स्थिति रही हो, गुजरात में जब अभी भूकम्प आया था, उन हालातों में, पंजाब के हालातों में, सबमें भारत सरकार ने आगे आ करके इन पीड़ित राज्यों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, वहां की जनता को आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, आर्थिक रूप से मदद की किन्तु राजस्थान में निरन्तर अकाल की स्थिति रहने के बावजूद भी भारत सरकार ने राजस्थान के अकाल को राष्ट्रीय आपदा के रूप में नहीं देखा। जो कुछ भी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर आती है, उसे पूरा करने का ही केन्द्र सरकार द्वारा परामर्श दिया गया। राष्ट्रीय आपदा कोष से जो हिस्सा हमें प्राप्त होता है, केवल उतनी ही राशि हमें उपलब्ध कराई जाती रही किन्तु इसको राष्ट्रीय आपदा मानते हुए जो कुछ भी सहयोग और सहायता दी जानी चाहिए थी वह भारत सरकार द्वारा हमें नहीं मिल पाई। इसकी वजह से राजस्थान के अन्दर अकाल के कारण जो विकास के कामों में जितनी अधिक तत्परता और गति, जो राज्य सरकार ने लाने का प्रयास किया उससे और अधिक गति लायी जा सकती थी किन्तु

(श्री जुगल काबरा)

भारत सरकार के असहयोगात्मक रवैये के कारण यह स्थिति नहीं बन पाई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में राजस्थान की जो सामरिक सीमाएं हैं, जो पड़ौसी देशों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, उस क्षेत्र के अन्दर, सीमावर्ती विकास के लिए 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिये जाते थे। किन्तु 1991 के बाद में यह धनराशि बंद कर दी गई। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से यह मांग की है कि पिछले चार वर्षों से जो 60 लाख रुपये की धनराशि बोर्डर सिक्योरिटी, बोर्डर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर दी जाती थी उस राशि को राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि बोर्डर क्षेत्र के अन्दर विकास के काम कराये जा सकें और बोर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार की इस मांग को भारत सरकार गम्भीरतापूर्वक लेकर यह प्रयास करेगी कि राजस्थान को समुचित सहायता उपलब्ध करवायी जाए।

मान्यवर, इस साल राजस्थान में इस सदी का सबसे भयंकर अकाल की स्थिति बनी है। सबसे कम वर्षा इस साल पिछले 100 सालों में हुई है और जिसके कारण 4.48 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई है। इसके साथ ही साथ 4.52 करोड़ पशुधन भी प्रभावित हुआ है। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या तथा पशुधन के प्रभावित होने से राज्य सरकार को आगे बढ़कर प्रभावी तरीके से राहत कार्य प्रारम्भ करने पड़े और इस वर्ष 16 अगस्त, 2002 से ही राजस्थान के अन्दर अभाव, अकाल व सूखे की स्थिति को देखते हुए अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गए। इसके लिए राज्य सरकार ने यह प्रयास किया कि जहां एक तरफ सरकारी स्तर पर कार्य योजनाएं बनायी जाएं, सरकारी स्तर पर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किए जाएं वहां स्वैच्छिक सामाजिक तथा अन्य समाजसेवी संगठनों का आह्वान करके उनसे भी सहयोग प्राप्त किया जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर उनके द्वारा भी अकाल राहत कार्यों में, पशु शिविरों को खोलने में, पेयजल की आपूर्ति करने में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

मान्यवर, आज प्रदेश में 40,990 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और इनमें यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी गांवों के अन्दर अकाल राहत कार्य के काम खोले जाकर पीड़ित मानवता की सेवा की जा सके, उन्हें सहयोग दिया जा सके। राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से यह प्रयास किया है कि जनवरी, 2003 के अन्दर 55 लाख श्रमिकों को माह के अन्दर 10 दिन रोजगार देकर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया है। इस अकाल राहत कार्य के काम में जहां एक तरफ गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है, उसके साथ ही साथ शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और भूमिहीन मजदूरों को भी प्राथमिकता देने का प्रयास

(श्री जुगल काबरा)

किया गया है। राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि अकाल की प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए वहां हर जिले के अन्दर मंत्रिमण्डल के एक सदस्य को प्रभारी बनाया गया है, एक शासन सचिव को प्रभारी बनाया गया है, डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर और जिला कलक्टर को अकाल राहत कार्य की देखरेख के लिए पाबंद किया गया है। उसके साथ ही साथ हर गांव के अन्दर एक गांव प्रभारी, जो कि सरकार कर्मचारी है उसे भी प्रभारी बनाया गया है ताकि वह भी इस बात को सुनिश्चित करे कि गांव के अन्दर अकाल राहत के काम को सुनिश्चित तरीके से चलाया जा सके और हर व्यक्ति को, जो पीड़ित लोग हैं उनको हर तरीके से सहयोग और सहायता प्रदान की जा सके।

मान्यवर, मजदूरी के भुगतान का राज्य सरकार ने यह पूरी तरह से खयाल रखा है कि पारी समाप्ति के 10 दिन के अन्दर-अन्दर मजदूरों को उनकी मजदूरी प्राप्त हो जाए ताकि वे लोग किसी तरीके की तकलीफ के शिकार न हों और इसमें 75 प्रतिशत गेहूं तथा 25 प्रतिशत नकद राशि भुगतान की गई है। यह प्रयास किया गया है जो लोग मजदूरी पर जाते हैं उन्हें कम से कम 50 से 60 रुपये की बीच में मजदूरी प्राप्त हो। राजस्थान पहला प्रांत है जिसने न्यूनतम मजदूरी की दर 60 रुपये कर दी है जबकि हमारे पड़ौस के गुजरात राज्य में मजदूरी की न्यूनतम दर 44 रुपये अभी भी विद्यमान है। इस तरह से राजस्थान सरकार ने यह प्रयास किया है कि जो लोग अभाव पीड़ित हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जो अकाल की मार से निरन्तर कई वर्षों से पीड़ित हैं उन सभी लोगों को यह राशि प्रदान करके उनके जीवनयापन को सम्बल प्रदान किया जाए और यह कोशिश की जाए कि वे लोग अकाल की इस मार से, अकाल की चपेट से किसी तरह से बच सकें।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ राजस्थान की सरकार ने पशुओं के संरक्षण के लिए चारा डिपो खोलने का भी प्रयास किया और पूरे प्रदेश के अन्दर 4210 चारा डिपो स्वीकृत किये गये ताकि इनको अनुदानित दर से ऊपर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का केन्द्र बनाया जा सके। साथ ही साथ जहां पर बहुत बड़ी संख्या के अन्दर पशु अकाल की मार से पीड़ित थे वहां पशु शिविर खोले गये, गौशालाओं को अनुदान दिया गया और यह प्रयास किया गया कि पशु शिविर और गौशालाओं के माध्यम से राज्य के करीब 6.48 लाख पशुधन को लाभान्वित करके उन्हें अनुदान दिया जाए। पहले की वर्षों में जहां डेढ़ रुपये छोटे पशु को और तीन रुपये बड़े पशु को अनुदान राशि के रूप में दिया जाता था...(व्यवधान) उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था जब यह अनुदान दिया जाता था, किन्तु कांग्रेस ने शासन में आने के बाद अकाल

(श्री जुगल काबरा)

पीड़ित पशुओं को बचाने के लिए इस राशि को बढ़ाया और यह प्रयास किया कि छोटे पशुओं के लिए छह रुपये और बड़े पशुओं के लिए तेरह रुपये की राशि की गई, किन्तु बाद में आज की तारीख में पांच रुपये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य, साढ़े चार रुपये किलो चारा है। आपने छह रुपये बढ़ा दिये तो क्या अहसान कर दिया? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इस तरह से राज्य सरकार ने यह प्रयास किया पशुओं के संरक्षण के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए जो स्वयंसेवी लोग, जो राज्य सरकार द्वारा पशु शिविर चलाये जा रहे हैं, जो गौशालाएं चलायी जा रही हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्रदान किया जाए, उन्हें सहूलियत प्रदान की जाए और कोशिश की जाए इन सभी शिविरों को सुचालित करने के लिए सही तरीके से इन्हें सहयोग प्रदान किया जाए।

मान्यवर, राज्य सरकार ने यह भी कोशिश की है कि जो लोग बीमार हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, जो मजदूरी पर नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को भी अकाल के दौरान राहत प्रदान करने के लिए उन्हें मदद देने की आवश्यकता महसूस की गई और कोशिश की गई कि जो लोग बहुत अधिक कमजोर हैं ऐसे लोगों का चयन किया जाए। पूरे प्रदेश में साढ़े तीन लाख असहाय, बीमार, अति कमजोर और कमजोर लोगों का, बीमार लोगों का चयन करके उन्हें 50 किलो गेहूं तथा 30 रुपये नकद प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गई है ताकि ऐसे लोग भी अकाल की मार से बच सकें। जो लोग काम पर नहीं जा सकते, जो लोग किसी तरीके से अपना जीवनयापन नहीं कर सकते ऐसे लोगों को भी राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ाकर मदद करने का बीड़ा उठाया है।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि दूरदराज के इलाकों में जहां गरीबी है, जहां बहुत अधिक भुखमरी रही है, जहां पर बहुत अधिक समस्या है, संकट है, ऐसे लोग भूख से मर जाते हैं, किन्तु आज के आधुनिक युग में यह बात समझ में आने वाली नहीं है। राजस्थान की सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया है ऐसे लोगों के लिए हरेक गांव के अन्दर दो क्विंटल अनाज रखा जाए ताकि जो लोग किसी भी रूप में बीमार हों, गरीब हों, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जो संकट की स्थिति में हैं ऐसे लोगों को इस अनाज से सहायता प्रदान की जा सके। इसी तरह से पंचायत मुख्यालय पर पांच क्विंटल अनाज रखा गया है तथा तहसील मुख्यालय पर 25 क्विंटल अनाज रखा गया है ताकि जहां कहीं भी जानकारी मिले, जो कोई भी व्यक्ति इस भूख और भुखमरी से पीड़ित है, ऐसे लोगों की आगे बढ़कर सहायता प्रदान की जा सके और इसके लिए राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया है। राज्य सरकार ने

(श्री जुगल काबरा)

यह व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी सूचना मिले ऐसे व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। राज्य के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने एक नारा दिया है, आम जनता पर यह दायित्व सौंपा है कि कहीं भी अकाल या अभाव के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। प्रदेश के हरेक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोये। इसके लिए राज्य सरकार ने यह नारा दिया है–"सूचना आपकी जिम्मेदारी सरकार की"। जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, जो काम नहीं कर पा रहा है, जिसके घर के अन्दर चूल्हा जलाने की स्थिति नहीं है, जिसके घर के अन्दर किसी तरह की कोई अनाज की व्यवस्था नहीं है, जिसे दो जून रोटी नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे व्यक्ति के बारे में राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर सम्बन्धित अधिकारी को, सम्बन्धित व्यक्ति को, पंच, सरपंच को, सरकारी कर्मचारी को सूचना देगा, उस व्यक्ति के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी और जो व्यक्ति इस सूचना के बावजूद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं करता है, तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी, उसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही की जायेगी कि उसने सूचना प्राप्त होने के बाद भी उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए क्यों नहीं कार्य किया। यह सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील तरीके से अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अपना प्रयास कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि राज्य के अन्दर अकाल की विभीषिका के बावजूद भी जो लोग पीड़ित हैं उन्हें हर तरह से मदद पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने अकाल की विभीषिका का बहुत पहले अन्दाज लगा लिया था और इसके लिए भारत सरकार को अगस्त, 2002 में ही 6115 करोड़ रुपये की राशि का अंतरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया था। अकाल की मार से राजस्थान को बचाने के लिए और उसके बाद में जब 13 से 16 जनवरी को केन्द्रीय अध्ययन दल राजस्थान आया उस समय भी राजस्थान सरकार ने अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उनसे मांग की कि जनवरी से जुलाई तक 4160 करोड़ रुपये नकद और 4.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं राज्य को उपलब्ध कराया जाय किन्तु राज्य सरकार की इन सारी मांगों के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। आज आवश्यकता है कि संकट की स्थिति में केन्द्र सरकार राज्य को पूरी तरह से मदद करे और कोशिश करे कि राज्य को इस अकाल की स्थिति में से उबारने में उसका पूरी तरह से सहयोग किया जाए। अकाल की विभीषिका के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने विकास के कार्यों

(श्री जुगल काबरा)

को निरंतर जारी रखा है और यह प्रयास किया है कि जो प्राथमिकताएं राज्य सरकार द्वारा तय की गई थीं उन प्राथमिकताओं को पूरा किया जाए और उसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्वयं के वित्तीय साधनों से, अपने स्वयं के राजस्व से इन योजनाओं की क्रियान्विति का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने पिछले 4 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस बात की सराहना केन्द्रीय स्तर के ऊपर और राज्य के अपने स्तर के ऊपर सभी लोगों ने की है। देश के अन्य प्रदेशों के अन्दर भी इस बात की सराहना हुई है कि राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र के अन्दर उल्लेखनीय कार्य किया है। मान्यवर, राजस्थान में 1998 तक 3356 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था किन्तु यह बढ़कर 4 वर्ष में 4564 मेगावाट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गत 4 सालों में राजस्थान में 1208 मेगावाट विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी की गई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। राज्य सरकार ने, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, यह वादा किया था कि 5 सालों के अन्दर हम बिजली के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी करेंगे और इस बढ़ोतरी के क्रम को जारी रखते हुए चालू वर्ष में भी जून, 2003 तक 631 अतिरिक्त मेगावाट बिजली के उत्पादन के लक्ष्य को भी पूरा किया जा रहा है। इस तरह से इन 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान सरकार के प्रयासों से 1839 मेगावाट बिजली का उत्पादन सम्भव हो सकेगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन के इस कार्य को सभी जगह प्रशंसा मिली है और देश के अन्य हिस्सों के लोगों ने भी राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जो बराबर प्रगति का काम हो रहा है उसकी सराहना की है। पिछले 50 वर्षों में राज्य में जो बिजली का उत्पादन किया गया था उससे आधे से अधिक इन 5 वर्षों के अन्दर उत्पादन कर लिया गया है और सूरतगढ़ पहला सुपर तापीय विद्युत गृह के रूप में राजस्थान के अन्दर मान्यता प्राप्त कर चुका है। इसके साथ ही साथ कोटा तापीय विद्युत गृह जिसके अन्दर छठी इकाई भी अगस्त, 2003 के अन्दर अपना कार्य प्रारम्भ करने वाली है। उसके अन्दर भी 195 मेगावाट की छठी इकाई प्रारम्भ होने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण का काम भी प्रारम्भ होने जा रहा है और गैस टरबाइन से अगस्त, 2002 में 37.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हो गया था और मार्च, 2003 में स्टीम टरबाइन से 37.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारम्भ होने जा रहा है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह द्वारा जिस तरीके से उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है उसके लिए उसे भारत सरकार द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। वर्ष 2001-2002 में उत्कृष्ट कार्य के लिए सूरतगढ़ सुपर तापीय

(श्री जुगल काबरा)

विद्युत गृह को स्वर्ण पदक दिया गया और कम ईंधन प्रयोग के लिए भी इसे नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस तरह से बेहतर प्रबन्धन उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान की इन इकाइयों ने करके यह साबित कर दिया है कि राजस्थान न केवल ऊर्जा के उत्पादन में सबसे आगे है वरन् ऊर्जा के उत्पादन के साथ में विद्युत तंत्र को मजबूत बनाकर विद्युत छीजन को रोकने में भी राजस्थान ने बराबर प्रयास किया है।

पिछले चार सालों में चार प्रतिशत विद्युत छीजत को रोकने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 400 के.वी., 220 के.वी., 132 के.वी. और 33 के.वी. के जी.एस.एस. बनाये गये। नई विद्युत लाइनें डाली गईं ताकि जो विद्युत की छीजत हो रही है उस छीजत को रोका जा सके और राज्य के अन्दर विद्युत की जो कमी है उस कमी से भी पार पाया जा सके।

मान्यवर, राजस्थान में चार वर्ष पहले विद्युत की मांग और खपत के अन्दर करीब 23.2 प्रतिशत की कमी थी किन्तु इन चार सालों के उत्पादन वृद्धि के कारण अब यह कमी केवल 5.6 प्रतिशत रह गई है जो कि अपने आपमें एक सुखद स्थिति है और इन वर्षों में राज्य सरकार ने जहां एक तरफ विद्युत उत्पादन बढ़ाया, उसके साथ-साथ यह प्रयास किया कि जो बिजली की आवश्यकता है, जिन लोगों को विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है उन सभी लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं इस तरह से चार साल में विद्युत उपभोग की वृद्धि के बावजूद भी विद्युत की खपत और मांग के अन्दर उत्पादन में जो कमी रही है उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है।

मान्यवर, राज्य सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि किसानों को अपनी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए पिछले वर्षों में 6 से 7 घंटे तक विद्युत आपूर्ति कृषि क्षेत्रों में देने का प्रयास किया गया और यह कोशिश हुई कि किसानों को अधिकाधिक सहयोग तथा सहायता प्रदान की जाए। पिछले दो माह पूर्व राजस्थान की सरकार ने फैसला लेकर के राज्य के किसानों को मिनिमम चार्जेज से मुक्ति दी और वास्तविक खर्चे के ऊपर उन्हें बिजली के उपभोग की इजाजत प्रदान की इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। जिन किसानों के कुए का पानी सूख गया था, जो अपना कनेक्शन कटवाना चाहते थे, राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों को भी इजाजत दी कि वे अपना कृषि कनेक्शन कटवा सकते हैं, और जब आवश्यकता हो तो इस कनेक्शन को पुन: जुड़वा सकते हैं और उसके लिए कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से जो कनेक्शन को शिफ्ट कराना चाहते थे ऐसे लोगों को भी अपना कृषि कनेक्शन शिफ्ट करवाने की राजस्थान सरकार ने

(श्री जुगल काबरा)

इजाजत देकर के किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। यद्यपि इन सारी रियायतों से राज्य के राजस्व कोष पर करीब 150-200 करोड़ रुपये का भार आएगा और बिजली कम्पनियों को राजस्थान सरकार को अपने कोष से यह धनराशि देनी होगी किन्तु किसानों के हित में राज्य सरकार ने यह कदम उठाकर यह प्रयास किया है कि अकाल पीड़ित किसानों को इस तरह की रियायत और सहायता देकर के उन्हें इस आपदा से बचाने में जो कुछ भी सम्भव हो वह मदद की जा सके।

मान्यवर, आजादी के 55 साल बाद भी प्रदेश के ऐसे कई गांव हैं जो बिजली की आपूर्ति से महरूम रहे हैं और इन गांवों में बिजली पहुंचाना पूरी तरह से दुरुह था। ऐसे गांवों के अन्दर राजस्थान की सरकार ने प्रयास किया कि सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र स्थापित करके इन्हें विद्युतीकृत किया जाए और 6 गांवों के अन्दर इस तरह का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और आने वाले मार्च तक 16 गांवों को इस तरह से पुनः विद्युतीकृत करने की योजना है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कृषि कुओं का भी विद्युतीकरण करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था। 15 हजार कृषि कुओं को विद्युतीकृत करने का राज्य सरकार ने मानस बनाया था किन्तु इसके विपरीत दिसम्बर, 2002 आने तक 15471 कुओं का विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है जो इस बात का संकेत है कि राजस्थान की सरकार किसानों को सहायता देने के लिए, किसानों को हर तरह से मदद देने के लिए कृतसंकल्प है और यह प्रयास कर रही है कि हम अपने प्रदेश में किसानों को जो कुछ भी सहायता प्रदान कर सकते हैं उसमें राज्य सरकार आगे बढ़कर के सहयोग करे।

मान्यवर, प्रदेश के विकास में आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना बनायी जानी चाहिए और राज्य सरकार ने जैसा कि अपने घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि हम इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको विदित है कि आज से चार साल पहले राजस्थान की सड़कों के क्या हालात थे, पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी जाते थे, सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण बाहर के लोग राजस्थान आने से घबराया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़कें उपलब्ध नहीं थीं। बहुत टूटी-फूटी सड़कें थीं। बरसों पहले जो सड़कें बनी थीं उनका न सुदृढ़ीकरण हुआ था, न कोई नवीनीकरण हुआ था, न उनकी कोई मरम्मत हुई थी और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसे हालात में राजस्थान की सरकार ने यह फैसला लिया था कि दो वर्षों में 24 हजार किलोमीटर सड़कों का पुनरोद्धार किया जाए और इसके लिए 600 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। यह खुशी है कि दिसम्बर, 2002 तक 330 करोड़ रुपये व्यय कर 13600 किलोमीटर...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ गये, इसको दुबारा क्यों पढ़ रहे हो?

डा. के. सी. चौधरी : पढ़ना पड़ेगा तो आपको क्या एतराज है? अभी आप दो घंटे बोलोगे तो हम भी तो सुनेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एतराज तो नहीं है लेकिन अभिभाषण दुबारा पढ़ रहे हैं, बोर कर रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : हमारी सरकार की तारीफ तो सुनो अच्छी तरह से।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय पढ़ गये हैं उस अभिभाषण को दुबारा पढ़ रहे हैं, साहब।

डा. के. सी. चौधरी : इसी पर धन्यवाद है सारा का सारा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर ही चर्चा करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभिभाषण को ही पढ़ रहे हैं दुबारा।

डा. के. सी. चौधरी : सरकार की परफार्मेंस को ही पढ़ा था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : परफार्मेंस जानते ही नहीं हो डाक्टर हो।

श्री जुगल काबरा : आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की स्थिति के बारे में पूर्ववर्ती सरकार के हालात आपसे छिपे हुए नहीं हैं। यहां पर खड़े होकर के उस सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री स्वयं यह कहा करते थे कि राज्य की सड़कों की स्थिति देखकर के मुझे रोना आता है जैसे मेरे हृदय के ऊपर फफोले हो गये हों। इस तरह से राजस्थान की सड़कें बनी हुई थीं किन्तु उस सरकार द्वारा कोई भी कार्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण का नहीं किया गया।

डा. के. सी. चौधरी : ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने कई बार कहा है यह।

श्री जुगल काबरा : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने यह प्रयास किया कि इस तरह राजस्थान की तमाम सड़कों का सुदृढ़ीकरण करें ताकि हर गांव के अन्दर लोगों को आने-जाने की सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : केन्द्र के पैसे से बनायी हुई सड़कें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय के. सी. चौधरीजी, आपका स्थान यह हो गया क्या? आपकी बैठने की जगह यह हो गई क्या? रामस्वरूपजी का असर आ गया आपमें?

श्री जुगल काबरा : लोगों को हर तरह से सड़कों के अन्दर कोई दिक्कत नहीं आये और भारत सरकार द्वारा भी राज्य के अन्दर सड़क उन्नयन के लिए जो पैसा दिया गया, राजस्थान की सरकार देश की वह पहली सरकार है कि जिसने अपनी कार्य योजना बनाकर के सड़क उन्नयन के कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया। जो कार्य बाकी

(श्री जुगल काबरा)

रहा उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेज दिये गये हैं किन्तु उसमें से बहुत कम राशि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गई है। अभी भी बहुत सारे प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। हम इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि जो राज्य सरकार द्वारा सड़क उन्नयन के लिए जो प्रस्ताव भेजे गये हैं, सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए जो देश के सभी राज्यों को पैसा दिया जा रहा है, वह राशि हमको भी शीघ्रातिशीघ्र आबंटित की जाए ताकि राज्य के अन्दर सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सड़कों का नवीनीकरण, सड़कों को आगे मजबूत बनाने का काम निरन्तर हाथ में लिया जा सके और यह कोशिश की जा सके कि राज्य के लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सके।

मान्यवर, राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्षों में उन लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया जिनका इस धरती से जुड़ाव रहा है। जो प्रवासी राजस्थान से सम्बन्ध रखते रहे हैं उन लोगों को राजस्थान बुलाने के लिए, इस धरती से उनका जुड़ाव करने के लिए, राजस्थान के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह कोशिश की गई कि एक राजस्थानी कान्क्लेव किया जाए और ऐसे सभी लोगों को राजस्थान में आमंत्रित किया गया। पूरे विश्व के राजस्थानी इस राजधानी जयपुर में आये और आकर के उन्होंने अपने प्रदेश के अन्दर चल रहे विकास के कार्यों को देखा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : एक मिनट।

श्री जुगल काबरा : बाद में बोल लेना मैं बोल रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाओ। आप बिराजो प्लीज। आप बिराजो न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह बहुत गम्भीर बात है, मेरे स्वास्थ्य से सम्बन्धित बात है।

श्री उपाध्यक्ष : एक दफे नीचे बैठो आप। अब पूछो। अब बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं अभी नाश्ता करने गया था यहां से उठकर। यह कचोरी मैं खा रहा था इसमें बाल निकल गया। मैं पहले ही बीमार हो रहा हूं, दवाइयां मेरी जेब में रखी हैं और इस तरह से हमारे खाने की व्यवस्था की जायेगी तो हम सदस्यों का क्या होगा? आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर बात है। आज सबेरे ही मैंने यहां से दवाई ली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। व्यवस्था करेंगे। आप बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी कान्क्लेब में राजस्थानी लोगों को, जो देश के अन्य हिस्सों में तथा विदेशों में रह रहे हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया तब लोगों ने कई तरह की शंकाएं उठाई थीं और यह कहा गया था कि ऐसे सम्मेलन की कोई उपादेयता नहीं है। ऐसे लोगों को राजस्थान में बुलाने का कोई फायदा नहीं है। राजस्थान की सरकार इन लोगों को यहां पर बुलाकर किसी प्रकार का निवेश प्राप्त नहीं कर सकती किन्तु राज्य सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि निवेश प्राप्ति के लिए उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। वातावरण निर्मित करने के लिए, इस प्रदेश की धरती से उनके जुड़ाव के लिए, उनका प्रदेश से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और राज्य में जो विकास का कार्य चल रहा है, जिस तरह से यहां आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, उससे उन्हें अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आज भी जो प्रवासी राजस्थानी विदेशों में रहते हैं, जिन्हें यहां से गये हुए 150-200 साल हो गये हैं, जिनका अपनी मातृभूमि से या अपनी माटी से या अपने गांव से, अपने जिले से सम्बन्ध टूट गया है, उनकी वही धारणा है कि राजस्थान अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, आने–जाने का कोई साधन नहीं है, पीने के पानी की कोई सुविधाएं नहीं हैं, किन्तु जब उन्होंने यहां आकर देखा कि राजस्थान अब बदला हुआ राजस्थान है। 50-60 साल पहले का जो राजस्थान है, वह राजस्थान अब नहीं रहा है। यहां पर विकास के बहुत बड़े काम हुए हैं और गांवों के अन्दर भी सड़कों का जाल बिछा है, रेलगाड़ियां द्रुत गति से चलने लगी हैं। पिछले वर्षों में राजस्थान के अन्दर आमान परिवर्तन से नई–नई रेलगाड़ियां बनाई गई थीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना न। आप बोलना न।

श्री जुगल काबरा : ...वह कांग्रेस के शासन में चली थी। इन सारी स्थितियों से अवगत कराने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपना घर देखा, अपनी पुरानी हवेलियां देखीं, अपने गांव के तालाब देखे, बावड़ियां देखीं, कुएं देखे, उनके पुरखों द्वारा किये गये विकास के काम देखे, जो धर्मशालाएं उनके पुरखों के द्वारा बनाई गई थीं, उन्हें आकर उन्होंने देखा और एक जुड़ाव की भावना पैदा हुई। उन्होंने भी सोचा कि अकाल पीड़ित हम अपने गांव के लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। कई लोगों ने यहां पेयजल की सुविधाओं के लिए कई गांवों में काम किये। कई लोगों ने पशु शिविरों में अपनी तरफ से योगदान देने का काम हाथ में लिया, इस तरह से यह प्रयास हुए किन्तु उस समय जिन लोगों ने इस बात की आलोचना की थी कि राजस्थानी सम्मेलन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है किन्तु अभी हाल ही में इस बात को दिल्ली के स्तर के ऊपर महसूस किया गया कि प्रवासी भारतीयों को हिन्दुस्तान बुलाया जाना चाहिए

(श्री जुगल काबरा)

चाहे वह राजस्थान के रहने वाले हों या किसी दूसरे प्रांत के रहने वाले हों। डाक्टर एल.एम. सिंघवी जो कि हमारे अपने प्रदेश के ही सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, एक प्रकाण्ड पण्डित हैं और बहुत अधिक जानकारी रखने वाले अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता हैं, उनको यह संयोजन का काम सौंपा गया और उनके संयोजकत्व में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन दिल्ली के अन्दर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राजस्थान के जो प्रवासी हैं वे आये थे, वे लोग हमारे मुख्य मंत्रीजी से, हमारे यहां के सांसदों से, हमारे राजस्थान से सम्बन्ध रखने वाले केन्द्रीय मंत्रियों से, हमारे यहां से जाने वाले विधायकों से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने दो साल पहले राजस्थान में सम्मेलन आयोजित किया था, उससे हमें प्रेरणा मिली है, हमारा अपने क्षेत्र से जुड़ाव हुआ और हम अपने क्षेत्र के विकास के अन्दर रुचि रखने लगे हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे प्रदेश के अन्दर, हमारे क्षेत्र के अन्दर किस तरह से आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है।

उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक साथ चार सालों के अन्दर हमने ऊर्जा के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी की है। हमारे यहां सड़कों का जाल बिछा है, आवागमन के साधन सुधरे हैं, हमारे यहां पेयजल की व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, उद्योग लगाये जाने के लिए राजस्थान के अन्दर वातावरण बना है। यह उन लोगों ने महसूस किया और इस बात की स्वीकारोक्ति उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिल्ली के सम्मेलन में की। राजस्थानियों का सम्मेलन अलग से दिल्ली के अन्दर उस समय आयोजित किया गया तब भी उन्होंने यह उद्‌गार जाहिर किये कि राजस्थान ने बहुत अधिक तरक्की की है और हमारी इच्छा होती है कि हम भी अपने पुरखों के गांव में आकर कोई न कोई काम करें, अपना कोई न कोई सम्बन्ध बनाये रखें और राजस्थान के अन्दर हमें पूंजी निवेश के लिए कोई अवसर प्राप्त होता है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। इन सारी स्थितियों का अध्ययन करके और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने देश और प्रदेश के अन्दर आकर इस तरह से काम करेंगे। इस तरह से जो प्रयास किये जा रहे हैं राजस्थान की सरकार के द्वारा, उनकी सर्वत्र सराहना की गई है। उन प्रवासी राजस्थानियों ने पर्यटन के विकास में राजस्थान के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। जिस तरह से गांवों के अन्दर हवेलियों को सुधारा जा रहा है, पर्यटन के क्षेत्र के अन्दर हमारे प्रदेश के जितने भी पर्यटन केन्द्र हैं, उनके अन्दर उन्नति और प्रगति हो रही है। एशियन डवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारे यहां पर जो पर्यटन केन्द्रों के विकास का काम हाथ में लिया गया है, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करके उनमें एक नया उत्साह और उल्लास का संचार हुआ और उनमें यह भावना जागी कि राजस्थान के अन्दर हम

(श्री जुगल काबरा)

लोग कुछ न कुछ योगदान करें। उन लोगों ने इस बात को भी जाहिर किया कि राजस्थान को अपनी आंखों से देखने के बाद में, यहां के पर्यटक स्थलों को देखने के बाद में, अब हम अपने जिस देश के अन्दर हम लोग वर्तमान में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिस देश में हम लोग अभी अपना कामकाज कर रहे हैं, वहां के लोगों को बता सकते हैं कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से एक उत्कृष्ट स्थान है और इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की सरकार बराबर प्रयास कर रही है किन्तु पर्यटन के लिए जो वातावरण बनाया जाना चाहिए उसमें राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। विदेशों के लोग हिन्दुस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इससे सम्बन्ध रखते हैं और इसके लिए वह बराबर हिन्दुस्तान की घटनाओं और यहां के समाचारों पर नजर रखे हुए हैं। पिछले वर्षों के अन्दर चाहे प्लेग का प्रकोप हुआ हो सूरत के अन्दर, जो पर्यटक हिन्दुस्तान में आने वाला था, जो गुजरात आने वाला था और राजस्थान आने वाला था, उस पर्यटक ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। जब हिन्दुस्तान की सीमाओं के ऊपर कारगिल का युद्ध हो रहा था, गोलियां चल रही थीं, उस समय बाहर से आने वाला पर्यटक ने हिन्दुस्तान की अशांति को देखकर अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, वह किसी दूसरे देश में पर्यटन के लिए चला गया। जब गुजरात के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त हुआ था, विदेशों में सुर्खियों के अन्दर समाचार पत्रों में जो कुछ छप रहा था, उसे देखकर पर्यटक ने अपना हिन्दुस्तान का कार्यक्रम रद्द कर दिया और उसने यह उचित समझा कि किसी शांति वाले स्थान पर ज़ाकर जहां अमन–चैन है, जहां किसी तरह का कोई विद्वेष नहीं है, ऐसे देश में मैं जाऊं।

इसी तरह से जब अकाल की बात समाचार–पत्रों में छपती है तो बाहरी पर्यटक अकाल के कारण भी राजस्थान आने में हिचकिचाता है। पता नहीं क्या भौगोलिक स्थिति होगी, क्या सामाजिक स्थिति होगी, ऐसे समय में इस प्रदेश में जाना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो कुप्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान के अन्दर अकाल की भयावहता ने तांडव नृत्य पैदा कर दिया है, मौत का तांडव हो रहा है, भुखमरी की स्थितियां सर्वत्र पैदा हो गई हैं, इस गलत बयानबाजी को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो गलत समाचार समाचार–पत्रों में छपते हैं, उनको रोका जाना चाहिए, सही तस्वीर पेश की जानी चाहिए ताकि बाहर से आने वाला पर्यटक घबराये नहीं। उसे जो राजस्थान की वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी मिल सके। हमें कई क्षेत्रों में यह देखने का अवसर मिला है कि बाहर से पर्यटक आकर भारतीय

(श्री जुगल काबरा)

परिवेश को देखना चाहता है, भारतीय परिवार में रहना चाहता है, भारत के अन्दर जो भोजन और व्यंजन बनाये जाते हैं उन्हें भारतीयों के साथ बैठकर उनका रस स्वादन करना चाहता है, यहां की सांस्कृतिक धरोहर को देखना चाहता है, यहां के पुरातत्व को देखना चाहता है, यहां के वास्तुकला को देखना चाहता है, यहां की पुरानी हवेलियों को और रहन-सहन के हालात को देखना चाहता है। इन सबके लिए आवश्यक है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें इस तरह का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और राजस्थान की सरकार ने यह कोशिश की है कि हम विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर अपने कार्यालय स्थापित करके राजस्थानी कान्क्लेव के माध्यम से जो निर्णय लिये गये, उनको राजस्थानी फाउण्डेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाय। विदेशों में भी इस बात का प्रचार किया जाए कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही सुन्दर स्थल है, प्रदेश है जहां बहुत बड़ी मात्रा के अन्दर पर्यटकों को आकर्षित करके यहां पर उन्हें सब तरह की सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

इसके साथ ही साथ राजस्थान के आम ढांचे को सुधारने के लिए, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राजस्थान की सरकार ने यह कोशिश की कि हम अपने लोगों को साक्षर बनाने का काम हाथ में लें। राजस्थान की सरकार ने जो संकल्प लिया था कि 2003 तक पूरे प्रदेश को हम सम्पूर्ण साक्षरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का काम करेंगे, इस काम को पूरी तरह से लागू करने के लिए सिलसिलेवार योजना बना करके कार्यक्रम हाथ में लिया गया और इसके लिए राजीव गांधी शिक्षा व साक्षरता मिशन बनाकर के यह प्रयास किये गये कि इस आने वाले साल तक, हम राजस्थान में शत-प्रतिशत शिक्षा के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार ने उन गांवों और ढाणियों के अंदर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं जहां कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था कि यहां कभी पाठशालाएं खोली जा सकती हैं। दूर-दराज के इलाकों में वहीं के लोगों द्वारा गांव, ढाणी के अन्दर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली गई, वहां के ही पढ़े-लिखे नवयुवक को, जो ट्रेण्ड था, वहां अध्यापक नियुक्त किया गया ताकि वह ग्रामीण परिवेश के अन्दर उस क्षेत्र के लोगों को पढ़ा सके और इस तरह से 21453 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं पूरे प्रदेश के अन्दर खोली जा चुकी हैं और इसके लिए...

श्री मदन दिलावर : इसका नाम अन्य किसी व्यक्ति पर क्यों नहीं रखा जा सकता था, लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं।

श्री जुगल काबरा : 25 हजार शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने शिक्षा से महरूम रहे लोगों का सर्वेक्षण कराने का इरादा किया और शिक्षा दर्पण कार्यक्रम के माध्यम से

(श्री जुगल काबरा)

सर्वेक्षण करवाया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं या जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनकी संख्या का आकलन किया जाय, ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया गया और शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों के शिक्षक घर-घर गये, उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से बात की, उन्हें तैयार किया कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें और खुशी की बात है कि करीब साढ़े ग्यारह लाख नये बच्चों ने विद्यालयों में प्रवेश लिया है, नामांकन कराया है और बहुत कम संख्या में करीब लाख, सवा लाख बच्चे अभी भी ऐसे बाकी रह गये हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ है। राजस्थान की सरकार यह प्रयास कर रही है कि ऐसे बच्चों को भी नामांकित कराने का प्रयास किया जाए ताकि पूरे प्रदेश के अन्दर सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मान्यवर, अल्पसंख्यक समुदाय के अन्दर शिक्षा को लेकर के विशेष रुचि नहीं रही है। उनकी धारणा यह रही है कि हम अपनी शिक्षा अपने मदरसों के माध्यम से प्राप्त करें। सार्वजनिक विद्यालय, राजकीय विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थाएं, इनके माध्यम से...

श्री मदन दिलावर : ऐसा क्यों है साहब? सामान्य विद्यालय हैं, राजस्थान सरकार के विद्यालय हैं, इस धरती पर पैदा होने वाले सब भाई-भाई हैं, हम एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, बैठिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मदरसों की जरूरत ही नहीं। तो यह अनावश्यक खर्चा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अनावश्यक खर्चा क्यों? इस धरती पर पैदा होने वाले हर व्यक्ति का खून एक है, राष्ट्रीयता एक है, देश एक है तो फिर एक ही विद्यालय में पढ़ें, समान शिक्षा पढ़ें, सब व्यक्ति एक समान फिर अलग-अलग बंटवारा क्यों? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ऐसे विद्यालयों के अन्दर जो मदरसों के माध्यम से उर्दू शिक्षा, तालीम दी जाती है उसकी प्राथमिकता को देखते हुए ऐसे मदरसों को राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला योजना से जोड़ा गया...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अल्पसंख्यक तो पल्स पोलियो और परिवार नियोजन भी नहीं अपना रहे हैं। उसके बारे में भी तो बोलिये। आप शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, वे पल्स पोलियो को नहीं अपना रहे, परिवार नियोजन को नहीं अपना रहे...

श्री जुगल काबरा : सभी लोग पल्स पोलियो को अपना रहे हैं। आप जा करके...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं अपना रहे हैं। वह परिवार नियोजन को भी नहीं अपना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जुगल काबरा : ऐसा है कि उन लोगों को पता है, पल्स पोलियो का टीका नहीं लगाने पर हमारे बच्चे पोलियो से ग्रसित हो सकते हैं इसलिए ऐसा कोई भी परिवार, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पल्स पोलियो का टीका नहीं लगाया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : यह गम्भीर मामला है। यह सरकार हिन्दू और मुस्लिमों को बांटना चाहती है, यह अलग-अलग शिक्षा देने की बात कर रही है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप घोर साम्प्रदायिक हो...

श्री मदन दिलावर : यह तो आतंकवाद के अड्डे चलाने के लिए सरकार जो प्रोत्साहित कर रही है...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आप अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्रों में जाकर देखिये, भीड़ पड़ती है पल्स पोलियो के कार्यक्रम के लिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मदरसे तो आतंकवाद के अड्डे हैं। ऐसा है माननीय सदस्य, मदरसे तो आतंकवाद के अड्डे, आप आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, आप आई. एस.आई. को बढ़ा रहे हैं, आप पाकिस्तानी एजेंटों को बढ़ा रहे हैं, आप मदरसों में पाकिस्तानी एजेंटों को पढ़ा रहे हैं। आप घोर साम्प्रदायिक हो गये, यह सरकार घोर साम्प्रदायिक हो गई है। आप उनको परिवार नियोजन में शामिल नहीं कर रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : आप गलत बातें कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मदरसों के माध्यम से वही तालीम दी जाती है जिस तालीम की राज्य सरकार द्वारा ताईद की जाती है, केवल उर्दू माध्यम से उनको पढ़ाने की सहूलियत है इसलिए वे बच्चे उर्दू माध्यम से मदरसों के अन्दर अध्ययन करने के लिए जाते हैं और राजस्थान की सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला कार्यक्रम से इन मदरसों को जोड़ने का प्रयास किया है ताकि इन मदरसों के माध्यम से उन बच्चों को भी वे सुविधायें प्रदान की जा सकें...

श्री मदन दिलावर : इंटेलिजेंस की अजमेर जोन की रिपोर्ट पढ़ें, एडिशनल एस.पी., डीवाई.एस.पी. ने जो दी है। मदरसों के बारे में उन्होंने कमेंट्स क्या किये हैं उनको सब को पढ़ें, सदन में उनको बुलायें और एक बार चर्चा हो जाए कि मदरसे क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न बहुत, अब बिराजो न। बिराजें।

श्री जुगल काबरा : जो सुविधाएं दूसरे बच्चों को प्रदान की जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने शिक्षा के अन्दर उन्नति और तरक्की के लिए जहां एक तरफ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अन्दर क्रमोन्नत करने का प्रयास किया वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में भी क्रमोन्नत किया। राजस्थान के अन्दर एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च

(श्री जुगल काबरा)

प्राथमिक विद्यालय बनाया गया और 414 राजकीय तथा 888 निजी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के अन्दर क्रमोन्नत किया गया। 386 माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय क्षेत्र में तथा 270 निजी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्दर क्रमोन्नत करके यह प्रयास किया गया कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा की गति को बढ़ाया जाए शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर जहां एक तरफ विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को बढ़ाना देने के लिए जयपुर के अन्दर संस्कृत महाविद्यालय खोला गया, उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया। सभी जगह खोले गये, बीकानेर और कोटा में विश्वविद्यालय खोला गया तथा यह प्रयास किया गया कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों के अन्दर विश्वविद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा क्षेत्र के अन्दर प्रगति की जाए।

इसके साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा के लिए भी निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करके यह प्रयास किया गया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने के लिए उन्हें अनुमति पत्र प्रदान किए जाएं। यह खुशी की बात है कि राजस्थान के अन्दर जहां पिछले चार सालों में पूर्व में केवल आठ इंजीनियरिंग कालेज थे वहीं आज तीस इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत हैं। इसके साथ-ही-साथ एम.सी.ए., फार्मेसी, बायो-टैक्नोलाजी इंस्टीट्यूट, आई.टी.आई. संस्थाओं को भी मान्यता प्रदान करके इनके लिए भी कोर्सेज चालू किये। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अन्दर चार साल के अन्दर जहां महाविद्यालय 257 से 294 कर दिये गये। इस तरह से यह कोशिश की गई की हर क्षेत्र के अन्दर शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की सरकार प्रयास करे।

मान्यवर, यह भी प्रयास किया गया कि कि बालिका शिक्षा को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाए और राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास बनाये गये ताकि जो बालिकाएं दूसरे कस्बों में जाकर के, बड़े कस्बों में जाकर के अपना अध्ययन नहीं कर पा रही थीं वे बालिकाएं इन छात्रावासों के माध्यम से जाकर के अपना अध्ययन, शिक्षण प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी छात्रावास बनाये गये ताकि वे लोग भी अपने गांव से आकर के बड़े कस्बों और शहर के अन्दर अच्छी और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस तरह से हर वर्ग और हर तबके के लिए यह प्रयास किया गया कि शिक्षा के लिए उनके द्वार खोले जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावासों की शृंखला के साथ-साथ यह भी कोशिश की गई कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश में वरीयता प्रदान की जाए और इसलिए शिक्षण में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई ताकि वे सामान्य प्रतिस्पर्द्धा से अलग हट करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बना सकें और इसका उन्हें पर्याप्त लाभ मिला है। आज...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): मेरे छात्रावासों को तो बंद किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में भाणीदेह के अन्दर हरिजन छात्रावास संचालित था उसमें अनियमितता हुई...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उसकी शिकायत हुई तो वह छात्रावास ही वहां के अधिकारियों ने बंद कर दिया।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान)... सरकार को डूब मरने के लिए इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सत्तारूढ़ पार्टी का एम.एल.ए. कह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री मदन दिलावर : सरकार चुल्लू भर पानी में डूब कर क्यों नहीं मर जाती है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के छात्रावास बंद कर रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो आपने बंद किया है ये बता रहे हैं ये...(व्यवधान) माननीय अटरू से आने वाले सदस्य, यह आपके कार्यकाल का बताया है इन्होंने। आपने बंद किये हैं।

श्री मदन दिलावर : मैंने एक भी बंद नहीं किया है। (व्यवधान) समाज कल्याण विभाग देता था...(व्यवधान) बंद कर दिये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है आजाद साहब।

श्री मदन दिलावर : आपने तो केवल अनुसूचित जाति के कल्याणकारी कार्यों को मटियामेट करने का कार्य किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ कांग्रेस में जा करके +++

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरा नाम लेकर बोलिये। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। मैं आपका सम्मान करता हूं, अपना अपमान बरदाश्त नहीं कर सकता। आप ज्ञानी होंगे अपने घर में होंगे। आप संयमित भाषा बोलिये... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस में गये हैं नये...(व्यवधान) आपने पांच साल के बाद कहा है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपके लिए थोड़े ही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान) रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने समाज कल्याण का छात्रावास बंद किया था और आप इसको शेम-शेम कह रहे हो...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी बंद नहीं किया, एक भी।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो किसने बंद किया था?

श्री मदन दिलावर : वो, वो बैठे हैं बनवारी लालजी। बनवारी लालजी बैठे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी नहीं किया, पूरी चुनौती है। पूछ लो एक भी किया हो तो।

श्री मदन दिलावर : 14 छात्रावास तो हाड़ोती में बंद किये हैं। इस सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से इतनी घृणा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था नये +++ खड़े हुए हैं। यह +++ शब्द को एक्सपंज करवा दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माफी भी मांगें।

श्री मदन दिलावर : मुल्ला शब्द कोई असंसदीय है क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : पण्डितजी ने जिस छात्रावास का जिक्र किया है उसको बन्द नहीं किया गया है उसको शिफ्ट किया गया है। वहां उसको शिफ्ट किया गया है।

श्री मदन दिलावर : हिन्दुओं में पण्डित और मुसलमानों में +++ शब्द आदरणीय है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप जब समाज कल्याण के मंत्री थे उस वक्त भी यह प्रश्न आया था, उसको शिफ्ट नहीं किया गया है, बंद कर दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि वो बंद कर दिया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में शिड्यूल्ड कास्ट का पहली बार छात्रावास श्री मदन जी दिलावर ने खोला था। बनवारी लाल जी बैरवा जब मंत्री बने तो उस एकमात्र छात्रावास को अपने निर्वाचन क्षेत्र निवाई में स्थानान्तरित कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए मंत्री महोदय, नया नहीं खोल सकते तो आपको शिफ्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने शिड्यूल्ड कास्ट के... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो माडा क्षेत्र में खोला है। माडा का गांव है। माडा क्षेत्र में खोला है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय पाइंट आफ आर्डर।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : कुछ अनियमितता नहीं है बिलकुल सही किया गया है माडा क्षेत्र का छात्रावास है माडा क्षेत्र में खोला गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है। आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान) एक वृद्धाश्रम चलता था और उसको बंद करके इनकी बेटी को दिला दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने एक वृद्धाश्रम चलता था उसको बंद करके और उनकी बेटी को दिला दिया ताकि रोटी-पानी ठीक-ठीक चलती रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये प्लीज। आप क्या बोल रहे हो? आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि इस प्रकार यदि सदन में जाति सूचक शब्दों से किसी को सम्बोधित किया जायेगा तो न तो सदन की गरिमा रहेगी और यह सदन के लिए शोभाजनक भी नहीं है इसलिए...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो कहावत है। मैं थोड़े कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहावत का क्या मतलब हुआ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कहा है। मैंने नहीं बनाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरे को कह देते मुल्ला की तरह...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कोई बात नहीं कही है नयी, यह तो कहावत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इन्हें +++ कहें यह बात गलत है। यह बात गलत है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो कहावत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) संसदीय शब्द है नहीं तो कहें माननीय सदस्य। यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां इस तरह से जातिसूचक सम्बोधनों को क्या आप अलाऊ करेंगे?

श्री मदन दिलावर : हम तो पण्डितजी कह देंगे उनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मतलब हुआ इस बात का?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, भाषा को ध्यान में रख कर बोलिये।

श्री मदन दिलावर : आप तो यह कहें कि +++ शब्द असंसदीय शब्द है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : यह असंसदीय शब्द है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काबराजी, प्लीज।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने इस प्रदेश के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है और यह प्रयास किया है कि हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाए। अनुसूचित जाति-जनजातियों के लिए कई योजनाएं बनायी गयी हैं और यह प्रयास किया गया है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्राथमिकताएं दी जाएं, उनके लिए छात्रावास खोले जाएं। आदिवासी क्षेत्रों में भी इसी तरह के छात्रावास खोले गये हैं ताकि शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो शिक्षा से वंचित रहे हैं उन लोगों को इन छात्रावासों के माध्यम से पूरी सहूलियत दे करके शिक्षा का वातावरण मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्तमान सरकार ने ही शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रावासों की जो राशि थी वह बढ़ायी है। पूर्व में जो राशि दी जाती थी उससे इस राशि को बढ़ा करके कोशिश की गयी है कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्र इन छात्रावासों में रह करके सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक तरफ उर्दू के विकास के लिए भी राजस्थान सरकार बराबर प्रयास कर रही है। मदरसों को राजीव गांधी पाठशालाओं से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी उर्दू का अध्ययन-शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पद सृजित किये गए हैं चार सौ सामान्य शिक्षकों के पदों को उर्दू में स्थानान्तरित किया गया है। दो सौ वरिष्ठ शिक्षक उर्दू के लगाये गये हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी चाहे पंजाबी भाषा हो, गुजराती भाषा हो, सिंधी भाषा हो इनके भी पद सृजित किए गए हैं ताकि हर क्षेत्र के अन्दर...

श्री मदन दिलावर : कितने-कितने लगाये हैं? किन-किन भाषाओं में कितने-कितने टीचर लगाये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल देना न जब बोलना है आपको, कोई रोक रहा है क्या आपको?

श्री मदन दिलावर : ये कुछ छुपा रहे हैं कुछ बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए प्लीज।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : और सामान्य स्कूल सैकड़ों खोले हैं और एक भी टीचर नया भर्ती नहीं किया।

श्री जुगल काबरा : हर क्षेत्र के अन्दर यह प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति जिस भाषा का अध्ययन–अध्यापन करना चाहता है, शिक्षण प्राप्त करना चाहता है उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाये। इसके लिए यह कोशिश की गयी है कि राजस्थान के मदरसों के अन्दर आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए इसके लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। उन्हें भी आज की शिक्षा प्रदान करने के लिए कोशिश की गयी है। वहां सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए नया सिलेबस लागू करने के लिए यह प्रयास किया गया है कि इस मदरसा बोर्ड के माध्यम से इन मदरसों की शिक्षा व्यवस्थाओं को संचालित करने का प्रयास किया जाए।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने एक आयाम स्थापित किया है और साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने का अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी भाषाओं को बराबर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उसके साथ ही साथ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास कर रही है कि बार–बार जो अकाल की स्थिति पैदा हो रही है इससे निपटने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं।

सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि राजस्थान में सिंचाई के साधन बढ़ाये जायें। पिछले दिनों केन्द्रीय स्तर पर भी इस तरह की बात उठी थी कि देश की जो नदियां हैं उनका पानी बह करके बेकार जा रहा है उन्हें जोड़ा जाए और जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी है वहां से पानी को निकाल करके उन प्रदेशों में पहुंचाया जाए जहां अकाल की स्थिति है, जहां अभाव की स्थिति है। इस तरह की योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर काफी कुछ चिन्तन और मनन किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने भी यह प्रयास किया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के अधिकाय जल को राजस्थान लाने के लिए शारदा–यमुना–राजस्थान साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने का काम हाथ में लिया जाए ताकि जिस तरीके से इस पानी को राजस्थान में लाया जा सके। उस पानी से राजस्थान का वो अभावग्रस्त इलाका जहां सिंचाई की आवश्यकता है उसको पूरा किया राजस्थान ने यह प्रयास किया है कि जो पुरानी हमारी नहरें थीं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। राजस्थान में सिंचाई के नये साधन विकसित किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गंगनहर एक पुरानी नहर थी जिसके माध्यम से काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई का काम होता

(श्री जुगल काबरा)

था। पहली दफा राजस्थान की वर्तमान सरकार ने यह कोशिश की कि गंगनहर को पूरी तरह से आधुनिकीकृत करके इसकी मरम्मत करायी जाये और इसके लिए 446 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है। जो हिस्सा हमारा पंजाब के क्षेत्र में आता था वहां इसकी मरम्मत का 98 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर का काम पूरा किया जा चुका है और राजस्थान में भी काफी कुछ काम इसका प्रारम्भ हो चुका है। आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि गंगनहर के आधुनिकीकरण से जो सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा उसका लाभ हमारे उस क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगा। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी बराबर यह कोशिश की जा रही है कि सिंचाई परियोजनाओं को हम पूरी तरह विकसित करें और कोशिश करें कि हमारे यहां पानी बेकार नहीं जाए। उसका सही तरीके से सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके और कोशिश की जा सके कि हम अपने किसानों को इस पानी के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकें।

कृषि के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं, शोध किये जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसानों को आधुनिक जानकारी प्रदान की जाए ताकि वह उन्नत किस्म का बीज लेकर अपनी कृषि उपज को बढ़ा सके। इसके लिए भी राजस्थान सरकार द्वारा पूरी तरह से सहयोग तथा सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम जारी है।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों अकाल की विभीषिका में भी यह कोशिश की कि किसानों को चारा उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाये और उसके लिए सस्ती दर पर बीज उपलब्ध करा कर उन्हें चारा उगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि राजस्थान के अपने क्षेत्र में इस चारे के माध्यम से हम मवेशियों को बचा सकें। बाहर से जो चारा लाने के लिए अधिक अनुदान खर्च करना पड़ता है उस अनुदान राशि से ही हम अपने यहां के किसानों को भी सम्बल प्रदान कर सकें, अपने यहां के पशुधन को बचा सकें, अपने यहां के लोगों को सहायता प्रदान कर सकें और जो कोशिश इस क्षेत्र में की जा रही है उस कोशिश को पूरी तरह से कामयाब बनाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय में मैं देश की साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति के बारे में भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज जो हालात देश में बने हुए हैं उनसे राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान साम्प्रदायिकता के लिये, सद्भाव के लिए हमेशा पूरे देश और विश्व में जाना जाता रहा है। राजस्थान में आपसी भाईचारे, सद्भाव और सहयोग की जो मिसालें रही हैं उन मिसालों को कायम रखने का बराबर प्रयास किया जाता रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा पिछले दिनों में हमारे पड़ोस में गुजरात में जिस तरह से साम्प्रदायिकता

(श्री जुगल काबरा)

का नंगा नाच किया गया, जिस तरह से आगजनी, लूटपाट की वारदातें हुईं उस समय भी राजस्थान को उस चिंगारी की लपेट में लेने की कोशिश की गई किन्तु राजस्थान सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ में साम्प्रदायिक ताकतों को हमेशा जवाब दिया और उन्हें कोई भी वारदात करने के लिए कोई कोशिश नहीं करने दी गई। यह कोशिश की गई कि राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाया रखा जाए... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उसके लिये सरकार एक शब्द नहीं बोली और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो कह रहे हैं हमने बचाया हमने किया। यह तो यहां की जनता समझदार थी, आपने बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की, हिन्दुओं के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। चलती हुई ट्रेन में भक्तों को जलाकर राख कर दिया इन पुतलों ने। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह गुजरात में चला गया, राजस्थान में चलने वाला नहीं है। माननीय सदस्य यह गुजरात वाला काण्ड राजस्थान में नहीं चलेगा।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्या हो गया था इन लोगों को तब?

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा, यह क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। माननीय भंवरलालजी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस डिबेट को चलने देने के लिए अपने माननीय सदस्य को नियंत्रण में रखिए। यह पासिबिल नहीं कि हर बार वह उठें और मैं डिबेट को चालू रखूं। अगर आप नहीं चाहते तो यह बता दीजिए, समाप्त कर दूंगा। यह कोई तरीका थोड़े ही है डिबेट का। आप मेहरबानी कर के इनको नियंत्रण में रखिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): यह अर्थ मत निकालिये कि डिबेट नहीं चलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक दफा बोल गये, दो दफा बोल गये, कितनी बार बोलेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): वह ठीक है, लेकिन आप यह अर्थ मत निकालिए कि डिबेट नहीं चलाना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं चल सकती डिबेट।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की इस तरह की मानसिकता है जो साम्प्रदायिक तनाव के द्वारा राजस्थान में आपसी भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, राजस्थान में आपसी तनाव पैदा करना चाहते हैं उसके पीछे राजनीतिक मंसूबे हैं। जब कभी भी देश में कोई चुनाव होता

(श्री जुगल काबरा)

है तब इस तरह की बात उठकर आती है बाकी बात ठण्डे बस्ते में चली जाती है। जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में चुनाव होता है, कभी मंदिर का मुद्दा, कभी मस्जिद का मुद्दा, कभी रथ यात्रा, कभी अन्य कोई बात, इस तरह की बातें उठाई जाती हैं किन्तु राजस्थान के लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि हमारा प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, हम लोग हमेशा भाईचारे में विश्वास करते रहे हैं, आपसी सद्भाव रख कर हमने अपने प्रदेश की प्रगति की है और देश और प्रदेश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश और प्रदेश में शांति और भाईचारा कायम रहे।

इसलिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के द्वारा जो हमें आह्वान किया है कि इस प्रदेश में शांति कायम रहे, सद्भाव काय रहे, भाईचारा कायम रहे, हम लोग मिलजुल कर सहयोग करके इस प्रदेश को विकास की गति पर आगे ले जाने के लिए काम करें, इन भावनाओं के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, उत्तेजना में आने की आवश्यकता नहीं है। ठण्डे दिल से विचार करना होगा, चाहे किसी भी राजनीतिक सोच का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक मन्तव्य का व्यक्ति हो उन सबको इस प्रदेश के लिए सोचना होगा कि अगर प्रदेश में तरक्की चाहते हैं, तो हमें साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारा रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि यहां का औद्योगीकरण हो, अगर हम यह चाहते हैं कि यहां का पर्यटन विकास हो, यहां का व्यवसाय और उद्योग बढ़े तो यह जरूरी है कि इस प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रखना होगा। वरना कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति इस प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं करेगा, बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति यहां पर अपना उद्योग धंधा नहीं लगायेगा, बाहर से आने वाला व्यक्ति इस प्रदेश में कोई भी अपना व्यापार और व्यवसाय नहीं फैलायेंगे। बाहर से आने वाला कोई भी पर्यटक इस प्रदेश में आकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम रखा जाए और हम अपने गलत मंसूबों को इससे दूर रखें। प्रयास करें कि हम लोग मिलजुल कर प्रदेश की तरक्की में भागीदारी निभायें। अगर सभी लोग मिलजुल कर प्रदेश की साम्प्रदायिक सद्भाव की बहाली के लिए प्रयास करें और कोशिश करें कि हम सब लोग मिलजुल कर इस प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस प्रदेश के विकास में बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं।

राजस्थान की सरकार ने पिछले चार सालों में जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आयाम स्थापित किये हैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति, जनजाति को संरक्षण देने

(श्री जुगल काबरा)

की बात हो, अल्पसंख्यकों के विकास की बात हो, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, जनजाति के रोजगार के लिए इनके वित्त निगम बनाये जाने की बात हो, इन सभी दृष्टिकोणों से राजस्थान सरकार ने यह कोशिश की है कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर और पूरा मौका दिया जाए। इस तरह से हर तरह की कोशिश करके राज्य को प्रगति के क्षेत्र में आगे ले जाने की योजनाएं बनाई गई हैं। इसके लिए हम राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आज के इस अभिभाषण के लिए भी महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की तमाम कार्य योजनाओं को परिलक्षित करते हुए यह प्रयास किया है कि राज्य को किस दिशा में राजस्थान की सरकार ले जाने का मानस और सोच रखती है उसको उन्होंने अभिभाषण में प्रकट किया है। आने वाले एक साल में भी राज्य सरकार किस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहती है इन सब बातों को इस अभिभाषण में उल्लिखित कर के राज्यपाल महोदय ने हमारे ऊपर जो अनुकम्पा की है उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से अपील करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को समर्थन देकर इसको पारित करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिये 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:–

क्र.सं.	पार्टि/दल का नाम	आबंटित समय
1.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	12 घंटे 5 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	2 घंटे 45 मिनट
3.	जनता दल	15 मिनट
4.	बहुजन समाज पार्टी (सैक्युलर)	5 मिनट
5.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	5 मिनट
6.	राष्ट्रीय जनता दल	5 मिनट
7.	निर्दलीय	40 मिनट

(श्री उपाध्यक्ष)

सभापति-तालिका

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री मोहम्मद माहिर आजाद को सभापति तालिका में मनोनीत किया है। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार कर कल जो अपना अभिभाषण, जिसको मैं ऐतिहासिक अभिभाषण कहता हूं, जो कितना सटीक था, कितना प्रभावी था एवं पूर्णतः तथ्यों पर आधारित था। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष के सदस्यों ने भी जिस तन्मयता से न सिफ उस अभिभाषण को सुना बल्कि इतनी जोरदार मेजें थपथपाकर उसका समर्थन किया, यह अपने आप में ही सरकार की चार साल की उपलब्धियों को दर्शाता है और प्रमाणित करता है।

(14.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : वह तो महामहिम का सम्मान किया था, अभिभाषण का नहीं।

(14.00 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान) आपको गलतफहमी हो गई है। हम लोगों ने महामहिम का सम्मान किया था, अभिभाषण का नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, माननीय सदस्यों को समय मिलेगा बात कहने का, यह अपनी-अपनी बात उस समय कहें। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसे अवसर भी इस सदन में आए जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उसका न सिर्फ विरोध किया, कई बार उसकी प्रतियां भी फाड़ीं, कई बार अभिभाषण के दौरान जोश में भी आ गए लेकिन कल बैठे रह कर जैसे सुना वाकई में जो तथ्य थे, सत्यता थी उसको इन्होंने भी अंगीकार ही नहीं किया बल्कि मेजें थपथपाकर उसका स्वागत करने का काम भी किया।

मैं यह आशा और अपेक्षा करता हूं कि 200 सदस्यों में से 199 सदस्यों ने जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुनकर समर्थन किया है, आज जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन कर रहा हूं। कल मेजें थपथपाकर स्वागत करने वाले सदस्य अब किस नैतिकता के आधार पर उसका विरोध करेंगे? मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से कल इन्होंने समर्थन किया, आज भी ये सर्व सम्मति से इस अभिभाषण का समर्थन करने का एक इतिहास रचने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपको स्वयं को पता है कि गत चार वर्षों से राजस्थान भयंकर अकाल से जूझ रहा है। राजस्थान के इस अकाल की स्थिति और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पिछली सरकार द्वारा खाली खजाना छोड़कर जाने के बावजूद फिफ्थ पे कमीशन की सिफारिशें और उनको लागू करना, चुंगी की समाप्ति की गई, राज्य में जो लाटरी थी उसे बन्द किया गया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सब कांग्रेस का टिकट मिलने के कारण से कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, दिलावर साहब अपनी सीमा में रहिए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : दिलावर साहब को थोड़ी ताड़ना दीजिए कि ये डिस्टर्ब नहीं करें, ध्यान से सुनें।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सीखा ही नहीं इन्होंने। वह स्कूल ही नहीं बना जो इनको कुछ सिखा सकें। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये, आप बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री रहने के बाद ही नहीं सीख पाए; मोदी साहब, यह अब क्या सीखेंगे? (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ भयंकर अकाल, दूसरी तरफ खाली खजाना, आय के स्रोत खतम, चुंगी बंद कर दी गई, लाटरी बंद कर दी गई, फिफ्थ पे कमीशन का भार पड़ गया, उसके बाद ही राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने कुशल प्रबन्धन किया, कर राजस्व में जो 1998-99 में 3939 करोड़ का था इसको बढ़ाकर 2001-2002 में 5671 करोड़ रुपये करने का काम किया है। है कोई आपके पास इसका जवाब, यह सत्यता है या नहीं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जवाब है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या जवाब है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 50 से ज्यादा लोग भूख से तड़प कर बारां जिले में मर गए। भूख से तड़प कर...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर राजस्व बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। कर राजस्व का बढ़ाना...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और सुनिए, माननीय सुमित्राजी कह रही हैं कि कर राजस्व बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री मदन दिलावर : लोग भूख से मर रहे हैं। बारां जिले में मर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, इनको बाहर निकाला जाए, माननीय सदस्य को सदन से बाहर किया जाए। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप किस हैसियत से जवाब दे रहे हो, यह तो बताओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बिराजिये। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य को जवाब देने के लिए अधिकृत किसने किया? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग भूख से तड़प कर मर गए।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनके परिवार से जाकर पूछिये, शाहबाद के किसानों से, गांव में जाकर पूछिये, मुण्डरू गांव के किसानों से जाकर पूछिये, कहां-कहां की बताऊं (व्यवधान) रोकूं क्या आपको?

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, दिलावर साहब...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, केवल ऐसा ही नहीं है कि कर राजस्व में बढ़ोतरी की गई हो, गैर कर राजस्व में भी जो 1998-99 में 1353 करोड़ रुपये था उनको भी 2001-2002 में बढ़ाकर 1508 करोड़ तक करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्व बढ़ाकर प्रदेश की आय बढ़ाने का काम ही नहीं किया हमारी राजस्थान सरकार ने व्ययों में भी कमी की, वित्तीय अनुशासन किया गया और कठोर निर्णय लिए गए। कठोर निर्णय क्या लिए गए, मंत्रियों और अधिकारियों की हवाई यात्राओं पर रोक लगाई गई, सरकारी भोजों पर प्रतिबंध लगाया गया और स्टाफ कार की व्यवस्था को खतम किया गया। न सिर्फ राजस्व बढ़ाया, न सिर्फ खर्चों में कटौती की, यह सब करने के बावजूद भी अकाल का जो प्रबंधन किया गया, इतने भयंकर अकाल का...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माउंट आबू में कांग्रेसियों को काजू, बादाम वगैरह खिलाए गए, यह किया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आप डिसको मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह हमें छेड़ रहे हैं, कभी-कभी वास्तविकता बतानी पड़ जाती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे लगता है बोलने वालों में इनकी पार्टी ने इनका नाम नहीं दिया, यह ऐसे ही बोलना चाहते हैं। मुख्य सचेतकजी, इनका नाम नहीं दिया क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : माहिर साहब, आप अपनी बात कहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनका नाम दे दीजिए ताकि यह अपनी बात कह लें। प्लीज डांट इंटरप्ट मी।

श्री मदन दिलावर : आप सही–सही बात कहिए मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। लोग भूख से मर रहे हैं। तड़प कर मर रहे हैं, मेरे जिले में मर रहे हैं, गांवों में लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जो बात कह रहा हूं शत–प्रतिशत सही है।

श्री मदन दिलावर : कुरान की सौगन्ध है आपको...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको सही बात सुनने की आदत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माहिर साहब, चालू रखिये।

श्री मदन दिलावर : मुझे बोलना है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इतना भयंकर व भीषण अकाल और आर्थिक विषमता, उसके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से कुशल प्रबंधन किया है उससे यह बौखला गए हैं। सभापति महोदय, आपको भी इस सदन का काफी लम्बा अनुभव है। कोई भी माननीय सदस्य, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य बता दें कि क्या कभी भी अकाल राहत के कार्य अगस्त माह में शुरू किए हैं, किए हों, तो जो कहो करने को तैयार हूं। (व्यवधान) पहली बार 16 अगस्त से अकाल राहत कार्य शुरू किए गए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : वह भी नाममात्र के। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक–एक पंचायत में दो–दो काम चालू किए थे यह भी ध्यान है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह विपक्ष वाले बतायें, तो क्या आपको अभी बतायें क्या?

श्री सभापति : आपको भी समय दिया जायेगा, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप अपना भाषण तो अपने तरीके से दीजिए, यह बार–बार कहने से कि विपक्ष वाले बता दें तो...(व्यवधान) अभी साथ के साथ जवाब चाहते हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बता दीजिए, कभी अगस्त में शुरू किया क्या? अगस्त में आज तक शुरू नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आपका नाम है बोलने वालों में।

श्री सांवर लाल : इनको यह तो बता दीजिए कि कम से कम भाषण तो ढंग से दें, आपको सम्बोधित करके दे, बार–बार विपक्ष के सदस्य बता दें, विपक्ष के सदस्य बता दें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा ढंग मेरे पास है, आपका ढंगआपके पास रखिए, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : भूख से लोग मर गये, यह तो बताओ।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप कितनी बार बोलना चाहते हैं? यह भी कोई बात हुई। आप ठहरो, शांति से रहो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि पहली बार अगस्त से राहत कार्य खोले गये। अब तक चार साल के अकाल के दौरान 16000 करोड़ रुपये इस अकाल के मद में खर्च करके स्थायी सम्पत्तियों का जो निर्माण कराया गया वह अपने आप में इतिहास है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में अनाज की व्यवस्था की गई है। आज की स्थिति आप देख रहे हैं, अब तक 16.87 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इस कुशल अकाल प्रबंधन में, राजस्थान की प्राथमिकताओं के आधार पर राजस्थान को तीन हिस्सों में विभक्त किया गया। एक तो वह क्षेत्र ट्राइबल एरिया, जहां के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, प्राथमिकता है। एक वह क्षेत्र चिन्हित किया गया जहां रोजगार की आवश्यकता नहीं है, पशुओं को चारे की आवश्यकता है, पशुओं के लिए चारा डिपो खोले गये हैं, डेयरी को एजेंसी दी गई है। अजमेर में हर पंचायत के पटवारी को अफसर बनाकर 50-50 हजार रुपये उसको एडवांस दिए गए हैं कि वह चारा ले आए और वापस आकर अपना रिएम्बर्समेंट करा ले। कई दूसरी एजेंसियां दी गई, हर जगह चारे का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। तीसरा वह क्षेत्र चुना गया जहां लोगों को पीने के पानी की कमी है उसके लिए चाहे टैंकरों से सप्लाई करें, चाहे रेल से पानी मंगाया जा रहा है, चाहे कंटींजेंसी बजट से व्यवस्था की गई है, उनको पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम भी राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार, ऐसे लोग जो अकाल की मार झेल रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, काम नहीं कर सकते राहत कार्यों पर जाकर, उनको घर बैठे 50 किलो गेहूं और 30 रुपये नगद देने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। अकाल के समय, जो अकाल प्रभावित एवं अभाव प्रभावित जनता होती है वह यह सोचती है कि हमारा माई–बाप कौन है। राजस्थान सरकार ने उस निरीह और दु:खी व्यक्ति का माई–बाप बनकर, उसके भरण–पोषण का इंतजाम करने का काम किया है। इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, अगर इसकी प्रशंसा भी नहीं करें... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह गलत बात है, जनता की मां–बाप सरकार नहीं हो सकती है, सरकार सेवक है उनकी सेवा करेंगी। बाप बनना चाह रहे हैं ये लोग। ये जनता के बाप बनना चाह रहे हैं। यह गलत बात है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह जनता का बाप बनने की कोशिश करें, यह जनता के सेवक हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात को समझने के लिए दिमाग चाहिए...(व्यवधान) आपके पास सिर्फ खोपड़ी है इसलिए आपकी समझ में जरा देर से आयेगी। बच्चे का पालन-पोषण मां-बाप के जिम्मे होता है इस अकाल के समय में।

श्री मदन दिलावर : आप बाप हो क्या, इस राजस्थान की जनता के बाप हो क्या? यह राजस्थान की जनता का घोर अपमान है। ये बाप बनना चाह रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ये सेवक हैं उनकी सेवा करनी चाहिए।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी आपको समझाया था, आपको समझ में नहीं आया?

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, बारबार माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अकाल के तहत गांवों में चारा डिपो खोल दिये हैं। बूंदी जिले में ऐसा कौनसा निःशुल्क चारा डिपो है वह बताने की कोशिश करें। आज जो अकाल में सारा गेहूं आ रहा है, वह भी नहीं मिल पा रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : निःशुल्क कभी नहीं खुलता। आज तक नहीं खुला। सब्सिडी दी जाती है, सस्ता दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर : गांवों में रोजगार नहीं है। वहां भूखे मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पशुधन मरता जा रहा है और पशुओं के लिए पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी सब बातों का जवाब सरकार की तरफ से दिया जायेगा। उस वक्त आप पूछ लेना, कहां खोला गया, नहीं खोला है, इस वक्त माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए और आपकी पार्टी के भी माननीय सदस्य बोलेंगे? वे अपने आप बातें कह देंगे, आप इसमें बीच-बीच में दखल क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : असत्य बोलने की भी कोई सीमा होती है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आप भी खूब बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी बोल लेना।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में प्राकृतिक रूप से हुई मौतों को मीडिया के जरिये कुछ लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने, जो स्वयं-सेवी संगठन हैं, जो एन.जी.ओ. चलाते हैं, विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से भूख से मौत का प्रचार करने की इस स्थापना को बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई सामने आ गयी और इस तरीके का अकाल प्रबन्धन किया गया कि आज कोई गांव, ढाणी, मजरा ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां सरकार की तरफ से अनाज की व्यवस्था नहीं है। हर सरपंच को, हर पंचायत में, हर गांव में अनाज रखा हुआ है। कहीं भी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। अकाल के अन्दर, इतने भयंकर अकाल में बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि राज्य में पहली बार इतनी सारी नीतियां बनायी गयी हैं। जनसंख्या नीति, ऊर्जा नीति, उद्योग नीति, पेयजल व्यवस्था नीति, पर्यटन नीति और महिला नीति, आपको अच्छी तरह पता है कि इस महिला सशक्तीकरण वर्ष के अन्दर न सिर्फ राजस्थान सरकार ने महिला नीति बनाने का काम किया बल्कि पहली बार राजस्थान में एक योग्य महिला को, जिन्होंने डाक्टरेट डिग्री हासिल की हुई है, उनको उप मुख्य मंत्री बना करके राजस्थान में महिलाओं को गौरवान्वित करने का काम इसने किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी नीति बनायी गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री बनाने की बात थी कोई।

मोहम्मद माहिर आजाद : शीला दीक्षित को बना रखा है, मुख्य मंत्री शीला दीक्षित को बना रखा है, नहीं बना रखा है? ये बताएं अगर कहीं आपने एक महिला को भी, आपने सुषमा स्वराज को 4 दिन के लिए बनाया था। आप किस आधार पर महिलाओं की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री मदन दिलावर : और अब मुख्य मंत्री वसुंधराजी बनेंगी। और अब मुख्य मंत्री वसुंधराजी बनेंगी। (व्यवधान) आपने जकियाजी को हटा दिया और कमलाजी को बना दिया। वह महिला खराब थीं और यह अच्छी हैं? जकियाजी को हटा कर उनका कितना अपमान किया है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ तो बनाया।

श्री सभापति : एक सैकण्ड, माहिर आजादजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज जितनी उम्र के मुख्य मंत्री हैं उतनी उम्र तो उनकी राजनीति में हो गयी है। उन्हें तो मुख्य मंत्री बनाया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, ये या तो यह स्पष्ट कर दें, माननीय दिलावर साहब, क्या एक अल्पसंख्यक का आपको बोलना अच्छा नहीं लग रहा है? क्या प्रजातंत्र में अपनी भागीदारी निभाता हुआ

(श्री हरीसिंह)

एक अल्पसंख्यक आपको अच्छा नहीं लगता? इतना इंटरप्लान... (व्यवधान) आपकी बारी आए, आप जवाब दे देना। हर एक चीज का कैटेगिरीकली आप जवाब देना। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, हम इनको एक माननीय सदस्य के हिसाब से देखते हैं और ये विधान सभा के माननीय सदस्य हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की बात करके आप क्या चाहते हैं इस विधान सभा में?

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या मतलब?

श्री मदन दिलावर : अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बात कर आप साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हो विधान सभा में। वे हमारे भाई हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या चाहते हैं आप, क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ठेका तो इन्होंने ले रखा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऊंची आवाज में बोलने वालों की व्यवस्था मेरे पास है। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी सीट पर पधारें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य सचेतकजी, सोच-समझकर बोलो, मुंह पर लगाम रखें।

श्री सभापति : वह व्यवस्था भी मेरे पास है, आप इंटरप्शन न करें।

माननीय राठौड़ साहब, उपाध्यक्षजी पहले भी कह चुके हैं, डिबेट को चलने देना है कि नहीं चलने देना है? आप अपने माननीय सदस्य से कहिये कि जो कुछ इनको कहना है उनको समय मिलेगा वह कह देंगे। बीच-बीच में दिलावर साहब, आप अपनी सीमाओं को बहुत आगे लांघ चुके हैं। फिर इस आसन को कुछ-न-कुछ सीमाओं में रखने के लिए करना पड़ेगा। इसलिए आप बिराजिये और बीच-बीच में नहीं बोलेंगे। माहिर आजाद साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसी कंट्रोवर्सियल बातें को भी थोड़ा सा आप नहीं कहें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कोई कंट्रोवर्सियल बात ही नहीं कही।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो मेरी बात कह रहा हूं और अगर मान लो कोई कह भी रहा हूं तो इनको अपना समय मिले तब अपनी सफाई दें।

श्री सांवर लाल : पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य को तो आसन ही कंट्रोल करेगा।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इंफोर्मेशन के माध्यम से सूचना दे रहा हूं आसन को।

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब, आप बहुत विद्वान हैं। (व्यवधान)

सूचना

विधान सभा के समक्ष बेरोजगार एस.टी.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रोजगार दिलाये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मैं सूचना देना चाह रहा हूं, आसन को। सूचना देना चाह रहा हूं, सभापति महोदय। कोई मैं इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि राजस्थान के जो एस.टी.सी., बी.एड. ट्रेंड हो करके हजारों की संख्या में नौजवान वर्षों से बेरोजगार हैं और यह सरकार बनने के बाद किसी को नौकरी नहीं दी है। आज विधान सभा में प्रदर्शन करने के लिए आये हुए हैं। माननीय मंत्रीगण और सभी बिराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सरकार की मंशा उनको रोजगार देने की है या नहीं है? पूरे राजस्थान में ही जो पढ़े-लिखे ट्रेण्ड लोग हैं, जिनके मां-बाप खेती-बाड़ी करते हैं, हजारों रुपये खर्च करके उन्होंने उनको ट्रेण्ड करवाया और आज सरकार की तरफ से कोई नौकरी देने की व्यवस्था नहीं है। आखिर सरकार उनके भविष्य के बारे में क्या करना चाहती हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप बिराजिये, बिराजिये, आपने सूचना दे दी, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनको चुनाव में जितना होगा तो नौकरी देंगे।

श्री सभापति : आपने सूचना दे दी, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आप कोई व्यवस्था तो दीजिए। इतने पढ़े-लिखे लोग, बेरोजगार लोग किराया-भाड़ा इकट्ठा करके विधान सभा ला रहे हैं। (व्यवधान) इसके अलावा वह कहां जायेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आपने सूचना दे दी। बिराजिये आप।

श्री सांवर लाल : सूचना के ऊपर कोई एक्शन तो लें, सभापति महोदय। क्या हम केवल इसलिए आते हैं कि यहां पर सूचना दे दी और खतम हो गया मामला?

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है सरकार से कि आप इस बारे में व्यवस्था कराएं।

श्री सभापति : मेरी भी प्रार्थना है, आप बिराजिए। मोहम्मद माहिर आजाद साहब।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार को पता है कि एजीटेशन हो रहा है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, संरक्षण के लिए धन्यवाद।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में पहली बार अलग-अलग क्षेत्रों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किया गया और उनका सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जनसंख्या नीति बनायी गयी, ऊर्जा नीति बनायी गयी, उद्योग नीति, पेयजल व्यवस्था नीति, पर्यटन नीति, महिला नीति, सूचना और प्रौद्योगिकी नीति, खनिज नीति और पवन ऊर्जा नीति। सभापति महोदय, इतनी नीतियां कभी 50 वर्ष में भी राजस्थान के विकास के लिये नहीं बनायी गयीं जितनी इस 4 वर्ष के शासनकाल के अन्दर बनायी गयीं। अब तो, सभापति महोदय, केवल एक ही नीति बननी और बाकी है और वह नीति भी बन करके लगभग तैयार हो गयी है, बहुत जल्दी उस नीति को अमलीजामा पहनाया जाने वाला है और वह नीति क्या है, वह नीति है साम्प्रदायिकता शक्ति भगाओ नीति। बहुत जल्द राजस्थान में लागू होने वाली है, क्रियान्वित होने वाली है। बहुत कोशिश की थी और बड़े जोर–शोर से नारे भी लगाए थे कि राजस्थान को भी गुजरात बनाने की कोशिश की जायेगी। शुरूआत की गंगापुर में, कुछ शुरूआत छुट–पुट की किशनगढ़ में, शुरूआत की एक और जगह। गुजरात और राजस्थान में यह फर्क था कि गुजरात में जो आगजनी, लूटपाट और साम्प्रदायिकता फैलायी गयी वह सरकार द्वारा स्पोंसर्ड थी और जब राजस्थान में फैलाने की कोशिश की गयी तो सरकार मुस्तैद थी उसको सख्ती से रोकने का काम किया। प्रगाढ़ता से इसको रोकने का काम किया।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, गोधरा होगा तो गुजरात भी होगा, दोनों अलग–अलग नहीं हो सकते। यदि राजस्थान में गोधरा बनाने की कोशिश की तो गुजरात भी होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : और इन लोगों के नापाक इरादों को राजस्थान में कामयाब नहीं होने दिया गया।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : चाहे मुझे कितना भी बड़ा दण्ड दीजिए।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप बार–बार डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं बार–बार नहीं कह रहा हूं, और मैं वास्तविकता कह रहा हूं। यदि राजस्थान में गोधरा होगा तो गुजरात भी होगा।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इस तरह से भाषण चलेगा नहीं, बारबार ये 50 दफा इंटरवीन कर चुके हैं। इसमें कहीं कोई सीमा तो होनी चाहिए। माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में सदियों से चला आ रहा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भाईचारा और कौमी एकता को कायम रखने, बरकरार रखने के लिए राजस्थान की सरकार कृत संकल्प है और उसने कठोर से कठोर, सख्त-से-सख्त कदम उठाये बिना यह सोचे कि साम्प्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है। एकदम कठोर कार्यवाही करके उसको रोकने का काम किया और राजस्थान की इस कौमी एकता और भाई चारे को बरकरार रखा है इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के विकास के लिए ऊर्जा के सम्बन्ध में जैसा हमारे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। विद्युत उत्पादन, माननीय सभापति महोदय, जो 3356 मेगावाट था, वह बढ़कर 4515 मेगावाट करने का ऐतिहासिक काम इस राजस्थान सरकार ने किया है जिसकी माननीय प्रधानमंत्रीजी और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रीजी, स्वयं ने भी कोटा में तारीफ की थी। इतना ही नहीं कि हमने केवल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया है बल्कि जो छीजत थी, जो लीकेज था वह भी 42 प्रतिशत से कम करके 38 प्रतिशत पर लाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रसारण तंत्र में भी जो पांच वर्षों में पचास प्रतिशत की वृद्धि की गई है, यह अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक काम है। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई 16 फरवरी को और उसमें काफी समय से यह मांग आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को छह बजे से दस बजे तक लोगों के खाने के समय, बच्चों की पढ़ाई के समय या समाचारों के टाइम सिंगल फेस लाइट तो आनी चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय ने 16 फरवरी की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को छह बजे से रात के दस बजे तक प्रतिदिन चार घंटे लाइट दी जायेगी और ज्यादातर जगहों पर यह लाइट उपलब्ध भी करा दी गई है। यह लाइट लोगों को मिल रही है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का प्रश्न है, 1998-99 में, सात वर्षों की तुलना में, सात वर्षों में इन्होंने 5640 करोड़ रुपये का निवेश किया था लेकिन इस सरकार ने 1998 से अब तक, अब तक केवल चार वर्षों में ही 5520 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐतिहासिक काम किया है। विद्युत क्षमता में वृद्धि भी की गई है। मेगावाट के अन्दर 54.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपग्रेडेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम में भी सरकार ने कितनी वृद्धि की है। जो 400

(मोहम्मद माहिर आजाद)

किलोवाट के जी.एस.एस. थे वे 1998 तक एक था। 1998 से मार्च, 2002 तक दो हुए और आज पांच केन्द्र 400 किलोवाट के राजस्थान में कार्यरत हैं। यानि, 400 प्रतिशत की वृद्धि इस अपग्रेडेशन आफ ट्रांसमिशन सिस्टम के अन्दर की है। 220 के. वी. के जहां पर 35 केन्द्र 1998 में थे, आज 47 केन्द्र राजस्थान में कार्यरत हैं और इस तरीके से 34.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 132 के. वी. के 161 जी.एस.एस. 1998 तक काम कर रहे थे नवम्बर, 1998 तक। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में 234, 161 से बढ़ कर 234, 132 के.वी. के जी.एस.एस. राजस्थान में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 45.30 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है और जो 35 के.वी. के 1372 जी.एस.एस. अप टू नवम्बर, 1998 थे, आज उनकी तादाद बढ़कर 2029 हो गई। इसमें भी करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि राजस्थान सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इतना ही नहीं जो बिजली क्रय की गई है, वह क्रय करने के आंकड़े भी संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले आठ वर्षों में 1990 से 98 तक 70950 मिलियन यूनिट क्रय की गई बिजली, 70950 मिलियन यूनिट और इस सरकार ने केवल चार वर्षों में ही 50779 मिलियन यूनिट बिजली क्रय राजस्थान के लिए की है जिसका चालीस प्रतिशत हिस्सा किसानों को आपूरित किया गया है। इतना ही नहीं, यह भी हमारे सदस्य कह सकते हैं, साहब, यूनिट बढ़ी, राशि की भी स्थिति आप देखिये कि विगत आठ वर्षों में जहां विद्युत क्रय की लागत 7782 करोड़ रुपये आई. इन चार वर्षों के अन्दर विद्युत क्रय करने की राशि का जो भुगतान किया गया है वह 10212 करोड़ रुपये का किया गया है। यानि, जितना आठ साल में नहीं किया, उससे सवा गुणा, डेढ़ गुणा इन चार वर्षों के अन्दर बिजली खरीद कर इस भयंकर अकाल के समय राजस्थान के किसानों को और राजस्थान के जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे आप किसी भी क्षेत्र को देख लो, सड़कों की स्थिति जो थी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। 600 करोड़ रुपये की योजना बनाकर राजस्थान सरकार ने जो 24000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करने का और उन्नयन करने का काम किया है, आज जहां भी राजस्थान में जाते हैं बहुत अच्छी सड़कें देखने को मिलती हैं और इतना ही नहीं 32000 किलोमीटर ग्रेवल सड़क भी पिछले तीन सालों में अकाल राहत कार्यक्रमों के तहत बनाई गई। माननीय सभापति महोदय, राज्य आयोजना मद से गत चार वर्षों में 6805 किलोमीटर बी.टी. सड़कें भी बनाई गई हैं और इसके माध्यम से 4887

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ग्राम एवं 1201 पंचायत मुख्यालयों को भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चार साल में 510.92 करोड़ रुपये की राशि सड़कों के ऊपर व्यय की गई है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने सावन-भादो, परबन, सोम-कमला, अम्बा एवं जाखम मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के 5 लाख 76 हजार हैक्टेयर को सिंचित करने का कार्य पूर्ण किया है। इतना बड़ा क्षेत्र जो असिंचित था उसको सिंचित करने का काम किया है। इतना ही नहीं जो गरडदा, सूकड़ी-सेलवाड़ा और बांदी सेंदड़ा, तीन नवीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 161.33 करोड़ रुपये है, की स्वीकृति भी हुई है जिससे 18338 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को उससे सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी तरीके का प्रस्ताव है। माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना जिसकी अनुमानित लागत भी 310 करोड़ रुपये है, का 12 जुलाई, 2002 को आदरणीय सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण कर दिया गया है, जिसके माध्यम से भी 94 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी। गत चार वर्षों में एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सृजित हुआ है जबकि पहले के चार वर्षों में केवल मात्र 0.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित किया गया था।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पेयजल का सवाल है, राजस्थान में आप भली-भांति परिचित हैं कि लगातार चार साल से पड़ रहे अकाल के कारण जो हमारा अण्डर-ग्राउण्ड वाटर था वह बिलकुल नीचे चला गया। हमारे काफी क्षेत्र डार्क-जोर्न कर दिये गये थे। करीब जो 237 ब्लाक हैं उनमें से मात्र 49 ब्लाक ही सुरक्षित रह पाये थे और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान के अन्दर, माननीय तत्कालीन पेयजल मंत्री यहां बैठे हैं, इन्होंने और वर्तमान जलदाय मंत्री महोदय ने अपने कुशल प्रबंधन के जरिए राजस्थान की इस अकालग्रस्त जनता को, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो, चाहे हैण्ड पम्प से, चाहे नलकूपों के जरिए, चाहे टेंकर से पानी उपलब्ध कराकर, रेलवे से भी अगर पानी लिफ्ट करके लाना पड़ा तो वह भी लाये। नये स्रोत डवलप करने का काम किया और लोगों को इसमें पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया है। वर्षा के पानी को भी, माननीय सभापति महोदय, पहली बार राजकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया है ताकि हम उस पानी को भी सुरक्षित रख सकें।

जहां तक, माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास से सम्बन्धित बात है, कोई भी व्यक्ति जिसने यह जयपुर पांच साल पहले देखा हो उसको लाकर चाहे विधान सभा पर खड़ा करके और राजपथ दिखाइये, चाहे हवाई अड्डे से उसको रामनिवास बाग तक लाया जाए वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह वही जयपुर है। जिसको पिंक सिटी कहा जाता

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था और जिसको पैरिस आफ इंडिया कहा जाता था उसकी क्या दयनीय स्थिति थी, आज उसको वापस उसी स्थिति के अन्दर लाने का जो काम किया है। माननीय सभापति महोदय, जयपुर भी हैदराबाद और बैंगलोर से पीछे नहीं है। सुन्दरता के अन्दर जयपुर को भी बहुत आकर्षक बनाने का, बहुत अच्छी चौड़ी सड़कें, बहुत अच्छी लाइटें, खूब बढ़िया तरीके से विकास करने का काम शहर में किया है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 10–20 साल से तो हम सुनते आ रहे थे कि जो कृषि भूमियों पर आवासीय कालोनियां बस गईं और उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा था। लोग लाखों की संख्या में परेशान थे। पिछली सरकार के समय भी खूब इसकी मांग उठती थी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार 1999 में एक साथ पांच अधिनियमों में संशोधन करके जयपुर और प्रदेश के सभी शहरों में कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमितीकरण करने का काम इस सरकार ने किया है जिससे लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। माननीय सभापति महोदय, अकेले जयपुर में ही एक हजार कालोनियों का नियमन करने का काम इस सरकार ने किया है। एक हजार कालोनियों को। आप अन्दाज लगाइये कि उसके अन्दर कितने मकान होंगे और उन मकानों में कितने लाख लोग रहते होंगे, जिनको लाभ पहुंचाने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

एक और जो ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किया है। आज तक अक्सर यह होता था कि अचल सम्पत्ति का मालिक व्यक्ति होता था, उसकी पत्नी को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता था। इस सरकार ने पहली बार जयपुर में ही पचास हजार से अधिक परिवारों को, पति और पत्नी दोनों के नाम से पट्टे दिये हैं ताकि इस महिला सशक्तीकरण वर्ष में उस महिला को भी यह आभास हो कि मेरे नाम की कोई सम्पत्ति है और इसमें तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री, जो टोंक से आती हैं, उनकी भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं उनको भी इस कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अधिकतम नियमन सीमा जो 50 वर्ग गज थी, 50 वर्ग गज में तो लेट्रीन-बाथरूम भी नहीं बनता है। इस सरकार ने सोचा कि बड़े-बड़े लोगों के मकान जो हजारों गज के भू-खण्ड में बने और गरीब को हम 50 गज का टुकड़ा देकर कहें कि इसी में तू तेरा स्नानघर, इसी में रसोई, इसी में बैडरूम, इसी में बाथरूम और इसी में ड्राइंग रूम, तेरा सब कुछ इसी में बना लें, राजस्थान की इस लोकप्रिय सरकार ने यह सोचा कि उस गरीब आदमी को भी अलग-अलग कमरों में अलग-अलग सुविधाएं मिलनी चाहिए इसलिए 50 गज की सीमा को बढ़ा कर 300 वर्ग गज करने का काम भी इस सरकार ने किया है। जिन कच्ची बस्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता था, किसी तरह की कोई अड़चन थी, उनका भी ख़याल रखा और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उनको समझा-बुझाकर आगरा रोड पर पालड़ी मीणा में उनके लिए नई आवासीय बस्ती बनाकर उनको वहां पर शिफ्ट करने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस आर्थिक मंदी के दौर में जब अधिकतर उद्योग धंधे केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, उस स्थिति में केवल मात्र पर्यटन एक ऐसा उद्योग बचता है जिसके जरिए हम यहां के ट्यूरिस्टों को आकर्षित कर सकें। होटल वालों को, यहां पर दस्तकारों को, हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मुहैया हो सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है और एक नई पर्यटन नीति बनाकर लोगों को जो सुविधाएं मुहैय्या करायी हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का विकास होगा और पर्यटक राजस्थान के अन्दर आकर्षित होंगे। इसीलिए जैसलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, बूंदी और सवाईमाधोपुर में ए.डी.बी. योजना का विस्तार करते हुए 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया है जिसमें पुष्कर की स्वीकृति आ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान में नया रेंट कंट्रोल बिल भी पारित किया गया है और वह राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। गृह दर की भी एक नई सरलीकृत प्रणाली एक अप्रैल, 2003 से लागू कर दी जायेगी। सभापति महोदय, जयपुर में जलमहल परियोजना और पार्किंग प्रोजेक्ट को भी एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार पूरा करवाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सिर पर मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम को शीघ्र लागू किया जायेगा। यह एक जनवरी से प्रभावित कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सभी छह सम्भागीय मुख्यालय पर पत्रकारों के लिए जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में काम करते हैं, लोकतंत्र के अन्दर पत्रकारों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए छह के छह सम्भागीय मुख्यालयों पर पत्रकारों के भी विशेष आवासीय योजना बनाकर आरक्षित दर से भी 50 प्रतिशत की कम दर पर उनको भूखण्ड देने का साहसिक काम राजस्थान की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, वृद्धावस्था पेंशनर लोगों के लिए विश्रामघर, मूक बधिर और निःशक्तजनों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लिया है और इस सम्बन्ध में काम किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2002 में अभियान के तहत स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 8041 कब्जों का नियमन किया गया है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय सभापति महोदय, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया है। मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण का 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी जन प्रतिनिधि अक्सर यह शिकायत करते थे कि पटवारी के पास हम रिपोर्ट लेने जाते हैं तो कई-कई दिन का समय लग जाता है। कभी पटवारी उपलब्ध नहीं होता, कभी ग्राम सेवक से कोई सूचना लेनी होती है, कभी और किसी सरकारी महकमे से कोई सूचना लेनी होती है, राजस्थान सरकार ने इस राजस्थान के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए किसान और गरीब आदमी को सुविधा मुहैय्या कराने के लिए भू-अभिलेख से सम्बन्धित 80 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और जो 20 प्रतिशत बच रहा है उसको भी जुलाई, 2003 तक पूरा कर लिया जायेगा। पूरे राजस्थान के अन्दर यह ऐतिहासिक काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में, जैसे-शिक्षा के क्षेत्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो राजस्थान ने इतनी प्रगति की है जिसको मैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : सारे नन्हें-मुन्ने बच्चों का सत्यानाश कर दिया। एक भी बच्चा दसवीं पास नहीं करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले 10 वर्षों में, मैं चार वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं और तो सारी उपलब्धियां मैंने आपको पिछले चार वर्षों की बतायीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सफलता हमने हासिल की है, महिला साक्षरता का 20.44 से बढ़कर 44.34 यानि दुगुने से भी ज्यादा हुआ है। पुरुष साक्षरता 54.99 से बढ़कर 76.46 प्रतिशत हुआ है। राष्ट्रीय औसत जो 75.86 है इससे भी अधिक है यह। मैं इससे इंकार नहीं करता। मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों की तरह कंजूस नहीं हूं। मैं अच्छे काम की तारीफ करना चाहता हूं और जो कमी है उसको लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए। राजस्थान में जो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जो प्रगति प्राप्त की है, जिसके लिए प्रधानमंत्रीजी ने राजस्थान सरकार को पुरस्कृत भी किया है, प्रशंसित भी किया है। इसमें प्रतिपक्ष के माननीय नेता, गुलाब चन्दजी कटारिया का भी योगदान है, मैं उसका भी यहां जिक्र करना चाहूंगा। चाहे गुलाब चन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री रहे हों, चाहे उसके बाद में बी.डी. कल्ला साहब रहे हों, चाहे सी.पी. जोशी जी रहे हों, चाहे शांति धारीवाल जी रहे हों, इन चारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सिर पूरे देश के पैमाने पर ऊंचा करने का काम किया है।

प्रदेश में पहली बार 21,453 राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से साढ़े 12

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लाख छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है और इस प्रदेश में 1999 तक जहां 23 लाख बालक शिक्षा से वंचित थे, जिनको स्कूल का रास्ता पता नहीं था और जो यह नहीं जानते थे कि पढ़ाई क्या होती है। आज आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि "शिक्षा दर्पण" कार्यक्रम सर्वे के माध्यम से उन 23 लाख में से अब 1.26 लाख बच्चे बाकी बचे हैं, जिनको भी यथाशीघ्र इस शिक्षा दर्पण कार्यक्रम में जोड़ दिया जायेगा।

"सबको शिक्षा" के संकल्प का निर्वहन करते हुए राजस्थान सरकार ने जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी पाठशालाओं को स्थापित करने का अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह के शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। राजस्थान सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ भी गया है जो कचरा बीनने का काम करते हैं, जो भीख मांगने का काम करते हैं जिनका महल फुटपाथ और रेलवे स्टेशन होता है, जो घुमक्कड़ जातियां हैं, जिन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, राजस्थान सरकार ने उनकी तरफ भी ध्यान दिया और पूरे 32 जिलों के अन्दर मोबाइल स्कूल खोलने का काम किया है ताकि वह बच्चे भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1998-99 में इंजीनियरिंग की आठ संस्थाएं थीं और आठ संस्थाओं में 1606 सीटें थीं। आज राजस्थान में 30 इंजीनियरिंग के कालेज हैं जिनके अन्दर 7,684 छात्र इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एम.सी.ए. के पांच इंस्टीट्यूट थे जिनमें 270 सीटें थीं आज संख्या 5 से बढ़कर 15 हो गयीं और 890 सीटें इनको आबंटित की गई हैं। एम.बी.ए. के 10 केन्द्र थे, 481 सीटें थीं, 10 को बढ़ाकर दुगुनी करके 20 संस्थाएं आज काम कर रही हैं। इनमें 1078 लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फार्मेसी की 10 संस्थाएं थीं जिनमें 700 सीटें थीं। आज 13 संस्थाओं में 960 लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। सभापति महोदय, पालीटैक्निक की 24 संस्थाएं थीं जिनमें 2150 छात्र शिक्षा अर्जित करते थे और आज उन 24 में संख्या बढ़ाकर 2540 करने का काम किया है। आई.टी.आई. के 138 केन्द्र थे जिनमें 12156 छात्र लाभांवित होते थे, इनको बढ़ाकर 153 कर दिया और आज 13184 छात्र इससे लाभांवित हो रहे हैं।

सभापति महोदय, यह तो सरकारी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आई.टी.आई. और पालीटैक्निक कालेजों का खाका था। निजी क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं। निजी क्षेत्रों में 13 मेडिकल कालेज, 20 डेंटल कालेज, 6 नर्सिंग कालेज और 27 नर्सिंग स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

सभापति महोदय, जहां मैंने एक तरफ शिक्षा का जिक्र किया, दूसरी तरफ तकनीकी शिक्षा का जिक्र किया वहीं हम उच्च शिक्षा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में भी कीर्तिमान कायम रखने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। आजादी से लेकर 1998 तक जहां राजस्थान प्रदेश में केवल मात्र 6 विश्वविद्यालय कार्यरत थे, आज मुझे यह कहते हुए बड़ा फख्र है कि 6 की संख्या को बढ़ा कर 12 विश्वविद्यालय राजस्थान के अन्दर काम कर रहे हैं। आजादी के 50 साल बाद केवल 6 यूनिवर्सिटी राजस्थान में थी और आज केवल 4 साल के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत और उनकी इस सरकार ने 6 नये विश्वविद्यालय कायम कर के 12 विश्वविद्यालय राजस्थान में कर दिये हैं। अगर इसके बाद भी लोग इसकी तारीफ नहीं करें तो मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सरकार की हमेशा से नीति रही है और सरकार एस.सी., एस.टी., दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की हिमायती रही है। अभी माननीय सदस्य एस.सी., एस.टी. के कुछ छात्रावासों को बंद करने की बात कर रहे थे, राजस्थान सरकार ने एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम किया है। यहां बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज से जुड़े हुए जो भी राजस्थान में निगम कार्यरत हैं, जिनको 1998 तक केवल जो हिस्सा राशि राजस्थान की गारंटी थी वह, डाक्टर साहब 9 करोड़ थी, इस राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उसको बढ़ाकर दुगुना, तिगुना नहीं चार गुना से भी ज्यादा कर दिया, 9 करोड़ से बढ़ाकर 57 करोड़ करने का काम किया है। इतना ही नहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संस्थाओं में जो एस.सी., एस.टी. का आरक्षण 8 परसेंट था, एस.सी. के छात्र 8 परसेंट उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से आरक्षण के हिसाब से प्रवेश ले सकते थे, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य चले गये क्योंकि सच्ची बात उनको हजम नहीं होती, उसको 8 परसेंट से बढ़ाकर 16 परसेंट करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। सभापति महोदय, केवल एस.सी. का नहीं, एस.टी. का जो 6 परसेंट था उसको दुगुना करके 12 परसेंट करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, आज तक एस.सी., एस.टी. के छात्रों को तो प्रवेश में आरक्षण था लेकिन ओ.बी.सी. के छात्रों को इसमें कोई छूट नहीं थी। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य भी मांग करते रहे लेकिन पिछली सरकार में इनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि पहली बार राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए 21 परसेंट का आरक्षण करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया है।

श्री सभापति : नहीं लिया गया आपका नाम, आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मेरे नाम का उल्लेख हुआ है और कहा गया है कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा आप बताओ, एस.सी., एस.टी. का आरक्षण 8 परसेंट से 16 परसेंट किया या नहीं?

श्री सभापति : माहिर साहब।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 20 हजार रुपये प्रति वर्ष कोचिंग के लिए राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से देती थी उसको बंद करके हजारों एस.सी. के लोगों को डाक्टर, इंजीनियर बनने से वंचित कर दिया और बात कर रहे हो अटरू के विधायक का नाम लेकर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी तक आपका नाम नहीं लिया है लेकिन...

श्री मदन दिलावर : लिया था कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सभापति : आप सुन लें। लेकिन यदि आपका यही व्यवहार रहा तो नाम भी लिया जा सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के छात्रों के लिए केवल शिक्षण संस्थानों में आरक्षण करने का काम करके राजस्थान सरकार चुप नहीं बैठी और वह उससे भी आगे बढ़ी और आज तक जो एस.सी., एस.टी. पर होने वाले अत्याचार थे उनमें कमी लाने के लिए जो क्षतिपूर्ति राशि दी जाती थी उसको भी राजस्थान सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, जो तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री भी हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले अगर किसी एस.सी. के व्यक्ति की हत्या हो जाती थी, तो उसको 10 हजार रुपये देकर उसकी इतिश्री कर ली जाती थी, इसकी रोकथाम करने के लिए राजस्थान सरकार ने 10 हजार की राशि को बढ़ा कर एकदम 10 गुना करके एक लाख करने का काम किया है। सभापति महोदय, जो स्थायी रूप से शारीरिक क्षति हो जाती थी उसमें 10 हजार रुपये दिये जाते थे, उसको भी बढ़ा कर 25 हजार करने का काम किया है। जो अस्थाई क्षति हो जाती थी, जिस पर केवल दो हजार रुपये दिये जाते थे, उसको भी बढ़ाकर 10 हजार करने का काम सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए जो राशि सरकार ने बढ़ायी है उसके अलावा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए जुलाई, 2001 में राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया गया। पेंशन योजनाओं के लिए वर्ष 1997-98 के 22 करोड़ रुपये के प्रावधान को वर्ष 2002-03 में बढ़ाकर 133.97 करोड़ करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 1997 में जहां 2.20 लाख व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहे थे वहीं 2002-03 में इस संख्या को दुगुने से ज्यादा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कर के 5.63 लाख लोग पेंशन के दायरे में शामिल किये गये हैं। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो भी पेंशंस आती हैं, वह सारी शामिल हैं। (व्यवधान) भारत सरकार भी देती है और राजस्थान सरकार भी देती है, दोनों देती हैं। राजस्थान सरकार ज्यादा देती है। वृद्धावस्था पेंशन जो 100 रुपये थी उसको बढ़ाकर 200 रुपये तथा विधवा पेंशन जो 125 रुपये थी उसको बढ़ा करके भी 200 रुपये करने का काम किया है। वृद्धावस्था दम्पत्ति पेंशन 150 रुपये से बढ़ाकर 300 करने का काम किया है। सैनिक विधवाओं की पेंशन जो 300 रुपये थी उसको बढ़ाकर 750 रुपये करने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को पूरे 32 जिलों में लागू किया है। 7 करोड़ बच्चों को पोलियों की दवा पिलायी गयी है। स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए 37 लाख छात्रों का प्रति वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके तहत 2013 बी.पी.एल. के इलाज पर 10 करोड़ से अधिक की राशि सरकार ने व्यय करने का काम किया है।

सभापति महोदय, पहली बार बी.पी.एल. परिवार का पूरा चिकित्सा का खर्चा राजस्थान सरकार ने उठाने का ऐतिहासिक फैसला किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ए.पी.एल. से हैं, चाहे उनके हार्ट के वाल्व में खराबी आ जाए, चाहे उनकी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन का काम हो, चाहे दूसरे गम्भीर रोग हों उनको भी मुख्य मंत्री जीवन रक्षाकोष से पैसा देकर उनका इलाज कराने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटीज के लिए राजस्थान सरकार ने बड़े महत्त्वपूर्ण काम किये हैं।

सभापति महोदय, जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित चारों नियमों का गठन किया है और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान के विभिन्न सम्भागों को दृष्टिगत रखते हुए इतने अच्छे तरीके से राजस्थान के अल्पसंख्यकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है, इसके अन्दर अजमेर सम्भाग के, भीलवाड़ा जिले के हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री हफीज मोहम्मद साहब को बनाया। अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का अध्यक्ष एक आदिवासी क्षेत्र, उदयपुर सम्भाग के डूंगरपुर जिले के एडवोकेट असरार अहमद को बना करके उदयपुर सम्भाग का प्रतिनिधित्व किया है। यह दो सम्भाग हुए। राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष जयपुर के प्रमुख शायर और साहित्यकार राही शहाबी को बनाया तो उसका सैक्रेटरी राजस्थान में अदबी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण मुकाम रखने वाले टोंक के श्री इब्राहिम युसुफ कासमी को बनाने की जिम्मेदारी दी है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एक स्कूटर के दो पहिये होते हैं। अगर एक पहिये में 30 पौंड हवा हो और दूसरे में 15 पौंड हो, तो वह स्कूटर नहीं चल सकता। राजस्थान जहां शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैमाने पर आगे बढ़ा है। राजस्थान सरकार ने यह महसूस किया कि राजस्थान का शैक्षणिक दृष्टि से अगर और विकास करना है, तो राजस्थान के अल्पसंख्यकों को भी शैक्षणिक दृष्टि से दूसरे लोगों को बराबर लाना होगा, आधुनिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार उसमें करना होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में भी अन्य प्रान्तों की तरह मदरसा बोर्ड गठन करके, 50 लाख रुपये का बजट देकर और कोटा सम्भाग के अलाउद्दीन आजाद को उस मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, कई सदस्यों के पेट में दर्द हो रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मदरसों को सहायता केन्द्र सरकार भी देती है। केन्द्र सरकार क्यों नहीं रोकती है अगर गलत है तो? पार्लियामेंट में उप प्रधानमंत्रीजी ने एक सवाल के जवाब में यह उत्तर दिया था कि 8500 मदरसों की जांच करवायी गयी और उनमें 23 मदरसे संदिग्ध जरूर पाये गये लेकिन एक में भी आई.एस.आई. या राष्ट्र विरोधी किसी भी तरीके की गतिविधियां साबित नहीं हुई। आप जो मदरसों के ऊपर आरोप लगाते हैं और उनका विरोध करना चाहते हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, हवामहल से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं, पिछली सरकार ने वक्फ बोर्ड के जरिये इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के उपराष्ट्रपति माननीय भैरोसिंहजी शेखावत की फोटो छपवाकर उत्तर पुस्तिकाएं और किताबें बंटवाने का काम किया था या नहीं किया था? आज किस मुंह से आप इस बात को कहते हो? मैं सदन में निहायत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाषा का अन्तर है। हम स्कूल को पाठशाला कहते हैं। उर्दू में हम मख्तब कहते हैं। जहां किताबें पढ़ाई जाती हैं क्या आप उसको मदरसा कहते हैं जहां शिक्षा दी जाती है? पाठशाला, चटशाला कहते हैं? ये बनवारी लालजी साहब इस बात को समझते हैं उर्दू के शब्द हैं, केवल शाब्दिक अर्थ है। उनको उर्दू भाषा के अन्दर शिक्षा देने का काम किया जाता है। देश के राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादजी भी मदरसे में पढ़े थे और देश के बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने भी मदरसों में शिक्षा प्राप्त की है और आगे बढ़े हैं। इसलिए इस तरीके की संकीर्ण राजनीतिक बात करके मदरसों पर जो इल्जाम लगाने का काम करते हैं, मैं कठोर शब्दों में इसका खण्डन करता हूं। अगर किसी भी मदरसे के अन्दर राष्ट्र विरोधी गतिविधि पायी जाए तो यह माहिर आजाद आपको कहता है कि आप तत्काल उसको बन्द कर दीजिए और जो उसमें राष्ट्र विरोधी लोग पाये जाएं तो उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए लेकिन कोरी बातों से काम नहीं चलता है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राज्य सरकार ने 400 तृतीय श्रेणी के उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम किया। नये पद सृजित किये और 200 सैकण्ड ग्रेड के उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। 1998 तक मदरसों के लिए कोई आर्थिक योगदान, आर्थिक अनुदान किसी भी किस्म का नहीं दिया जाता था। पहली बार राजस्थान के मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए पहले बजट में 619 मदरसों के लिए 72 लाख रुपये दिये गये और अब पांच सौ मदरसों को उसमें शामिल करके 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मुहैय्या करायी गयी है। इस तरीके से 1119 मदरसों के लिए सरकार ने 1.32 करोड़ रुपये देने का जो काम किया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल यहां पर जो सारगर्भित भाषण पढ़ा उनके भाषण में सबसे ज्यादा जोर अगर किसी बात पर दिया गया था तो वह इस बात पर दिया गया था कि आतंकवाद और साम्प्रदाकियता से सख्ती से निपटा जाए। सभापति महोदय, यह कटु सत्य है कि आज देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वह है आतंकवाद और साम्प्रदायिकता। आतंकवाद केन्द्र सरकार की दोहरी नीतियों का परिणाम है। सभापति महोदय, आज केन्द्रीय सरकार जिस आतंकवादी सरगना अजहर मसूद को वापस तालिबान से मांगने की बात कर रही है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उस अजहर मसूद को कंधार में ले जाकर छोड़कर कौन आया था? आप खुद जाकर उनको छोड़कर आये और आज आप उसको वापस मांगने की बात कर रहे हैं। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की का अपहरण हो और तब कोई आतंकवादी छोड़े जाएं, तो आप उसको विरोध करो और आपके वायुयान का अपहरण करके कंधार ले जाएं, तो आप कुख्यात आतंकवादी को कश्मीर जेल से छुड़ाकर खुद अपने साथ विशेष विमान में ले जाकर छोड़कर आ जाएं, तो इस दोहरे मापदण्ड से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती। आपको एक नीति रखनी पड़ेगी, दोहरी नीति नहीं रख सकते।

सभापति महोदय, हमारे यहां कुछ भी काम हो जाए। किसी को छींक आ जाए, कहीं रेल का डिब्बा पलट जाए, कोई और मामला हो जाए तो हम तुरन्त कह देते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उस हाथ को पकड़ कर तोड़ने से आपको कौन रोक रहा है, कौन इंकार कर रहा है। देश की सत्ता आपके पास है, देश की फौज आपके पास है और देश की जनता जब आपके साथ है, तो केवल थोथे नारे देने से कि हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, कैसी आर-पार की लड़ाई हुई? सभापति महोदय, पूरा सदन और पूरा देश जानता है कि आर-पार की लड़ाई का नारा दिया, देश की सीमाओं पर फौजों को भेज दिया और उसके बाद फौजों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को वापस बुला लिया। अरबों रुपये इस गरीब देश का खर्च करने के लिए जिम्मेदार कौन है। वह पैसा अगर फौजों के मूवमेंट पर खर्च नहीं होता तो वह पैसा राजस्थान के अकाल के लिए मिलता, पैसा मिलना चाहिए था। आप फौज के मूवमेंट पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हो और राजस्थान की सरकार आपको इतने मैमोरंडम दे चुकी है कि हमको अकाल प्रभावित जनता के लिए इतना अनाज चाहिए, हमको पैसा चाहिए और केन्द्र सरकार वह सहायता मुहैय्या नहीं करवा रही है और फिजूल का खर्चा करने का काम कर रही है, इस दोहरी नीति को छोड़ना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरी जो बड़ी समस्या है वह है साम्प्रदायिकता की। साम्प्रदायिकता क्या है? हम जगह-जगह नारे लिख दें कि "गर्व से कहो हम हिन्दू हैं।" काश, इसकी जगह राष्ट्रीयता की भावना होती और यह लिखा जाता कि "गर्व से कहो हम भारतीय हैं" तो मैं इसका समर्थन करता। हम दीवारों पर यह लिख दें कि "हिन्दू-हिन्दू एक रहेंगे" काश, इसकी जगह यह लिखा जाता कि "हिन्दू और मुस्लिम एक रहेंगे" और इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे, तो मैं समझता लेकिन राष्ट्र की मुख्यधारा से अल्पसंख्यकों को जोड़ने वाले लोगों की स्थिति यह है। यहां चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। आप राष्ट्रीयता और राष्ट्र की मुख्यधारा की बात करते हैं, आपको क्या यह पता है कि हमारा राष्ट्रीय झण्डा जो तिरंगा है उसके तीन कलर किस चीज के प्रतीक हैं? पता है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये मेरा कौनसा एग्जाम ले रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा। केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, हरा रंग प्रगति का प्रतीक है और सफेद रंग शांति का प्रतीक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चलिए इन्हीं के कथनानुसार, राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग आपने बता दिये कि हरा रंग कृषि उत्पादन का है, केसरिया शौर्य का है और सफेद शांति का प्रतीक है, तो आपकी पार्टी का जो झण्डा है उसमें से यह सफेद रंग क्यों गायब कर दिया? यह साबित करता है कि आप शांति के तो नजदीक ही नहीं गये।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अपने आप ही इस बात को साबित करता है कि आप शांति के नजदीक ही नहीं हैं। आपका मकसद तो इस देश में अराजकता फैलाना है, इस देश के साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ना है और इस देश की कौमी एकता को खतम करना है। आपके स्वयं के कथनानुसार आपने सफेद रंग का तो उसमें प्रावधान ही नहीं रखा।

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, एक मिनट। सभी पार्टियों को भारत में अपना-अपना झण्डा अपनाने का अधिकार है इसलिए मेरे खयाल से इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। अब चलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कहां इसको चेलेंज कर रहा हूं, साहब। मैं तो यह कह रहा हूं कि ये तो शांति के नजदीक ही नहीं। उससे तो हजारों किलोमीटर दूर हैं इनके स्वयं के कथनानुसार।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, शांति हमारे सिद्धान्त में है इसलिए झण्डे में इस रंग की जरूरत नहीं है और जो नाटक करते हैं वे सफेद रखते हैं और काम क्या करते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब उनको बोलने दीजिए। उनको कनक्लूड करने दीजिए।

श्री सांवर लाल : हिन्दुस्तान में बड़ौदरा काण्ड की आज तक इन्होंने भर्त्सना नहीं की। साम्प्रदायिकता सौहार्द्र की बात करते हैं आप लोग।

मोहम्मद माहिर आजाद : करेंगे भी नहीं। देख लेंगे।

श्री सांवर लाल : नहीं करेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं आप जैसों से।

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब।

श्री सांवर लाल : फिरकापरस्ती बातें इस सदन में होंगी तो बरदाश्त नहीं की जाएगी, सभापति महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी : यहां भी गोधरा काण्ड कर दो। करवा दो यहां भी गोधरा काण्ड।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये समाप्त कर रहे हैं, करने दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : समाप्त हो जाएंगे ये तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी तो कांस्टीट्यूएंसी खतम हो गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : बसपा को तो शांत कर ही दिया अब इनको भी शांत कर देंगे।

श्री सभापति : चलो-चलो, छोड़ो अब।

मोहम्मद माहिर आजाद : बच गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऊपर पहुंच गयी अभी तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, कड़वी चीज हमेशा बुरी लगती है। सच्चाई हमेशा बुरी लगती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** वह आपको भी बुरी लगती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे भी लगेगी अच्छी बात होगी तो इसमें क्या बात हो गयी। (व्यवधान) भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, आप रहने दीजिए। एक सीट आप जीत गये उप चुनाव में तो आप अपने आपको तीसमारखां और तुर्रमखां समझ रहे हैं। एक सीट जीत कर राजस्थान का राज कोई आपके पास आ गया, यह सोचने लग गये क्या आप?

श्री धर्मपाल चौधरी : तीन जीती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दो तो आपके पास ही थीं। केवल एक ही तो जीते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके दल बदलने के साथ आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस का शासन वापस आयेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, बिलकुल आयेगा। (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री सांवर लाल : कांग्रेस आपके अलावा नहीं बचती इसलिये घुस गये क्या उधर जाकर?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह मैं क्यों घुसा हूं वह छोड़ें आप। सभापति महोदय, यह जिक्र आ गया तो जरा और सच्चाई से इस सदन को अवगत करवा दूं एक सीट उप चुनाव में ये जीत गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन।

(15.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सच्चाई से इस सदन को अवगत करा दूं, एक सीट उप चुनाव की ये जीत गये। (व्यवधान) दो तो आपके पास थीं।

श्री सांवर लाल : एक, एक (व्यवधान) यह हमारे पास बता रहे हैं बसपा से जीत कर आये हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : विपक्ष के पास थी न।

श्री सांवर लाल : विपक्ष में तो आप भी थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी कभी हमारे साथ थे, सांवरलालजी।

श्री सांवर लाल : जो दुनिया में नहीं उसको भी अपना नहीं मान रहे हैं। बड़े शर्म की बात है।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ हैं यह तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक उप चुनाव में सीट यह जीत गये और यह तो यह समझने लगे कि राज ही हमारा आ गया। (व्यवधान) इस उप चुनाव के बाद हाल ही में जिला परिषद् के 18 तारीख को दो सीटों के चुनाव हुए हैं। उसी बांसवाड़ा जिले में हुए हैं। बांसवाड़ा के एस.टी. की सीट थी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, बड़ी अच्छी टेप बजा रहे हैं... (व्यवधान) कल तक तो...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): माहिर आजादजी, आपने एक रामबाण फामूर्ला बनाया, वह क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : वही बता रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुजन समाज के कितने जीते? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा जिले में बालेश्वर दयाल जिंदा है। अभी कांग्रेस का कोई...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनका मैं भी सम्मान करता हूं। आप अकेले ही ठेकेदार नहीं हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : टेप अच्छी बदलवायी है आपने। बहुत अच्छी टेप बदलवायी है, माहिर हो आप। आप भी माहिर हो, यह भी माहिर हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सुनो, आप धैर्य रखिये, धैर्यपूर्वक सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसी बांसवाड़ा जिले में ही जिला परिषद् सदस्य का उप चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने एस.टी. के किशनलाल को उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने नागजी भाई को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के कैंडीडेट को 8682 वोट मिले और भा.ज.पा. के कैंडीडेट को मात्र छह हजार वोट मिले। ढाई हजार वोट से वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। यह उप चुनाव के बाद का परिणाम है।

जालौर जिले में भी जिला परिषद् के एक सदस्य का चुनाव हुआ। वह जनरल था जिसमें कांग्रेस ने श्री रामगोपाल को उम्मीदवार बनाया और भा.ज.पा. ने जयकिशनजी को उम्मीदवार बनाया। यहां भी 8259 वोट लेकर कांग्रेस का रामगोपाल विजयी हुआ। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 129 वोट से विजय हुई है पहले भी आपकी थी वो...

मोहम्मद माहिर आजाद : विजय तो हुई है। राजस्थान की जनता है, एक मिनट लगाती है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : दो चार से जीते तो आप 129 वोट से...

श्री हीरालाल विश्नोई : भा.ज.पा. ने कोशिश की घर में फूट डालने की, फिर भी दाल नहीं गली आपकी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, सच्चाई बुरी क्यों लग रही है?

श्री हीरालाल विश्नोई : पिछली बार... (व्यवधान) उसको भी टिकट देकर आपने कोशिश कर ली।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक चावल से ही, समय पार्टी का है, मैं आसन कहेगा तो समाप्त करूंगा और किसी की सुनता नहीं। इतना ही नहीं, जिला परिषद् ही नहीं पंचायत समिति के जो भी बाई इलैक्शन हुए वह सोलह सीटों पर हुए। सोलह सीटों में से आठ सीटें अकेले कांग्रेस विजयी करके राजस्थान के अन्दर कीर्तिमान स्थापित किया। बी.जे.पी. को मात्र चार सीटें मिली हैं और चार, दो-दो इंडिपेंडेंट जीते हैं वह भी कांग्रेस समर्थित हैं। यह पंचायती राज की बात नहीं यह बी.जे.पी. जो अपने आपको शहरों की पार्टी कहती है।

नगरपालिकाओं की स्थिति भी आपके सामने रख देता हूं। आठ नगरपालिकाओं के उप चुनाव हुए। इन आठ नगरपालिकाओं में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अलवर की खेड़ली है, चित्तौड़ की निम्बाहेड़ा, धौलपुर की बाड़ी, हनुमानगढ़ की भादरा, जोधपुर नगर निगम, नागौर की परबतसर, कोटा और पाली जिले की जैतारण, इन आठ नगरपालिकाओं को आठ वार्डों के चुनाव हुए इनमें भी चार के अन्दर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। इनके जो चेयरमैन के भी चुनाव हुए उन आठों के अन्दर चार अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं और एक कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार बना है। जिला परिषद् का दौसा का चुनाव हुआ। यहां इनका जिला प्रमुख था। एक उप चुनाव जीतने के बाद अहंकार कर रहे थे और अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे वह जिला प्रमुख का चुनाव भी आप हार गये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 17 मैम्बर कांग्रेस के थे... (व्यवधान) यह कोई जिला परिषद् की जीत आपकी जीत नहीं हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपकी है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी जीत है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कल तक क्या टेप बजा रहे थे आप और आज क्या बजा रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है निर्दलीय जितने भी जीते वह नन्दलाल बंशीवाल के खाते में मान लिए जाएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : धौलपुर जिले की बता दें जिला प्रमुख का विश्वास प्रस्ताव लेकर आयी थी कांग्रेस उसका क्या हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद : बताएंगे।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : आप बताओ न। सच्चाई को नहीं कहोगे, "पावस देख रहीम यों कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन"।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से संख्या के फेर में, चुनाव कई समीकरणों, कई स्थितियों पर निर्भर करता है। माननीय विपक्षी दलों को यह भी याद होना चाहिए कि लोक सभा में कभी इनकी सदस्य संख्या दो थी और यह भी याद होना चाहिए कि 1995 में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, भिनाय से आने वाले सदस्य और फलौदी से आने वाले सदस्य भी हमारे साथ थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छ लोकतंत्र की यह परम्परा होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज को अच्छी कहें और बुरी चीज को बुरी कहें। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पढ़ा और राजस्थान सरकार की...

श्री धर्मपाल चौधरी : मायावाती को अच्छा कहो कि अशोक गहलोत को अच्छा कहो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अब भी किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं अच्छी चीज जो है उस अच्छाई की तारीफ कर रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : वोट दोगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : किसको? उन्होंने आप जैसी साम्प्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा, सुन लीजिए। मैं वो आदमी हूं जो सत्ता बनने के बाद तो लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, मैं तो सत्तार छोड़ करके इधर आया हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यही होगा यहां भी।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका? वह आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज कल्याण में हो, चाहे अल्पसंख्यक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अन्दर राजस्थान की सरकार ने प्रगति करने का काम किया है। प्रदेश आंकलन के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार में देश में सबसे अग्रणी रहा है। देश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में सड़कों का जाल बेहतर स्थिति में आया है। 8.43 किलोमीटर संचार का बैकबोन निर्मित किया गया है। साक्षरता दर में 22.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। वर्ष 1999 में जब तेईस लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे आज उनकी संख्या घटकर 1.64 लाख रह गयी है। सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व टैक्स में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। अल्पसंख्यकों के लिए न केवल अल्पसंख्यक संस्थानों ने बल्कि पहली बार उपभोक्ता फोरम में एक योग्य जज अल्पसंख्यक को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बनाकर राजस्थान सरकार ने एक अनुकरणीय काम किया है।

राजस्थान में निरन्तर अकाल की स्थिति के बावजूद और केन्द्र सरकार की नाममात्र की सहायता भी नहीं देने के बावजूद कुशल अकाल प्रबंधन से राजस्थान के अभावग्रस्त लोगों को जो खाने-पीने की चारे की व्यवस्था करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे दिल की गहराइयों से महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले सदस्य ने रखा है, उसका अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा सदन इसको सर्व सम्मति से पास करेगा। अन्त में एक शेर सुनाकर के मेरी बात खतम करना चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): रामबाण का क्या हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद : राम मंदिर को तो आप ही भूल गये। चार साल में कहीं याद नहीं आया। जब चुनाव नजदीक आते

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं फिर आपका धर्म संकट शुरू होता है। वो तो आप भी भूल गये। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि "मैंने राज को आम होने न दिया।

उस चांदनी रात को बदनाम होने न दिया,

दुश्मनों ने लाख सर मारा

लेकिन मैंने अपनी अस्मत को नीलाम होने न दिया।" धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज सदन के विचारार्थ महामहिम राज्यपाल महोदय का वह अभिभाषण है जिसके धन्यवाद प्रस्ताव के लिए जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा और कई दलों की यात्रा करने के पश्चात् कुछ दिनों के लिए सत्ता का रसास्वादन लेने के लिए नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसका अनुमोदन किया। मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और विरोध मैं इसलिये नहीं करता कि मैं प्रतिपक्ष का सदस्य हूं बल्कि मैं विरोध इसलिए करता हूं कि हमारे राजनीतिक चिंतक राज्यपाल के अभिभाषण को एक तरह का सरकार का नीति पत्र मानते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार की रीति-नीति, कार्यक्रम और सरकार का दर्शन क्या है, यह परिलक्षित होता है परन्तु अफसोस इस पूरे अभिभाषण सहित मैंने सरकार द्वारा राज्यपाल के मुख से कहलवाये गये पांचों अभिभाषण पढ़े हैं। यह अभिभाषण जिसमें न। तो कोई दिशा है,

(15.10 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

अफसोस इस बात का है कि राज्यपाल के मुख से ऐसी कपोल कल्पित बातें कहलवायी गयी हैं, ऐसी सारहीन बातें कहलवायी गयीं जिसका कोई अर्थ नहीं है।

जब से यह सरकार आयी है, सरकार को +++ करने का बड़ा शौक है। चाहे राज्यपाल महोदय, के मुख से कहलवायें, या बजट भाषण के माध्यम से करें, घोषणाओं का अम्बार लगाना इस सरकार की पुरानी आदत रही है। सभापति महोदय, इस सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जो इस वर्ष घोषणाएं करायीं अगर आप पुराने अभिभाषण को पढ़कर देखेंगे, तो वही घोषणाएं पहले करवा रखी हैं। घोषणा कराने के पश्चात् इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनकी क्रियान्विति क्या हुई। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि इस अभिभाषण के जरिये न केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की गरिमा का ह्रास हुआ है बल्कि गरिमा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं याद दिलाना चाहूंगा इस सरकार का पहला अभिभाषण, जो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने जनवरी, 1999 में इस पवित्र सदन में रखा था। क्या कुछ नहीं कहलवा लिया था राज्यपाल के श्रीमुख से? यहां तक कहलवा लिया था कि पूर्ववर्ती सरकार, जिसका आठ वर्ष तक इस राजस्थान में शासन रहा, उसके शासन में हत्या होना, अपहरण होना, बलात्कार होना आम बात हो गयी, कानून व्यवस्था चरमरा गयी। न जाने क्या सोच कर इन्होंने कहलवाया? शासन की बागडोर इनके हाथों में आयेगी राजस्थान में अमन चैन हो जायेगा, राजस्थान में हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी और राजस्थान में अबला के साथ बलात्कार होना बंद हो जायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी है, इसकी बात मात्र नारा देने से, पारदर्शिता की बात कहने से, जवाबदेही की बात कहने से, इसका मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन राजस्थान का आम-अवाम कैसे करता है, इससे होता है।

राजस्थान के अन्दर पिछले एक साल में जो सरकारी रिकार्ड कहता है उसके अनुसार राजस्थान की धरती पर कहीं न कहीं 1276 हत्याएं हुईं, 1051 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 2587 अपहरण हुए, हत्या के प्रयासों के 2243 मामले हुए, नकबजनी की घटनाएं 6661 हुईं, जाली नोटों के प्रकरण 56 सामने आए। अब जिसके शासन में, जिस सरकार के शासन में प्रत्येक दिन 4 हत्याएं हों, 3 जगह अबला की इज्जत लूटी जाएं, 7 जगह अपहरण हो, 25 जगह जिसमें बलवा हो और एक दिन के अन्दर 23 नकबजनी हो, आज वही सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से कहलवाना चाहती है कि हमने बड़ी चुस्त-दुरूस्त कानून व्यवस्था दी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी कल ही गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी बड़े फूले समा रहे थे कि राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योगपति रश्मिकांत दुर्लभजी की पत्नी का जो अपहरण हुआ, वह 17 दिन के पश्चात् राजस्थान की पुलिस ने अपहरणकर्त्ताओं के चंगुल से मुक्त करा कर वाहवाही लूटी। हमें भी प्रसन्नता है कि राजस्थान के अन्दर जिस तरह का खौफ का वातावरण था उस खौफ के वातावरण में कमी आयी है। परन्तु राजस्थान के समाचार पत्रों को पढ़ें। कल का दैनिक ट्रीब्यून पढ़े। सुमेधा दुर्लभजी को अपहरणकर्त्ताओं से मुक्त कराने का अगर सारा का सारा काम किसी ने किया है तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया, राजस्थान सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं। अगर राजस्थान सरकार यह कहे कि उनकी कानून व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं यहां मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले में एक व्यापारी के पुत्र का अपहरण हुआ। समाचार-पत्रों में सुर्खियों में वह सारी बात आयी और उस व्यापारी के पुत्र को अपहरणकर्त्ताओं को फिरौती देकर छूटना पड़ा। आज जयपुर के अन्दर कोटेवाला का अपहरण हुआ, फिरौती देकर छूटा.. (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : वह भी पुलिस अपनी व्यवस्था के आधार पर छुड़वाकर वापस लेकर आयी थी इसलिये यह कहना...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बैग दिया था। भारी भरकम बैग दिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर कोटेवाला का अपहरण हुआ फिरौती देकर छूटना पड़ा और हनुमानगढ़ के अन्दर कांट्रेक्ट किलिंग हुई और कांट्रेक्ट किलिंग करने वाला अभियुक्त संजय विश्नोई पुलिस की हिरासत में भाग गया। सीकर की पुलिस पर डकैतों को खुले आम संरक्षण देने का आरोप है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और तो और मुख्य मंत्रीजी के निवास से राजस्थान की राजधानी के अन्दर तीन सौ मीटर की दूरी पर डूंडलोद हाउस में दिन दहाड़े बृज किशोर हेड़ा की हत्या हुई। हत्यारे आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आये। राजधानी में दिन दहाड़े केसरसिंह की हत्या हुई, हत्यारे पुलिस की पकड़ में नहीं आये। देवली के अन्दर एक पुलिस का नोजवान, एक सेना का नौजवान जो सेना में सीमा पर नौकरी करता था, छुट्टी लेकर वह अपने घर आता है और अपने घर आने के लिये बस में चढ़ता है, तो पुलिस उसको पकड़ती है और पीट-पीट कर उसको मार डालती है। आज तक कोई कार्यवाही इस संदर्भ में नहीं हुई। श्रीमाधोपुर में जहां से मंत्री महोदय, आप आते हैं, आपके विधान सभा क्षेत्र में मूंडरू गांव के अन्दर एक हरिजन की निर्मम हत्या होती है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब वहां की जनता आन्दोलन करती है, तो मंत्रीजी, आपके इशारे पर उन पर निमर्म लाठीचार्ज होता है। क्या यही संवेदनशीलता का परिचय है? किशनगढ़ के अन्दर मार्बल व्यवसायी की बच्ची पर सरेआम तेजाब छिड़का जाता है। पारदर्शिता की बात कहना बड़ा आसान है पर वस्तुस्थिति में आज राजस्थान के अन्दर कानून का राज समाप्त हो गया। हत्या के अभियुक्त धौलपुर से भागते हैं, हत्या के अभियुक्त गंगानगर से भागते हैं और उसके बाद भी यह कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा कानून का राज दिया। और तो और हमारी आस्था के प्रतीक है भगवान। हम सब खुदा और भगवान में विश्वास करते हैं। इस सरकार के रहते मंदिर में भगवान सुरक्षित नहीं हैं। वर्ष 2001 में 10.9 मूर्तियां राजस्थान के अलग-अलग मंदिरों में चोरी हुई और यह पुलिस उनमें से मात्र 15 मूर्ति बरामद कर सकी, बाकी मूर्तियां आज तक बरामद नहीं हुई। वर्ष 2002 में 71 जगह पर मूर्तियां चोरी हुईं, बेशकीमती मूर्तियां आज राजस्थान की धरती के जरिये विदेशों में चली गयीं और पुलिस ने मात्र चार मूर्तियों को बरामद किया, बाकी मूर्तियां पुलिस बरामद करने में नाकामयाब रही।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गुप्तचर विभाग के राजस्थान के मुखिया अरुण दुग्गड़, वह यह कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.सी.आई., पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फैडरल इंटेलीजेंस सर्विस और पाकिस्तान की एम.आई. मिलिट्री एजेंसी सर्विस का राजस्थान में नैटवर्क स्थापित हो गया है। आज राजस्थान की लचर कानून-व्यवस्था को देखते हुए पाकिस्तान से लगी हुई हमारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की सीमा भी सुरक्षित नहीं है। आज सामरिक दस्तावेज राजस्थान की सीमा से सरेआम पाकिस्तान जा रहे हैं।

सभापति महोदय, और तो और गुजरात के अन्दर अभी गुजरात पुलिस ने चौबीस करोड़ की स्मैक पकड़ी थी और स्मैक जिससे पकड़ी जब उससे पूछताछ की गयी, जब उससे सारी जानकारी ली गयी, तो गुजरात की पुलिस ने राजस्थान के डी.जी. को पत्र लिखकर कहा कि इस पूरे स्मैक के व्यापार के अन्दर एक, दो नहीं एक डीवाई.एस.पी. सहित 18 पुलिसकर्मी लिप्त हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही की बात को छोड़ें जो डीवाई.एस.पी. लिप्त है उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कैसा कानून का राज है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो इस पर धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आये हैं, अकाल पर बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि यह सदी का सबसे भयंकर अकाल है। इस बार राजस्थान के अन्दर औसत से साठ प्रतिशत कम बरसात हुई है और जब से यह सरकार आयी है, इस सरकार के साथ अकाल का तो जैसे चोली-दामन का साथ है। मुख्य मंत्रीजी ने नारा दिया था "बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ" न जाने इन्द्र देव ने पानी बचाओ वाली बात सुन ली होगी इसलिए फैसला कर लिया। ज्योंही यह सत्तासीन हुए राजस्थान से इन्द्र देव रूठ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता सही कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने जब कांग्रेस पार्टी को तीन सीटों पर जो अलग-अलग संभाग से थीं, वहां शिकस्त दी तो मावठ की बरसात कुछ ठीक हुई है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर इस वर्ष 40,679 गांवों में अकाल है। साढ़े चार करोड़ पशुधन और चार करोड़ छियालीस लाख जनसंख्या इस अकाल की गिरफ्त में है। सरकार ने अभी जो स्टेडी टीम आयी उसको जो आंकड़े प्रस्तुत किये, उसके अनुसार राजस्थान के अन्दर इसी एक वर्ष में 4414 करोड़ की फसल नष्ट हुई और पिछले पांच वर्षों के नष्ट हुई किसान की फसलों के आंकड़ें, सरकार के आंकड़ों के अनुसार जोड़ें तो यह 14867 करोड़ आता है। अब आप अंदाज लगायें कि राजस्थान का वह 76 प्रतिशत लोग जो धरती पर जिंदा हैं, उस किसान की लगातार पांच वर्षों में 14867 करोड़ की फसल तबाह हो जाये तो उसके हालात कैसे होंगे।

सभापति महोदय, अभी अकाल प्रबंधन की बहुत बड़ी-बड़ी बात जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही और महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से भी कई बार कहलवाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान का वैसे तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शानदार इतिहास रहा है पर सर शर्म से उस वक्त झुक गया जब राजस्थान में भूख से मौत की खबर यहां राष्ट्रीय मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में प्रकाशित हुई और तो और सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबिर्टी ने एक जनहित याचिका दायर की, 30 अक्टूबर, 2002 को हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृपाल जी की खण्डपीठ ने फैसला करते हुए राजस्थान की सरकार के अकाल प्रबन्धन पर जो टिप्पणी की मैं समझता हूं कि राजस्थान निर्माण के पश्चात् हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं की।

हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि राजस्थान के अन्दर भूख से मौत हुई तो उसकी सीधी जिम्मेवारी राजस्थान के मुख्य सचिव पर होगी और इसके साथ ही यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार से अब और अनाज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, तो सरकार का पक्ष रखने वाले वकील भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने सारे तर्क भी वहां रखे। उनको सुनने के पश्चात् जब हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह कहें कि राजस्थान सरकार का अकाल प्रबंधन इतना लचर है कि इनको केन्द्र सरकार से, गरीब के पेट में गेहूं जाएं, उसके लिए जो गेहूं दिया गया था उसका उपयोग यह नहीं कर पाये इसलिए राजस्थान के मुख्य मंत्री को केन्द्र सरकार से और गेहूं मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनको कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के प्रबंधन पर लताड़ पिलायी। दूसरी तरफ माउंट आबू में राजस्थान के मुख्य मंत्री सहित राजस्थान के एक दर्जन मंत्री प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधी की स्तुति में लगे रहे। माउंट आबू के पांच सितारी होटल में, राजस्थान का गरीब व्यक्ति किशनगंज शाहबाद में भूख से मरता है उस समय पांच सितारी होटल में सरकार के खर्चे से राजस्थान की सरकार अपना राजनीतिक कार्य करे, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। सरकार ने कई लाखों का बिल...

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, आप कुछ प्रमाणों के साथ सरकारी खर्चे की बात करें। आप कुछ चैलेंज दें सरकारी खर्चे के मामले में तो हम उसको स्वीकार करें।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि माउंट आबू में सरकारी खर्चे पर यह व्यवस्थाएं की गयी। यह बिलकुल गलत टिप्पणी है। मैं चाहूंगा कि इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सांवर लाल : ऐसी कितनी टिप्पणी सदन की कार्यवाही से निकाली गयी... (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप लोगों को आदत ही ऐसी पड़ी है कि भाषण ही पूरा निकाल देना चाहिए।

श्री सांवर लाल : बिराज जाएं आप, खर्चा होगा...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो बात असत्य है, वह बता देंगे कि गलत बात है, जब मुख्य मंत्रीजी को अवसर मिलेगा और यदि यह गलत कह रहे हैं, तो वह बता देंगे कि क्या खर्चा हुआ।

श्री सांवर लाल : फिर आप बता देना कहां से वह खर्चा लाये।

डा. महेश जोशी : आप आरोप तो लगाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार ने माउंट आबू की नगरपालिका के पास लगभग दो लाख रुपये के बिल भेजे। जो सरकार के पांच सितारा होटल के अन्दर राजनैतिक शिविर, चिंतन के थे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माउंट आबू नगरपालिका की वित्त समिति ने उन बिलों को वापस लौटा दिया कि हम इन बिलों को नहीं देंगे स्वायत्तता की बात करने वाले मुख्य उप सचेतकजी नगरपालिका का पैसा आम-अवाम का पैसा है उससे अपने राजनीतिक चिंतन शिविर में किये गये खर्चे को निकालना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कहते हैं कि माउंट आबू में जो शिविर लगा उसमें सरकार का धन नहीं लगा।

अभी बात यह चली थी कि भूख से मौत की बात को कह कर हम राजस्थान में पर्यटन व्यवसाय को धक्का पहुंचाने का काम नहीं करें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पीयूसीएल जो कि देश का प्रतिष्ठित एनजीओ है। उसने अपना जांच दल राजस्थान में भूख से हुई मौतों के संदर्भ में भेजा, उसका निष्कर्ष है कि राजस्थान में अकेले सितम्बर, अक्टूबर माह में 12 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत भूख से हुई। केन्द्र सरकार ने जांच दल भेजा, जो वी.बी. पटनायक के नेतृत्व में आया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मौत भूख व कुपोषण व समय पर दवाइयां नहीं मिलने के कारण हुईं। राजस्थान की सरकार ने 26 अक्टूबर को तीन सैक्रेटरीज का एक जांच दल बनाया, वह जांच दल जब किशनगंज शाहबाद गया, उसने यह कहा कि मौतें हुई हैं। किशनगंज, शाहबाद में मौत हुई हैं। लेकिन मौतें भूख से नहीं हुई हैं, उनको आधा पेट खाना मिला, आधा पेट भूखा रहने के कारण मौतें हुईं। यह सारी बातें बताती हैं कि राजस्थान की इस धरती को इस सरकार ने कलंकित किया है कि राजस्थान में भूख के कारण मौतें हुई हैं।

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य, आज तक पूरी दुनिया में एक भी घटना आप ऐसी बता दें कि आधा खाने से किसी की मौत हुई हो, एक घटना तो बताएं। आप कैसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : भूख से मौतें नहीं हुई हो तो...(व्यवधान) आप भी चलो और मैं भी चलता हूं...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : भूख से कोई मौत नहीं हुई। अगर आप समाचार पत्रों की बात को सही मानते हो तो आपको यह भी सही माननी पड़ेगी जो आपके बारे में समाचार पत्र लिखते् हैं वह सारी बातें सही हैं।

डा. के. सी. चौधरी : मौतें हुई हैं कुपोषण से, मालन्यूट्रीशन से मौत हुई है... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह उप मुख्य सचेतक महोदय जो बोल रहे हैं वह बिलकुल गलत है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मालन्यूट्रीशन से हुई...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दौसा जिले की लालसोट तहसील में एक व्यक्ति की भूख से मौत हुई...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कन्टीन्यू रखें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके कैबिनेट मंत्री परसादी लालजी मीणा के विधान सभा क्षेत्र में भूख से मौत हुई।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** अखबारों में खण्डन आ गया और यह प्रचार करने वालों ने माफी मांगी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे जिले में पचास से ज्यादा लोग भूख से मर गये...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह प्रोपेगेण्डा बिलकुल सही नहीं है। यह बिलकुल गलत है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अगर उसकी भूख से मौत नहीं हुई, तो मैं आज ही इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊंगा... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पूरे राजस्थान में कोई भी भूख से मौत नहीं हुई है।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, बोलें।

श्रीमती शांति पहाड़िया : जो मौतें हुई हैं वह बीमारी के कारण हुई हैं। कोई भूख के कारण नहीं हुई हैं...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप जांच करवा लीजिये और अगर आपका लगाया गया आरोप सही नहीं पाये तो इस्तीफा दे दीजिए...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप जांच करवा लीजिए। या तो आप दे देना या मैं दे दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** सरकार ने अपने स्तर पर जांच करवा ली। पूरे राजस्थान में भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विधान सभा की कमेटी से जांच करवा लीजिए। या तो आप इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा। है क्या दम? (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : यह मौतें बीमारी के कारण हुई हैं...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, भूख से मौत होना किसी तरीके से समझ में आने वाली बात इसलिए नहीं है कि व्यवस्था इस तरह से की गयी है कि

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

छोटे से छोटे गांव के अन्दर भी दो बोरी अनाज की रखी हुई हैं...(व्यवधान) किसी भी गरीब आदमी को, असहाय व्यक्ति को... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भूख से मौत नहीं हुईं तो मुख्य मंत्रीजी खीर खाने क्यों गये थे? आदिवासियों की खीर खाने गये थे मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वहां अनाज क्यों नहीं रखा हुआ? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह असत्य इलजाम है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पूरे गांव में एक भी बोरी, एक भी अन्न का दाना नहीं रखा हुआ है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उप मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी खीर खाने क्यों गये थे आदिवासियों की? अगर भूख से मौत नहीं हुई है तो वहां ढोंग क्यों करने गये थे? (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक मिनट, मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी, वह मरने वाला भी बैरवा जाति का था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने बहकाया था कि भूख का मामला लगा आ, कुछ मुआवजा मिल जायेगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने खण्डन कर दिया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, यह जवाब के टाइम पर दे दें, बार-बार बीच में उप मुख्य मंत्रीजी खड़े हो रहे हैं, माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय राठौड़ साहब, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जी पण्डितजी, प्रणाम पण्डितजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, जिस तरह से हरिजन छात्रावास शिफ्ट किया गया, उसी तरह से मौत शिफ्ट कर दिया गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : भारत माता की जय हो। यही एक सच्चे हैं कांग्रेस में बाकी सब झूठे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए आपके सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भूख से मौत की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव वी.बी. पटनायक के नेतृत्व में एक जांच दल आया। सभापति महोदय, उस जांच दल ने शाहबाद, किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया, पूरी जांच करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्थान के अन्दर विशेष तौर से शाहबाद और किशनगंज में भूख से मौत हुई है।

सभापति महोदय, जिस शानदार अकाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रबन्धन की बात अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका अकाल प्रबन्धन कैसा है, आज जिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं, उन महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी आपके अकाल प्रबन्धन के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया। राज्यपाल राज भवन से निकल कर राजस्थान के गांव तक गए, राज्यपाल जयपुर जिले में गए, राज्यपाल चूरू जिले में गए, राज्यपाल करौली जिले में गए, नागौर जिले में गए, बीकानेर जिले में गए। सभापति महोदय, वहां जाकर उन्होंने अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण किया और अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण करने के पश्चात् उन्होंने जो फटकार लगाई, जो समाचार-पत्रों में साया हुई, मैं समझता हूं कि जहां राज्यपाल कहें कि अकाल प्रबन्धन ठीक नहीं, जहां भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय कहे कि अकाल प्रबन्धन ठीक नहीं, जहां भूख से मौत की पुष्टि केन्द्र सरकार का जांच दल करें, जहां पी.यू.सी.एल. जैसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था का जांच दल कहे और जहां खुद राजस्थान सरकार के तीन सैक्रेटरियों की समिति यह माने कि मौत कुपोषण और आधे पेट अन्न से हुई है, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें राजस्थान के अकाल प्रबन्धन की कलई खोलती है।

जिस तरह का अकाल प्रबन्धन आपने किया है, मैं समझता हूं कि समय पर आपको चेतना चाहिए वरना राजस्थान का आम अवाम आपको माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, यहां पर चर्चा हुई इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लेकर, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य, सबने एक बात बार-बार कही कि केन्द्र सरकार ने अकाल पीड़ित राजस्थान को पर्याप्त सहायता नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको ध्यान होगा कि अकाल प्रबन्धन के अन्दर वित्तीय सहायता कितनी किस राज्य को मिले यह हमारे संविधान के अन्दर जो हमारे वित्त आयोग बने हैं, उन वित्त आयोगों के अन्दर व्यवस्था की गई है, दसवां वित्त आयोग हो, ग्यारहवां वित्त आयोग हो, इन दोनों वित्त आयोगों की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी है। सी.आर.एफ. जिसके अन्दर 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की और 25 प्रतिशत राशि राज्य की होती है, उसका प्रावधान किया गया। इसके साथ-साथ ग्यारहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक आकस्मिक निधि का गठन किया और पूरे देश के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, दसवें वित्त आयोग ने सी.आर.एफ. में जो राशि पूरे देश के लिए 6304 करोड़ रुपये थी, उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बढ़ाकर ग्यारहवें वित्त आयोग ने 1108 करोड़ रुपये किया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह आरोप लगाते हैं कि केन्द्र सरकार ने पर्याप्त मदद नहीं की, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों 1995 से लेकर 2000 तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य को सी.आर.एफ. और एन.सी.आर.एफ. में जो राशि दी है, सरकार उसको पूरा खर्च नहीं कर पाई। सरकार का यह 2000–2001 का प्रगति प्रतिवेदन है।

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य, कितनी राशि दी, थोड़ा लिखा दें, थोड़ा बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रगति प्रतिवेदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह प्रगति प्रतिवेदन मेरा नहीं है। उप मुख्य सचेतकजी, हालांकि आपके वश की चीज नहीं क्योंकि आपने कभी कोई प्रगति प्रतिवेदन आज तक किसी विभाग का देखा नहीं होगा।

डा. महेश जोशी : मैं आपकी प्रगति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000–2001 का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उप मुख्य सचेतकजी, इसके अन्दर लिखा है, प्राकृतिक आपदा कोष में बजट प्रावधान, यह शीर्षक है और लिखा है, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वर्ष 1999–2000 के अन्त में प्राकृतिक आपदा कोष में बची राशि 155.65 करोड़ रुपये का स्थानान्तरण राज्य की राजस्व आय में कर दिया गया है, यह आपका प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1995 से लेकर 2000 और विशेष तौर पर जब से आप शासन में आए हैं तब से जितना पैसा आपको अकाल प्रबन्धन के लिए सी.आर.एफ. और एन.सी.आर.एफ. में मिला, आपने उसको खर्च नहीं किया, उल्टे उसमें से 155 करोड़ रुपये बचाए।

सभापति महोदय, इसके अलावा 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक, यह दूसरा प्रगति प्रतिवेदन है 2001–2002, इसमें लिखा है, वित्तीय वर्ष 2000–2001 के प्रारम्भ 1 अप्रैल, 2000 को प्राकृतिक आपदा कोष में अवशेष राशि "शून्य" रही क्योंकि वह राशि 155 करोड़ रुपये आपने ट्रांसफर कर दी। वर्ष के दौरान इस मद से 261.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिनमें 156 करोड़ रुपये केन्द्र का है व 65.34 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से के रूप में मिले। इसके अतिरिक्त 187.93 करोड़ रुपये एन.एफ.सी.आर., यह भारत सरकार ने दिया है, यह पैसा भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की मदद के लिए दिया। एन.सी.आर.एफ. के तहत .67 करोड़ रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यह कुल प्राप्त राशि 4449 करोड़ रुपये के विरुद्ध

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 4044.74 करोड़ रुपये विभिन्न राहत गतिविधियों के कार्यों में खर्च किए। यह इनका प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है। अब बात आई आगे की, 2001-2002, मैं सिलसिलेवार जब से यह सरकार आई है, इस सरकार की आदत पड़ गई है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केन्द्र सरकार को पत्थर मारे। हमारे मुख्य मंत्रीजी की आदत पड़ गई है कि एक पत्र लिख कर, पत्र वहां पहुंचता बाद में है और समाचार पत्रों में दे देते हैं। मैं प्रशंसा करूंगा कि इस सरकार का मीडिया प्रबन्धन में इसका कोई सानी नहीं है। सभापति महोदय, सरकार न गांव में, न सरकार शहर में, यह सरकार मात्र मीडिया में है, इसलिए मीडिया के माध्यम से यह राज्य सरकार आम लोगों के पास यह समाचार पहुंचाना चाहती है कि केन्द्र सरकार मदद नहीं करती, इनका अकाल प्रबन्धन ठीक है और अकाल प्रबन्धन में अगर कोई कमी है तो केन्द्रीय सहायता से है।

अब 2001-2002 का भी सुन लीजिए। उप मुख्य सचेतक महोदय, आप लिख लें चाहे, सी.आर.एफ. में आपको मिला 217 करोड़ रुपये, एन.सी.सी.एफ. में आपको मिला 85 करोड़, एक मिला, 28.97 करोड़ रुपये, एक मिला प्रधानमंत्री सहायता कोष से आपको मिला 50 करोड़ रुपये, केन्द्र से जो गेहूं प्राप्त हुआ मुफ्त वह 265 करोड़ रुपये का हुआ, कुल 646 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि मिली। सभापति महोदय, उसके बदले में उस वर्ष इन्होंने 321 करोड़ रुपये की राशि खर्च की।

सभापति महोदय, अभी जनवरी के अन्दर जो स्टडी टीम आई, जिस स्टडी टीम को राज्य सरकार ने यह ज्ञापन प्रस्तुत किया, 1.1.2003 से 31.7.2003 तक, उसके अन्दर उन्होंने खुद अपने ज्ञापन में लिखा है, इन्होंने लिखा है, वर्ष 2002-2003, जो पैसा कुल मिला है, वह मिला है इनको, सी.आर.एफ. में 2002-2003 में मिला है 173 करोड़ रुपये, स्टेट शेयर 57 करोड़ रुपये, एन.सी.सी.एफ. के अन्दर मिला है 11.67 करोड़ रुपये, ये 240 करोड़ रुपये हुए।

सभापति महोदय, इन्होंने नीचे इसमें लिखा है एक्सपेंडीचर अकर्ड आन ड्राट, यह सारा नवम्बर, 2001 से जून, 2002 और उसके अलावा सारा पैसा जो इन्होंने ज्ञापन दिया, उस दिन तक 231 करोड़ रुपये खर्च किया है। ये सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि राजस्थान की सरकार ने अपने बजट में से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की बल्कि राजस्थान की सरकार ने जो अब तक की इनकी वार्षिक योजना है, जो सरकार बजट प्रस्तुत करती है, वार्षिक योजना उसका आधार होता है। अकाल के नाम पर राजस्थान की सरकार ने 1982 करोड़ रुपये की वार्षिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

योजना में कटौती की है। कोई ऐसा साल नहीं छोड़ा जिस साल आपने वार्षिक योजना में कटौती नहीं की हो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़ी बात इन्होंने अपने वित्तीय प्रबन्धन की, की है, उसके साथ-साथ ऊर्जा के अन्दर बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही, मैं उस पर आऊं उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले एक घोषणा-पत्र का प्रकाशन कराया था और घोषणा-पत्र में इन्होंने यह कहा था कि प्राकृतिक आपदा से अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए, तो उसको 500 रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान देंगे। घोषणा-पत्र तो हालांकि इनका झूठा पत्र साबित हो गया, परन्तु इसके साथ-साथ भारत सरकार को जब इन्होंने ज्ञापन दिया, यहां तक कि यह जो ज्ञापन इन्होंने अब दिया है, इस ज्ञापन में इन्होंने कहा है कि 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर लघु सीमांत किसान को इंपुट सब्सिडी देना चाहते हैं, 234.56 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के लिए इन्होंने मांग की और अभी जो अभिभाषण महामहिम का इस सदन में पढ़ा, उस अभिभाषण के पृष्ठ छह में यह कहा है कि भारत सरकार से इंपुट सब्सिडी के लिए 155.68 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये। प्राप्त हो गये, पैसा इनके पास है। सभापति महोदय, किसान को देने का पैसा भारत सरकार ने जो तय किया, 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर, जो किसान प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, उसको पैसा दिया जाए, यह निरंकुश सरकार उस पैसे को दबाए बैठी है। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैसा, जो राजस्थान के किसान की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने जो 157 करोड़ रुपया दिया है वह दिया है प्रति किसान को एक हजार रुपये इंपुट की सब्सिडी देने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही मैं कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 27 लाख स्माल और मार्जिनल फ़ार्मर हैं और 30 लाख किसान उससे ऊपर वाले हैं। उन सबको पैसा देने के लिए करीब 657 करोड़ रुपये चाहिए। अब इसको कैसे बांटे यह आप फैसला कर दो। इस 157 करोड़ को 57 लाख में कैसे बांटे, आप फैसला कर दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा नहीं है, सभापति महोदय, यह जो आप बता रहे हैं 15-16 अरब रुपये होते हैं। केन्द्र सरकार के पास हमारा मामला विचाराधीन है। आप केन्द्र सरकार से बात करके दिलाएं, इसमें 25 परसेंट राजस्थान सरकार शामिल कर लेगी और आप चाहेंगे जैसा दे देंगे। मार्जिनल को भी दे देंगे,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सूखे वाले को दे देंगे, बरसात वाले को दे देंगे, आप चाहो जैसा कर देंगे। आप खुद प्रभावशाली नेता हैं, आप पता कीजिए, हम खुद चाहते हैं किसानों को मिले। बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं चाहता हूं आप इस मामले को उठाएं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इनका घोषणा-पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा से सहायता देती है फसल नष्ट होने पर। हमारा राज आएगा तो हम मुआवजा दे देंगे। तो ऊपर कौन देख रहा है? अपने बजट में देखो कुछ। प्रावधान तो कर दें, घोषणा-पत्र पढ़ा नहीं क्या। सोनियाजी को तो कहते हैं हमने अक्षरश: लागू कर दिया। कौनसा अक्षर लागू कर दिया, यह तो बता दो सदन को।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह ध्यान नहीं रहा कि केन्द्र सरकार में आप 20 पार्टियां सरकार बनाकर बैठ जाओगे।

श्री सांवर लाल : क्या बैठ जाओगे?

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे को ध्यान नहीं रहा कि 20 पार्टियां कुण्डली मारकर दिल्ली में बैठ जायेंगी।

श्री सांवर लाल : यह लिख देते कि दिल्ली में दूसरे बैठ जायेंगे तो हम नहीं देंगे। राज में आने के लिए तो कह दिया, हमारा राज आयेगा तो हम कर देंगे, बिजली का पैसा घटा देंगे, फलाना कर देंगे। अब क्या किया, यह तो बता दो एक-दो उपलब्धि। सारा उलटा कहा है, माननीय सभापति महोदय। जनता ने साथ धोखा किया है। घोषणा-पत्र पढ़ लें, हर आइटम दिया उसका उलटा काम किया। इससे ज्यादा धोखा जनता से किसी ने नहीं किया।

श्री सांवर लाल : बिराजिये। माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जब इन्होंने घोषणा-पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता से वादा किया, मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त आपके यह ध्यान में नहीं था कि अकाल राजस्थान के अन्दर नया नहीं है, अकाल पड़ेगा और आपको 500 रुपये, जो आपने घोषणा की थी उसके अनुसार पैसा देना पड़ेगा। आपने उस वक्त यह नहीं कहा केन्द्र सरकार से पैसा मिलेगा तब आप देंगे। अब केन्द्र सरकार ने आपको 155 करोड़ रुपया दे दिया तो आप अपना पैसा मिलाकर क्यों नहीं देते?

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, हमने कोई अमरीका से मांग नहीं की है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार कोई दो नहीं है। हमारे देश के अन्दर ही हमारी सरकार ही अगर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती? हम सरकार से तो अपेक्षा करते हैं कि केन्द्र सरकार हमारा सहयोग करेगी। हमने कोई अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान से तो मांगा नहीं है जो आप इस तरह की बात करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, तकलीफ इस बात की है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तब भी कांग्रेस की सरकार थी। वे प्यार से लाते थे, गालियां देकर थोड़ी ही लाते थे। आप तो +++ आपके मुख्य मंत्री और आपका मंत्रिमण्डल तो +++ (व्यवधान) धन्यवाद देते ही नहीं। (व्यवधान) चाहे कितने ही सेनापति मार दिये, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने, लेकिन धन्यवाद देते ही नहीं। आपके मुख्य मंत्री तो +++ और जो +++ होते हैं, कृतघ्न होते हैं उनका हाल यही होना है। पीठ पीछे हार गये।

श्री जुगल काबरा : आपका एक ही प्रयास है जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको मदद नहीं दी जाए और जो बी.जे.पी. समर्थक राज्य हैं उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : सभापति महोदय, यह +++ क्या होता है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कृतघ्न, जो एहसान नहीं माने। (व्यवधान) जो एहसान नहीं माने वो कृतघ्न और +++ होता है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भारत सरकार के वित्त आयोग हैं। नौवां, दसवां और ग्यारहवां वित्त आयोग ने व्यवस्था कर रखी है। पूरे हिन्दुस्तान के स्टेट उनके पास हैं। प्राकृतिक आपदा में किस-किस को पैसा दिया जायेगा, हर तीन महीने में पैसा इनको मिलता है। उसके बावजूद देश में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक इतना पैसा और इतना गेहूं नहीं दिया। पांच साल तक भैरोंसिंह जी की सरकार रही है, मैं मंत्री रहा, एडिशनल पैसा केवल 21 करोड़ रुपये मिला। इनको हजारों करोड़ रुपया मिल गया, उसके बावजूद भी इनकी यह हालत है और ये बार-बार चिट्ठियां लिख कर इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। जनता को गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तो बुलाते ही नहीं थे। आप जब अकाल राहत मंत्री थे तब मई-जून तक अकाल राहत कार्य खोलते ही नहीं थे। (व्यवधान) आप जनता के पास जाते ही नहीं थे। (व्यवधान) आपको क्या पता लगे अकाल कैसा होता है।

डा. के. सी. चौधरी : अब वह चीज खतम हो गई।

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए। ज्ञानदेव जी आप बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रोने की आदत मत सीखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जब से यह सरकार आई है, मेरा सरकार पर आरोप है और आप दो उप मुख्य मंत्री बिराजे हैं, मेरा इनसे स्पष्ट निवेदन है, अगर

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने इस बजट से, अपने एनुअल प्लान से राजस्थान के अन्दर जबसे आप शासन में आये हैं आपने फूटी कौड़ी भी खर्च की हो तो आप बताएं। आप में हिम्मत हो... (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : वह फूटी कौड़ी छोड़कर कब गये थे आप? आप फूटी कौड़ी तो साथ में ले गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति जी, मेरी रक्षा करें।

श्रीमती शांति पहाड़िया : फूटी कौड़ी होती तो खर्च करते। आप लोगों ने तो जो सरकारी कर्मचारी थे उन तक की तनखाह नहीं दी थी कई-कई महीनों तक। आप लोगों ने बड़े-बड़े होटल बेच दिये, बड़े-बड़े किले बेच दिये। आपने छोड़ा क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अगर सरकार में हिम्मत हो, तो अकाल प्रबन्धन के बारे में जो राशि सरकार ने खर्च की है, जो राशि इनको केन्द्रीय सरकार से मिली है, जो ए.जी.आर.वाई. में गेहूं के रूप में मिली है उस सारी चीज का श्वेत-पत्र जारी करें और श्वेत-पत्र जारी करके जिस प्रकार की आदत है, आर्थिक श्वेत-पत्र इन्होंने पहले जारी किया था आकर आप राजस्थान की विधान सभा में रखें और उस पर बहस कराएं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी है कि अखबारों में भी पूरा विवरण दिया है, चिट्ठियां भी केन्द्रीय सरकार को लिखी हैं और अभी 3 व 4 को जो डेबेट होगी उसमें पूरा विवरण और आपके समक्ष पेश कर दिया जाएगा, सब कुछ जानते हुए भी आप एक कौड़ी, एक कौड़ी भी खर्च नहीं की, ऐसा क्यों बोले जा रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दो, आपने कौनसे वार्षिक बजट में, कौनसी वार्षिक योजना में कितनी राशि खर्च की?

डा. (श्रीमती) कमला : सब आपको मालूम भी है, उसके बावजूद भी ऐसा बोल रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने जो आरोप लगाये...

श्री हीरालाल विश्नोई : इनके पास है ही नहीं कोई बात।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, वर्ष 2000 तक 155 करोड़ रुपये जो केन्द्र सरकार ने दिये वो इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल कर लिये। उसके अगले वर्ष के अन्दर जो केन्द्रीय सरकार ने पैसा दिया उससे चार करोड़ कम खर्च इन्होंने किये। उससे अगले वर्ष में फिर 634 करोड़ रुपये के लगभग केन्द्र सरकार ने दिये और इन्होंने 300 कुछ करोड़ रुपये खर्च किये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह जो ज्ञापन इन्होंने दिया है, जिसमें लेटेस्ट पोजिशन है। सभापति महोदय, यह ज्ञापन यह बताता है एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने खर्च नहीं की। सभापति महोदय, इस ज्ञापन में इन्होंने खुद ने लिखा है :-

"Position of wheat under SGRY Special Component." अलग-अलग जिले लिखे हैं। उसके अन्दर सात लाख मैट्रिक टन गेहूं मिला है। यह गेहूं मुफ्त में उस गरीब तक पहुंचाने का गेहूं था जिसको अकाल के अन्दर सहायता की आवश्यकता है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें खुद ने माना है हमने 6 लाख 37 हजार मैट्रिक टन गेहूं उठाया है और आज भी 70 हजार मैट्रिक टन के लगभग गेहूं इनके पास पड़ा है। केन्द्र सरकार ने 13 फरवरी को फैसला कर लिया, 21 लाख मैट्रिक टन गेहूं इनको और आबंटित करने का।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यहां उप मुख्य मंत्रीजी आप बिराजी हुई हैं, प्राकृतिक आपदा से किसान बच सकता था अगर आप फसल बीमा योजना लागू कर देते तो। आज 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है। लम्बे-चौड़े वादे तो राजस्थान के किसानों के साथ किये। लेकिन, सभापति महोदय, फसल बीमा योजना इसलिए लागू नहीं करना चाहते कि मुख्य मंत्रीजी इस किसान वर्ग के अन्दर एक जाति विशेष से नाराज हैं। उनको यह लगता है कि फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी तो राजस्थान का वह वर्ग...

डा. (श्रीमती) कमला : आप किधर से किधर मुद्दे को मौड़ रहे हैं। फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं हो पायी उसकी आपको भी जानकारी है और राज्य सरकार ही क्या, हम पूरी की पूरी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन एक जाति विशेष से नाराज हैं, इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं, यह आप कह रहे हैं (व्यवधान) बोलने में ही। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के अलावा देश के 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है। फसल बीमा योजना हिन्दुस्तान की 19 राज्य सरकारों ने लागू कर दी है और यह योजना बनाने में आपके ऊपर कौनसा भार पड़ रहा था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सामने दीवार पर लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार के पास किसानों के लिए पैसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सामने दीवार पर लिखा हुआ है कि सरकार जा रही है। इस सरकार का समय पूरा हो गया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : किसान वर्ग में एक क्या अनेक जातियां हैं। ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक सब किसान हैं। किसी एक जाति से किसान का कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सरकार अपने अंतिम दिनों में यह बात कहती है हम फसल बीमा योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्धता रखते हैं तो क्या समझा जाए? आज सरकार अपने अंतिम चरण में है और यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं राजस्थान के अन्दर तीन सम्भागों में अलग-अलग जगहों पर चुनाव हुए थे और उप मुख्य मंत्रीजी आप सहित और उप मुख्य मंत्री महोदया, आप सहित सब लोगों ने राजस्थान के तीनों सम्भागों में अलग-अलग जिलों के अन्दर बानसूर, बाली और सागवाड़ा में जाकर कहा था यह चुनाव हमारी गुड गवर्नेंस का चुनाव है, यह चुनाव हमारी सरकार की सवा चार साल के कामकाज की समीक्षा का चुनाव है। उप मुख्यमंत्री महोदया, आपकी समीक्षा हो गई?

श्री बनवारी लाल बैरवा : ऐसा कुछ नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के तीनों उप चुनावों के अन्दर जहां कामकाज की बात को लेकर मैदान में उतरे थे राजस्थान की जनता ने आपकी समीक्षा कर दी। अब आपके जाने के दिन आ गये तब आप कह रहे हो कि हम फसल बीमा लागू करने के लिए प्रतिबद्धता रखते हैं। मैं समझता हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : यह जो चुनाव तीनों हुए हैं और उनमें आपने जो सफलता हासिल की है उनके अन्दर मामले क्या हैं वह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और कामों की समीक्षा के बारे में राजस्थान की जनता हर वर्ग, शहर और गांव पूरी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि इन चार वर्षों के काल में इस सरकार ने जितना विकास काम किया है, जितना अकाल का प्रबंधन किया है, जितना सिंचाई विभाग में काम किया है, जितना राजस्व विभाग में काम किया है उतना आज तक किसी भी गवनमेंट ने नहीं किया है और ऊर्जा के मामले में तो रिकार्ड कायम किया है। यह आपकी सरकार भी मानती है।

श्री सांवर लाल : किसान को 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए आज जो वोट पड़ेगा वह सरकार के कामों के ऊपर पड़ेगा। अभी जो आपने लाभ लिया है वह आपके गुजरात के जो तौर-तरीके थे उनके प्रभावों का लाभ लेकर और अपने कुछ छलावे दिखा कर लिया है। जनता की भावना उसमें परिलक्षित नहीं होती। अभी पंचायतों में क्या हुआ? अभी आप चुनाव जीत कर आये हैं और अभी कैसे चित्त पड़े जरा पंचायत चुनाव में। वह क्या हुआ, वह कहां गये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, उप मुख्य मंत्रीजी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि आप बानसूर के उप चुनाव में रामपुर कस्बे में मीटिंग करने जब गई थी तब आपने लम्बा-चौड़ा भाषण दिया था कि यह चुनाव हमारी सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के काम-काज की समीक्षा का चुनाव है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि राजस्थान में जो हमने गुड गवर्नेंस दी उसका चुनाव है, इस चुनाव में फैसला होगा कि राजस्थान में हमारी सरकार किस तरह का काम कर रही है और आपने खुद ने यह बात कही थी? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसा है वैसे मैं अगर यह कहती तो कोई बात ऐसी नहीं थी कि जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन आप मेरे मुंह में जो शब्द डाल रहे हैं, वह न तो मैंने वहां बोले और बोल भी सकती हूं। मैं हकदार हूं इस बात को बोलने के लिए लेकिन मैंने लोगों से सिर्फ एक अपील की कि अगर आपको यह लगता है कि हमने आपके लिए काम किया है, तो उस बारे में आपको सोचने की जरूरत है और हमने उनको काम गिनाये। (व्यवधान) सुनिए, आगे तो सुनिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : यह तो एक ही बात हुई, इधर से कान पकड़ो और इधर से कान पकड़ो। इन्होंने तो कहा नहीं है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आगे तो सुनिए। आप क्या पा लिये, हाथों हाथ तो लौट गये वापस। अभी पंचायती राज के चुनावों में सारी जगह चित्त हो गये आप। (व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : आपकी पूरी मैजोरिटी है और शेरगढ़ पंचायत समिति में आप प्रधान का चुनाव हार चुके हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : सारे कामों के बारे में जनता तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी सरकार ने बहुत काम किये हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जिला प्रमुख कांग्रेस का बना है। पंचायती राज के अन्दर गुजरात के अन्दर जिला प्रमुख कांग्रेस का बना है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : और जनता बताएगी आगे, मैदान में आ जाना।

श्रीमती शांति पहाड़िया : आपके राज में एक मेगावाट बिजली नहीं बनी। (व्यवधान) आपके राज में एक सड़क की मरम्मत नहीं हुई, एक चेपी नहीं लगी, आज हमारे राज में इतना विकास तो हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर वाद-विवाद जिस ढंग से चल रहा है उस ढंग से अगर इतने सीनियर और उप मुख्य मंत्री भी अपनी सारी बात बीच में से निकाल कर अगर कहने की परिपाटी बनाएंगी...

डा. (श्रीमती) कमला : मेरा नाम ले रहे हैं, वह खुद ही चाह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो दुर्भाग्य होगा हमारी इस व्यवस्था का कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हम जो कुछ बोलें आप लिख लें। अगर हमने कोई गलत बात कही तो आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मैं अपने माननीय सदस्यों से कहता हूं कि बीच में बोलने के बनिस्पत हम अपने तर्कों के आधार पर जनता तक पहुंचाने के लिए यह सदन है। आपस में एक दूसरे के बारे में चुनौती देना, ऐसा होना। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले चुनाव में अगर धूल नहीं चटाएं तो दुबारा यहां हाउस में नहीं आवें। क्या बात करते हो? आ जाओ मैदान में।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

डा. महेश जोशी : ऐसी चुनौती आप दे जाओ, आपने 1998 में भी दी थी, इस बार फिर दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, ऐसी चुनौती तो इन्होंने पिछले चुनाव के पूर्व भी दी थी किन्तु जनता ने इनको धूल चटा दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने तर्क से अपनी बात कहो। इतना अभिमान भी नहीं करना चाहिए।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता।

डा. (श्रीमती) कमला : यह तो खुद ही मेरा नाम लेकर चाह रहे थे कि मैं बोलूं, तब मैं बोली नहीं तो...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, इनकी तो स्थिति यह है कि इनकी पार्टी के नेता यह कहते हैं कि 1998 में लोक सभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि यह चुनाव अप्रत्याशित होंगे और 18 सीट कांग्रेस जीती है, तो यह कहते हैं कि अप्रत्याशित ही हुए। इनकी बात तो सब भगवान जानें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिराजो, अब आपको अकाल का पता नहीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस सरकार ने व्यक्तिगत लाभकारी योजना प्रारम्भ की। राजस्थान के अन्दर उन्नत आवास के लिए व्यक्तिगत लोगों को अकाल के तहत जोड़ कर कार्य स्वीकृत करने का काम सरकार ने किया। हमारे जिले के अन्दर, चूरू जिले के अन्दर सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं, रतनगढ़ से आने वाले विद्वान पण्डित जी उपस्थित हैं। इनसे पूछ लें, सभापति महोदय, हजारों किसानों ने फार्म भरे हैं। एक किसान ने फार्म भरा, पांच-सात सौ रुपये उसके खर्च हुए, मस्टररोल जारी हो गये फिर अचानक मालूम पड़ा, सरकार के अन्दर न जानें किसको क्या सूझी, निश्चित तौर पर मैं फिर कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी को जब यह मालूम हुआ, जब यह आभास हुआ कि उस वर्ग के लोगों ने ज्यादा फार्म भर दिये जिससे कि वह व्यक्तिशः नाराजगी रखते हैं, उन्होंने रातों-रात फैक्स करके, जो स्वीकृति जारी हो गई थी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, यह तो बिलकुल ही एक अनहोनी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, फिर कहेंगे, इनको मालूम है क्यों बन्द हुआ। अखबारों में आया है, एम.पी. जो अभी आये थे, मीटिंग हुई थी उसके अन्दर बताया गया है कि भारत सरकार ने चूंकि वह मदद अचानक बन्द कर दी इसलिए राज्य सरकार ने आदेश दिया कि जो स्वीकृत हो चुकी है वह तो करें लेकिन अगले स्वीकृत तब तक न करें जब तक वह सहायता का फैसला नहीं हो जाए। यह आपको मालूम है और उसके बाद आप क्या लांछन लगा रहे हो?

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, कौन सी सहायता का फैसला होना था? (व्यवधान) उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि भारत सरकार ने भी वह सहायता बन्द कर दी, कौन सी कर दी? आपको गेहूं बराबर मिला हुआ है, गेहूं पड़ा हुआ है, आप गोदाम से नहीं उठा रहे हैं। गेहूं के अलावा कुछ देंगे क्या? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैटीरियल कम्पोनेंट का हिस्सा बन्द कर दिया।

श्री सांवर लाल : कौन से कम्पोनेंट का?

डा. (श्रीमती) कमला : आपको पता है, नहीं है तो मालूम कर लो।

श्री सांवर लाल : आपको वही पता नहीं, कम्पोनेंट का हिस्सा स्वयं मालिक से लेना था। उस योजना में यह प्रावधान किया है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह साफ चीज है उसको आप तोड़ मरोड़ कर लगा रहे हैं। फार्म कोई दूसरी जाति के आ गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, जो योजना शुरू हुई उसका मैटीरियल कम्पोनेंट मालिक को देना था। (व्यवधान)

श्री सभापति : राठौड़ साहब, आप जारी रखें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं बोलूं कैसे? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैटीरियल कम्पोनेंट मकान मालिक या कुएं के मालिक को देना होता है। (व्यवधान) अब उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बन्द कर दी। यह कंफ्यूजन कैसे पैदा कर रहे हैं सदन में? यहां का मैसेज पूरी जनता में जाता है। सभापति महोदय, कौन-सी योजना बन्द कर दी भारत सरकार ने? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिए, बोलने दीजिए।

श्री सांवर लाल : जानकारी नहीं है उप मुख्य मंत्रीजी को। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : इट इज ए वैल नोन फैक्ट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से इस अभिभाषण सहित वह घोषणाएं करवाई जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई। अभी चर्चा चल रही थी पहले अभिभाषण से लेकर अब तक सरकार ने हर अभिभाषण में और सब बजट भाषणों में एक ही बात कही कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त, 1998 को जो कच्ची बस्तियों में लोग रह रहे थे उनका नियमन करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, एक लाख 60 हजार परिवारों का सर्वे हुआ। यह अभिभाषण कहता है कि सवा चार साल गुजरने के पश्चात्, बार-बार राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कहने के पश्चात् आज तक 40 हजार लोगों को इस सर्वे के अनुसार लाभान्वित किया गया है।

इसी सरकार ने यह बात कही कि यमुना का पानी भरतपुर, झुंझुनू और चूरू में उपलब्ध होगा। यह पांच बार मैंने पढ़ा है। सभापति महोदय, मुझे तो पानी कहीं नजर नहीं आया। इसी सरकार ने यह बार-बार कहा, इस अभिभाषण सहित कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव सरकार कराना चाहती है, न जाने कितनी बार मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, न जाने कितनी बार सहकारिता मंत्रीजी ने घोषण की। हर बार इनके द्वारा की गई घोषणाएं असत्य साबित हुईं।

इसी सरकार ने 1100 करोड़ रुपये की बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी देने की बात कही। इसी सरकार ने 460 करोड़ रुपये की राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना द्वारा फ्लोराइडयुक्त गांवों में पानी पहुंचाने की बात कही। 165 करोड़ रुपये की धौलपुर, भरतपुर जिले में चम्बल से पानी पहुंचाने की बात कही। सभापति महोदय, तीनों अभिभाषणों में नर्मदा के पानी से जालौर और बाड़मेर में 2.51 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की बात कही। इस सरकार की यह आदत है कि घोषणाओं का अम्बार लगा देना और यह सरकार सोचती है कि यह जो आज कहती है उससे एक बार मेज तो थपथपा लेंगे, पर उसके बाद राजस्थान के आम लोग भूल जाएंगें। ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय, आपको मालूम है यह सरकार जब सत्ता में आई इस सरकार ने एक आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करके आरोप लगाया था कि 23800 करोड़ रुपये के कर्जे से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने लाद दिया और इस कर्जे के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति जर्जर हो गई, ब्याज ज्यादा हो गया, कर्जे की अदायगी ज्यादा बढ़ गई। आज हो क्या रहा है, सभापति महोदय, यह आंकड़े बताते हैं कि इस बार जो बजट प्रस्तुत होगा उस बजट में जो 23 हजार का कर्जा, पिछले 8 वर्षों में हमने 17 हजार करोड़ का लिया वह बढ़ कर 52 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(16.00 बजे)

जाएगा। एक तरफ वार्षिक योजना काट रहे हैं दूसरी तरफ कर्जे पर कर्जा ले रहे हैं और उसके बाद बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं कि हम राजस्थान को खुशहाली के रास्ते पर ले गये।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि राजस्थान के अन्दर विद्युत उत्पादन रिकार्ड हुआ है, 1208 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हुआ है। सभापति महोदय, यहां यह भी कहा गया कि डिमांड और सप्लाई के अन्दर जो पहले 22 प्रतिशत का गैप था वह आज 5.6 हो गया। आज राजस्थान की हालत क्या है? राजस्थान के किसान को चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, आप खुद गांवों से बिराजते हैं, आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि आज राजस्थान के अन्दर जब बच्चों की परीक्षाएं हैं, सरकार ने अब घोषणा की है कि हम रात को गांवों के अन्दर चार घंटे बिजली देंगे। यह घोषणा भी थोथी साबित हुई। आज राजस्थान के गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं, बच्चे लालटेन के अन्दर परीक्षा की तैयारी करते हैं। और तो और वोट जब लेने थे तब आपने यह वादा किया था कि 37 पैसे प्रति यूनिट में बिजली देंगे और पांच हार्सपावर तक पांच खम्भे मुफ्त देंगे। आज हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दिया करता था उसको बढ़ा कर 94 पैसे कर दिया और जो डोमेस्टिक कनेक्शन के अन्दर 1.55 रुपये प्रति यूनिट था उसको बढ़ा कर 2.75 रुपये कर दिया। सभापति महोदय, यह इन्होंने यों ही नहीं किया, यह इनकी मजबूरी है, आज चाहे कुछ भी हो, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस रास्ते पर विद्युत सुधार के नाम पर जो विश्व बैंक से सरकार ने कर्जा लिया है 700 मिलियन डालर यानि 2400 करोड़ का, 21 मार्च, 2000 को जिस एम.ओ.यू. पर सरकार दस्तखत करके आयी है, वर्ल्ड बैंक के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उस एम.ओ.यू. के अन्दर जो फाइनेंशियल री-स्ट्रक्चरिंग प्लान है उसमें साफ लिखा पड़ा है कि 2001 से 2004 तक सरकार 10 प्रतिशत यानि कुल 4 वर्षों में 40 प्रतिशत विद्युत बढ़ोतरी करेगी।

सभापति महोदय, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अभी विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर माइकल एस्टार्टर यहां आये थे वे स्पष्ट चेतावनी देकर गये कि यदि आपने जो एफ.आर.पी. के अन्दर जो एग्रीमेंट किया है उसके अनुसार अगर विद्युत दरें आप नहीं बढ़ाओगे तो आपको जो 200 मिलियन डायर की दूसरी किस्त मिलने वाली थी वह किस्त नहीं मिलेगी। उस एफ.आर.पी. के अन्दर जो एग्रीमेंट सरकार ने किया है उसमें साफ इन्होंने कहा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं वही पढ़ कर सुना रहा हूं, दिसम्बर, 2001 के पश्चात् किसान बिजली के कनेक्शन लेगा तो उसे ट्रांसफार्मर और खम्भे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे और 2004-2005 से किसान से बिजली की पूरी लागत ली जाएगी, बिजली पर किसान को दी जाने वाली सब्सिडी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि भाजपा के शासन में किसान को 54 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिला करती थी जो आज 94 पैसे प्रति यूनिट में मिल रही है और 2004-2005 में जो सरकार करार करके आई है वर्ल्ड बैंक में, उसके अनुसार किसान को 2.70 रुपये प्रति यूनिट बिजली के देने पड़ेंगे फिर ये अपने आपको किसान के हिमायती समझते हैं।

सभापति महोदय, और तो और विश्व बैंक से जो इनको पहली किस्त मिली उस किस्त से इस सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर घटिया ट्रांसफार्मर खरीदे गये, केवल खरीदी गई मात्र कमीशन ज्यादा मिले इसके लिए। इन्होंने कोई न कोई ऐसा रास्ता मिला, चाहे कर्जा लदता जाए, चाहे शर्तें कुछ भी हों, परन्तु इनको अपने कमीशन से मतलब है। आज उनकी जांच के लिए समाचार पत्र एडीटोरियल लिखते हैं। इस तरह का प्रबन्धन इस सरकार ने किया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊर्जा के उत्पादन की बात कर वाहवाही करने वाली सरकार से पूछे कि आपका यह उत्पादन चला कहा गया। आप कहते हो कि हमने डिमांड और सप्लाई का गैप कम कर दिया, आप कहते हो कि हमने उत्पादन बढ़ा दिया परन्तु आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है, गांव में गरीब व्यक्ति को घर में बिजली नहीं मिल रही है। न जाने वह बिजली कहां गायब हो गई है और मेरा इस सरकार पर आरोप है कि जो करार किया है वह किसान विरोधी होने के नाते किया है और उस करार के अनुसार इस सरकार को विद्युत की दरें बढ़ानी पड़ेगी और विद्युत की दरें नहीं बढ़ायेगी तो जिस तरह की चेतावनी इनको वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने अभी आकर दी है उसमें अगली किस्त इनको मिलेगी नहीं और जो काम सरकार ने प्रारम्भ किये हैं वे आधे-अधूरे बीच में रह जाएंगें।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, 2002 की बात कही गई है। मई, 2002 से, उप मुख्य मंत्रीजी, यह परियोजना प्रारम्भ हुई है। 740 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए आपने वर्ल्ड बैंक से 15 नवम्बर, 2001 को करार किया है। यह विश्व बैंक से जो 740 करोड़ रुपये का आप ऋण ले रहे हैं, सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार ने ऋण लेने के लिए जिन शर्तों पर हस्ताक्षर किये हैं, विश्व बैंक के साथ जो अनुबंध

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है उन शर्तों की पालना इस सरकार को करना सरकार की मजबूरी होगी और इन शर्तों की जब पालना हो जाएगी तो राजस्थान का किसान तबाह हो जाएगा।

राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच जो एम.ओ.यू. हुआ है उस एम.ओ.यू. के अन्दर पेज 25 पर लिखा है कि सरकार ने जो कर्जा लिया है उस कर्जे के बदले सरकार को 2001 से 2007 तक सिंचाई शुल्क को इतना बढ़ाना होगा कि सिंचाई शुल्क और सिंचाई प्रणाली के रखरखाव की सारी की सारी राशि सरकार किसान से वसूल करे। यह सरकार जब आई, सरकार ने भिड़ते ही सिंचाई शुल्क को दुगुना किया। आज 1999-2000 में जो सिंचाई शुल्क औसतन 91 रुपये प्रति हैक्टेयर था वह 2001-2002 के अन्दर, क्योंकि यह सरकार की मजबूरी है, सरकार ने जिन शर्तों पर लोन लिया है, उसको बढ़ा कर 284 रुपये प्रति हैक्टेयर करना पड़ेगा और 2003-2004 में 497 रुपये प्रति हैक्टेयर करना पड़ेगा। 2005-2006 के अन्दर इसको बढ़ा कर 709 रुपये प्रति हैक्टेयर करना पड़ेगा, यानि 90 रुपये से बढ़ा कर यह 709 रुपये प्रति हैक्टेयर सिंचाई शुल्क लेगी। साढ़े तीन सौ गुना सिंचाई शुल्क बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार उस पर हस्ताक्षर करके आई है कि हम साढ़े तीन सौ गुना सिंचाई शुल्क बढ़ाएंगे आप तो हमें ऋण दे दो।

इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि जो सिंचाई विभाग में कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की छंटनी करने का काम भी करेंगे और 16500 कर्मचारियों की छंटनी करने का करार यह सरकार इसके अन्दर करके आई है। यह सरकार किस तरह से काम करेगी।

इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पानी के स्रोतों का निजीकरण होगा। पानी के स्रोतों का प्राइवेटाइजेशन होगा। मैं समझता हूं कि अगर यह होगा तो यह सरकार किस तरह से काम करेगी। इसमें लिखा है—"Greater participation of private sector in the water sector-related activity." यानि यह सरकार हमारे पानी के स्रोतों को भी गिरवी रखना चाहती है। इसके अलावा मैं निवेदन करूं, अभी इसी अभिभाषण में बड़े जोर-शोर से कहा गया कि राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 6 बड़े शहरों में 1539 करोड़ रुपये के ए.डी.बी. के ऋण से चालू किया, आधारभूत संरचनाओं के लिए। अब इसके ऋण की अदायगी का समय है जनवरी, 2004 से 2019 तक। इसके अन्दर सरकार ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें यह लिखा है कि हम गृह कर को बढ़ाएंगे, हम पेयजल की सब्सिडी बिल्कुल समाप्त करेंगे और 2005 तक पेयजल का पूरा खर्चा उपभोक्ताओं से लेंगे। यानि पेयजल शुल्क लगभग पांच सौ गुना बढ़ेगा। यह सरकार यह करने जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही है। मैं समझता हूं कि यह सरकार क्या करने जा रही है, किस तरह का शासन राजस्थान को दे रही है, यह राजस्थान का आम-अवाम महसूस कर रहा है।

यहां लम्बी चौड़ी बातें हुईं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया और यहां यह भी बात हुई कि तकनीकी शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा के अन्दर राजस्थान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, आपको याद होगा, इसी सदन के अन्दर कम्प्यूटर शिक्षा पर चर्चा हुई थी तब प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा था कि कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर राजस्थान के गरीब विद्यार्थी से 600 रुपये प्रतिवर्ष लिया जा रहा है और इस कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर घोटाला हुआ है। कम्प्यूकॉम, जिस एजेंसी को निविदा के बाद फ्रेंचाइजी की अनुमति दी है उसके पीछे उस एजेंसी से न जाने किस कारण से, किस दबाव में यह किया था और आज हालत क्या है? जब हमने इसी सदन में यह कहा कि राजस्थान के स्कूलों में न तो पूरे कम्प्यूटर हैं, न ही कम्प्यूटर पढ़ाने वाले अध्यापक हैं तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जोर-जोर से हाथ हिलाकर कहा कि नहीं, यह सारी व्यवस्था राजस्थान के विद्यार्थी को नई तकनीक से जोड़ने की व्यवस्था है और इसके अन्दर राजस्थान का विद्यार्थी नयी तकनीक के साथ नये युग में प्रवेश करेगा। सभापति महोदय, आज हालत क्या है? जनवरी और फरवरी माह में राजस्थान के 18 जिलों के अन्दर राजस्थान के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी सड़क पर आये और जब विद्यार्थियों के आन्दोलन प्रारम्भ हुए, तो राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक ने जब जानकारी की कि राजस्थान के अन्दर यह आन्दोलन छिड़ा है, कोई कानून व्यवस्था खराब न हो जाए। उस पर जब पुलिस मुख्यालय ने सारी रिपोर्ट का संकलन किया। उस आधार पर राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर कहा कि आप कम्प्यूटर शिक्षा में सुधार करो। आज हालत क्या हो गई है? आज कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ एक तरह से मजाक किया गया है।

अभी बड़ी जोर-शोर से चर्चा चली कि बड़ी संख्या में स्कूल क्रमोन्नत हो गये, बड़ी संख्या में नये स्कूल खोल दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि नये स्कूल खुल गये पर नये स्कूलों के साथ-साथ आपने राजस्थान के अन्दर एक भी शिक्षक को भर्ती किया, आपने सरकारी सेवा में एक भी शिक्षक को लिया है? आपने जिन स्कूलों को खोला, जिन स्कूलों को क्रमोन्नत किया उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने कोई राशि दी होती तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें राजस्थान की सरकार की नीयत ठीक है।

सभापति महोदय, आप गांवों में पधारे होंगे। राजस्थान की सरकार ने एक फैसला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है कि प्रत्यके पंचायत समिति में एक आदर्श विद्यालय हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक आदर्श विद्यालय है और उप मुख्य मंत्री जी, जब मैं गांव में गया तो मैंने गांव में लोगों से पूछा कि यह कौनसा विद्यालय है?

श्री सभापति : माननीय रेवतरामजी धीरे बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो उन्होंने कहा कि आदर्श विद्यालय है। मैंने कहा कि आदर्श विद्यालय कैसा है तो बोले कि इस विद्यालय में 6 अध्यापकों के पद हैं, पांच एक साल से रिक्त पड़े हैं। इस विद्यालय में एक चपरासी है उसका भी डेपुटेशन दूसरी जगह है। इसलिए न तो इसका ताला खुलता है और न ही इस विद्यालय में विद्यार्थी आते हैं इसलिए आदर्श विद्यालय है। इस तरह का काम यह सरकार कर रही है।

इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवा तो दिया कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव होंगे। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति महोदय ने नये सहकारी कानून को अनुमति दे दी। अब सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए एक करोड़ 30 लाख की मांग की और साथ ही मांग की कि एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर के दो अधिकारी चुनाव आयोग में चुनाव की दृष्टि से दे दें। सरकार ने वह काम किया नहीं तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है।

अभी यहां चर्चा चली थी और सरकार बार-बार कहती है कि सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बहुत बड़ी हिमायती है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डाक्टर विजय सोनकर शास्त्री अभी हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आये थे और राजस्थान के दौरे पर आने के बाद उन्होंने एक प्रश्नावली सरकार के पास भेजी। राजस्थान की सरकार राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के जो कार्यक्रम केन्द्र सरकार चला रही है, जो राजस्थान की सरकार चला रही है, उनको वास्तविकता से किस तरह से लागू करती है। उस प्रश्नावली का उत्तर आने के पश्चात् जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डाक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उन्होंने यह कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूर्णत: उदासीन है। इन दोनों जातियों का बैकलाग 60,000 के लगभग है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोजगार, स्वच्छ पानी के मामले में सरकार पूरी तरह उदासीन है। और तो और सन् 2000 में जब इस आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया आये थे, उन्होंने जो सरकार को निर्देश दिये, उन निर्देशों की सरकार ने पालना नहीं की और यह सरकार अपने आपको अनुसूचित जाति और जनजाति की हिमायती कहती है, सरकार उनके कल्याण के नाम पर झूठी योजना चलाने की घोषणा तो कर देती है पर वास्तविक रूप में वह योजना कैसे चलाती है। इसका उल्लेख मैं ही नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय, ये अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर विजय सोनकर शास्त्री कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने बड़े लम्बे चौड़े वादे किये, इस राज्य सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ने की बात कही। इन्होंने कहा कि हमने 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करके 58 वर्ष कर दिया। इससे रिक्त पद हो गये, हम लोगों से भरेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ सरकार कहती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ यह सरकार 16.4.1999 को केन्द्र सरकार के साथ आर्थिक सुधारों के नाम पर 719 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए करार करके आई और उस करार के अन्दर सरकार ने कहा है कि हम 1999–2000 से 2006–2007 तक कुल कार्यरत कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत उनकी संख्या कम करेंगे, संस्थागत व्यय कम करेंगे। यह सरकार किस तरह से काम कर रही है, यह आपके सामने है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, इस सरकार के चलते जितने घोटाले हुए हैं और विशेष रूप से जितनी जमीन की लूट इस राजस्थान की धरती, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई है, मैं समझता हूं कभी नहीं हुई। सभापति महोदय, समझौता समिति की आड़ के अन्दर वह बेशकीमती जमीन, लालकोठी योजना की जमीन जो अरबों रुपयों की जमीन थी, वह समझौता समिति की आड़ के अन्दर सरकार ने ऐसे लोगों को सौंप दी, जो लोग जिनके नाम पर न तो टाइटल थे, सर्वोच्च न्यायालय तक तय हो गया कि यह जमीन जे.डी.ए. की है, उसके बाद भी सरकार ने न जाने किस दबाव से, धन्ना सेठों के दबाव से या किसी दबाव से जमीन ऐसे लोगों को सौंप दी जिनको सौंपा जाना उचित नहीं था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उप चुनाव हुए, उन उप चुनावों के अन्दर जो गुड-गवर्नेंस की बात कही, जिसकी स्वीकारोक्ति यहां उप मुख्य मंत्री महोदया ने खुद की, उससे सारा साफ हो गया कि यह सरकार जो सरकार अपने कामकाज की समीक्षा को लेकर चुनाव में उतरी थी, उसके कामकाज की समीक्षा बिलकुल सामने आ गई। सभापति महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं, दीवार पर साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि समय सरकार का बीत गया है, यह भागती हुई सरकार है, यह सरकार मृतप्राय सरकार है और यह सरकार का अंतिम अभिभाषण है और मैं समझता हूं कि इस अंतिम अभिभाषण के अन्दर...

डा. के. सी. चौधरी : दीवार पर साफ लिखा है कि यह सरकार वापस आ रही है, यह दीवार पर लिखा है साफ-साफ और हम वापस आएंगे, आप वहां बैठेंगे, और हम यहां बैठेंगे, देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार राज्यपाल महोदय के मुंह से जो कहलवाया है...

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब गिनती, गुना-भाग में काफी कमजोर रहे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। इनको पता नहीं कि दीवार पर क्या लिखा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने दो बातें ऐसी कही हैं, सही गलत तो होगी, पेयजल के मामले में बोले कि 900 गुना शुल्क हो जाएगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको अधिकार दे दिया क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके मुख्य मंत्रीजी को समय मिलेगा सारी बातों को रिफ्यूज करने का, आपको बीच में क्या आवश्यकता पड़ी है?

डा. महेश जोशी : मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, सभापति महोदय, गणित की गलती है जो रिकार्ड पर आएगी इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये कहना तो चाह रहे थे कि 900 प्रतिशत हो जाएगा, ये कह गये 900 गुना हो जाएगा, ऐसे ही पेयजल शुल्क के बारे में कह गये कि 350 गुना हो जाएगा, इनके हिसाब से होगा 350 प्रतिशत, तो ये गुणा और प्रतिशत की जो गलती है, इसको सुधार लें और यह गलती आपको दीवार पर नजर आ रही है सामने, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं न...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, उप मुख्य सचेतकजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया। वह 350 गुना की बजाय 350 प्रतिशत है और यह भी 550 प्रतिशत है। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि सिंचाई दरों में राजस्थान निर्माण के बाद कभी नहीं हुई है। सरकार ने लोन लेने के लिए सरकार ने राजस्थान के किसानों के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया है और इसके साथ-साथ जिन छह शहरों के अन्दर...

श्री सभापति : आपके मित्र हैं, आपका खयाल रखते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...ए.बी.डी. से लोन लेने की बात कही है, उप मुख्य सचेतक जी अब इतरा रहे हो आप, कुछ दिनों के बाद जब लोगों के पास जाओगे और जब उनके पास पानी का बिल आएगा, जब उनके पास गृह कर का बिल आएगा, जब उनके पास टैक्स का बिल आएगा, तब वे आपसे जवाब करेंगे।

इसलिए, सभापति महोदय, इस सरकार के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से आधारहीन, कपोल-कल्पित, सारहीन, तथ्यहीन बातें जो कहलवाई हैं, उनका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और मैं निवेदन करना चाहूंगा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से कि आप भी अपनी आत्मा से देखें, आत्मचिंतन करें और अभी भी मौका है राजस्थान में परिवर्तन की लहर चल निकली है, राजस्थान के अन्दर वसुन्धराजी के नाम पर वसुन्धरा एक्सप्रेस चली है, इस एक्सप्रेस के अन्दर कुछ जगह खाली है, हम भी उनसे कहेंगे, आप जैसे 2-4 भले-भले लोग हैं, अगर आ जाएं तो आपको भी मौका मिलेगा। मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

डा. महेश जोशी : आप चढ़े कि नहीं उसमें माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, आप उस वसुन्धरा एक्सप्रेस में चढ़े कि नहीं, आप उसमें सवार हुए कि नहीं?

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इस महान राजस्थान प्रदेश का यह सर्वोच्च महान सदन जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे और अशोक गहलोत सरकार की रीति-नीति और उनके इरादे इस अभिभाषण में जाहिर किये, उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की भौगोलिक बनावट है, उसको देखते हुए इसका प्रबन्ध करना आसान काम नहीं है। लेकिन धन्यवाद

(16.17 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

दिया जाना चाहिए इस सरकार को, जिस सरकार ने इस राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति सत्ता सम्भालने के पहले थी, उसके अन्दर गुणात्मक सुधार किया है, लोगों को राहत दी है और जिस तरीके से विकास राजस्थान में किया गया है, उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, जब पढ़ते थे तब तुलनात्मक आंकड़ों को देखा जाता था तो राजस्थान हर जगह पर नीचे से आखिरी या आखिरी से एक-दो लाइन ऊपर होता था और आज छाती फूल जाती है जब विद्युत उत्पादन के अन्दर आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान नम्बर वन पर आया है। यह पहला मौका है, आपको तारीफ करनी चाहिए, यह राजस्थान आपका है, सरकार शायद हो सकता है यह कांग्रेस की हो, जिस राजस्थान के अन्दर इस तरीके से विकास हुआ क्योंकि किसी भी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्दर पावर का जो योगदान है, वह इतना महत्वपूर्ण है जिसको नजरअंदाज करके विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत सरकार को, उनके मंत्रिमण्डल सहयोगियों को जिन्होंने इस तरीके से यह बीड़ा उठाया जबकि चार साल इस प्रदेश के अन्दर भयंकर अकाल रहा, तो भी उन्होंने विद्युत उत्पादन के अन्दर कोई कमजोरी नहीं आने दी और राजस्थान को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। आप भावावेश में बड़ी अजीब तरीके से बात कह जाते हैं। अभी कोई फरमा रहे थे माननीय सदस्य कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार का और अकाल का चोली-दामन का साथ है, यह शायद आपका ख्वाबी पुलाव हो सकता है। चलिये, राजस्थान के अन्दर तो आप कांग्रेस सरकार को दोष दोगे लेकिन यह राजस्थान इस पूरे भारत में है और भारतवर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी का राज है, फिर यह पूरे देश के अन्दर अकाल क्यों? वहां तो आप मेहरबान हो जाते, वहां तो इन्द्र भगवान आपकी सुनते और फिर 132 साल के इतिहास के अन्दर हिमाचल प्रदेश में कभी अकाल नहीं पड़ा, वहां शायद अशोक गहलोत कभी पधारे नहीं, तशरीफ नहीं ले गये, इस बात की मैं जमानत देने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तैयार हूं लेकिन फिर भी आज वह हिमाचल प्रदेश अकाल की चपेट में है और उस हिमाचल प्रदेश से हमने नदी घाटी योजनाएं बनाई। आज पानी की कमी इस राजस्थान प्रदेश में आने का कारण क्या हम यह कह दें, थूंगल, यह चाहते थे कि यहां वर्षा न हो, कोई भी कामना नहीं करता। हम एक ही फुलवारी के फूल हैं और...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लेकिन क्यारियां अलग-अलग हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हमारी मनोकामना यह रहनी चाहिए कि हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर विकास करे, जैसी कल्पना इस राजस्थान सरकार की है। आज आपको फख्र होना चाहिए कि शिक्षा इंसानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है और आज जब प्रदेश में इस सरकार ने शिक्षा का जिस तरीके से विस्तार किया है, स्कूल खोले हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्यानाश कर दिया।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वो तो अब माफ करिएगा, आपका शायद ज्यादा वास्ता नहीं रहा है। मदर इण्डिया एक किताब लिखी गई थी और उसके जवाब में एक हिन्दुस्तानी ने दूसरी किताब लिखी थी। आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को राजस्थान की को नहीं पहचान पाएंगे। चाहे अच्छा भवन बना हो, उसकी कला का निरीक्षण करना दूर, उसकी तारीफ करना दूर, लेकिन उसके बाथरूम में जाकर दुर्गन्ध को सूंघना, यह आदत बनी हुई है, आपके वश का रोग नहीं है। (व्यवधान) तसल्ली रखिए, मैं आप को ही बात रहा हूं। आज जिस तरीके से आपने जब राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति का जिक्र किया था तो उस वक्त आपके सामने एक तस्वीर होनी चाहिए कि यह पूरा प्रदेश छोटे-छोटे गांवों, मजरों और ढाणियों के अन्दर बस रहा है जहां कल्पना नहीं की जा सकती कि यहां कोई पढ़ने के लिए स्कूल हो सकता है। यह बीड़ा उठाया इस सरकार ने और छोटी-छोटी ढाणियों और मजरों के अन्दर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर जो आज शिक्षा जगत के अन्दर क्रांति की है उसकी मिसाल इस देश में कहीं-कहीं मिलेगी आपको। तारीफ करनी चाहिए आप लोगों को। जो अच्छी बातें हैं, कबूल करिये, यह राजस्थान आपका है, राजस्थान प्रदेश के लोग आपके हैं। आप आलोचना करिये, अशोक गहलोत के लिए और बहुत सारी बातें हैं उनको कहिये आप, लेकिन जहां विकास हुआ है आपको साथ खड़े रहना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो लोग अभी बढ़-चढ़कर बोल रहे थे, वह इस बात को भूल जाते हैं कि उनके नौ साल के शासनकाल के अन्दर राजस्थान की सड़कों की यह हालत हो गई थी कि गांव का आदमी आज मांग करता है जब गांव में जाते हैं, साहब, हमें कच्चे से पक्का रास्ता, यानि पक्की सड़क

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

चाहिए, और योजनाएं बनी हैं इस पर लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि नौ साल के अरसे के अंदर उन सड़कों की हालत यह कर दी कि गांव का बूढ़ा-बड़ेरा, अगर घर से कोई बच्चा ऊंटगाड़ा लेकर खेत को जाता है तो वह समझाता है कि बेटा, सड़क पर मत चढ़ जाना, तू कच्चे-कच्चे जाना क्योंकि सड़क के अन्दर जो चूं चुभरी हुई है रोड़ी की, वह तेरा टायर पंक्चर कर देगी, तू रास्ते में रह जायेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को जिसने सड़कों की स्थिति को तो सुधारा ही है, लेकिन हमारी मानसिकता को और बदला है। गांव का आदमी जब दिल्ली और जयपुर में आता था, यहां पेवर की सड़क देखता था तो यहां बोलता नहीं था, लेकिन गांव में जरूर कहता था भाई अपने पैसे का उपभोग यह शहर के बड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन आज उन छोटे-छोटे गांवों के अन्दर पेवर की बनी हुई सड़कें और गांव के लोगों के जेहन में यह बात आई है कि नहीं, हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं, हमारे साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। मैं अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने राजस्थान प्रदेश के लोगों की, गांव में बैठे आदमी की मानसिकता को भी तब्दील किया है और सड़कों का तो सुदृढ़ीकरण हुआ ही हुआ है। अच्छी बात हो उसको कबूल कर लेना चाहिए।

आज आदमी के शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बड़े-बड़े अस्पताल हर प्रदेश में बनते हैं लेकिन इलाज गरीबों का नहीं होता था, इलाज पैसे वालों का होता था। लेकिन आज वह हाल नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके, धीरज करके, सुन लीजिये। आज वह लोग जिनके हार्ट के वाल्व खराब हो गये और उनको मालूम है कि कल मौत होने वाली है लेकिन यह वह सरकार है जिसने यह गारंटी दी है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है लेकिन तुम्हारे इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसा करके हमने व्यावहारिक दृष्टिकोण को रखा है और उन लोगों का इलाज हुआ है। आप भी इस बात को जानते हैं लेकिन आपकी तो आदत है अच्छी बात को कबूल नहीं करते।

श्री कन्हैया लाल : डेढ़ लाख का तीस प्रतिशत देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं और वह भी...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप तसल्ली रखिये, देते तो हैं न। आप तसल्ली रखिये। (व्यवधान) सोशल सिक्योरिटी...

डा. महेश जोशी : आपको पता नहीं है, दो तरह की जो स्कीम्स हैं...

श्री कन्हैया लाल : क्या पता नहीं मेरे को...

डा. महेश जोशी : एक में तीस प्रतिशत देते हैं, एक में पैंतीस प्रतिशत और एक में सारा खर्चा देते हैं।

श्री कन्हैया लाल : नहीं-नहीं, खाली तीस पर्सेन्ट।

डा. महेश जोशी : आपको पता नहीं है।

श्री कन्हैया लाल : आज ही की बात है, मैं अभी आज ही दिलवा कर आया हूं तीस प्रतिशत से।

श्री जुगल काबरा : बी.पी.एल. परिवार को पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा हर इलाज के लिए दिया जाता है चाहे हार्ट का वाल्व हो, चाहे किडनी हो और चाहे किसी तरह का हो।

श्री कन्हैया लाल : बी.पी.एल. को तो पहले भी था और आज भी है बी.पी.एल. को, क्या नई बात दे रहे हो आप?

डा. महेश जोशी : आपने कितना दिया बी.पी.एल. को, आपके राज में कितना दिया गया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुमेधाजी का दुर्लभ हास्पिटल देखा होगा...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आपका रोना तो यही है कि वह वापस क्यों आ गई? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको गरीबों का पता क्या है, ऊंचे तबके से पदों पर पहुंचने वालों, आप लोगों को पता क्या है? यह जो कह रहे हैं, 1984 में, कह रहे हैं कि एक वाल्व खराब होकर मौत हो गई, 1984 में तो हजारों मौतें हो गई, कांग्रेस ने कर दी इन लोगों की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : और गुजरात में, गुजरात में क्या हुआ, वह नहीं गिनी। आपने? गुजरात में क्या हुआ, वह नहीं गिनी आपने? आप तसल्ली रखिये।

श्री केसाराम चौधरी : दो-तिहाई बहुमत से आई है भाजपा।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप तसल्ली रखिये। हां, अगर इस तरीके से हत्याएं करके, इस तरीके से वातावरण कायम करके अगर आप राज पर आना चाहते हैं, तो लानत है ऐसे राज पर, डूब मरना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 1984 में याद रखते इन्दिरा गांधी हत्याकांड को, और आपकी हत्या और लाखों हत्याओं को।

डा. महेश जोशी : आपको तो सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि सुमेधाजी वापिस क्यों आ गई और कैसे आ गई, पुलिस ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, सरकार ने ऐसा काम कैसे करा दिया, यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी है आज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और भी हजारों अपहरण हुए हैं। एक पूंजीपति की पत्नी को ले आये हो, धन्यवाद। लेकिन और भी हजारों अपहरण गरीब महिलाओं के, बेटियों के बलात्कार और अपहरण हुए हैं, उनका क्या किया है। आप श्रेय लेना चाहते हो,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री चले जाते हैं उनके यहां। मेरे यहां एक सैनी बच्ची बारह साल की से डेढ़ सौ लोगों ने बलात्कार किया, क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है, मैं कभी किसी के व्यवधान नहीं डालता, आप मेहरबानी करके बात सुन लीजिये, व्यवधान न डालिये और अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं, तो आप मेरे से बात कर लेना मैं आपको जवाब दूंगा उस बात का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोले सो निहाल। बोलिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इस तरीके से हर क्षेत्र के अन्दर इस सरकार ने संवेदनशीलता से जो अच्छे कदम उठाये हैं, अच्छे काम किये हैं उनकी तारीफ निश्चित तौर से की जानी चाहिए। इन्सान यह चाहता है कि बेहतर प्रशासनिक मैनेजमेंट हो। आज जितने कांपलीकेशंन ला-एंड-आर्डर के बढ़ती हैं उनमें प्रशासनिक यूनिट्स हमारे यहां बहुत कम थी लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा कि गरीब आदमी को दूर जाकर के न्याय मिलेगा इन्साफ मिलेगा उसको हम नजदीकी से न्याय और इन्साफ देने की बात करें, कभी नहीं सोचा। लेकिन यह अशोक गहलोत सरकार थी जिसने 128 सब डिवीजन इस राजस्थान प्रदेश के अन्दर प्रशासनिक यूनिटों के खोल कर लोगों को घर के नजदीक न्याय देने की बात की और बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था पर एक अच्छा प्रभावी नियंत्रण रहे उस बात के लिए उठाये गये कदम काबिलेतारीफ हैं जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है।

पीने के पानी की व्यवस्था आज इस राजस्थान के अन्दर जितनी पेयजल योजनाएं बनीं उनमें बहुत कम क्वांटिटी का आकलन करके योजनाएं गयी। आज आदमी की लाइफ स्टाइल तब्दील हो रही है और उन योजनाओं के अन्दर पशुओं का वाटर कंजम्शन का ध्यान नहीं रखा गया था लेकिन इस सरकार ने सारी योजनाओं को री-नोमीनेट करके उनके अन्दर माकूल व्यवस्था की है पानी की उपभोग की जाने वाली मात्रा को बढ़ाया गया है, पशुओं का खयाल रखा गया है। इस सरकार ने राजस्थान प्रदेश की हालत सुधारने का जो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री फिर भी नहीं बन पाओगे, भाईसाहब।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मुझे जरूरत नहीं है मंत्री की यह मूछों में से लारें आपके टपक सकती हैं मेरे नहीं।

इसलिए साक्षरता के अन्दर राजस्थान हिन्दुस्तान में बड़ी मजबूती से आगे कदम बढ़ाते हुए शत-प्रतिशत साक्षरता की ओर जा रहा है आपको तारीफ करनी चाहिए, आप सभ्य होने जा रहे हैं इसलिए...

श्री केसाराम चौधरी : बिना मास्टरों के।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह भी तसल्ली रखिये यह भी कलाकारी है।

श्री केसाराम चौधरी : बिना मास्टरों के सभ्य बन रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यस। तकनीकी शिक्षा में केवल एक शिक्षा से काम नहीं चल सकता। हमने सर्वांगीण विकास की ओर देखा है शिक्षा के हर पहलू से मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, क्योंकि हम उस सब एक बहुत खूबसूरत बगीचे के अनेकों फूल हैं, मदरसों का ख़याल रखा गया है, सिंधी भाषा के स्कूलों का खयाल रखा गया, पंजाबी भाषी स्कूलों का खयाल रखा गया, संस्कृत का खयाल रखा गया...

श्री अमराराम (धोद) : आयुर्वेद में रखा गया।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वो बात मैं मेडिकल में बताऊंगा आप तसल्ली रखिये। वो भी बताऊंगा। टेक्निकल एजुकेशन में जो विकास हुआ है इन चार सालों में मैं कहता हूं इसको आप गुणात्मक दृष्टि से देखें, तो शायद ऐसी कोई सरकार आज तक 50 साल के इतिहास में नहीं आयी जिसने इस तरीके का कोई विकास किया हो। जहां तक सिंचाई का सवाल है, आपने बिजली पैदा कर ली, अभी लोग कुछ कह रहे थे लेकिन आपको वो रास्ता बताना चाहिए जो सरकार की आखों से ओझल हो बिजली पैदा हो रही है अगर हाइड्रोलिक पावर आप जेनरेट करते हैं, तो केवल 32 पैसे प्रति यूनिट उस पर खर्चा आता है...(व्यवधान)

राजस्थान के अन्दर प्रकाश पुंज सूरतगढ़ तापीय विद्युतगृह जो एशिया का सबसे बड़ा विद्युतगृह है, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में बना है और जो कुछ वहां से बिजली पैदा होगी वह राजस्थान के कोने-कोने को प्रकाशमय करेगी यह एक फख्र की बात है। जब पहली यूनिट चालू हुई तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई थी लेकिन यह भी इस सरकार की सूझ है कि उन्होंने जितना एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज वहां किया और उससे आगे उत्पादन को बढ़ाया। आज उसका जो उत्पादन खर्च है उसमें गिरावट आयी हैं, ये अच्छे आसार हैं, सरकार को और प्रयत्नशील होना चाहिए। इस विद्युत क्षेत्र के अन्दर दो कमजोरियां राजस्थान में और थीं, जो प्रसारण तंत्र था इसमें लम्बी-लम्बी लाइनें थीं, छीजत बहुत होती थी। पहला मौका है कि राजस्थान सरकार ने इस ओर इतना बढ़िया कदम उठा करके इस प्रसारण तंत्र को मजबूत किया है और...

श्री केसाराम चौधरी : प्रसारण तंत्र में घाटा है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप तसल्ली रखिये जो कुछ कहना हो बाद में कह देना। आप तसल्ली रखिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ...प्रसारण तंत्र में घाटा है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : प्रसारण तंत्र में सुधार करके, उसके अन्दर छीजत को रोक करके जो बिजली को बचाया गया है यह एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। बिजली की इतनी लम्बी लाइनों के अन्दर चोरी हुआ करती थी उसके अन्दर भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं क्योंकि यह राजस्थान की सम्पत्ति है इसको अच्छा मैनेज करने का सरकार का काम है। इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद देता हूं कि जिसने इतना बढ़िया काम किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कुछ अभिभाषण दिया उसके अन्दर इन बातों की तारीफ की गयी वो उन्होंने गलत नहीं की, और न ही उनसे कोई गलत बात कहलवायी गयी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो सौ फीसदी सत्य कहा है और उसकी तारीफ की जानी चाहिए।

सिंचाई व्यवस्था के बारे में अकाल एक प्रकृति की नियत्ति है। अकाल पड़ा इसका दो ही तरीकों से मुकाबला किया जा सकता है या तो सिंचाई योजनाओं से किया जा सकता है या फिर भूगर्भीय जल का दोहन करके किया जा सकता है। भूगर्भीय जल के दोहन के लिए विद्युत आवश्यक है। इस आस्पेक्ट पर राजस्थान सरकार ने काम किया लेकिन सिंचाई व्यवस्थाओं में जो योजनाएं बनीं मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के अन्दर एक बड़ी योजना गंग कैनाल थी। आजादी वक्त में जब राजस्थान की यह वर्तमान तस्वीर बनी उस वक्त। वह हमारी अपनी योजना थी। लेकिन आज उसके भी हैड वर्क्स हमारे कंट्रोल में नहीं होने के कारण बार-बार हमारे हकों पर कुठाराघात होता है और इस भंयकर अकाल की स्थिति में गत वर्ष जब हमारी फसलें बरबाद हो रही थीं, तो पंजाब के अन्दर सरकार बदल चुकी थी, वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। पहला मौका था जब राजस्थान के काश्तकार के हित के लिये पंजाब सरकार ने दिल खोलकर हमको पानी दिया और इस साल भी बुआई में डेढ़ महीने तक लगातार 10 हजार क्यूसेक्स पानी तीनों सिस्टमों में देकर राजस्थान के साथ न्याय संगत बात की है। यह व्यवस्था का फर्क है। आप लम्बी-चौड़ी बातें बहुत करते हैं। जब वहां आपकी भागीदारी की सरकार थी, तो राजस्थान का हक जो मारा जा रहा था उसकी तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया और आपकी हिम्मत नहीं हुई कि बादल सरकार से जाकर आप कभी बात कर पाओ। भूगर्भीय जल दोहन जब ज्यादा होने लगा तो कुछ हमारे इलाके डार्क जोन में चले गये। हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया, जो सिंचाई मंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके, बहुत कोशिश करके अंडर ग्राउन्ड वाटर की रीचार्जिंग की योजनाएं जो तैयार की हैं उनके परिणाम बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे जो हमारी सरकार की अच्छी सोच का प्रमाण है, उसकी तकलीफ की जानी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब तक सरकार बदल जायेगी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, आयेगी या जायेगी पता लगेगा। आप कहां हो ओगे यह आप किसी ज्योतिषी से पता कर लेना। (व्यवधान) पण्डित जी ने तो बता दिया कि आप अलवर में ही रहोगे और पुराना काम करोगे जो पहले किया करते थे।

एक माननीय सदस्य : क्या करते थे पुराना काम बताओ तो सही?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : रामलीला में पार्ट किया करते थे, वही करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह मूंछें तो मथुरा में मिलती हैं। (व्यवधान) मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, वह कह रहे हैं जो मूंछें तो मथुरा में मिलती हैं आपकी तो नेचुरल है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं भी मूंछों की वकालत कर रहा हूं कि आप बिलकुल साक्षात प्रेमचौपड़ा लग रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : तसल्ली रखिए, आप दोनों ही फिल्म में चले जाना। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था में इन मुसिबतों को देखकर जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनसे राजस्थान को बहुत परेशानी हुई है लेकिन मजबूरी है फिर भी हम नदियों के पानी को राजस्थान में लाने की जो योजनाएं बना रहे हैं लेकिन इनका प्रबन्धन दूसरों के हाथों में रहने से राजस्थान में परेशानियां भी पैदा होती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : यह केवल संकेत है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : अच्छा संकेत है। वह अच्छी योजनाएं तो जरूर बन रही हैं लेकिन उनका प्रबन्धन हमारे हाथ में नहीं रहने से कई बार हमको मुसिबतों का भी सामना करना पड़ता है लेकिन जो साधन हमारे पास है उनका बैटर मैनजमेंट करना सरकार का पहला काम है। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि गंग केनाल जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, 70 साल से ज्यादा अर्सा हो गया उस केनाल को चलते हुए, उस केनाल में जो टूट-फूट हुई उससे राजस्थान को जो नुकसान हो रहा था, भावावेश में अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य थोथी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करने की बात कर रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घोषणाएं की हैं थोथी घोषणाएं वह थीं जब गंग केनाल के इनोग्रेशन की बातें बार-बार आपकी तरफ से की गई लेकिन एक फूटी कोड़ी नहीं लगाई गई गंग केनाल पर। आज 460 करोड़ रुपये की वह योजना फलीभूत हो रही है, गंग केनाल का स्वरूप बदला जा रहा है जो राजस्थान की काया पलट कर देगी। उसी तरीके से भाखड़ा प्रणाली पूरे सेंड और डेजर्ट जोन में से आई है जिसमें वाटर लोसेज सबसे ज्यादा हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को कि उसका ध्यान इस ओर गया कि जिस पानी जो किसान के खेत में जाकर इस राजस्थान प्रदेश की खुशहाली में योगदान देना चाहिये था वह सीधा धरती

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

मां की गोद में समा जाती है। 750 करोड़ रुपये योजना से एक-एक इंच भाखड़ा नहर की सारी प्रणालियों को पक्का कर के 650 क्यूसेक्स पानी की आज सेविंग हो रही है

(16.47 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और वह 650 क्यूसेक्स पानी इस राजस्थान प्रदेश के किसानों की हालत को बदल देगा। जिस खेत में वह पानी जाएगा उस खेत में हरियाली होगी, जिस खेत में हरियाली होगी उसके घर के बालक, नोनिहाल के चेहरे पर लाली होगी और उस घर में खुशहाली होगी। यह वह सरकार काम कर रही है। धन्यवाद देना चाहिये ऐसी सरकार को।

आज अकेले हम कृषि की बात करते रहे। औद्योगिक विकास राजस्थान में नगण्य रहा। राजस्थान के उद्योगपति, राजस्थान के पूंजीपति जो सारी दुनिया में अपनी धाक जमाये बैठे हैं लेकिन उनकी निगाह राजस्थान की ओर नहीं गई। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो उनका यह कहना बहुत वाजिब था कि वहां अगर हम उद्योग लगाते हैं, तो बड़ी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार ने एकल खिड़की योजना को लागू कर के उन लोगों की मनोभावना को बदला है। आज राजस्थान औद्योगिक विकास की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है और शायद इस राजस्थान की तस्वीर बदलेगी। ऐसे अच्छे कदम, मजबूत कदम जो उठाये गये हों उनकी तारीफ की जानी चाहिये, उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये।

पशुधन की बातें करने वाले लोग जिन्होंने यह नहीं सोचा कि मुंह से बोलने वाले इन्सान अपना रोग बता देंगे, अपनी पीड़ा और कष्ट बता देंगे, लेकिन बेजुबान पशु न तो अपना रोग बता सकता है न अपना कष्ट बता सकता है उसके लिये इस सरकार का चिन्तन, वेटरिनरी हास्पिटल खोल कर, वेटरिनरी सब सेन्टर खोलकर आज उन पशुओं के लिये जो साधन मुहैया कराये हैं वह कदम काबिले तारीफ हैं। चूंकि हमारा जीवन कृषि पर आधारित है और राजस्थान के किसानों का सम्बन्ध जितना कृषि से है उतना ही पशु से है। आज दुग्ध संकलन के अन्दर राजस्थान ने अपना मयार कायम की है, बड़ी तेजी से इधर कदम बढाए हैं ऐसे अच्छे कामों की तरीफ की जानी चाहिए।

राजस्थान के अन्दर चार सालों से अकाल भोग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अकाल पर तीन-चार तारीख को बोल लेना। दो दिन और है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : दो ही मिनट कहूंगा। मैं अकाल पर नहीं बोल रहा लेकिन उससे जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक सदस्य और बोल लेंगे इस बीच में।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : अकाल और अकाल का मैनेजमेंट करना, लोगों को राहत देना यह एक दूसरी बात है लेकिन अकाल के मैनेजमेंट के अन्दर राजस्थान सरकार ने ऐसा मयार कायम किया है कि अकाल की क्रूर छाती के ऊपर परमानेंट विकास के कार्य कराकर एक ऐसी ऐतिहासिक रेखा खींची है जो कभी मिट नहीं सकती। राजस्थान के अन्दर अकाल बहुत पड़े, उनके अन्दर सरकारों ने बहुत सारे काम भी किए लेकिन मैंने ऐसे भी काम देखें हैं कि एक सड़क का सात बार पेमेंट कर लिया लेकिन आज अगर सड़क को ढूंढ़ने जाओ तो वह सड़क नहीं मिलेगी। अस्तित्व नहीं है इन कामों के अन्दर। बजट की जो हम बात करते हैं, पैसे के एलोकेशन की जो बात करते हैं, वह गलत हाथों में चला गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो वह सारी योजनाएं बेकार हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं लेकिन वह योजनाओं का पैसा योजनाओं में लगे। इस बात की गारंटी इसी राजस्थान सरकार ने दी है।

आज एंटीक्रप्शन डिपार्टमेंट ने जितना तेजी से इन चार सालों में काम किया है, भ्रष्ट आदमी की गर्दन पर हाथ डाला है, आज ऐसी फिजां बनी है और उसके परिणाम भी आए हैं, प्रशासन सावेचत हुआ है। इसलिए राजस्थान प्रदेश में सर्वांगीण विकास की ओर मजबूती से बढ़ते हुए इस सरकार के कदम, विकास की योजनाएं, इनको महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इंगित किया, सरकार की रीति-नीति का रास्ता बताया उसकी मैं भरपूर प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस सरकार को कि आपदाओं के होते हुए भी इन योजनाओं में बड़ी मजबूती से आगे कदम बढ़ाए, ऐसी ही मजबूती से आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। मैं पुरजोर से अभिभाषण का समर्थन करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन अच्छे कामों की तारीफ करते हुए सर्वसम्मति से इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करेंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : राजस्थान के बेरोजगार शिक्षक जो पांच साल से धक्के खा रहे हैं उनको जिला प्रशासन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जयपुर ने प्रदर्शन निकालने की अनुमति देकर वापस ले ली और वह वे परेशान हो रहे हैं। वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। उनके बारे में शिक्षा मंत्री जी को आप निर्देशित कीजिए कि व्यवस्था दें, कृपया करके उनकी सुनें, उनको नौकरी दें। बेरोजगार शिक्षक जो बी.एड. हैं, आई.सी.सी. हैं, बी.एस.टी.सी. हैं, हजारों की संख्या में आए हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के कार्यक्रमों का, कार्यकलापों का एक लेखा-जोखा होता है, एक आईना होता है जो महामहिम के श्री मुख से इस सदन में कहा जाता है।

इस सरकार के द्वारा राज्यपाल महोदय से जो कहलवाया गया, उसमें अकाल का प्रबन्धन, शिक्षा, बिजली, पेयजल व्यवस्था, इन सब की अव्यवस्थाओं के लिए इस अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि अभिभाषण में सभी बातों पर प्रशंसा की जाए, अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है, तो उन कमियों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस राज्य सरकार को अगर कहीं से अच्छी सहायता दी गई है, तो उसका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हुए उल्लेख करना चाहिए। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद कह सकता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस अकाल प्रबंधन में, अकाल को संचालित करने में, चाहे अनाज के रूप में, चारे के रूप, पेयजल व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान और सहायता दी गई, इस पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद, उनका उल्लेख तो किया गया है लेकिन केन्द्र सरकार के प्रति जिस प्रकार की उदारता या जिस प्रकार की प्रशंसा की जानी है उसका कहीं उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बजट अभिभाषण का अंश 11 वां, जिसमें उल्लेख किया है, "भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अब तक 11.66 करोड़ रुपये गौशाला अनुदान एवं 155.68 करोड़ रुपये किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी हेतु प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 8.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी प्राप्त हुआ है। माह जुलाई, 2003 तक 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं के आबंटन का निर्णय भी केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2003 को लिखा गया है। पशु आहार हेतु 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं आबंटित किया गया था लेकिन 29 फरवरी, 2003 तक 2376.56 मीट्रिक टन गेहूं ही प्राप्त हुआ है।" इतनी बड़ी सहायता इस अकाल से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई फिर भी राजस्थान की सरकार द्वारा

(श्री हीरासिंह चौहान)

राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से जो बजट अभिभाषण दिलवाया गया, उसमें कहीं भी तारीफ नही की गई। मेरा निवेदन है कि कम से कम सरकार जो नहीं कर सकी उन कार्यों का उल्लेख होना चाहिए क्योंकि यह सरकार के कार्यकलापों का एक आईना होता है। केवल प्रशंसा ही, हमने यह किया, हमने यह किया, आपने बहुत सारी बातें नहीं भी तो की हैं।

मैं आपको अकाल के बारे में बताता हूं, 15 अगस्त 2002 से अकाल का कार्य चल रहा है, अकाल की क्या स्थिति है? पूरे राज्य में त्राहि-त्राहि की स्थिति फैली हुई है। स्थिति यह बन गई है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, कुछ लोगों को वहां पर काम मिलता है, कोई भी इस अकाल के प्रबंधन से सन्तुष्ट नहीं है, मस्टररोल राज हो रखा है। मैं तो यह कह रहा हूं, कामों को खोलने में सरकारीकरण हो रहा है। मैं एम.एल.ए. हूं, 1987-88, पिछले अकाल भी हमने देखे हैं। जो विकास के काम होने चाहिए, कहां पर सड़क बननी चाहिए, कहां पर एनीकट बनने चाहिए, कौनसे काम जरूरी हैं वह हमसे आज तक नहीं पूछे गए। हरिसिंह जी महुवा साहब से जरूर पूछे होंगे लेकिन हमसे आज तक नहीं पूछे। काम खोलने में भी सरकारीकरण। मस्टररोल में मजदूरों को लगाने में कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। मुझे बड़े ताज्जुब और दु:ख के साथ इस पवित्र सदन में कहने को बाध्य होना पड़ रहा है, कहते हैं कि यह मजदूर कांग्रेस का है, यह मजदूर भाजपा का है, क्या मजदूरों की भी छंटनी हो सकती है क्या? एक तमाशा हमने...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, गरीब वर्ग का कांग्रेस के साथ है इसलिए आप उसको कांग्रेसी कहिये। आप लोगों के साथ सैठ हैं, तो वह क्या अकाल राहत के कार्य करने जायेंगे? गरीब आदमी ही जायेगा, उसको आप कांग्रेस का ठप्पा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : वह भी मैं बता रहा हूं किस गरीब को लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, काम खोलने में सरकारीकरण और मजदूरों को लगाने में कांग्रेसीकरण। चारों ओर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। हां, यह हो सकता है मेरे कांग्रेसी साथी अपनी व्यवस्था को देखकर बड़े प्रसन्न होते होंगे लेकिन वास्तविकता में अगर मन से हाथ लगाकर अपनी अन्तर आत्मा से पूछें तो स्थिति बिलकुल ठीक नहीं है।

(17.00 बजे)

आज दो महीने हो गये, हमारे जिले में न्यूनतम मजदूर दे रखे हैं। अब आपने अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी, यह नवम्बर से लेकर जनवरी तक आपने बी.पी.एल. और ए.पी.एल. जो भी जरूरतमंद लोग थे उनके काम करने की व्यवस्था की। जो भी जरूरत मंद लोग हैं, वे फेमिन के काम पर आएं लेकिन मुझे बड़ा

(श्री हीरासिंह चौहान)

ताज्जुब होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, दु:ख होता है कि इस फरवरी महीने में आपने एक आदेश निकाला, राज्य सरकार ने कि 60 प्रतिशत लोग एस.सी., एस.टी. के लगेंगे और उनके साथ ओ.बी.सी. के लगेंगे और 40 प्रतिशत के लोग ए.पी.एल. के लगेंगे।

आज क्या स्थिति हो गयी है इस आदेश से? मैं पिछली 21 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में था। कम से कम 10 सड़कों पर लोग वापस जा रहे थे। जिन लोगों को अधिकृत किया वहां मजदूरी नहीं मिली। हमारे बहुत सारे गांव हैं, मगरे में एस.सी. के 1-1, 2-2 घर हैं ज्यादा घर ही नहीं हैं। बी.पी.एल. के परिवार 8-8, 10-10 चयनित हैं इसके अलावा चयनित ही नहीं हैं। 10 जगह से मस्टर रोल लेकर जिन लोगों को अधिकृत किया वे लेकर वापस गये कि हम किन मजदूरों को लगाएं। वहां पर तो बी.पी.एल. के 8 हैं या उस महीने में जो काम पर लगे हुए थे, कुछ लोग लग गये एक महीने तक काम और नहीं लगते। इस प्रकार आप नवम्बर, दिसम्बर, और जनवरी, 3 महीने तक तो ए.पी.एल. को भी काम लगाते हैं? माननीय उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, और इसके बाद जनवरी में जाकर यह स्थिति आप पैदा करते हैं जब भयंकर अकाल इस समय आ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा काम इस समय चाहते हैं। इस समय आपने आदेश दिया है कि 60 प्रतिशत इस श्रेणी के लोग लगेंगे और 40 प्रतिशत इस श्रेणी के, ए.पी.एल. के लगेंगे। स्थिति यह हो गयी है कि गांवों मे मस्टर रोल खाली जा रहे हैं। जितनी श्रमिक संख्या आपने न्यूनतम से भी न्यूनतम स्वीकार कर रखी है उसमें भी मजदूरों का नियोजन बराबर नहीं हो रहा है।

इसलिये मैं सरकार के उस आदेश को वापस लेने के लिये निवेदन कर रहा हूं, आप इस पर चिन्तन कीजिए और उसके हिसाब से जितने भी अफसर हैं, जिला कलक्टर हैं उनसे पूछिये कि इस आदेश के तहत क्या स्थिति बनी है। वहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर उपलब्ध नहीं हैं और मस्टर रोल खाली रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार का काम खोलना चाहते हैं। भारत सरकार ने जितना चाहिए, जितनी जरूरत थी उतना गेहूं उपलब्ध करवाया है।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सदस्य, मैं माफी चाहती हूं। जो ए.पी.एल. के मजदूरों को भी लिया जाए वह जब जोड़ा था वह इसलिये कि जगह-जगह से यह शिकायत आ रही थी कि यह जो सर्वे हुआ था ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का उस समय बहुत से गरीब और जरूरतमंद थे, वे ए.पी.एल. में रह गये और जो जरूरतमंद नहीं थे वह बहुत से बी.पी.एल. में आ गये। इसलिये जगह-जगह से कलक्टर्स के यहां से यह बातें आयीं तब यह किया गया कि ए.पी.एल. में भी जो कमजोर तबके के जरूरतमंद लोग रह गये हैं ए.पी.एल. में से

(डा. (श्रीमती) कमला)

उनको भी लिया जाए। उस वक्त यह किया गया था और उसका उपयोग भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वह मजदूर नहीं आ रहे हैं। मजदूरों का तो उल्टा बहुत ज्यादा तकाजा हो रहा है कि और लगाओ, और लगाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं, आप ठीक ही फरमा रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर है कि आपने नवम्बर, दिसम्बर, और जनवरी 3 महीने तो ए.पी.एल. और बी.पी.एल. और एस.सी., एस.टी. के सारे परिवारों को काम पर, रोजगार पर लगाया। अब हमारे यहां श्रमिक कार्ड भी जारी कर दिये गये। दुबारा एक महीने में लग नहीं सकता। एक परिवार में से एक आदमी को लगाने की भी हमने सारे पाली जिले में व्यवस्था की। सारी व्यवस्था माकूल होने के बाद अब स्थिति यह बन गयी है कि श्रमिक संख्या 40 दी हुई है,...40 मजदूर दे रखे हैं। मान लीजिए 40 मजदूर दिये वहां पर ए.पी.सी. है, बी.पी.एल. और एस.सी. के परिवार ही नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं आप इस आदेश को वापस मानिटरिंग, यह कुलमिलाकर एक तरह का 4 महीने, 3 महीने बाद अव्यवस्था पैदा करने वाला है। इसलिये जिला कलक्टर से भी वापस पूछ लीजिए। मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं यह स्थिति बड़ी भयंकर होने जा रही है और जिन मजदूरों को और जितने लोगों को भी हम राहत देना चाहते हैं उनको भी हम बराबर राहत नहीं पहुंचा सकते।

उपाध्यक्षजी, क्या किया, जिला कमेटी बनायी, राहत कार्यों की, उसमें 30-30, 40-40 आपके कांग्रेस के छुट-भैयों को जोड़ दिया, 30-30, 40-40 को बैठाया, इससे कमेटी का जो अर्थ है वह भी सत्यानाश कर दिया। उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। अब उनको क्या हुआ, हमने ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है वहां पर ट्रेनिंग देने के लिये बैठा रखा है?

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसा है, आपको गहतफहमी है। आम तौर पर उनमें प्रधान हैं, जिला परिषद् के सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं उनमें से लगाया है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं वहां देख लीजिए तो ऐसी स्थिति है। (व्यवधान) पाली में आप स्थिति देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : छुट-भैये लोग, आप पाली की लिस्ट देख लीजिए, पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और दो ही मेम्बर हैं, एम.एल.ए. आते हैं, एम.पी. आते हैं लेकिन इस प्रकार के कांग्रेस के छुट-भैयों की, पता नहीं आप उनको क्या ट्रेनिंग देना चाहते हो? उप खण्ड में भी एक कमेटी लम्बी-चौड़ी बना दी। वहां भी कमेटी बना दी और काम

(श्री हीरासिंह चौहान)

खोलने को कोई प्लान नहीं, कुछ भी है नहीं। एक बड़ा तमाशा बना रहे हो इस अकाल को आपको बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। किस प्रकार के काम होने चाहिए, आपने कहा अभी मेरे साथी सिद्धू साहब ने कहा अभी कि विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है सारे अनाज का और आप जो 10–10 रुपये दे रहे हैं उनका सत्यानाश हो रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूं। बड़ से लेकर पाली तक 3 सौ मजदूर नेशनल हाई-वे पर लगे हुए हैं। मैंने कलक्टर से पूछा, यह नेशनल हाई-वे पर यह मिट्टी किसलिये डलवा रहे हैं? यहां पर नेशनल हाई-वे है और पिछले दिनों में वहां जहां मिट्टी बिछवायी वहां पर नेशनल हाई-वे वालों ने मुरट डालना शुरू कर दिया और उस पर डाली हुई मिट्टी को वापस हटा दिया। अब कोई विकास करना चाहे, तो काम की कुछ उपयोगिता तो होनी चाहिए। अनुपयोगी काम कराकर आप क्या करना चाहते हो? जबकि पिछले अकालों में, मैं इस बात की तारीफ करता हूं सन् 1987–88 में जब आपकी ही सरकार थी। उस समय जो काम हुए, सामग्री भी दी और श्रम भी दिया और मजबूती के साथ कई काम हुए। लेकिन इस बार जो स्थिति है, सामग्री तो बिलकुल हटा दी, सामग्री रखी नहीं लेकिन जो काम, जिन कामों का चयन किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो खुद ही कह रहे हैं यह बात। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या? अब तो सपने देखो इस बार राज आपका नहीं आएगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : 1987–88 में भारत सरकार में भी कांग्रेस का राज था इसलिये हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं खुद तारीफ कर रहा हूं, 1987–88 में अच्छा काम हुआ।

लेकिन इस साल जो काम हो रहे हैं, किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। धूल डाली जा रही है, सारे सरकारी पैसों का और उसके अन्दर सरकार का जो गेहूं मिल रहा है उनका सत्यानाश किया जा रहा है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, मैं बड़ी गम्भीरता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहे खुद जाकर सर्वे करा लें।

एक माननीय सदस्य : दो हैं, आप कौनसे को कह रहे हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं दोनों को ही कह रहा हूं। कोई छोटा-बड़ा नहीं है, उप मुख्य मंत्री तो उप मुख्य मंत्री हैं। विराजमान हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, कम से कम यह तो हमारे लिये संतोष की बात है, कम से कम इन बातों को जो मैं कह रहा हूं, आप गम्भीरता से लीजिए। आपके ही विभाग के जो एनीकट हैं छोटे-छोटे बहुत पुराने बने हुए, जिन पर लाखों रुपया खर्च हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आप लेते नहीं, अकाल में बनाये हैं। ठीक है, अकाल में बनाये

(श्री हीरासिंह चौहान)

लेकिन इस साल तो अकाल है। हमने लिस्ट दी है, हमने माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को लिस्ट दी कि इन टूटे-फूटे जिन पर लाखों रुपये खर्च हो रखे हैं और जो बड़े जन उपयोगी हैं, जिनसे पानी बढ़ेगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, खेती के लिये काम आएगा। लेकिन सामग्री के अभाव में उनकी कोई मंजूरी हो नहीं रही है और कुछ जो मंजूर हुए, पहले 3-4 जितने दूसरे बन भी गये लेकिन 4-5 एनीकट्स का बनना रोक दिया जिसके पीछे कुछ भी कारण नहीं है।

इस प्रकार से स्थिति इतनी गम्भीर हो रही है जिसको अगर आप समय रहते, अभी 4-6 महीने जो पड़े हैं, समय रहते इसकी मानिटरिंग कीजिए और एक-एक चीज को अच्छी तरह से किस नेचर के काम करने चाहिए। जिला कलक्टर, हमारे माननीय खेतसिंहजी साहब की मैं, क्या तारीफ करूं, हमारे वे इंचार्ज मंत्री हैं। आते हैं, बैठ जाते हैं, हम सबकी बातें सुन लेते हैं और उठ कर चले जाते हैं। किसी प्रकार का दिशा-निर्देश, किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं करते। मतलब सूपड़ा ही साफ कर दिया उन्होंने और इस प्रकार का एक पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ था कि बहुत पुराने सीजण्ड हैं हमारे पाली जिले के प्रभारी लगे हैं, बहुत अच्छा संचालन करेंगे लेकिन हमने देखा, देख कर पाया कुछ अजमेर वालों ने पहले तारीफ की थी उनके इंचार्ज थे। लेकिन अब हमारे मैं तो निवेदन करना चाहता हूं खेतसिंहजी साहब के बस का वहां का रोग नहीं है। कारण ऐसा है, कांग्रेसी छुट-भैये अपनी मनमर्जी का काम करवाते हैं। व्यक्तिगत घरों में सड़कें पहुंचा रहे हैं जो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, जो बनने वाली हैं उन पर कोई काम अभी तक चालू नहीं हुआ है और जबकि हमने उनको लिस्ट दी। उन्होंने भी कलक्टर को इस प्रकार के डायरेक्शन दिये in spite of all my good attempts till today. कोई भी सैंक्शन काम की नहीं हो रही है। इस प्रकार की स्थिति में अगर लाकर आप खड़ा करना चाहते हो और आप खुश होना चाहते, तो हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन एरिये में जो काम होने चाहिए वह काम आपके हो नहीं पाएंगे। यह स्थिति बन रही है। इसलिये यह कुलमिलाकर इस अकाल की विषम स्थिति में विकास के जो काम होने चाहिए उन विकास के कामों को विकास के काम के रूप में कराया जाना चाहिए।

अब रही शिक्षा की स्थिति, बजट में जो तारीफ की गयी कि हमने शिक्षा की स्कूलें खोल दीं, माध्यमिक स्कूल सीनियर सैकण्डरी स्कूल, रेज कर दी। इतनी मिडल स्कूल कर दी। अध्यापकों का वहां क्या हुआ है? आज समानीकरण के नाम पर पिछले 4 साल में समानीकरण करके एक मास्टर को इधर भेजते हैं, एक मास्टर को उधर भेजते हैं, स्थिति यह हो रखी है। अभी हमारे राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने सारा बताया कि स्कूलों में मास्टर नहीं है, आदर्श स्कूल खोल

(श्री हीरासिंह चौहान)

दिये। उन्होंने कहा एक मास्टर है, तो स्कूलें खाली पड़ी हैं। चौपट हो रखा है सारा मामला। शिक्षा के मामले में आप कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं। हम प्राथमिक शिक्षा को कम्पलसरी एजुकेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं एजुकेशन का तो भट्टा ही बैठा दिया आप लोगों ने मतलब किस प्रकार का, जिस प्रकार का शिक्षण कार्य चलना चाहिए आठवीं स्कूल है, दो मास्टर बैठे हैं। मैं बीसों ऐसी स्कूलें बता दूं आठवीं स्कूल है, दो-दो मास्टर बैठे हैं। समानीकरण करके क्या लाओगे? स्कूल की संख्या, तो मास्टरों की संख्या तो नहीं बढ़ा सकते? इसलिए यह एक बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है और यह सारी बातों का बखान अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय से कराया है इसलिए यह स्थिति भी बड़ी असंतोषजनक है।

इसी प्रकार वाटर मैनेजमैंट, पानी वाला मामला है, योजनाएं बहुत पुरानी हैं, कई चल रही हैं लेकिन कुलमिलाकर जो तकलीफ मुझे इस बात की है कि आपने तीन-तीन, चार-चार बार मंत्रिमण्डल में माननीय मंत्रियों को बदला। यह माननीय मुख्य मंत्री का अपना स्वतंत्र मामला है लेकिन आज आपके जिस-जिस मंत्री को, आज जैसे सी. पी. जोशी साहब, आप तारीफ करते होंगे लेकिन सी. पी. जोशी साहब ने जब इस मंत्रालय को सम्भाला (व्यवधान) खेतसिंहजी की तो मैंने बहुत तारीफ कर दी है। हमारे पाली का तो भट्टा ही बैठा दिया इन्होंने आकर। मैं तो बहुत तारीफ करता था कि हमारा सम्भालेंगे लेकिन छुट-भैयाओं से घिरे रहते हैं। कोई प्रबन्धन आपके द्वारा नहीं होता। बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनते हैं, भाषण सुनते हैं और उठकर चले जाते हैं। एक काम जरूर इन्होंने किया है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : मैं आपका जवाब देने के लिए ही हाजिर हुआ हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, पधारिये। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई जब...(व्यवधान) हां, मैंने, फर्स्ट डे आप आये, मैंने बहुत तारीफ की थी आपकी। बहुत सीजण्ड हैं, बहुत पुराने हैं, हर बात को ठीक ढंग... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : काम तो कोई हुआ ही नहीं पाली में। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन आज तक एक भी काम ढंग से नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप एक काम भी बता दीजिए जो कि सफल हुआ हो? वह करवाया हो, तो कोई काम ही नहीं हुआ। जब आपरो काम ही नहीं है, तो जवाब रो कीं मतलब? आपरे जवाब री जरूरत ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको तकलीफ क्या है?

श्री केसाराम चौधरी : हां, एक काम तो चल रहा है पर...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके यहां फेमिन वर्क्स की कोई कमी नहीं है, फेमिन वर्क बराबर हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जवाब तब दें जब आप उप मुख्य मंत्री बनें। माननीय राठौड़ साहब, आप जवाब जब दें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : क्या काम चल रहा है? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज आप हाउस में तो इतनी बात कह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप से हजार बार कहा कि लेबर स्ट्रेंथ बढ़ाओ। क्या दी पाली जिले में?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं वहां मीटिंग करता हूं तब उनकी सारी राय लेता हूं उसके अनुसार काम खोलता हूं। उसके बावजूद भी इनको सैटिस्फैक्शन नहीं होता, तो उसकी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मगर उसकी क्रियान्विति नहीं की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह चाहते हैं कि सारे काम हमारे कहने से खोलो वह मैं खोलने वाला हूं नहीं। 30 परसेंट काम तो...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक भी खोला है क्या आपने?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 30 परसेंट काम इनके कहने से खोलता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : अन्दर से कह दो, एक भी काम खोला क्या आपने?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : हम कब कहते हैं कि हमारी बातों को नहीं सुनते हो? खूब सुनते हो, लाड़-प्यार से सुनते हो और उठ कर चले जाते हैं लेकिन काम का क्या दिशा-निर्देश देते हो, वह तो कभी आपने किया नहीं। हमारी बात को खूब सुनते हो आप। आप खूब सुनने का मौका देते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन प्रबंधन में कहां हिस्सेदार हुआ? किसी प्रकार का हिस्सेदार नहीं हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या जवाब हुआ आपका कि इनके कहने पर खोलने वाला नहीं हूं।

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, आप 80 परसेंट किसके कहने से खोलते हो?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : Then for what you are there?

श्री अमराराम (धोद) : 30 परसेंट तो इनके कहने से खोल रहे हो और 80 परसेंट किसके कहने से खोल रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कौनसा जवाब हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखो, यह तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ही। हम पक्ष के हैं और वे विपक्ष के हैं। इतना तो... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा जवाब हुआ कि मैं आपके कहने से नहीं खोलने वाला हूं। इतनी गैर-जिम्मेदारी, इतने वरिष्ठ मंत्री, गैर-जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या पक्ष और विपक्ष होता है? हम कोई गलत काम बताते हैं तो मत कीजिए लेकिन पब्लिक का और सार्वजनिक काम है, उसकी जांच करा लीजिए, फिर खोलिये आप। हम कब कहते हैं कि हमारे काम खोलो, आप जांच करा लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गलत काम नहीं, पब्लिक का सार्वजनिक काम है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : आप तो खेतसिंहजी साहब, हमें एक बता दो, जो कि हमारे कहने से आपने खोला हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पूरा समय देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अकाल पर आप बहस क्यों कर रहे है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी कह रहे हैं कि कांग्रेस और प्रतिपक्ष के हिसाब से अकाल राहत कार्य खोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अकाल पर आप बहस क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत वरिष्ठ हो। तीन-चार तारीख को पूरे दो दिन चर्चा के लिए दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बैठिए न। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली के तीन एम.एल.ए. खड़े हैं। (व्यवधान) और टोटल यह पांचवां, यही भाषा बोलता है, यह पांचवां कहां गया? (व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी कह रहे हैं, वह ठीक कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो रोज पूरे दे रहे हैं न आपको, दो रोज करना आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : फिर हमारी क्या जरूरत पड़ेगी? Are we not rerpresentative of the public? इनको क्या समझ रखा है इन्होंने, क्या हम पब्लिक का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? क्या हम हमारे व्यक्तिगत काम खोलने चाह रहे हैं? हमारी हालत खराब कर दी है इन्होंने, कोई भी पब्लिक का अच्छा काम नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : हम पब्लिक का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्या?

श्री आत्माराम मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी सभी की राय के अनुसार वहां पर कार्य कर रहे हैं और इस तरह से यह सदन में बातें कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : एक बार सड़क का काम किया, क्या लिखा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन सड़कों को कलक्टर को, निर्देश कर दें, वह धीरे-धीरे आज दिन तक...(व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी मंत्रीजी जो भी खोले हैं, हमारे सभी की राय के अनुसार अकाल राहत कार्य खोले हैं, यह आप जो फरमा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और आप जो फरमा रहे हैं, यह बात अच्छी नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है और शांतिपूर्वक बैठक होती है। (व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल : हर मीटिंग हमारे शांतिपूर्वक हो रही है और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको इज्जत देता हूं। (व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल : और इनकी सबकी भावनाओं के आधार पर हमारे यहां पर अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रबन्धक और ट्रस्टी बनकर मालिक बन गये आप। इस प्रकार अगर, Misused all the powers, मैं आरोप लगाता हूं आप पर यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह तो चुनाव राहत हो गया, कांग्रेस का चुनाव राहत चल रहा है, अकाल राहत नहीं चल रहा है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यूं आपकी धमकियों से तो मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं धमकी नहीं दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर इतना हाथ ऊंचा कर रहे हो, फिर अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो?

श्री केसाराम चौधरी : नहीं डरेंगे तो दस महीने और रह गये, फिर तो डरोगे, जनता से डरना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : श्रीमान्जी, मैं आपको धमकी दूंगा। मैं धमकी दूंगा क्या राठौड़ साहब? मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर आप अंगुली क्यों उठा रहे हो? क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है यूं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : यह तो चौहान और राठौड़ों की बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं वहां आपके कामों को खोलता हूं, आपसे विचार-विमर्श करता हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : नहीं खोलते साहब, कहां चलाते हैं, मजदूर कितने लगे हुए हैं? अभी आप हमारे जिले की रिपोर्ट मंगा लें न, साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : एक नहीं खोले आपने। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पाली जिले में मजदूरों की...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं गलत बोल रहा हूं तो तीन-तीन एम.एल.ए. खड़े हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मजदूर कितने लगे हैं रिकार्ड आ जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2003 के प्रात: 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.15 बजे बुधवार, दिनांक 26.2.2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला बाड़मेर में निर्माण कार्यों हेतु लम्बित आवेदन पत्र

4. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अकाल से प्रभावित सभी जिलों में मकानों और टांकों का निर्माण करने और कुओं को गहरा करने के लिए प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी और तहसीलदार के कार्यालयों में पेश करने का सरकार द्वारा आदेश दिया गया है? यदि हां, तो जिला बाड़मेर के प्रत्येक तहसील एवं परगनाधिकारी कार्यालय में जनवरी, 2003 तक कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परगनाधिकारियों और तहसीलदारों द्वारा आवेदकों के प्रार्थनों पत्रों पर स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कुओं, मकानों और टांकों के निर्माण पर जनवरी, 2003 तक कुल कितने मजदूर उक्त जिले की प्रत्येक तहसील में लगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परगना अधिकारी व तहसीलदार के कार्यालयों में जनवरी, 2003 तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) प्राप्त आवेदनों पर उप खण्ड अधिकारियों द्वारा कुएं गहरे एवं टांकों के निर्माण की स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। चालू कार्यों पर तहसीलवार नियोजित श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–2)

परिशिष्ट "1"

प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्यालय	आवास निर्माण	टांका निर्माण	कुआं निर्माण
1.	S.D.O. बाड़मेर	0	264	423
2.	S.D.O. गुढ़ामलानी	0	919	809
3.	S.D.O. बालोतरा	0	167	83
4.	S.D.O. शिव	0	175	178
5.	तहसीलदार, बायतू	2271	813	17
6.	तहसीलदार, बाड़मेर	2262	658	254
7.	तहसीलदार, चौहटन	4660	597	1115
8.	तहसीलदार, गुढ़ामलानी	3752	0	0
9.	तहसीलदार, रामसर	1096	370	98
10.	तहसीलदार, शिव	981	0	0
11.	तहसीलदार, सिवाना	657	41	235
12.	तहसीलदार, पचपदरा	1706	463	0
	योग	17385	4467	3212

ह०/–

जिला कलक्टर (सहायता)

बाड़मेर।

परिशिष्ट "2"

स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्यालय	आवास निर्माण		कुआं निर्माण		टांका निर्माण	
		स्वीकृत कार्यों की संख्या	नियोजित श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	नियोजित श्रमिक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	नियोजित श्रमिक
1.	S.D.O. बाड़मेर	0	0	131	100	346	140
2.	S.D.O. गुढ़ामलानी	0	0	919	4372	299	2740
3.	S.D.O. बालोतरा	0	0	170	5	0	0
4.	S.D.O. शिव	0	0	175	762	94	534
5.	तहसीलदार, बायतू	110	900	0	0	0	0
6.	तहसीलदार, बाड़मेर	320	2400	0	0	0	0
7.	तहसीलदार, चौहटन	424	3750	0	0	0	0
8.	तहसीलदार, गुढ़ामलानी	955	3940	0	0	0	0
9.	तहसीलदार, रामसर	366	2150	0	0	0	0
10.	तहसीलदार, शिव	480	2736	0	0	0	0
11.	तहसीलदार, सिवाना	10	0	0	0	0	0
12.	तहसीलदार, पचपदरा	120	880	0	0	0	0
	योग	2785	16756	1395	5239	739	3414

ह०/–

जिला कलक्टर (सहायता),

बाड़मेर।

विद्युत उत्पादन निगम द्वारा निविदाओं में अनियमितताएं

5. **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्युत उत्पादन निगम के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निदेशक के कार्यकाल के दौरान सूरतगढ़, रामगढ़ एवं कोटा ताप परियोजनाओं में विभिन्न सिस्टम के पैकेजों के लिए आमंत्रित निविदाओं की तारीख कब–कब बढ़ाई गई तथा इनके क्या कारण रहे?

(2) क्या उक्त पैकेजों के लिए कन्सलटेंट द्वारा बनाये गये स्पेसिफिकेशन क्या वही रहे या तारीख बढ़ाने के साथ–साथ इनमें भी परिवर्तन किया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त हेतु फाइनेंसियल मूल्य में क्या–क्या परिवर्तन हुए?

(3) उक्त निविदा में भाग लेने वाले संस्थाओं की प्री–क्वालिफिकेशन निर्धारण के क्या आधार थे? उक्त आधार के क्या कारण थे तथा कब–कब किस पैकेज में प्री–क्वालिफिकेशन में परिवर्तन किया गया और कौनसी कम्पनी को परिवर्तित क्वालिफिकेशन के आधार पर ठेका मिला?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट में विभिन्न सिस्टम पैकेज के लिये आमंत्रित निविदाओं की तारीख वांछित प्रक्रिया के अनुसार तथा आवश्यक संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण बढ़ाई गई थी। उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट क्रमश: 'ए', 'बी' व 'सी' पर उपलब्ध है।

(2) निविदा प्रपत्र बेचने के बाद स्पेसिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(3) उक्त निविदाओं में भाग लेने वाले संस्थानों की प्री–क्वालिफिकेशन निर्धारित करने के निम्न आधार रहे :-

1. निविदादाता को जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उस कार्य के करने का किसी बड़े थर्मल पावर स्टेशन में अनुभव होना चाहिए एवं इस तरह का कार्य जो कि पिछले वर्षों में किया गया हो वह कम से कम 2 वर्षों तक सुचारू रूप से चल रहा होना चाहिए।
2. निविदादाता की वित्तीय क्षमता सुदृढ़ हो व वे उक्त कार्य करने की क्षमता रखते हों।
3. अन्य शर्तें कार्य विशेष के लिए कन्सलटेंट की सलाह एवं पूर्व अनुभव के आधार पर तय की जाती है।

एक पैकेज (एल.पी.पाइपिंग लार्ज डाया कोटा थर्मल हेतु) में न्यूनतम (तीन) निविदाएं प्राप्त न होने के कारण प्री–क्वालिफिकेशन में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के पश्चात् मैसर्स जुबेरी इंजीनियरिंग कम्पनी हो ठेका मिला जो कि पूर्व क्वालिफिकेशन शर्तों को भी पूरा कर रहा था।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील शिव (बाड़मेर) के लम्बित नलकूप

6. **श्री अमीन खान** (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम जोरानाड़ा–कालीजाल मतुओं की ढाणी, लालासर के नल कूपों को कब तक चालू किया जायेगा?

(2) जिला जैसलमेर के ग्राम बोगनी आई, भाड़ली, दवाड़ा के नलकूपों को कब तक चालू किया जावेगा?

उत्तर

(1) **जोरानाड़ा** :– यह नलकूप वर्ष 2003 में चालू करना प्रस्तावित है।

कालीजाल (मतुओं की ढाणी):– डी.आर.डी.ए. द्वारा वित्तीय स्वीकृति फरवरी, 2003 में जारी हुई है। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार दिसम्बर, 2003 तक कार्य पूर्ण होना लक्षित है।

लालासर :– प्रस्ताव सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रक्रिया में है, स्वीकृति के उपरान्त धन व संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(2) **बोगनी आई** :– नलकूप जनवरी, 2003 में चालू कर दिया गया है।

भाड़ली, दवाड़ा :– ये नलकूप ग्रीष्म 2003 में चालू करना लक्षित है।

पंचायत समिति, उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

7. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुरवाटी में वर्तमान में कौन व्यक्ति सी.डी.पी.ओ. के पद पर कब से कार्यरत है?

(2) उक्त ने अपने कार्यकाल में किन–किन आंगनबाड़ी केन्द्रों का किन–किन तारीखों में निरीक्षण किया? उक्त में क्या कमियां पाई गई तथा सुधार हेतु क्या दिशा–निर्देश दिये एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(3) उक्त क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं तथा विभागीय निर्देशों/आदेशों के अनुसार कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का इस अवधि में उन्हें निरीक्षण करना आवश्यक था?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में वर्तमान में श्री केसरी लाल बैरवा, बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर माह जुलाई, 2002 से कार्यरत है।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विभिन्न दिनांकों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। निरीक्षण के

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

समय निम्न कमियां आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पाई गई जो निम्न प्रकार है :-

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का ठहराव में पूर्व समय के लिये नहीं होने के कारण उपस्थिति कम पाई गई।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रिकार्ड संधारण में लापरवाही के कारण भौतिक सत्यापन पोषाहार कम पाया गया।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का नाम निम्न प्रकार है :-

1. बागोली, 2. डूंगर की ढाणी 3. टोटनबाड, 4. मावता, 5. बावरा–16 धोलाखेड़ा 7. टोडा 8. सिगनौर 9. भोजगढ़।

सुधार हेतु दिशा-निर्देश

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पूर्ण ठहराव के लिये उनकी रुचि के अनुसार केन्द्र पर खेल खिलाता, चुटकले, कहानियां एवं स्थानीय लोकगीत सुनाना व सुनने के दिशा–निर्देश दिये तथा बच्चों की वृद्धि निगरानी चार्ट हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 20 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण स्थल ग्राम वाय में प्रशिक्षित किया गया।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

1. आंगनबाड़ी केन्द्र, सिगनौर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता देवी द्वारा बिना रिकार्ड संधारण किये अधिक पोषाहार वितरण किये जाने के कारण पूंजीकृत पत्र द्वारा जवाब मांगा गया, किन्तु प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण, कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया।
2. अन्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ता के पास पोषाहार कम पाये जाने पर उनकी राशि वसूली प्रस्तावित की गई है एवं भविष्य में रिकार्ड के अनुसार पोषाहार का विवरण सही रखने की चेतावनी दी गई।

(3) पंचायत समिति, उदयपुरवाटी क्षेत्र में 188 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है बाल विकास परियोजना अधिकारी को 80 आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रतिमाह निरीक्षण करने हेतु विभागीय दिशा–निर्देश जारी किये हुये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वार्षिक योजना में कटौती एवं ऋण भार

8. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 में वार्षिक योजना में कितनी–कितनी कटौती की है और कटौती के क्या कारण रहे हैं?

(2) गत चार वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों व केन्द्र सरकार से वर्षवार कुल कितना ऋण लिया और लिए गये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऋण पर कितना ब्याज प्रति वर्ष देय है व कुल कितना ऋण भार फरवरी, 2003 तक सरकार पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1998-99 में राज्य पर प्रति व्यक्ति ऋण भार कितना था तथा वर्ष 2002-2003 में कितना ऋण भार है?

(4) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 में राज्य की अर्थ व्यवस्था पर कोई श्वेत पत्र जारी किया था? यदि हां, तो श्वेत पत्र में की गई सिफारिशों व घोषणानुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई? श्वेत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-2003 की अवधि में योजनान्तर्गत व्यय एवं संशोधित योजनान्तर्गत व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :-

वर्ष	योजनान्तर्गत व्यय के अनुमान	योजनान्तर्गत व्यय के संशोधित अनुमान	अन्तर
1999-2000	4750.00	3855.14	(-)894.86
2000-2001	4146.15	4237.94	(+)91.79
2001-2002	5031.00	4642.35	(-)388.65
2002-2003	5160.00	4370.78	(-)789.22

व्यय के अनुमान, संसाधनों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से संसाधनों में हो रही कमी और गैर आयोजना खर्चों की प्राथमिकता को देखते हुए आयोजना व्यय को भी संशोधित करना आवश्यक होता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार व विभिन्न संस्थानों से गत चार वर्षों 1998-99 से 2001-2002 में लिए गये ऋणों की वर्षवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है, उक्त वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के ऋणों पर निम्नानुसार ब्याज का भुगतान किया गया :-

वर्ष	राशि (करोड़ों में)
1998-1999	1573.89
1999-2000	2071.79
2000-2001	2462.83
2001-2002	2977.23

महालेखाकार, राजस्थान से वर्तमान में माह दिसम्बर, 2002 तक के लेखे ही प्राप्त हुये हैं, जिसके अनुसार वित्तीय संस्थाओं व केन्द्र सरकार का कुल ऋण भार माह दिसम्बर, 2002 तक 29937.98 करोड़ रुपये था।

(वित्त मंत्री)

(3) वर्ष 1998-99 में राज्य पर प्रति व्यक्ति ऋण व अन्य देनदारियों का भार 5492 रुपये (1991 की जनगणना के अनुसार) था, इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 में माह दिसम्बर, 2002 तक प्रति व्यक्ति भार रुपये 7498 (2001 की जनगणना के अनुसार) था।

(4) जी हां। श्वेत पत्र जारी करने का उद्देश्य राज्य की जनता को राज्य की अर्थ व्यवस्था और वित्तीय दशा के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देना था। संसाधनों में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से श्वेत पत्र में दिये गये सुझावों के अन्तर्गत सरकार ने प्रवेश कर, टर्न ओवर टैक्स व प्राफेशन टैक्स लागू किए। राजकीय खर्चों में मितव्ययता के अनेक कदम उठाए। करों की तीव्र वसूली व बकाया करों के एकत्रीकरण के कारण ही राज्य में अकाल व देश में आर्थिक मंदी के दौर के बावजूद पिछले तीन वर्षों में राज्य के अपने कर राजस्व में 13 प्रतिशत वार्षिक दर से औसत वृद्धि हुई है। श्वेत पत्र की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला अलवर के ग्रामों में सड़क निर्माण

9. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नाबार्ड ने सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिला अलवर के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि व्यय की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अवगत कराया था कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में अकाल नहीं है वहां पर 20 किलोमीटर की सड़कों का अतिरिक्त कार्य किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक हजार से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य कराने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो जो ग्राम एक हजार से ज्यादा आबादी के हैं उक्त गांवों को कब तक व किस प्रकार से सड़क से जोड़ा जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाबार्ड से आर.यू.पी. कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिला अलवर के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार व्यय की सूची प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में भयंकर अकाल हेतु संसाधनों की आवश्यकता को

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ध्यान में रखते हुये और सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्तमान में वर्ष 2001 जनगणना की जनसंख्या के आधार पर सड़कों से नहीं जुड़े एक हजार व अधिक आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से वर्ष 2003 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 व अधिक जनसंख्या (2001 की अनुमानित) के गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के कार्यों के भेजे गये प्रस्तावों व स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "ब" "स" एवं "द" पर संलग्न है। 1000 व अधिक आबादी के सड़कों से नहीं जुड़े सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की अवधि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली स्वीकृतियां तथा प्राप्त होने वाली राशि पर निर्भर करेगी। फिलहाल केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रधानमंत्रीजी द्वारा 1000 व ऊपर की आबादी के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की घोषणा पूरी होना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-10

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पोलियो के प्रचार में कमी

11. **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पोलियो समाप्त करने हेतु राज्य में अभियान चलाये जाते हैं? क्या विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गांव हुसैनपुर में एक पोलियोग्रस्त बच्चा पाया गया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा पोलियो समाप्त करने हेतु दिनांक 5 जनवरी, 2003 को पूरे राज्य में दवा पिलाने का अभियान रखा गया था? यदि हां, तो क्या सभी केन्द्रों पर दवाइयां पिलाई गई तथा सभी प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा पोलियो समाप्त करने हेतु राज्य में अभियान चलाये जाते रहे हैं। जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के गांव हुसैनपुर में एक भी पोलियोग्रस्त बच्चा सामने नहीं आया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में पोलियो समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूरे राज्य में 5 जनवरी, 2003 को 43,601 बूथों पर 1,12,55,298 बच्चों को एवं 9 फरवरी, 2003 को इतने ही केन्द्रों पर 1,14,63,343 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की एक-एक खुराक पिलाई गई तथा जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित की गई।

केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का निर्माण कार्यों में उपयोग

12. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार से प्राप्त राहत कार्य के बजट को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क/तालाब में लगाने के बजाय राज्य सरकार की राजीव गांधी पाठशाला भवनों की भांति निजी व्यक्तियों को एक लाख पक्के मकान बना कर देने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त एक लाख भवनों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि प्रस्तावित है? क्या सरकार उक्त राशि को मकान नहीं बनाकर सार्वजनिक हित के कार्यों में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

जन कल्याणार्थ कार्यों हेतु विद्युत दरों में संशोधन

13. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश संख्या कामर्शियल 348 दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 द्वारा जारी आदेश के तहत यदि किसी ट्रस्ट/स्वायत्तशासी संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत कनेक्शन लिये गये हों और जो स्थानीय जनता एवं जानवरों को नि:शुल्क पानी पिलाने के कार्य में आते हैं उन पर भी औद्योगिक श्रेणी की विद्युत दर लागू की जाती है?

(2) क्या अब राज्य विद्युत नियामक आयोग गठन होने के बाद इस आदेश में संशोधन किया जायेगा कि जो आम जनता एवं जानवरों को नि:शुल्क पानी पिलाये उन कनेक्शनों पर औद्योगिक श्रेणी के बजाय घरेलू श्रेणी की विद्युत दर लागू होगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव रा.वि. नियामक आयोग को प्रेषित नहीं किये गये हैं तथा वर्तमान में भी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

अधीक्षण अभियन्ता अलवर के विरुद्ध लम्बित जांच

14. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अलवर के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या?

(2) उक्त शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने पत्र क्रमांक उप सचिव (जे)प-1 (56-ज.स.अ.)(2-अल)/2002/38626 दिनांक 13/16.11.2002 के द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मांगीलाल विश्नोई भीलवाड़ा द्वारा प्राप्त शिकायत बोल्डर्स धरातल में हैण्ड पम्प निर्माण कार्य जिला अलवर की विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 11 दिनांक 30.8.2000 का निर्णय हुए बिना न्यूनतम निविदाकार को आदेश नहीं देकर अन्य फर्म को आदेश देने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) उक्त शिकायत की प्राथमिक जांच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराई गई तथा प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा सुनवाई के पश्चात् प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह शिकायत प्रश्न के भाग संख्या 1 की शिकायत में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार ही है। जिस पर प्रशासनिक विभाग द्वारा जांच कर पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है।

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

मुख्य अभियन्ता (मु.),
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जयपुर।

क्रमांक प. 2(31) पीएचई/2001 जयपुर, दिनांक : 10.12.2002

विषय : विशेष जांच द्वारा श्री मांगीलाल विश्नोई, ठेकेदार, बोल्डर्स धरातल में हैण्ड पम्प निर्माण कार्य में न्यूनतम दरदाता को कार्य आदेश न देकर अन्य फर्मों को आदेश देने बाबत।

सन्दर्भ : आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एच.जी. 4(2760) जा.प्र./02-03/14143 दिनांक 28.11.2002.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि श्री मांगीलाल विश्नोई, ठेकेदार बोल्डर्स धरातल में हैण्ड पम्प निर्माण कार्य में न्यूनतम दरदाता को कार्य आदेश न देकर अन्य फर्मों को आदेश देने सम्बन्धी शिकायती प्रकरण को माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बाद सुनवाई समाप्त कर दिया है।

भवदीय
ह०/–
उप शासन सचिव

जिला अजमेर के सहकारी बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन-पत्र

15. **श्री सांवर लाल (भिनाय):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या 1 अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक अजमेर एवं अधीनस्थ बैंकों में ऋण लेने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो कितने?

(2) उक्त में से कितने व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया और कितनों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया?

(3) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों ने भी प्रार्थना-पत्र दिये? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने किस कार्य हेतु?

उत्तर

(1) जी हां। ऋण लेने हेतु 2,607 ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(2) उक्त में से 872 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। एक व्यक्ति द्वारा ऋण लेने से इंकार कर दिया तथा शेष 1734 व्यक्तियों को जिनके आवेदन चारा ऋण हेतु थे, ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, क्योंकि चारा ऋण हेतु बैंक को शीर्ष बैंक से 60.75 लाख रुपये का बजट आबंटित हुआ था, जिसके विरुद्ध बैंक द्वारा 63.22 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष बैंक से अतिरिक्त बजट आबंटन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। प्रयोजनवार प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नप्रकार है :-

क्र. सं.	ऋण प्रयोजन	अनुसूचित जाति के आवेदक		अनु. जनजाति के आवेदक	
		सदस्य संख्या जिनके द्वारा ऋण आवेदन किया गया	आवेदक की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया	सदस्य संख्या जिनके द्वारा ऋण आवेदन किया गया	आवेदक की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया
1.	जनमंगल आवास योजना	01	01	–	–
2.	अकृषि ऋण व्यक्तिगत	02	02	–	–
3.	फार्म यंत्रीकरण ट्रैक्टर	01	01	–	–
4.	एस.जी.एस.वाई.	18	18	–	–
5.	सूखा चारा क्रय ऋण योजना	343	45	25	15
	योग	365	67	25	15

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य

16. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के रतनपुरा मोड़ सालीवाल से टिब्बी मुख्यालय मसीता वाली हैड-चाईया तक की दूरी 60 किलोमीटर है? क्या उक्त में से 30 किलोमीटर सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों।

(3) क्या उक्त सड़क की मरम्मत हेतु विधायक ने अभिशंसा की थी? यदि हां, तो कब-कब और उक्त की अनुपालना अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) अब उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के रतनपुरा मोड़, ढालीवाला से टिब्बी मुख्यालय मसीतावाली हैड-चाईया तक की दूरी 57.76 किलोमीटर है इनमें 33.20 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। उक्त सड़क पर 30.20 किलोमीटर लम्बाई में आर.यू.पी. द्वितीय में नवीनीकरण स्वीकृत है तथा कार्य माह जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। विधायक महोदय की अभिशंसा पर ही 30.20 कि.मी. लम्बाई में आर.यू.पी. द्वितीय में नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत हुये हैं। कार्य की धीमी प्रगति के लिए संवेदक को नोटिस दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) उक्त स्वीकृत कार्य को जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या-17
(स्थगित)

सांगोद (कोटा) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

18. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है?

(2) क्या सांगोद (कोटा) में गत दो वर्षों से महिला चिकित्सक की सम्भवित

(श्री हेमन्त कुमार)

व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब सरकार सांगोद में महिला चिकित्सक की व्यवस्था कब तक कर राहत प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद (कोटा) में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के रिक्त पद को समेकित वेतन पर चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. स्त्री रोग) से भरने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया परन्तु योग्यता धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो सका।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद (कोटा) में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का परिपत्र)

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(कार्मिक-क-ग्रुप-11)

क्रमांक : एफ.3(6)कार्मिक/क-2/75 दिनांक : 31 जनवरी, 1991

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषय : मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति बाबत।

"राजस्थान रिक्रूटमेंट आफ डिपेंडेंट्स आफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स डाइंग व्हाइल इन सर्विस रूल्स, 1975" में मृतक राज्य कर्मचारी की परिभाषा में वे ही राज्य कर्मचारी आते हैं जिनकी मृत्यु दिनांक 2.9.1972 या इसके पश्चात् हुई हो। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रकरणों में दिये गये निर्णय में मृतक कर्मचारी की परिभाषा में से दिनांक 2.9.1972 की सीमा रेखा को निरस्त कर दिया है। परिणामस्वरूप जिन मामलों में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु दिनांक 2.9.1972 से पूर्व हुई थी उनके आश्रितों को भी नियमों की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर नियुक्ति देय होती है। अत: दिनांक 2.9.1972 के पूर्व मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित भी यदि उक्त नियमों के अन्तर्गत राजकीय सेवा हेतु आवेदन करें तो उनके आवेदन विचारार्थ ग्रहण किये जावें और केवल इस आधार पर अस्वीकृत न किये जावें कि अभिभावक राज्य कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 2.9.1972 से पूर्व हुई थी।

ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को नौकरी मिल गई है तो इन नियमों का लाभ मिला मान लिया जाएगा और अन्य आश्रित को लाभ देय नहीं होगा।

नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

ह०/–
श्री नारायण ताम्बी
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-9 का विवरण)

(1) हरदयाल पुत्र मन्नालाल मीना निवासी ढोटी, थाना अटरू के विरुद्ध दर्ज अभियोग

क्र.सं. 1	मु.नं. 2	धारा 3	थाना 4	नाम पता परिवादी 5	नतीजा अनुसंधान 6	वर्तमान स्थिति 7
1.	70/79	448 भा.द.स.	अटरू	बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी ढोटी, थाना अटरू	सीएस 50 27.9.1979	राजीनामा
2.	57/89	379, 353 भा.द.स.	अटरू	खुमानसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी ढोटी, थाना अटरू	सीएस 39 30.6.1989	सजा
3.	57/91	147, 148, 323, 325, 326 भा.द.स.	अटरू	उमाशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी ढोटी,	सीएस 90 17.8.1991	पैडिंग कोर्ट
4.	233/91	451, 323 भा.द.स.	अटरू	रामस्वरूप पुत्र अमरलाल मीणा निवासी ढोटी, थाना अटरू	सीएस 157 22.1.1991	राजीनामा
5.	247/95	341, 323, 384 भा.द.स.	अटरू	बीरबल पुत्र बजरंगलाल नायक निवासी नृसिंहपुरा	सीएस 87 29.5.1996	दोष मुक्त
6.	32/96	453, 427 भा.द.स.	अटरू	चिरोजीलाल दाधीच नि. ढोटी, थाना अटरू	सीएस 74 13.5.1996	राजीनामा

1	2	3	4	5	6	7
7.	289/02	307, 353, 341, 332, 292, 323, 147, 148, 149 भा.द.स. 3 एससी/ एसटी एक्ट	सदर बारां	श्री मदन दिलावर विधायक	सीएस 241 28.11.2002	पैंडिंग कोर्ट
(2)	दीनबन्धु पुत्र रामगोपाल धाकड़ निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू					
1.	127/93	323, 324, 504 भा.द.स. 3 एससी/ एसटी एक्ट	अटरू	भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी मूण्डला बिसोती थाना, अटरू	सीएस 128 30.9.1993	बरी
2.	279/98	332, 353, 341 भा.द.स.	अटरू	प्रेमशंकर कानि. थाना अटरू	सीएस 174 30.8.1998	पैंडिंग कोर्ट
3.	387/2000	351, 392, 506 भा.द.स.	अटरू	बनेराजसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपूत नि. रहलाई	सीएस 53 24.3.2001	पैंडिंग कोर्ट
4.	118/99	365, 393, 341, 294 भा.द.सं.	मांगरोल	कु. भारती गालव पुत्री रामचन्द्र नि. मांगरोल	सीएस 87 7.6.1999	पैंडिंग कोर्ट
5.	61/99	332, 353, 504 भा.द.स. 3 पी.डी. पी.पी. एक्ट	कोत. बारां	अ.कादरखान असी.लेब कालेज बारां	सीएस 39 21.2.1999	पैंडिंग कोर्ट

1	2	3	4	5	6	7
6.	252/02	336, 352, 504 भा.द.स.	कोत. बारां	डा. अर्जुनसिंह राजावत, बारां	सीएस 195 30.4.2002	पैंडिंग कोर्ट
7.	737/01	392, 341 भा.द.स.	कोत. बारां	विष्णु शर्मा, पुत्र जगदीश निवासी बारां	सीएस 544 16.11.2001	पैंडिंग कोर्ट
(3)	**दिनेश पुत्र लक्ष्मणसिंह मीणा निवासी भगवानपुरा थाना कवाई**					
1.	721/98	147, 149, 34 भा.द.स.	कोत. बारां	आसूसिंह पु.नि. एसएचओ कोतवाली बारां	सीएस	पैंडिंग कोर्ट
(4)	**हरपाल पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी मूण्डला बिसोती थाना अटरू**					
1.	279/98	332, 353 भा.द.स.	अटरू	प्रेमशंकर कानि. थाना अटरू	सीएस 174 30.8.1999	पैंडिंग कोर्ट
(5)	**राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप मीणा मूण्डला बिसोती थाना अटरू**					
1.	20/03	307, 323 भा.द.स. 3/25 शस्त्र अधि. नि.	अटरू	चन्द्रप्रकाश पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी मूण्डला बिसोती		पैंडिंग पुलिस

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की सूची)

असंगठित निर्माण श्रमिकों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	असंगठित निर्माण श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	—
2.	भीलवाड़ा	2000
3.	टौंक	723
4.	बीकानेर	1032
5.	चूरू	—
6.	नागौर	—
7.	श्रीगंगानगर	360
8.	हनुमानगढ़	290
9.	जयपुर	6340
10.	दौसा	150
11.	अलवर	300
12.	भरतपुर	—
13.	धौलपुर	217
14.	सीकर	187
15.	झुंझुनूं	363
16.	जोधपुर	1977
17.	बाड़मेर	141
18.	जैसलमेर	140

1	2	3
19.	पाली	276
20.	सिरोही	237
21.	जालौर	347
22.	कोटा	80
23.	बून्दी	32
24.	झालावाड़	1200
25.	बारां	70
26.	सवाईमाधोपुर	320
27.	उदयपुर	810
28.	राजसमन्द	832
29.	डूंगरपुर	150
30.	बांसवाड़ा	1068
31.	चित्तौड़गढ़	1000
	योग	**20642**

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–33 की प्रति)

देवीसिंह भाटी
(कोलायत एवं पूर्व सिंचाई मंत्री,
राजस्थान सरकार)

बरसलपुर हाउस, जस्सुसर गेट के बाहर
बीकानेर (राज.) फोन नं. 0151–2521050,
2200828 (टेली–फैक्स)
5/8 ज्योति नगर, जयपुर।
फोन नं. 0141–2741836

क्रमांक : 1239

दिनांक : 17.5.2001

सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर।

विषय : अकाल राहत कार्यों की अनियमितता बाबत।

ग्राम भाटियों की ढाणी ग्राम पंचायत माणकासर तहसील कोलायत जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है ग्रामवासियों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि इस गांव में चल रहे अकाल राहत कार्यों में सरपंच द्वारा धांधली की जा रही है। ग्रामवासियों ने बताया कि अकाल राहत के तहत इस गांव के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाकर, अन्यत्र गांवों के लोगों को रोजगार पर लगाया जा रहा है। मूल ज्ञापन संलग्न कर लेख है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष अधिकारी से जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करावें।

भवदीय
ह०/–
(देवी सिंह भाटी)

संलग्न :– मूल ज्ञापन

जिला कलक्टर,
बीकानेर

कृपया इसको जांच ACM (H.Q.) से करवा कर उचित कार्यवाही करें।

Enshine Expectitaly

ACM (H.Q.)
तुरन्त जांच कर रिपोर्ट करें।

ह०/–

ह०/–

ह०/–
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर सम्भाग
बीकानेर

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर।

विषय :- भाटीयों की ढाणी, तहसील कोलायत, ग्राम पंचायत माणकासर में चल रहे अकाल राहत कार्यों की अनियमितता सम्बन्धित जांच करवाने के क्रम में।

महोदय,

हम भाटीयों की ढाणी के ग्रामवासी हैं तथा अकाल राहत के तहत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। परन्तु सरपंच द्वारा हो रही कार्य में भारी धांधली की जा रही है। हमारे को पेमेंट समय पर नहीं हो रहा है तथा हमारी ढाणी के लोगों को रोजगार न देकर अन्यत्र गांव के श्रमिक लगा रखे हैं। तथा ग्रेवल सड़क 2 किमी. तक बन चूकी है उस पर अभी तक कांकर नहीं डलवाई गयी है। अत: हम ग्रामवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य की पूरी जांच करवा कर हमारे साथ न्याय किया जाये तथा दोषियों को दण्ड दिलाने की कृपा करावें।

ह०/-
भाटीयों की ढाणी के
ग्रामवासी व श्रमिक